राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 5] ग्यारहवीं विधान सभा के पांचवें सत्र का पांचवां दिवस [संख्या : 5

शुक्रवार ;

3 नवम्बर, 2000

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री अरुण सिंह।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मेरा सीधा-सा सवाल था कि सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्रा से सम्बन्धित...

श्री अध्यक्ष : पहले प्रश्न को आने दीजिए, उसके बाद कहे आप।

श्री सांवर लाल : इसमें सारी चीजें रिकार्डेड हैं उसके बावजूद भी स्थगित कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा अन्याय हमारे साथ हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न आये, तब आप बात कर लेना।

गुड़गांवा नहर परियोजना से डीग (भरतपुर) क्षेत्र में सिंचाई

95. **श्री अरुण सिंह** (डीग) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में गुड़गांवा नहर परियोजना से तहसील डीग (भरतपुर) की कितने हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो रही है और फिर योजना के पूर्ण होने पर कितने हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी ?

(2) अब तक किन-किन नहरों (मुख्य नहर माइनर एवं वितरिकाओं) का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और उक्त परियोजनाओं पर कितनी राशि व्यय हो चुकी है तथा कितनी राशि व्यय होने की सम्भावना है ?

(3) क्या उक्त परियोजना के बारे में कोई अन्तर्राज्यीय समझौता हुआ है ? यदि हां, तो क्या ? क्या समझौते के अनुरूप गुड़गांवा परियोजना को अपने हिस्से का पानी मिल रहा है, यदि नहीं, तो सरकार इस बारे में क्या कोई प्रभावी कदम उठाने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि शार्ट सप्लाई की स्थिति में हरियाणा क्लीनर नहर जिसका

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो पहली बात कही कि परियोजना का जो मसविदा मंजूर हुआ उसको लागू करवाने के लिए राज्य सरकार ने क्या-क्या प्रयास किये। मैंने प्रश्न के उत्तर में काफी कुछ बताया। इसके अलावा भी समय-समय पर हम अपने हिस्से का पानी लेने की कोशिश करते रहे हैं लेकिन जैसा मैंने उल्लेख भी किया है पर वास्तविकता यह है कि एक तरफ तो ओखला बैराज से गुड़गांवा हैड के बीच का जो यू. पी. का हिस्सा है, वह बहुत खराब है। उसको यू. पी. ने अभी तक ठीक नहीं करवाया है जबकि हरियाणा ने अपने हिस्से का पिछले वक्त में कुछ सिल्ट वगैरह निकलवा ली है। उसके लिए हमें यू. पी. को जो पैसा देना है, वह हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है। इसके साथ जो राजस्थान में गुड़गांवा लिंक है उसका काम भी काफी कुछ अटका हुआ है सिल्ट के कारण से। और बीच-बीच में जैसा बताया कि कम से कम 250 पम्प हरियाणा के क्षेत्र में काश्तकारों ने लगा रखे हैं जिनसे वे हमारे हिस्से के पानी को खींचते रहते हैं। लगभग 200 क्यूसेक पानी वह खींचते रहते हैं और इसके लिए समय-समय पर हमने चिट्ठी से, मुलाकातों से, मीटिंगों में काफी कुछ एतराजात किये हैं लेकिन उसके बावजूद भी वह रुकता नहीं है। एक बार तो मानीटरिंग करने के वक्त हट जाते हैं फिर वापस उनको डाल लेते हैं।

अभी 3.10.2000 को मैं हरियाणा के मुख्य मंत्री महोदय से जाकर मिली थी और उनसे हमने यह निवेदन किया था कि राजस्थान का जो 3200 क्यूसेक पानी का जो एलोकेशन है उसके पेटे आज हम बिलकुल नैग्लीजिबल पानी ले पा रहे हैं और हमारी लगभग चार-पांच वर्ष से दो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर भेजी हुई हैं। सी. डब्ल्यू. सी. को आल्टरनेट दिये हैं कि हरियाणा कौनसी को मंजूर करता है। उसमें से आपने अभी तक चार वर्षों से कोई कमेंट्स नहीं दिये। मेहरबानी करके आप अपनी स्टेट्स के कमेंट्स दीजिए जिससे कि हम अपना यह 3200 क्यूसेक्स पानी ले सकें। और बातचीत के दौरान मैं इस बात का सन्तोष जाहिर करना चाहती हूं और सदन को बताना भी चाहती हूं कि उन्होंने हमारी इस बात को माना है कि हमारा जो 3200 क्यूसेक्स का पानी है, जिसमें से 500 क्यूसेक्स तो अभी हम गुड़गांवा में और 300 क्यूसेक्स भरतपुर फीडर में एलोकेटेड है, हमारा हम ले रहे हैं। किन्हीं कारणों से पहुंच नहीं रहा है वह बात दूसरी है, बाकी जो बचा हुआ पानी है वह हमने उनसे प्रस्तावित किया है कि 1200 क्यूसेक्स अतिरिक्त पानी हमें गुड़गांवा नहर में लाने के लिए अपने इलाके में हमारी नहर का रीमॉडलिंग करने की इजाजत दें।

इसके अलावा 850 क्यूसेक्स हमें जवाहर लाल नेहरू कैनाल के लौहारू पाइंट के ऊपर झुंझुनूं के लिए पानी ले जाने के लिए इजाजत दें और 200 क्यूसेक्स हमें हांसी ब्रांच से राजगढ़, चूरू के लिए इजाजत दें जिससे कि हम अपने पानी के एलोकेशन

(श्रीमती कमला)

के लिए तैयारी कर सकें। हमें खुशी है कि उन्होंने दो बातें तो तुरन्त हां की है। 1200 क्यूसेक्स का गुड़गांवा का और 850 क्यूसेक्स का लौहारू का। हांसी ब्रांच के लिए उन्होंने यह कहा है कि इसमें सीपेज बहुत है लेकिन आप दोनों स्टेट्स के अधिकारी मौका देखकर के इसको तलाश कर ले कि अगर टेक्निकली फिजीबल बनता है तो उसमें भी उन्हें कोई एतराज नहीं है। तो इसके कारण से एक बहुत बड़ी रुकावट जो इतने वर्षों से पड़ी हुई थी उसको हमने सोर्ट आउट किया है। और उन्होंने यह विश्वास दिलाया था कि एक महीने के अन्दर-अन्दर हम सी. डब्ल्यू. सी. को अपने कमेंट्स भेज देंगे। हम उसको परस्यू कर रहे हैं और हमें खुशी है कि हमें इस तरफ बढ़ने के लिये जो रुकावट थी उसको हटा पाये हैं, और हमारे संसाधन जितने अधिक हमें मिल जायेंगे उतना ही जल्दी हम इस काम को कर सकेंगे।

आपने जो मरम्मत के लिए दो करोड़ की बात कही है, मैंने अभी माननीय वित्त मंत्रीजी से कहा है कि आप मेहरबानी करके पानी हमारा सिर्फ इसलिए दूसरे स्टेट्स में अटका हुआ है कि हम ले नहीं पा रहे हैं हालांकि यह पानी कम भी है लेकिन फिर भी इस वक्त सिर्फ अस्सी क्यूसेक्स पानी हम ले पा रहे हैं जो कि सिर्फ 13 परसेंट बन रहा है। उसमें कुछ हमारी गलती भी है कि हम अपने एरिया की सिल्ट वगैरह नहीं निकाल पा रहे। कुछ पानी की भी कमी है और कुछ यू.पी. का जो एरिया है उसकी बहुत हालत खराब है। उसकी मरम्मत की भी आवश्यकता है। मैं आपकी परमिशन से कहना चाह रही हूं कि उन्होंने इसके लिए मुझे कहा है कि मैं आपको एक करोड़ रुपये की स्वीकृति देता हूं, क्योंकि उसके लिए हमने पहले से ही प्रस्ताव जारी कर रखे हैं।

श्री अरुण सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं सिंचाई मंत्री और वित्त मंत्री को भरतपुर की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूं।

श्रीमती बीना काक : मुख्य मंत्रीजी को दो, उनके आदेश से हुआ है।

श्री अरुण सिंह : मुख्य मंत्री को भी और माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब को भी जिन्होंने इस ऐतिहासिक अकोर्ड पर अपने हस्ताक्षर किये हैं। उनको भी मैं अनुरोध करूंगा माननीय अशोक गहलोत जी के साथ प्रधान मंत्रीजी पर प्रभाव डाले कि जमुना वाटर बोर्ड के मुख्य मंत्रियों की मीटिंग शीघ्र बुलवाएं।

श्री अध्यक्ष : श्री जसवन्त सिंह।

जिला धौलपुर में पर्यटन विकास की प्रस्तावित योजनाएं

96. **श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** (बाड़ी) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला धौलपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई

(श्री जसवन्त सिंह गुर्जर)

कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या सरकार शेरगढ़ दुर्ग, मचकुण्ड, बाबर गार्डन आदि ऐतिहासिक स्थानों को सुरक्षित बनाये रखने के लिए कोई योजना बना रही है ?

(3) क्या सरकार बाडी स्थित तालाब-ए-शाही दयोह एवं सुआ का किला आदि क्षेत्रों को विकसित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस हेतु क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्रीमती बीना काक) : (1) वर्तमान में पर्यटन विभाग द्वारा कोई विस्तृत कार्य योजना नहीं बनायी गयी है।

(2) शेरगढ़ और मचकुण्ड राज्य सरकार के संरक्षित स्मारक घोषित है। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सीमित बजट में प्राथमिकता के आधार पर स्मारकों के संरक्षण कार्य कराये जाते हैं। बाबर गार्डन केन्द्र सरकार के भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के अन्तर्गत संरक्षित स्मारक घोषित है।

(3) बाड़ी स्थित तालाब-ए-शाही राज्य सरकार का संरक्षित स्मारक घोषित है और यहां जन सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत 0.38 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है। दयोह एवं सुआ का किला संरक्षित स्मारक नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया से शेरगढ़ एवं मचकुण्डजी महाराज बड़ा शानदार इतिहास रहा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं प्रति वर्ष इस पर कितना-कितना व्यय किया गया और किया जा रहा है ? मचकुण्ड जी हिन्दुओं के सभी तीर्थों के भान्जे हैं और प्रति वर्ष इसमें सिवाय नुकसान के, जीर्ण-शीर्ण अवस्था में, इसकी हालत प्रति वर्ष जर्जर होती जा रही है। माननीय मंत्री महोदया से मैं पूछना चाहूंगा कि प्रति वर्ष इस पर कितना व्यय किया जा रहा है ?

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला धौलपुर में कुछ स्मारक जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूं कि राज्य सरकार द्वारा संरक्षित है और कुछ केन्द्र के द्वारा। पर्यटन विभाग इन संरक्षित स्मारकों को उनके पर्यटन महत्त्व को राजस्व अर्जन की दृष्टि से कितना डवलपमेंट वहां किया जाना चाहिए उसके ऊपर योजना बनाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तालाब शाही, मचकुण्ड, शेरगढ़ इत्यादि स्थान पर आने वाले जो पर्यटकों की संख्या है, वह बहुत अधिक न होने के कारण गत वर्षों में अधिक कार्य इनके ऊपर नहीं करवाया गया। अब तक पिछले दस वर्षों में जो कार्य करवाये गये हैं उनकी लागत करीब 38.66 लाख की थी, जिसमें मचकुण्ड का विकास कार्य करौली पत्थर उसके ऊपर बिछाना और एक मिड-वे का निर्माण करना और फोरेस्ट की तरफ से वन विहार दृष्टि काम्पलैक्स का विकास करवाना।

(श्रीमती बीना काक)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि यहां केवल डोमेस्टिक और स्थानीय टूरिस्ट ही आते हैं। मचकुण्ड जैसा कि आपने ठीक फरमाया, सभी तीर्थों का भांजा माना जाता है। यहां देवछठ पर बहुत बड़ा मेला भी लगता है उसमें भी देशी पर्यटक काफी मात्रा में आते हैं। कुण्ड में जैसा कि बताया गया है जो जल ग्रहण स्रोत है उसमें पानी की आवक कम हो गयी है, नालियां उसमें ब्लाक हो गयी हैं। तो मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि उनकी सफाई के लिए कुछ काम करवाया जा सकता है लेकिन हमारे सीमित संसाधन होने के कारण मैं आपसे भी निवेदन करूंगी कि राजस्थान भर में ऐसे स्मारक पड़े हैं जिनके ऊपर बहुत काम करवाना बाकी है।

राज्य सरकार का पूरा कोष भी इन स्मारकों के प्रोटेक्शन और कंजरवेशन के लिए जाता है तो भी कम पड़ेगा। मैं कारपोरेट सैक्टर से और जन सहयोग की आशा रखते हुए निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसे स्मारक जहां पर सरकार कुछ कमी रख रही है या रख पा रही है, उसमें जन सहयोग से अगर आप प्रोटेक्शन के लिए आगे आएंगे तो राज्य सरकार आपको ड्यू माइलेज जो मिलनी चाहिए, वह मिलेगी। इस तरह के स्मारकों के प्रोटेक्शन के लिए हमने एक इश्तहार भी छापा था जिसका टाइटल था– 'Let History Remember you by putting your name on it.'

अगर कोई ऐसा स्मारक है जिसे शाहजहां ने बनवाया था और उस पर माननीय सदस्य अगर आप प्रोटेक्शन का काम करते हैं तो अब एक ही प्लैक के ऊपर वहां पर लिख देंगे, यह स्मारक शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था और माननीय श्री जसवन्त सिंह जी के द्वारा आज स्मारक प्रोटेक्टेड है। तो मैं यही चाहूंगी कि अगर सीमित संसाधन है तो जन सहयोग के लिए आप सभी आगे आएं।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह बाड़ी तालाब-ए-शाही, यहां थोड़ी सी वर्षा भी होने पर तालाब पूरा भर जाता है। उसमें पानी निकालने के लिए सारे गेट टूटे हुए हैं। एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के गांव दो तीन लगे हुए हैं जहां सैकड़ों बीघा फसल आज की तारीख में नष्ट हो रही है। ऐसी अकाल की विभीषिका में जहां एक तरफ राजस्थान जल रहा है वहां दूसरी ओर जो पानी वहां एकत्र हुआ है उससे सैकड़ों बीघा जमीन में फसल नहीं हो सकती।

मैं माननीय मंत्री महोदया से अनुरोध करूंगा कि उसमें पानी निकालने की समुचित व्यवस्था की जाए। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो दयोह एवं सुआ का किला है, यह आज की तारीख में अरबों की लागत से भी ऐसा किला नहीं बन सकता। ऐसे क्या कारण हैं स्मारक समाप्त होने जा रहा है तो इसको क्यों नहीं आप संरक्षित स्मारक घोषित कर देते ?

श्रीमती बीना काक : स्मारक घोषित किया जाता है तो उसके ऐतिहासिक महत्त्व, पुरातात्विक महत्त्व को देखते हुए इसमें सौ साल से पुराने भी स्मारक होने चाहिए उन पर किसी प्रकार का एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। अगर वह नहीं है तो केन्द्र सरकार को इसके बारे में लिखा जाता है।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : दो चीजें मैं आपकी जानकारी में ला रहा हूं। न तो उस पर किसी का एनक्रोचमेंट है और सौ साल से पुरानी वह इमारत बनी हुई है। आज जो शेरगढ़ का किला स्मारक घोषित कर रखा है उससे सौ गुना अच्छा है और आर्थिक रूप से भी उसमें काफी मात्रा में पैसा लगा हुआ है।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि धौलपुर में वन विहार है जो पर्यटकों के लिए बहुत अच्छा रमणीक स्थान है। वहां पर आपकी तरफ से उसकी देख-भाल करने के लिए कोई लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। सफाई हुई या नहीं हुई। उसकी क्या व्यवस्था है वह खण्डहर होता जा रहा है उसकी क्या व्यवस्था है देखने की।

श्रीमती बीना काक : जैसा कि मैंने सुना आपने वन विहार कहा है लेकिन वन का महकमा मेरे पास नहीं है। आप वन मंत्रीजी को इसके बारे में अवश्य लिखें।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : नाम है, लेकिन है पर्यटन।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : नाम है इस जगह का।

श्रीमती कमला भृजलाल (सपोटरा) : फोरेस्ट डिपार्टमैंट के पास है और फोरेस्ट डिपार्टमैंट का रेस्ट हाउस है। वन विहार नाम है और फोरेस्ट डिपार्टमैंट का है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री रामस्वरूप मीणा।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में महाविद्यालय की स्थापना

97. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में महाविद्यालय नहीं होने के कारण यहां के विद्यार्थियों को करौली एवं सवाई माधोपुर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या के समाधान हेतु इस वर्ष में उक्त क्षेत्र में नया महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री सी.पी. जोशी) : जी हां। चालू वर्ष में टोडाभीम में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने की योजना नहीं है, क्योंकि इस वित्तीय वर्ष की योजना में राजकीय क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है

(श्री रामस्वरूप)

उसके अन्दर उन्होंने शुरू में लिखा है, जी हां। क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में महाविद्यालय नहीं होने के कारण वहां के विद्यार्थियों को करौली, सवाई माधोपुर जाना पड़ता है ? आपने लिखा है जी हां। करौली और सवाईमाधोपुर मेरे यहां से 70 किलोमीटर तो अलग है, 60 किलोमीटर के अन्दर करौली पड़ता है और सवाईमाधोपुर बहुत दूर पड़ता है। जब आपने यह माना है और वास्तव में वहां छात्र जाते हैं। जब 70 किलोमीटर आप मान रहे हो तो एक प्रावधान आपका यह बना हुआ है कि 70 किलोमीटर तक जहां छात्र जाते हो एडमिशन के लिए वहां पर कम से कम कालेज खोला जाये। नम्बर एक।

दूसरा माननीय मंत्रीजी आपने इसमें लिखा है, यहां के विद्यार्थियों को करौली, सवाईमाधोपुर जाना पड़ता है। यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या के समाधान हेतु इस वर्ष में उक्त क्षेत्र में नया महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यह मैंने पूछा। माननीय मंत्रीजी आपने अपना जवाब क्या दे दिया मुझे क्योंकि इस वित्त वर्ष की योजना में राजकीय क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय खोलने का कोई प्रावधान नहीं है। आपने प्रावधान यह बताया है। माननीय मंत्रीजी, हमारी बहुत ही संवेदनशील सरकार है। आदरणीय मुख्य मंत्रीजी भी यहां विराजमान हैं। टोडाभीम की जनता में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का प्रावधान नहीं है। वहां की जनता ने मात्र एक ढाई साल तो जरूर हल्ले में वोट लगा दिया बाकी लगातार कांग्रेस को जिताती चली आ रही है।

मोहम्मद माहिर आजाद : चुनाव लड़ करके अनुभव कर चुके हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : जो भी खड़े हुए सबकी जमानतें जब्त हुई। 39700 वोटों से जनता ने कांग्रेस को जिताया। प्रधान निर्विरोध लाई कांग्रेस की और टोडाभीम में नगर-पालिका तीनों बार कांग्रेस की आई। इसलिए उनको जिताने का तो प्रावधान है नहीं। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा क्या यही इनाम मुझे दे रहे हो। इसके बारे में मैं उस जनता को क्या जवाब दूंगा वहां जाकर। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है। मैंने आपसे विचार पूछा है। मैंने प्रावधान नहीं पूछा है। प्रावधान तो आप चाहो तो अगले बजट में कर देना। मुख्य मंत्रीजी विराजमान हैं और आप भी विराजमान हैं। वह तो अगले बजट में भी हो जायेगा प्रावधान तो। क्या विचार रखते हो, कोई अन्तरआत्मा में है क्या टोडाभीम के लिए खोलने की। पहला प्रश्न।

दूसरा मेरा प्रश्न है, माननीय मंत्रीजी, आपने मापदंड वाली बात लिखी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे भाई लालसोट के परसादी लालजी प्रसन्न हो रहे हैं आज। सरकार आते ही आप तो मंत्री, इसलिएं तुरन्त ही कालेज खुल गया। मेरे टोडाभीम में आज तक कालेज नहीं खुला क्या वहां सारे प्रावधान लागू हैं,

(श्री रामस्वरूप)

क्या खेतड़ी में हो रहे हैं, झुंझुनूं में सारे प्रावधान, क्या वहां की सारी शर्तें पूरी कर रहे हैं। वहां पर कैसे खुल गये हमारी सरकार आते ही। माननीय मुख्य मंत्रीजी विराजमान हैं। मेरी जनता ने हमेशा कांग्रेस के लिए सब कुछ किया है और आज भी संघर्ष किया है। (व्यवधान) मैंने इसी सदन के अन्दर हमारे विरोधी दल के लोग जो इधर बैठे हुए हैं पचासवां धरना इसी कालेज के लिए इसी सदन में दिया था। लेकिन इन्होंने क्या जवाब दिया मुझे। उस समय लिखित में भी जवाब दिया था। और इन्होंने क्या जवाब दिया मुख्य मंत्रीजी कि आपके यहां से तो कांग्रेस जीतती है इसलिए नहीं खोला जायेगा। (व्यवधान) यह जवाब दिया इन लोगों ने। (व्यवधान) इसके बावजूद अध्यक्ष महोदय, वहां की जनता ने कांग्रेस को वोट दिया है।

मेरा विनम्र निवेदन है कि सारे प्रावधानों में हमारा वहां का कालेज आता है। छात्रों की संख्या देख लो, दूरी देख लो, जमीन का अलाटमेंट हो चुका है। सारी शर्तें पूरी कर रहा है। आने वाले बजट में, अब आपके सामने आयेगा उसमें भी प्रावधान हो....(व्यवधान) मुझे जरूर आशा है मेरी सरकार जरूर से प्रावधान रखेगी। (व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी सपोटरा में कालेज खोलने के लिए बोला हुआ है जबकि कांग्रेस की एम.एल.ए. भी जीती मेरे यहां से और एम. पी. की भी जीती जबकि सांसद यहां से हारी इसलिए अधिकार मैं ज्यादा रखती हूं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां से लगातार सांसद जीते हैं। (व्यवधान) एस. टी. की रिजर्व सीट है, अनुसूचित जनजाति की रिजर्व सीट है। बहन कमला की मानों कभी मैं उनको मना नहीं करता हूं। (व्यवधान) उनको अधिकार है मांगने का। बहन कमलाजी अबकी बार ही आई हैं। मैं तो कम से कम 15 साल से +++ इस कालेज के लिए। 9 साल तक तो +++ मैं इनके सामने +++। (व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : इसलिए कालेज प्राथमिकता से सपोटरा में खोलने का कष्ट करें। (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : इन दोनों से ज्यादा जरूरी मेरे विधान सभा क्षेत्र में कालेज खोलना है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इसलिए माननीय मंत्रीजी विनम्र निवेदन करना चाहता हूं पहले मेरे प्रश्न का जवाब दिलाया जावे।

मोहम्मद माहिर आजाद : 85 में बी.जे. पी. की टिकट पर चुनाव...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से पहले मेरा जवाब दिलवाया जावे। इतनी

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामस्वरूप)

महत्त्वपूर्ण समस्या, टोडाभीम की जनता की अन्तरआत्मा की पुकार आपके सामने निवेदन कर रहा हूं। आप मजाक मत करिये। इस प्रकार से मजाक बना रहे हैं। मेरा विनम्र निवेदन है अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी इसका जवाब दें कि क्या आप वहां टोडाभीम में कालेज खोलने का विचार रखते हैं। वहां पर सारे साधन उपलब्ध हैं। यह मेरा विनम्र निवेदन है। पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब आ जावे। माननीय मंत्रीजी जवाब दें कि खोलने का विचार रखते हैं कि नहीं रखते हैं।

श्री अध्यक्ष : इस वित्तीय वर्ष में कोई प्रावधान नहीं है।

श्री रामस्वरूप : क्या कोई भावना है ? हम वहां पर बिल्डिंग बनाने को तैयार हैं। (व्यवधान) सारी शर्तें पूरी करने को तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी ने इनको बुला कर कहा था कि कांग्रेस को वोट दे देना कालेज खोल देंगे।

एक माननीय सदस्य : बी.जे.पी. छोड़ कर कांग्रेस में गये ही इसलिए थे।

श्री रामस्वरूप : (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह हमेशा रोड़ा अटकाते हैं मेरे कालेज में। अब भी रोड़ा अटका रहे हैं कालेज के अन्दर। मेरा विनम्र निवेदन है कि माननीय मंत्रीजी मुझे आश्वस्त करें इस बात के लिए क्या प्रावधान है आपके। कालेज खोलने की कौन-कौनसी ऐसी शर्तें हैं जिनके तहत आप कालेज खोलते हो ? (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, कम से कम इसका जवाब तो दें कि क्या प्रावधान हैं ? (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जब तक पूरे मापदंड नहीं कर लिये जाये तब तक महाविद्यालय नहीं खोला जाये। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे कौनसे मापदंड हैं जिनके पूरे हो जाने पर आप महाविद्यालय खोल सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री नहीं....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मेरे प्रश्न का जवाब मिल जाये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस वित्तीय वर्ष में कोई प्रावधान नहीं है।

श्री रामस्वरूप : मेरी विनम्र हाथ जोड़ कर अर्ज है अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी चाहे जैसे कह दें...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भविष्य में आश्वासन देने वाली बात भविष्य के गर्भ में है। आगे वित्तीय स्थिति क्या रहेगी राज्य सरकार की उस पर विचार होगा।

श्री रामस्वरूप : मुझे मंत्रीजी जवाब दें। वहां की जनता को मैं क्या जवाब देऊं,

(श्री रामस्वरूप)

करबद्ध निवेदन है। क्या-क्या शर्तें हैं आप जिनके तहत कालेज खोलते हो ? इन शर्तों को पूरा कर देंगे तो क्या आप कालेज खोल दोगे ? (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह रामू (नदबई) : (व्यवधान) इनके यहां कालेज खुले या नहीं खुले...(व्यवधान) इनको मंत्री बना दिया जाये। (व्यवधान) कालेज खुले कि नहीं खुले इनको मंत्री बना दिया जाये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री सी.पी. जोशी : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है कि क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में महाविद्यालय नहीं होने के कारण यहां के विद्यार्थियों को करौली एवं सवाईमाधोपुर जाना पड़ता है। हमने कहा जी हां, इसका मतलब राजस्थान सरकार की मंशा है लेकिन वित्तीय संसाधन इस साल में उपलब्ध नहीं होने से नहीं खोल रहे हैं जैसे ही वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे इसके बारे में विचार किया जावेगा।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : हमारे यहां क्या हुआ। (व्यवधान) इनके यहां तो फिर भी बसों से जाते होंगे. पढ़ने हमारे यहां तो नावों से जाते हैं जब बरसात होती है तो 70 किलोमीटर।

श्री रामस्वरूप : अगले सत्र में खोल देना मुझे तो भरोसा है। इस सत्र में नहीं खोल रहे हो अगले सत्र में खोल देना सारी शर्तें वहां पर पूरी करी है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री रामस्वरूप : मेरा यह नहीं कि इसी सत्र में आप खोलें। अगले सत्र में खोल देना। सरकार विचार रखती है तो काम हो ही जाता है। हमारे मुख्य मंत्रीजी की अन्तरआत्मा में यह बात है। वह चाहेंगे और आप चाहोगे तो निश्चित रूप से कालेज खुल जावेगा। (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : मंत्रीजी हमारे यहां पर बच्चे नावों में बैठ-बैठ करके पेपर देने जाते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य बैठिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जिस क्षेत्र में जन सहयोग से भूमि और भवन की व्यवस्था वहां की स्थानीय जनता करने को तैयार है, क्या ऐसी जगह पर प्राथमिकता के आधार पर सरकार कालेज खोलने की मंशा रखती है ? कृपया बताने का श्रम करें।

श्री अध्यक्ष : यह तो बाबूलालजी, अलग से प्रश्न है क्योंकि आप पूरे राजस्थान का पूछ रहे हैं और इन्होंने सिर्फ टोडाभीम का पूछा है। डा. करण सिंह।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों से आये हुए सभी

(डा. करण सिंह यादव)

जन प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों में महिला कालेज या ब्वायज कालेज खोलने की आकांक्षाएं लेकर आये हैं। चुनाव में एक एजेंडा बनाकर आये हैं। राज्य सरकार का यह सोच कि वित्तीय प्रावधान नहीं है। जहां तक मंत्रीजी का जवाब है उससे तो संतुष्ट हैं लेकिन क्या सरकार की पालिसी राजकीय क्षेत्र में कोई कालेज खुलते नहीं हैं। वित्तीय प्रबन्धन से होने वाला नहीं है। एक तो जवाब मैं यह चाहता हूं।

दूसरा, प्रश्न यह है कि एक तो शहरों में कालेज खुलते हैं जो कमाई की दृष्टि से खोले जाते हैं। जहां अर्निंग की बात होती है। यहां पर प्रश्न यह है कि हम कहीं गांवों में जाकर के चंदा इकट्ठा करके कोई कालेज की बिल्डिंग बना दें। पहले एक प्रावधान था कि आप 30 लाख रुपये जमा करा दें लड़कियों के कालेज के लिये पहले साल में तो सरकार उसको टेकओवर कर लेगी। 70 लाख रुपये आप जमा करवा दीजिये ब्वायज कालेज के लिये तो सरकार बिल्डिंग बनाकर के दे दें, ऐसी राजस्थान सरकार की पालिसी थी। लेकिन मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि इन दो सालों के अंदर न तो नयी पालिसी बनायी गयी और न पुरानी पालिसी को कंटीन्यू रखा गया। यहां तक हुआ कि बींजूसर में कालेज की बिल्डिंग बनाकर के दे दिया, वहां के जो लोग थे उन्होंने पैसा भी जमा करा दिया। लेकिन वह कालेज नहीं खुल पाया।

मैं तो मुख्य रूप से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, विशेष तौर पर महिलाओं के कालेज, और खास तौर पर वह कालेज जहां पर धनोपार्जन की आकांक्षाएं नहीं हैं, किसी तरह से शिक्षा वहां के जन सहयोग से देना चाहते हैं। उनके लिये माननीय शिक्षा मंत्रीजी का क्या सोच है ? इस विषय पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब ग्रामीण क्षेत्र के लोग कालेज खुलवाने के लिये आते हैं, बिल्डिंग बना कर के आते हैं उनको स्वीकृति देने के लिये राज्य सरकार की शर्त है कि 25 लाख रुपये की एफ.डी. जमा कराओ। हम जमीन खरीदें, हम वहां पर बिल्डिंग बनवाये और 25 लाख रुपये राज्य सरकार को जाकर के जमा करें तब जाकर स्वीकृति मिलेगी। (व्यवधान) मेरा मात्र यह निवेदन है, और मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से यह गुहार करता हूं, वह शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं, कुछ ऐसी ओरिजनल योजना लाकर के दें जिससे कि हम लोग गांवों के अंदर कर सकें। गांव की पंचायत जमीन देने को तैयार है। अब उसके भी पैसे देने पड़ेंगे क्या ? लड़कियों की कालेज खुलवायें उसमें सरकार अपना कोई योगदान दे सकती है क्या ? कोई ऐसा विचार सरकार के दिमाग में है और सपोटरा वाले, भीम वाले हम सब लोग बिल्डिंग बनाकर देने के लिए तैयार हैं। हम सब लोग जन सहयोग से करेंगे। इन लोगों के लिये कोई पैकेज, गवर्नमेंट के पास में, शिक्षा मंत्रीजी के पास में है, यह मेरा प्रश्न है।

श्री सी.पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से भली-भांति परिचित हूं कि विभिन्न क्षेत्रों के विधायक गण अपने क्षेत्र में महाविद्यालय खोलना चाहते हैं और वहां आवयकता भी है। और इसलिए राजस्थान सरकार ने अपने बजट में यह कहा कि हम निजी क्षेत्र से सहयोग लेकर एक नीति बनायेंगे। हमने प्राथमिक रूप से यह काम प्रारम्भ किया और इस वर्ष निजी क्षेत्र की वो संस्थाएं जो 10 लाख रुपये पांच साल के लिए एफ.डी. करवा रही हैं उनको हमने गर्ल्स कालेज खोलने की परमीशन दी है। और जो संस्थाएं 25 लाख रुपये की एफ.डी. करा रही हैं उनको को-एजुकेशन खोलने की हमने परमीशन दी है। और राजस्थान सरकार ने इस साल 6 विद्यालयों को निजी क्षेत्र में खोलने की इस आधार पर परमीशन दी है।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो बात बहरोड से आने वाले माननीय सदस्य ने कही, वही बात भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने भी मुझे कही है।

श्री रामस्वरूप : टोडाभीम वाले ने।

श्री सी.पी. जोशी : टोडाभीम वाले ने, भीम वाले सदस्य ने भी मुझे कहा है, सोजत से आने वाले माननीय सदस्य ने भी मुझे कहा है और सरकार इस बारे में एक्सप्लोर कर रही है कि किस तरह से हम निजी क्षेत्र से सहयोग लेकर महाविद्यालयों को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में निर्णय कर सकें। मैं समझता हूं कि आने वाले एक-दो महीनों में हम इन सब विचारों को सुनकर राजस्थान सरकार ऐसी नीति बनायेगी, जिससे पिछली सरकार की नीति के कारण 700 लेक्चरार की पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। सरकार अभी अफोर्ड नहीं कर सकती कि 700 पोस्टें तो भरे नहीं और नये कालेज खोल दें। इसलिए सरकार की यह मंशा है कि किस तरह से हम जनता से सहयोग लेकर, सरकार के नहीं, निजी क्षेत्र के सहयोग के साथ आकर, मैनेजमेंट के साथ जोड़कर या प्राइवेट लोगों के साथ जोड़कर या विधायक फंड के पैसे का उपयोग लेकर या सरकार जमीन के पैसे की छूट देकर, कोई नीति इस तरह की बनायी जाये जिससे महाविद्यालय खोलने की जो यथास्थिति है वह टूटे और महाविद्यालय खोलने की स्थिति प्रारम्भ हो सके। इस सम्बन्ध में सरकार नीति बनायेगी और माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आप अपने सुझाव दें। इन सुझावों को इनकारपोरेट करके हम निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में कुछ काम कर पायेंगे जिससे अगले साल से हम इस समस्या का निदान कर सकें।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, गोवर्द्धन कल्ला।

जिला जैसलमेर में अकाल में पशुओं की देखरेख

98. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में गत अकाल में अन्य जिलों से पचास हजार पशु आवारा आये थे तथा उन्हें कैटल कैम्पों में रखा गया था, उनका मालिकाना हक किनका है तथा वर्तमान अकाल में घास के अभाव में इनको कौन सम्भालेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि जैसलमेर जिले के चरागाह क्षेत्र में इस वर्ष वर्षा नहीं हुई है तथा अभी से घास की कमी आ रही है ?

(3) क्या यह सही है कि यदि घास उपलब्ध नहीं हुई तथा पशुओं की निकासी नहीं की गई तो हजारों पशु/आवारा पशु मौत के कगार पर पहुंच जायेंगे ? क्या सरकार की पशुधन बचाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया जाता है। नैक्स्ट क्वेश्चन, प्रो. सांवर लाल।

सरकारी उच्चाधिकारियों की विदेश यात्राओं पर व्यय

99. **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या विगत 10 वर्षों में भारतीय प्रशासनिक सेवा/राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अनेक अधिकारी राजकीय कार्य से विदेश यात्रा पर गये थे ? यदि हां, तो कौन-कौन अधिकारी किस-किस तारीख को कहां-कहां किस-किस उद्देश्य से गये और कहां-कहां ठहरे व वापस कब आये तथा किस-किस पर कितना-कितना सरकारी व्यय किस-किस मद में हुआ ? जिस तारीख को यात्रा पर गये वे किस पद पर कार्यरत थे और उन्हें पुनः लौटने पर कब किस पद पर लगाया ?

(2) क्या उक्त यात्रा का लाभ वहां कार्य करने पर राज्य सरकार/जनता को मिला है ? यदि हां, तो क्या व कैसे ?

श्री अध्यक्ष : विस्तृत सूचना संकलन में समय लगेगा **इसलिए स्थगित किया गया।**

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें सारी सूचना सरकारी रिकार्ड पर है। इसमें ऐसी कौनसी जानकारी है जिसमें संकलन की आवश्यकता है ? सरकार टालमटोल करती है। वस्तुस्थिति की जानकारी जनहित में जरूरी है कि इन अधिकारियों पर करोड़ों रुपये सरकार खर्च करती है वह वहां पर जाकर क्या करते हैं और यहां आकर उसका कोई लाभ जनता को मिलता है या नहीं मिलता है। अब यह सीधा सा सवाल है। सारी चीजें ऑन रिकार्ड हैं। उसके बावजूद सरकार जवाब नहीं देना चाहती है।

श्री बुलाकीदास कल्ला (कार्मिक मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि कौनसा अधिकारी कौनसे होटल में रुका। यह सूचना तो, प्रतिपक्ष के नेता विराजे हुए हैं, मैं समझता हूं आपके कार्यकाल

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

में भी किसी को पता नहीं होगा कि आई. ए.एस. ऑफिसर विदेश में जाकर किस होटल में रुके। यह प्रश्न में इन्होंने पूछा है।

श्री देवीसिंह भाटी : बिल देते हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसी विस्तृत सूचना इन्होंने पूछी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो समय मुझे निर्धारित करेंगे और जो-जो सूचनाएं राज्य सरकार के पास उपलब्ध हैं यात्रा सम्बन्धी....मेरी सुन लें।

श्री सांवर लाल : माननीय मंत्री महोदय, इसमें यह पूछा है...

श्री बुलाकीदास कल्ला : तब आपके माध्यम से प्रस्तुत कर दूंगा। आपने प्रश्न में यह पूछा है कि कौनसे अधिकारी किस होटल में रुके ? यह जानकारी राज्य सरकार के पास देना जरूरी नहीं है और ना ही वे देते हैं।

श्री सांवर लाल : नहीं, नहीं, ऐसा है माननीय मंत्री महोदय...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : कहां ठहरे. ...(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसमें देखिये, आप इसको पढ़ें।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं तो माननीय मंत्रीजी इसकी सूचना...(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : इतनी विस्तृत सूचना...(व्यवधान) बारे में पूछा है इसमें समय लगेगा...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उसका खर्चा अगर उठाया है। अगर किसी रिश्तेदार के पास रुके हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर उसने उसका पैसा उठाया है, बिल उठाया है तो....(व्यवधान) वह आपको प्रोड्यूस किया होगा।

श्री सांवर लाल : पैसा उठाया है उसका हिसाब सबमिट किया होगा, मंत्री महोदय यहां पर...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : जब बिल प्रोड्यूस किया होगा तो ऑन रिकार्ड पर होगा ...(व्यवधान) इसलिए उसमें कोई बात ही नहीं है...(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : इन्होंने जो पूछा है उसमें 10 साल का....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : कितने ही साल का हो....(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सारा पेमेन्ट हो चुका है...(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्या विगत 10 वर्षों में भारतीय प्रशासनिक सेवा/ राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अनेक अधि-कारी राजकीय कार्य से विदेश यात्रा पर गये थे ? यदि हां, तो कौन-कौन अधिकारी किस-किस तारीख को कहां-कहां पर किस-किस उद्देश्य से गये और कहां-कहां ठहरे व

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

वापस कब आये तथा किस-किस पर कितना-कितना सरकारी व्यय किस-किस मद में हुआ ? जिस तारीख को यात्रा पर गये थे वे किस पद पर कार्यरत थे और उन्हें पुनः लौटने पर कब किस पद पर लगाया ? आठ वर्ष तक...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इसमें कहां दिक्कत आ रही है तो...(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : महोदय आप लोग थे...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : इससे बढ़िया सवाल तो आप नहीं कर सकते हैं...(व्यवधान) यह सवाल क्यों...(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : दो वर्ष क्या मैं पूरे दस वर्ष का संकलित करके... (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : दो साल का ही तो पूछेंगे, किस दो साल का पूछें (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : पाइंटेड प्रश्न है... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हर चीज पाइंटेड पूछी है हमने और जो अधिकारी विदेश में जाते हैं वापस आकर के हिसाब देते हैं। हिसाब सरकार के पास...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पाइंटेड पूछा है लेकिन सूचना इतनी विस्तृत है...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, आठ साल का रिकार्ड यह उपलब्ध करवा देंगे...(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : आठ साल का तो आपके पास है, पिछले आठ साल का...(व्यवधान) आठ साल का ब्यौरा कौन देगा ? हमसे तो दो साल का पूछो। आठ साल का तो उनको पता है सारा का सारा ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, आठ साल तो इन्होंने राज किया है। आठ साल का रिकार्ड तो यह उपलब्ध करा दें और दो साल का रिकार्ड सरकार उपलब्ध करवा देगी...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : विदेश यात्रा पर जाता है और उन पर खर्च होता है और फिर आने के बाद उसका विभाग बदल दिया जाता है तो वह...(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : आठ साल का तो आपका कार्यकाल है...(व्यवधान) दो साल का पूछ रहे हैं आप....(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब देने में दिक्कत आ रही हो...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सरस्य का पाइंटेड सवाल है, उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं...(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का सोच...(व्यवधान)

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

यात्रा के ऊपर प्रतिबन्ध लगा रखा है... (व्यवधान) कारों पर लगा रखा है...(व्यवधान) मैं बहुत शीघ्र सारी सूचनाएं संकलित करके जो हमारे पास में हैं, दे दूंगा...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : दस साल का मैंने पूछा और मुझे जब मालूम है कि दस साल पहले आपका राज नहीं था, इससे क्या मतलब है कि राज था या नहीं था...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप यह कह दो कि कोई नहीं गया...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि एक प्रशासनिक अधिकारी को आप विदेश यात्रा पर भेजते हैं...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : हमने दस साल की जानकारी पूछी है...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : टेक्निक फार फेमिली वैलफेयर...

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद साहब।

मोहम्मद माहिर आजाद : और वह वहां से प्रशिक्षण लेकर के आवे और उसका विभाग बदल देते हैं तो सरकार के खर्चे की अनदेखी हो रही ना। सरकार का पैसा फिजूल में खर्च हो रहा है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न की सूचना इतनी विस्तृत है। अब आप सुनिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कोई दूसरा समय निश्चित कर दें, 6 तारीख को जवाब दिलवा दें इसमें क्या बात है।

श्री अध्यक्ष : सांवर लालजी, पिछले दो वर्षों में कौन-कौन अधिकारी किस-किस उद्देश्य से गया और कहां-कहां ठहरा और वह वापस कब आया। किस पर कितना सरकारी व्यय हुआ निश्चित रूप से विस्तृत सूचना है। वह संकलन नहीं हो सकी इसलिए मैंने इसे स्थगित कर दिया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, सोमवार को रखवा दीजिये। मेरा नम्र निवेदन है कि इसी क्रम में सोमवार को तय कर दें। अध्यक्ष महोदय, तीन दिन मिल जायेंगे और सचिवालय से सारी सूचनाएं मिल जाएंगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : हमने नहीं भेजे, आपकी ही मेहरबानी से गए हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : दिक्कत कहां आ रही है ? आप यही जवाब दे दें। इन्होंने यह तो नहीं पूछा कि किसने भेजा है ? कौन-कौन गए हैं, यह जवाब दे दें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सोमवार को क्या करेंगे ? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने तो विदेश यात्राओं पर प्रतिबंध लगा रखा है, कुछ अधिकारी गए हैं वे यू.एन.एड. के माध्यम से गए हैं जिसमें कुल खर्चा विदेशी संस्थाएं देती हैं

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अधिकतर। दो-चार अधिकारी जो भी गए हैं...(व्यवधान) आप एक मिनट सुनिए, देखिये खाली हल्ला मचाने से, दूसरों की सुननी ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, पिछले कार्यकाल के अंदर, राजनीति से ऊपर उठकर कह रहा हूं, अधिकांश अधिकारी पिछली सरकार के कार्यकाल के अंदर गए हैं। जैसा आपने खुद ने आब्जर्वेशन दिया है अभी यहां पर, यह बहुत विस्तृत सूचना है, कहां-कहां ठहरे You have to scrutinise everything. (व्यवधान) आप सुन लें। एक-एक बिल देखना पड़ेगा। एक यात्रा के दौरान आप तीन जगह गए, चार जगह गए तो सारी इसकी विस्तृत सूचना है और कहां ठहरे, अगर इस सदन में कहीं कोई सूचना देने में मिस हो जाएगी तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का सवाल बनता है। ऐसे अहम मसले में हम निश्चित रूप से देंगे। हमारी गलती नहीं है। पिछली सरकार के कार्यकाल में गए हैं, हम क्यों छुपाने लगे इस बात को। यह मेरा अनुरोध है कि जब भी आप चाहेंगे इसके अंदर उत्तर ले लेंगे लेकिन समय दिया जाना निश्चित रूप से जरूरी है। अधिकारी उस काल में भी थे, आज भी हैं। इसलिए किसी अधिकारी के बारे में कोई सूचना दी जाए तो वह निश्चित रूप से दी जानी चाहिए, यह मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि सूचना लम्बी है लेकिन जो सूचना अभी अवेलेबल है, वह देने को ये तैयार हैं। अभी माननीय मंत्रीजी ने कहा, इसलिए 6 तारीख को जो सूचना इनके पास अवेलेबल हो कि कौन-कौन अधिकारी गए हैं, इनके पास है, कौन अधिकारी हैं, उन पर कितना खर्चा हुआ, नहीं हुआ तो मत दें लेकिन कौन-कौन अधिकारी कब-कब गए यह सूचना आपके पास है इसलिए सोमवार को माननीय अध्यक्षजी इसको रख दीजिए। सोमवार को जितनी सूचना इनके पास अवेलेबल है और जो देने को तैयार हैं, दे दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अपूर्ण सूचना देंगे तो सरकार कटघरे में खड़ी होगी।

श्री शिवनाथ सिंह : कटघरे में नहीं होगी माननीय अध्यक्षजी।

श्री अध्यक्ष : इसलिए सूचना अपूर्ण नहीं दी है। इसलिए मैं इसको स्थगित करता हूं।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्षजी, सदन की भावना है।

श्री सांवर लाल (मिनाय) : माननीय अध्यक्षजी, सवाल के जवाब का कोई तो समय तय कीजिए।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

राज्य में प्रति व्यक्ति ऋण भार

100. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य सरकार पर वर्तमान में ऋण भार कितना है जिसमें विदेशी ऋण कितना है ?

(2) 31 मार्च, 2000 और 31 मार्च, 1999 तथा 31 मार्च, 1998 को राज्य सरकार पर ऋण भार कितना था जिसमें विदेशी ऋण कितना था ?

(3) क्या चालू वित्तीय वर्ष में और ऋण लेने की योजना है ? यदि हां, तो किस प्रकार से कितना-कितना, कब-कब, जिसमें विदेशी ऋण कितना किस संस्था से लिया जाएगा ?

(4) प्रश्न के भाग संख्या दो में बताई गई अवधि में सरकार ने ओवर ड्राफ्ट कितना-कितना ले रखा था ?

(5) देश के अन्य राज्यों पर ऋण भार प्रति व्यक्ति कितना-कितना है, जिसके मुकाबले राज्य में प्रति व्यक्ति कितना था, राजस्थान का इसमें कौनसा स्थान है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) राज्य सरकार पर वर्तमान में 31 मार्च, 2000 तक संशोधित अनुमान के अनुसार 19267.55 करोड़ रुपये का लोक ऋण तथा 9902.32 करोड़ रुपये की अन्य देनदारियां हैं। इस प्रकार कुल देनदारियां 31 मार्च, 2000 को 29169.87 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार को सीधे विदेशी ऋण प्राप्त न होकर भारत सरकार से प्राप्त होने वाले ऋणों में ही विदेशी ऋण शामिल होता है।

(2) 31 मार्च, 2000 और 31 मार्च, 1999 तथा 31 मार्च, 1998 को राज्य सरकार पर कुल देनदारियां क्रमशः 29169.87 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान के अनुसार), 24169.97 करोड़ रुपये तथा 19261.75 करोड़ रुपये थी। इनमें से लोक ऋण एवं अन्य देनदारियों का विवरण निम्न प्रकार है :–

दिनांक	लोक ऋण	अन्य देनदारियां	कुल देनदारियां
31.3.2000	19267.55	9902.32	29169.87
31.3.1999	15713.61	8456.36	24169.97
31.3.1998	12240.42	7021.33	19261.75

राज्य सरकार को सीधे विदेशी ऋण प्राप्त न होकर भारत सरकार से प्राप्त होने वाले ऋणों में ही विदेशी ऋण शामिल होता है।

(3) जी हां, चालू वित्तीय वर्ष में 31 मार्च, 2001 तक 5537.49 करोड़ रुपये के लोक ऋण लेने के अनुमान लगाए गए थे। तत्पश्चात् राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

बैंक से अकाल राहत कार्य व बीसलपुर सिंचाई एवं पेयजल परियोजना हेतु 250.29 करोड़ रुपये का और ऋण लेने का अनुबंध किया गया है। संस्थावार ऋण लिए जाने का विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है। अन्य देनदारियों के अंतर्गत इस वर्ष के अंत तक 1482.33 करोड़ रुपये की शुद्ध वृद्धि का अनुमान है। राज्य सरकार को सीधे विदेशी ऋण प्राप्त न होकर भारत सरकार से प्राप्त होने वाले ऋणों में ही विदेशी ऋण शामिल होता है।

(4) राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की शर्तों पर समय-समय पर ओवर ड्राफ्ट लिया जाता है तथा उसका चुकारा भी निर्धारित अवधि में करना होता है।

(5) देश के अन्य राज्यों पर 31.3.2000 को वर्ष 1999-2000 के बजट अनुमानों के आधार पर प्रति व्यक्ति ऋण भार की सूचना परिशिष्ट-'ख' पर संलग्न है। राजस्थान में प्रति व्यक्ति ऋण भार 31.3.2000 को 5840.57 रुपये होने का अनुमान था। 25 राज्यों में से राजस्थान का 13वां स्थान है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जैसा उत्तर दिया है, उससे स्पष्ट है कि 31.3.98 को जो 19261 का ऋण भार था राज्य सरकार पर वह 31.3.2000 को 29169 हो गया। इसका एक मुख्य कारण है गत सरकार द्वारा लिए गए गलत निर्णय। इन्होंने सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए ऐसे निर्णय लिए जिनसे यह ऋण भार दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है।

उदाहरण के तौर पर इन्होंने वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया उसमें जो आर्थिक भार बढ़ाने वाली थी वह सिफारिशें तो मंजूर की और जिन सिफारिशों से राज्य की आर्थिक हालत सुधरनी चाहिए थी उन सिफारिशों को छोड़ दिया। तनख्वाह बढ़ा दी और सारे खर्चे बढ़ा दिए लेकिन कर्मचारियों की संख्या कम करनी थी, वह नहीं की। छुट्टियों की संख्या जिनको कम करना था, वह नहीं की। कार्य के घण्टे जो बढ़ाने थे वह नहीं बढ़ाए। इस प्रकार से इन्होंने जो निर्णय लिया उसी का परिणाम है कि यह ऋण भार तीन वर्षों में दुगने से ज्यादा हो गया। क्या मंत्री महोदय ऐसा कोई विचार रखते हैं कि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के अंदर जिन सिफारिशों को छोड़ा गया है, क्या आप उनको लागू करेंगे ? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि उससे भी आगे बढ़कर, वेतन आयोग की सिफारिशों से आगे बढ़कर क्या आप राज्य कर्मचारियों की संख्या कम करके खर्च घटाने का विचार रखते हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों में जहां तनख्वाहें रिविजन की गई थी उसके साथ-साथ डाउन साइजिंग की बात भी की गई थी कि कर्मचारियों की संख्या में अगले सालों में घटोतरी की जाए। अध्यक्ष महोदय, जैसी स्थिति है आज की

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

तारीख में कर्मचारियों का रिट्रेंचमेंट करना बहुत कठिन कार्य है। रिट्रेंचमेंट से मेरा अभिप्राय आज जो लोग नौकरियों में लगे हुए हैं उनको टर्मिनेट करना।

लेकिन अध्यक्ष महोदय, जो हमारे रिक्त पद रिटायरमेंट के कारण होते हैं उनमें भी दो प्रकार के पद हैं। कुछ महकमों में तो रिआर्गेनाइजेशन करके, रेशनेलाइजेशन करके जो एग्जिस्टिंग कर्मचारी हैं उनसे ही उस कार्य को लिया जा सकता है। लेकिन कुछ महकमे ऐसे हैं, जैसे शिक्षा विभाग है, चिकित्सा विभाग है या पुलिस विभाग है यहां पर इस संख्या को नहीं घटाया जा सकता, अन्यथा ये विभाग एक तरीके से पैरेलाइज हो जाएंगे। रोज इस विधान सभा के अंदर प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि शिक्षा विभाग में रिक्तियां हैं, चिकित्सा विभाग में रिक्तियां हैं, इस प्रकार के प्रश्न यहां पर आते हैं और हम थोड़ी-थोड़ी पोस्ट उसके अंदर रिलीज करते हैं।

मंत्रिमण्डलीय समिति जो बनी थी उसने अपनी अनुशंसा के आधार पर रिटायरमेंट के उपरांत करीब छह हजार पदों को समाप्त करने की सिफारिश की, जो रिक्त पड़े हुए थे। रिट्रेंचमेंट किसी का नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में सरकारी कर्मचारियों की संख्या, राजस्थान के अंदर छह लाख तो सरकारी कर्मचारी हैं और पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारियों को जोड़ा जाए तो उनकी संख्या सात लाख के करीब पहुंचती है।

अब अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह आया कि छह हजार पद समाप्त किए उसमें से तीन हजार पदों की समाप्ति के आदेश विभिन्न विभागों द्वारा जारी कर दिये गये। और जो मैंने एक प्रश्न के उत्तर में सदन में बताया जिन तीन हजार कर्मचारियों के पद समाप्त किये गये उनमें 250 के करीब पद गजेटेड थे और बाकी नॉन-गजेटेड पद थे। एक औसत एवरेज के ऊपर हमने जो केलकुलेशन किया उससे हमें 25 करोड़ रुपये साल की बचत हुई। अगले तीन सालों के अंदर 10 पर्सेन्ट के हिसाब से 30 पर्सेन्ट डाउन-साइजिंग ऑफ दी गवर्नमेंट, जहां तक मेरी जानकारी है शायद यही रिकमंडेशन थी पे कमीशन की।

लेकिन अध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी संख्या के अंदर कर्मचारियों को नौकरी से निकाला नहीं जा सकता। उसका एक मात्र उपाय यही है कि कुछ डिपार्टमेंट्स का मर्जर किया जाए। जो अनुपयोगी डिपार्टमेंट हैं उन्हें समाप्त करके उनमें जो एग्जिस्टिंग कर्मचारी हैं दूसरे विभागों में उनका समायोजन किया जाए। और रिक्त पदों पर, जो रिक्तियां हैं, इधर जब रिक्तियां नहीं भरते हैं तो इस विधान सभा में प्रश्न पैदा होता है कि आप बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं। कर्मचारी यूनियन अपनी तरफ से एजिटेशन की बात करती हैं कि आप रिक्तियों को नहीं भर रहे हैं, कुठाराघात कर रहे हैं। तो एक बड़ी विषम परिस्थिति है जिसमें सरकार की सोच समझ में और सरकार की कार्यप्रणाली व कार्यक्षमता के ऊपर विपरीत प्रभाव नहीं

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

पड़े इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमण्डलीय उप समिति ने अपनी सिफारिशें की हैं और जो तीन हजार पदों की समाप्ति के आदेश दे दिये गये, और तीन हजार पदों की समाप्ति की रिकमंडेशन समिति ने की थी उसके ऊपर अंतिम निर्णय शीघ्र लिया जाएगा। इससे कुछ पदों के अंदर कमी होगी, लेकिन जो महत्त्वपूर्ण विभाग हैं जिसमें कि रोजाना जनता की समस्या का, जनता के उपयोग के लिए, खास तौर से शिक्षा विभाग, जैसा मैंने पहले कहा था उनमें एग्जिस्टिंग पदों को समाप्त करना कठिन कार्य है।

लेकिन भविष्य में नये पदों को नहीं भरा जाना चाहिए, इसके ऊपर हमको निर्णय लेना है नयी पोस्ट क्रिएट नहीं करनी चाहिए। जब नयी स्कूल खुलेंगी तो नये अध्यापक लगाए, नये चिकित्सालय खोलेंगे तो नये चिकित्सालयों के लिए आप पद दीजिए। तो इन सब चीजों के कारण डाउनसाइजिंग का कार्य भी बड़ा दुष्कर है। अपनी जिस प्रकार की प्रथा है, सरकार की प्रणाली है इसमें बहुत सोच समझकर हमको काम करना पड़ेगा, यही मेरा निवेदन है। लेकिन यह निश्चित है कि सरकार इस घाटे को, घाटा इस सेंस में कह रहा हूं आज स्थिति यह है राजस्थान की कि जो हमारी राजस्व प्राप्तियां हैं, चाहे वे हमारे सोर्सेज से हों, चाहे भारत सरकार से जो हमारा शेयर मिलता है सेंट्रल टेक्सेज के अंदर, उन सबको पूरा करने के बाद हमारी देनदारियां ब्याज का चुकारा और हमारा जो कर्ज का चुकारा है उसको पूरा करने के बाद भी हम उसको अपने राजस्व से पूरा नहीं कर पा रहे हैं और हमें केपिटल अकाउंट से धन को ट्रांसफर करना पड़ता है रेवेन्यू अकाउंट के अंदर। फिर प्लान साइज को पूरा करने के लिए भी ऋण लेना पड़ता है। एक तरफ तो विकास की गति तेज करने की मांग आती है और एक तरफ कर्ज का भार बढ़ रहा है। तो इस बात से हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। कहीं विकास की तेज गति के चक्कर में खर्च बढ़ाते गये तो जो कर्जे का ट्रेप है उसके अंदर न फंस जाएं, क्योंकि सारे देश के अंदर सारी सरकारों की हालत यह हो रही है, यही बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया उससे स्पष्ट है कि आगे आने वाले मार्च में 29 हजार से बढ़कर आप 38 हजार पर ऋण भार में पहुंच जाएंगे। इसी का परिणाम है कि राजस्थान जैसा राज्य आज बारहवें स्थान पर है और बिहार, जिसको आप दिवालिया राज्य कहते हो वह फर्स्ट नम्बर पर है। आप उससे ज्यादा दिवालिया हो गये और इस कारण से हो गये कि गत सरकार ने जाते-जाते, उनको यह विश्वास हो गया कि हमको तो वापस आना नहीं है और लोगों को खुश करने के लिए चाहे जैसे डिसीजन ले लिये। अभी आपने जैसा उत्तर दिया है अगर उस हिसाब से आप चलोगे तो आगे चलकर कहां तक आप पहुंच जाओगे, कहां से आप योजना पूरी करोगे।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

आपने अभी कहा है हमारे पास जितना भारत सरकार से मिलता है वो सारा कर्मचारियों पर, ऋण के ब्याज पर ही पूरा हो जाता है। आप कर्मचारियों की संख्या कम नहीं कर सकते तो फिर कौनसे उपाय हैं जिनसे आप ऋण भार से उबरोगे ? माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी-ऐसी पोस्टें कर्मचारियों की कर रखी हैं, आज एक छोटे से अस्पताल में जूनियर एकाउंटेंट की पोस्ट है। उसका क्या काम है वहां पर ? हमारे एरिया में जो ब्लॉक पी.एच.सी. है उसमें एक बाबू है और एक हास्पिटल में चार बाबू हैं। तो पोस्टों का कोई आधार तो हो। आप वर्कलोड के हिसाब से पोस्टों को देखेंगे तो बहुत सी पोस्टें अपने आप कम हो जाएंगी और इसके अलावा आप और क्या करना चाहते हैं जिससे आपका यह ऋण भार कम हो। अगर इस ओर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप कहां पहुंचेंगे अगली साल में।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यहां पर कुछ उदाहरण दिये हैं। यह बात सही है कि कई जगह पर क्लेरिकल स्टाफ की संख्या, दूसरे स्टाफ की संख्या बहुत ज्यादा है। इस बारे में वित्त विभाग की तरफ से संबंधित विभाग के सचिवों को दिशा-निर्देश दिये गये हैं और उनसे कहा गया है कि अपने यहां पूरा, जो उनका एस्टेब्लिशमेंट का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर गौर करें, उसे देखें और कहां-कहां उसके अंदर कमी लायी जा सकती है। इसलिए हमने तय किया है कि रिटायरमेंट के बाद नयी नियुक्ति बिना डी. ओ. पी. डिपार्टमेंट व वित्त विभाग की मंजूरी के हो नहीं सकती। लेकिन पिछले दफे भी बेरोजगारी की समस्या थी।

जैसा आपको मालूम है, अशोक गहलोत साहब की सरकार के आने के बाद पिछले साल बजट सत्र के अंदर यह प्रश्न आया था कि कितने लोगों को रोजगार दिया गया। इन सबके बावजूद भी जो आवश्यक पोस्टें थी उनके ऊपर, उनके इम्प्लीमेंट करने के अंदर, देरी के कारण भी राजीव गांधी पाठशालाओं के करीब आप 11,500 अध्यापकों को छोड़ दें उसके बाद भी 20 हजार नयी नियुक्तियां राजस्थान के अंदर दी गई। इसका अभिप्राय हुआ 31,500 नये लोगों को रोजगार राजस्थान के अंदर इस सरकार के आने के बाद दिया गया है। एक तरफ प्रदेश के अंदर बेरोजगारों की समस्या, एक तरफ सरकारी कामकाज का सुचारू रूप से चलना, दोनों में समन्वय स्थापित करने की चेष्टा है। और यह निश्चित है, मेरी स्वयं की स्थिति ऐसी है, मैं बड़ी परेशानी की स्थिति में रहता हूं कि इस कर्जे में किस प्रकार से कमी लायी जाए, क्योंकि हमारी बी. सी. आर. निगेटिव है, बैलेंस फ्रॉम करंट रेवेन्यू साल के अंदर जो बनता है, वह निगेटिव है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी पूरी चेष्टा है कि इसमें निश्चित कमी लायी जाए और इस प्रयत्न में हम लगे हैं।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

लेकिन अकाल के कारण जो कुदरत ने हमारा साथ नहीं दिया, कुदरत के साथ नहीं देने के कारण हमारा अकाल का जो खर्चा बढ़ा इसके कारण से हमें परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को और माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं हम इस मामले में काफी गंभीर हैं, चिंतित हैं और समुचित कदम इस दिशा में उठाये जा रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों में विकास की गति को बढ़ाने वाली पंचायत समितियों में जो जीपें रख रखी हैं उनके ड्राइवर हटा दिये। अब ड्राइवर हटा दिये तो गाड़ियां कैसे चलेंगी ? आप बताओ, पंचायत समितियां कितनी इंपोर्टेंट हैं, विकास की गति से जुड़ी हुई हैं, उसमें ड्राइवर हटा दिया और जीपें आइडल करके खड़ी कर दी। वहां पर ड्राइवर तो कम से कम आप लगाओ। अगर डेली वेजेज में भी लगाओ तो कम से कम काम तो निकाल सकेंगे।

(12:00 बजे)

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हो सकता है कि रिटायरमेंट के कारण कुछ ड्राइवरों के पद रिक्त हो गये हों। हमारे पास सरप्लस ड्राइवर बैठे हुए हैं यहां पर जी.ए.डी. डिपार्टमेंट में, सरप्लस ड्राइवरों की संख्या काफी है। जहां सरप्लस हो जाते हैं उनको तनख्वाह देनी ही पड़ेगी। अगर पंचायत समिति में कोई स्थान रिक्त है और जीपें आइडल पड़ी हुई हैं तो हम उनका वहां पर निश्चित रूप से समायोजन करेंगे।

श्री श्रवण कुमार : आप तो ड्राइवर लगा दो, कहीं से भी लगा दो, हमें कोई यह नहीं है कि वहीं से ही हो। ड्राइवर लगा दो।

श्री खेमराज कटारा (उदयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा खास तौर से यह जो प्रदेश के अन्दर आय के जो विभाग हैं, जो राज्य में कलेक्शन के विभाग हैं, एक्साइज है, माइनिंग है, भू-परिवर्तन विभाग है उन विभागों में जो महत्त्वपूर्ण अधिकारी और कर्मचारी बिठाये गये हैं और उनकी लापरवाही की वजह से जो गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है और उनकी लापरवाही की वजह से रेवेन्यू उनको मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही है लीकेज हो रहा है उसके काम की वजह क्या उन अधिकारियों और कर्मचारियों को जवाबदेह बनाने का प्रयत्न करेंगे और उसमें जो कर्मचारी लापरवाह पाये जाते हैं उनको दण्डित करने की सरकार मंशा रखती है ?

श्री अध्यक्ष : डा. करण सिंह यादव।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला ऋण

(डा. करण सिंह यादव)

से संबंधित है और जैसा मंत्रीजी ने जवाब दिया और जैसा हम जानते हैं कि ऋण लिया अकाल से निपटने के लिए नाबार्ड से, आज ऋण लिया गया एशियन डवलपमेंट बैंक से शहरों के सौन्दर्यीकरण के लिए, इसकी जगह-जगह प्रशंसा है और जो देशी विदेशी मेहमान आज जयपुर में आता है, जयपुर की चौड़ी सड़कों और साफ सुथरे शहर को देखकर बहुत प्रभावित होता है। और माननीय मुख्य मंत्रीजी और शांति धारीवालजी की मंशा पर आज भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं जब यह गांव का आदमी शहर के अन्दर जाता है, इन सड़कों के ऊपर उसकी चमकती रोशनी को देखकर हमसे कहता है कि यह पैसा कहां से आ रहा है, वह कहता है कि साहब, यह पैसा हमने एशियन डवलपमेंट बैंक से उधार लिया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि गांव की टूटी-फूटी सड़कों के लिए, गांव के विकास के लिए, वहां की योजनाओं के लिए क्या हम किसी भी विदेशी एजेंसी से ऋण लेने की बात कर रहे हैं या नहीं ? या यह ऋण सिर्फ शहरों के डवलपमेंट के लिए ही लिया जाएगा ?

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि जो अलवर जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था। (व्यवधान) बहरोड, बहरोड, अलवर जिला मैंने कहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि देहात की सड़कों के बारे में चिन्ता समय-समय पर इस सदन के अन्दर व्यक्त की गयी है लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, स्वायत्त शासन मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, मुझे करेक्ट करेंगे, अभी तक एशियन डवलपमेंट बैंक से बात चली है ऋण प्राप्त नहीं हुआ है। नम्बर दो, जयपुर के अन्दर जो कुछ भी खर्चा हुआ है, जे.डी.ए. और म्युनिसिपैलिटी ने अपने संसाधनों से सारा खर्चा किया है। अभी तक हमने कोई ऋण इस मामले में लिया नहीं है लेकिन अपने संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए जिस प्रकार से इन सड़कों का संधारण किया जा सके इस बारे में पी.डब्ल्यू.डी. डिपार्टमेंट अपनी एक कार्य योजना बना रहा है जिसके ऊपर कार्यवाही करने का सरकार का इरादा है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्रश्नकाल समाप्त हो गया। यह व्यवस्था का प्रश्न है। मैं उठा सकता हूं। प्रश्नकाल समाप्त हो गया, अब मैं व्यवस्था का प्रश्न खड़ा कर सकता हूं।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नई खरीद पर रोक

197. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष में सभी विभागों में नई खरीद पर रोक लगाई थी ? यदि हां, तो कब ? इस सम्बन्ध में जारी किये गये आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वित्त विभाग की रोक के बाद भी कुछ विभागों ने उक्त आदेशों की अवहेलना करके नई खरीद की है ? यदि हां, तो किस-किस विभाग ने क्या-क्या खरीद की ?

(3) क्या उक्त आदेश राजकीय उपक्रमों पर भी लागू होता है ? यदि हां, तो क्या इस आदेश की पालना हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) जिन विभागों व राजकीय उपक्रमों ने इन आदेशों की पालना नहीं की है, उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही किस प्रकार से कब तक करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) चालू वित्तीय वर्ष में नई खरीद पर अभी पाबन्दी नहीं लगाई गई है। राजकीय व्यय में मितव्ययता लाने हेतु वाहन, फोटो कापीयर्स, कम्प्यूटर्स, फैक्स मशीन, एयर कन्डीशनर, टेलीफोन उपकरण, मोबाइल/सैल्यूलर फोन, फर्नीचर एवं साज सामान की खरीद पर प्रतिबंध लगाया गया है। तत्सम्बन्धी आदेश दिनांक 31.08.2000 को जारी किये गये हैं। प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) विभाग विशेष की आवश्यकता अनुसार इस प्रतिबंध में शिथिलता दी जाती है। आदेशों की अवहेलना वित्त विभाग के ध्यान में अंकेक्षण (Audit) के माध्यम से ही होती है। अवहेलना करने वाले विभाग पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(3) जी हां। दिनांक 31.08.2000 का आदेश राजकीय उपक्रमों पर भी लागू होता है।

(4) उपरोक्त बिन्दु संख्या-2 व 3 में स्पष्ट कर दिया गया है।

(आदेश की प्रतिलिपि के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

राज्य के बाहर रहने वाले पेंशनरों को सुविधाएं

198. **श्री सुरेन्द्र जाड़ावत (चित्तौड़गढ़)** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के बाहर कितने पेन्शनर अन्य राज्यों में रहकर, पेंशन प्राप्त कर रहे हैं ? राज्यवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुरेन्द्र जाड़ावत)

(2) क्या राज्य से बाहर रहने पर पेन्शन एवं चिकित्सा सुविधा की रियायती योजना का लाभ नहीं दिये जाने के कारण किसी पेन्शनर ने इस बिन्दु पर न्यायालय की शरण ली है ? यदि हां, तो क्या निर्णय हुआ ?

(2) क्या राज्य से बाहर रहने पर पेन्शन एवं चिकित्सा सुविधा की रियायती योजना का लाभ नहीं दिये जाने के कारण किसी पेन्शनर ने इस बिन्दु पर न्यायालय की शरण ली है ? यदि हां, तो क्या निर्णय हुआ ?

(3) क्या राज्य के बाहर रहने वाले पेंशनरों को 100/— रु. मासिक भत्ता देने के आदेश दिये जा चुके हैं ? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1979-80 में राज्य सरकार द्वारा महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर से पेंशन कार्य स्थानान्तरित होने के पश्चात् राज्य के बाहर अन्य राज्यों में 7171 पेंशन अधिकृतियां जारी की गई हैं। राज्यवार संख्या सूची 'परिशिष्ट क' संलग्न है।

महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ने पत्रांक 2208 दिनांक 4.7.2000 द्वारा अन्य राज्यों के महालेखाकारों को राजस्थान राज्य के पेंशनरों की सूची उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया है जो अन्य राज्यों में निवास कर वहां से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। वांछित सूचना महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर से अपेक्षित है।

(2) जी हां। श्री जयन्ती लाल दवे ने स्थायी चिकित्सा भत्ता दिये जाने हेतु जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच, सुरेन्द्र नगर (गुजरात) में वाद संख्या 81/94 प्रस्तुत किया है। श्री दवे की शिकायत का उत्तर माननीय अध्यक्ष, जिला फोरम उपभोक्ता संरक्षण, सुरेन्द्र नगर (गुजरात) को दिनांक 28.9.94 को प्रस्तुत किया जा चुका है। इसके पश्चात् वहां से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। यहां यह उल्लेख किया जाना उचित होता है कि श्री दवे द्वारा परिवार दायर करने के समय राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना में स्थाई चिकित्सा भत्ता देने का कोई प्रावधान नहीं था।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

वाणिज्यिक कर अधिकारी के रिक्त पदों पर पदोन्नति

199. **श्री जगत सिंह दायमा** (बानसूर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वाणिज्यिक कर विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति के पदोन्नति कोटे में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने ?

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नई खरीद पर रोक

197. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष में सभी विभागों में नई खरीद पर रोक लगाई थी ? यदि हां, तो कब ? इस सम्बन्ध में जारी किये गये आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वित्त विभाग की रोक के बाद भी कुछ विभागों ने उक्त आदेशों की अवहेलना करके नई खरीद की है ? यदि हां, तो किस-किस विभाग ने क्या-क्या खरीद की ?

(3) क्या उक्त आदेश राजकीय उपक्रमों पर भी लागू होता है ? यदि हां, तो क्या इस आदेश की पालना हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) जिन विभागों व राजकीय उपक्रमों ने इन आदेशों की पालना नहीं की है, उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही किस प्रकार से कब तक करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) चालू वित्तीय वर्ष में नई खरीद पर अभी पाबन्दी नहीं लगाई गई है। राजकीय व्यय में मितव्ययता लाने हेतु वाहन, फोटो कापीयर्स, कम्प्यूटर्स, फैक्स मशीन, एयर कन्डीशनर, टेलीफोन उपकरण, मोबाइल/सैल्यूलर फोन, फर्नीचर एवं साज सामान की खरीद पर प्रतिबंध लगाया गया है। तत्सम्बन्धी आदेश दिनांक 31.08.2000 को जारी किये गये हैं। प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) विभाग विशेष की आवश्यकता अनुसार इस प्रतिबंध में शिथिलता दी जाती है। आदेशों की अवहेलना वित्त विभाग के ध्यान में अंकेक्षण (Audit) के माध्यम से ही होती है। अवहेलना करने वाले विभाग पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(3) जी हां। दिनांक 31.08.2000 का आदेश राजकीय उपक्रमों पर भी लागू होता है।

(4) उपरोक्त बिन्दु संख्या-2 व 3 में स्पष्ट कर दिया गया है।

(आदेश की प्रतिलिपि के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

राज्य के बाहर रहने वाले पेंशनरों को सुविधाएं

198. **श्री सुरेन्द्र जाड़ावत** (चित्तौड़गढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के बाहर कितने पेन्शनर अन्य राज्यों में रहकर, पेंशन प्राप्त कर रहे हैं ? राज्यवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुरेन्द्र जाड़ावत)

(2) क्या राज्य से बाहर रहने पर पेन्शन एवं चिकित्सा सुविधा की रियायती योजना का लाभ नहीं दिये जाने के कारण किसी पेन्शनर ने इस बिन्दु पर न्यायालय की शरण ली है ? यदि हां, तो क्या निर्णय हुआ ?

(2) क्या राज्य से बाहर रहने पर पेन्शन एवं चिकित्सा सुविधा की रियायती योजना का लाभ नहीं दिये जाने के कारण किसी पेन्शनर ने इस बिन्दु पर न्यायालय की शरण ली है ? यदि हां, तो क्या निर्णय हुआ ?

(3) क्या राज्य के बाहर रहने वाले पेंशनरों को 100/– रु. मासिक भत्ता देने के आदेश दिये जा चुके हैं ? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1979-80 में राज्य सरकार द्वारा महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर से पेंशन कार्य स्थानान्तरित होने के पश्चात् राज्य के बाहर अन्य राज्यों में 7171 पेंशन अधिकृतियां जारी की गई हैं। राज्यवार संख्या सूची 'परिशिष्ट क' संलग्न है।

महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ने पत्रांक 2208 दिनांक 4.7.2000 द्वारा अन्य राज्यों के महालेखाकारों को राजस्थान राज्य के पेंशनरों की सूची उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया है जो अन्य राज्यों में निवास कर वहां से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। वांछित सूचना महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर से अपेक्षित है।

(2) जी हां। श्री जयन्ती लाल दवे ने स्थायी चिकित्सा भत्ता दिये जाने हेतु जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच, सुरेन्द्र नगर (गुजरात) में वाद संख्या 81/94 प्रस्तुत किया है। श्री दवे की शिकायत का उत्तर माननीय अध्यक्ष, जिला फोरम उपभोक्ता संरक्षण, सुरेन्द्र नगर (गुजरात) को दिनांक 28.9.94 को प्रस्तुत किया जा चुका है। इसके पश्चात् वहां से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। यहां यह उल्लेख किया जाना उचित होता है कि श्री दवे द्वारा परिवार दायर करने के समय राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना में स्थाई चिकित्सा भत्ता देने का कोई प्रावधान नहीं था।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

वाणिज्यिक कर अधिकारी के रिक्त पदों पर पदोन्नति

199. **श्री जगत सिंह दायमा** (बानसूर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वाणिज्यिक कर विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति के पदोन्नति कोटे में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने ?

(श्री जगत सिंह दायमा)

(2) उक्त रिक्त पदों को अब तक क्यों नहीं भरा गया ? क्या निरीक्षक वर्ग की वरिष्ठता सूची में उक्त वर्गों के योग्य व अनुभवी उम्मीदवार मौजूद नहीं हैं ?

(3) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति/जनजाति की वरिष्ठता सूची में योग्य एवं अनुभवी उम्मीदवार मौजूद हैं ? यदि हां, तो उन्हें पदोन्नत नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या सरकार द्वारा जारी नये परिपत्र दिनांक 9.10.2000 के अनुसार उक्त वर्गों का बैक लॉग भरा जा सकेगा ? यदि नहीं, तो फिर इस परिपत्र को निकालने का क्या औचित्य है ?

(5) क्या वाणिज्यिक कर विभाग में निरीक्षक ग्रेड द्वितीय से निरीक्षक ग्रेड-I में पदोन्नति का कोई प्रावधान है ? यदि हां, तो अब तक उसके तहत पदोन्नतियां क्यों नहीं दी गई ?

उत्तर

(1) जी हां। सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों के पदोन्नति कोटे में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों की संख्या निम्नानुसार है :–

पदों की संख्या	अनु. जाति	अनु. जनजाति
1.4.99 की स्थिति में	7	9
1.4.2000 की स्थिति में	1	9

(2) वर्ष 1999-2000 हेतु विभागीय पदोन्नति समिति ने 7 अनुसूचित जाति के निरीक्षकों को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों के पद पर पदोन्नत करने की अनुशंसा की। इक्सटेंडेड जोन ऑफ कंसीडरेशन में अनुसूचित जनजाति का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं था। वर्ष 2000-2001 की एक्सटेंडेड जोन ऑफ कंसीडरेशन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है।

(3) एक्सटेंडेड जोन ऑफ कंसीडरेशन में उपलब्ध योग्य अभ्यर्थियों की पदोन्नति की अनुशंसा पदोन्नति समिति द्वारा की जा चुकी है, किन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा रिट याचिका संख्या 1450/99 श्री बद्री प्रसाद मीणा बनाम राज्य व अन्य में स्थगन आदेश पारित किए जाने के कारण पदोन्नति के आदेश जारी करना संभव नहीं है। जो अभ्यर्थी एक्सटेंडेड जोन ऑफ कंसीडरेशन में नहीं आते हैं उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जा सकता है।

(4) दिनांक 9.10.2000 को जारी परिपत्र में यह व्यवस्था दी गई है कि बैक-लॉग रिक्तियों को भरने के लिए रोस्टर पदोन्नतियां पद पर 50 प्रतिशत की सीमा लागू नहीं होगी। परन्तु केवल उन अभ्यर्थियों की पदोन्नति पर ही विचार किया जा सकता है, जो एक्सटेंडेड जोन ऑफ कंसीडरेशन में आते हैं।

(5) जी हां। निरीक्षक ग्रेड द्वितीय से निरीक्षक ग्रेड प्रथम के पद पर पदोन्नति

(वित्त मंत्री)

नहीं होने का सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिये अहर्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए वाणिज्यिक कर निरीक्षक के पद का 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है जिसमें ग्रेड-I व ग्रेड-II का अंतर नहीं रखा गया है।

पदों में कटौती के कारण पदावनत करने के मानदण्ड

200. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पदों में कटौती के कारण अधिकारियों/कर्मचारियों की पदावनति करते समय एक कार्यकारी (एडहॉक) अधिकारी के पद पर रहते हुये भी विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित अधिकारी को पदावनत किया जा सकता है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पदों में कटौती का कारण पदावनति करने की दशा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए उस वर्ग में निर्धारित आरक्षण (केडर स्ट्रेंथ) का ध्यान रखा जाता है।

(3) पदों में कटौती के कारण पदावनति से किसी संवर्ग में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कनिष्ठतम व्यक्ति की पदावनति से आरक्षित कोटा समाप्त होता है तो क्या उस दशा में भी उस श्रेणी के कनिष्ठतम व्यक्ति को प्रदावनत किया जा सकता है ? यदि हां, तो किन निमयों के तहत ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

(3) पदों की कटौती के कारण पदावनति करने से पूर्व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित कोटा की सीमा के बाद यदि इन जातियों का कोई अभ्यर्थी आधिक्य में आता है तो इनके कनिष्ठतम व्यक्ति की पदावनति की जा सकती है।

विभिन्न सेवा नियमों में आरक्षण सम्बन्धी नियम की प्रति संलग्न है।

(नियमों की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

शासन सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति

201. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) शासन सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कुल कितने स्थाई/अस्थाई पद स्वीकृत हैं ? उक्त पदों में से कितने

(श्री कुबेर सिंह)

पद रिक्त हैं और रिक्त पदों के विरुद्ध कितने दैनिक वेतन भोगी/संविदा पर कर्मचारी कार्यरत हैं ?

(2) गत पांच वर्षों में उक्त सचिवालय में किस-किस व्यक्ति को कब से कब तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पद पर दैनिक वेतन भोगी/संविदा पर नियुक्त किया गया और किस-किस को किस-किस दिनांक से हटाया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सचिवालय में गत छः वर्षो में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर होमगार्ड स्वयं सेवकों के किस-किस व्यक्ति को कब से कब तक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया तथा किस-किस व्यक्ति को कब-कब से हटाया गया और किस-किस व्यक्ति को हटाने के बाद पुनः संविदा के आधार पर कब-कब से रखा गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और किस प्रक्रिया से ? क्या उक्त रिक्त पद वर्तमान में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों/संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों से भरे जावेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शासन सचिवालय में 31.10.2000 की स्थिति के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कुल 1029 पद स्वीकृत हैं। इन पदों में से 432 पद रिक्त हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्तर का कार्य करने हेतु वर्तमान में 190 की सीमा तक ठेका श्रमिक संविदा पर ठेकेदार के माध्यम से लिये जा रहे हैं। इनका रिक्त पदों से सम्बन्ध नहीं है और न इनकी संख्या रिक्त पदों के अनुपात में है।

(2) सचिवालय में पिछले पांच वर्षों में समय-समय पर आवश्यकतानुसार समावेष्ठा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर के माध्यम से होमगार्ड – स्वयं सेवकों अथवा एजेन्सी/ठेकेदार के माध्यम से अनुबंध पर कार्य करने हेतु श्रमिकों की सेवाएं ली गई हैं। रिक्त पदों पर किसी को नियुक्ति नहीं दी गई है। विभाग द्वारा समावेष्ठा द्वारा उपलब्ध करवाये गये होमगार्ड सदस्यों अथवा एजेन्सी/ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये गये श्रमिकों से आवश्यकतानुसार सेवाएं ली गई हैं। विभाग द्वारा अपने स्तर पर न तो किसी व्यक्ति को रखा है और न हटाया है।

(3) विभाग ने गत छह वर्षो में सचिवालय में किसी भी होमगार्ड को रिक्त पद पर नियुक्ति नहीं दी और न ही हटाया। आवश्यकतानुसार समावेष्ठा (पुलिस अधीक्षक) गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर के माध्यम से समय-समय पर होमगार्ड सदस्यों

(कार्मिक मंत्री)

की सेवाएं 30.8.1997 तक प्राप्त की गई थी। ठेकेदार के माध्यम से प्राप्त की गई अनुबंधित श्रमिकों की सेवाएं संख्या के आधार पर प्राप्त की गई है। विभाग का होमगार्ड सदस्यों अथवा अनुबंधित श्रमिकों से सीधा कोई सम्बन्ध नहीं है।

(4) जी नहीं। वर्तमान में मृतक आश्रितों के अतिरिक्त रिक्त पदों को भरने का कोई निर्णय किसी स्तर से नहीं लिया गया है। ठेका श्रमिकों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लंबित है।

जिला अलवर में आवंटी को खातेदारी अधिकार

202. **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले में आवंटी/गैर खातेदार को सनद जारी करने का कार्य वर्ष 1989 से बंद है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार अब गरीब आवंटी/गैर खातेदार को उनकी भूमि के खातेदारी अधिकार देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला अलवर में भू-आवंटन का कार्य भी वर्ष 1989 से बंद है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार भू-आवंटन का कार्य चालू करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि आवंटी/गैर खातेदार को अगर सनद जारी कर खातेदारी अधिकार सरकार देती है तो भूमि की कीमत के रूप में राजस्व की प्राप्ति भी होगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है कि अलवर जिले में अलाटी/गैर खातेदार को सनद जारी करने का कार्य वर्ष 1989 से बन्द है। नियमानुसार अलाटी/गैर खातेदार को खातेदारी अधिकार दिये जा रहे हैं।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है कि अलवर जिले में भू-आवंटन का कार्य वर्ष 1989 से बंद है। अलवर में भू-आवंटन पर कोई रोक नहीं है।

(3) अलाटमेंट के 3 वर्ष के बाद आवंटन की शर्तों की पालना किये जाने पर खातेदारी अधिकार दिये जाने का प्रावधान है। जिसके लिये कोई शुल्क देय नहीं है।

जिला जैसलमेर में नई राजस्व तहसीलों का सृजन

203. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में 9 उपनिवेशन तहसीले इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में कार्यरत हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि नाचणा मोहनगढ़ तथा रामगढ़ में उपनिवेशन का कार्य प्रायः पूर्ण हो गया है ?

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

(3) क्या यह सही है कि विकास तथा अन्य प्रशासनिक कार्य राजस्व तहसील के माध्यम से होते हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि नाचणा मोहनगढ़ तथा रामगढ़ की एक उपनिवेशन तहसील को राजस्व तहसील का दर्जा दे दिया जाये तो राजकीय कोष पर भार नहीं पड़ेगा ?

(5) क्या सरकार जैसलमेर जिले में तीन नई राजस्व तहसीलें सृजित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (उपनिवेशन) क्षेत्र के जिला जैसलमेर में उपनिवेशन तहसील, नाचना नं. 1, 2 मोहनगढ़ नं. 1, 2, 3 रामगढ़ नं. 1, 2 व जैसलमेर की कुल 8 उपनिवेशन तहसीलें वर्तमान में कार्यरत हैं।

(2) प्रश्न के भाग सं. 1 में वर्णित उपनिवेशन तहसीलों में से मोहनगढ़ नं. 2 व 3 के क्षेत्र में भूमि आवंटन का कार्य पूर्ण होने जा रहा है। इन दोनों तहसीलों का अभिलेख राजस्व विभाग को शीघ्र ही हस्तान्तरित कर दिया जावेगा। शेष तहसीलों में अभी आवंटन का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है तथा इन क्षेत्रों में सी.ए.डी. चकों की भूमि आवंटन से शेष है। निकट भविष्य में और भी सी.ए.डी. चक प्लान प्राप्त होने हैं, जिससे और भूमि प्राप्त हो सकेगी।

(3) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (उपनिवेशन तहसील) क्षेत्र में विकास तथा अन्य प्रशासनिक कार्य राजस्व विभाग के माध्यम से ही होते हैं।

(4) जी हां।

(5) जी नहीं। वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

मन्दिर सूर्य भगवान तहसील चाकसू की अवाप्त भूमि प्रकरण

204. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत मन्दिर माफी की भूमि अवाप्त नहीं की जा सकती ? यदि हां, तो मन्दिर श्री सूर्य भगवान तहसील चाकसू की भूमि क्यों अवाप्त की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि मन्दिर श्री सूर्य भगवान के व्यवस्थापक श्री राव किस्तूर चन्द जागीरदार मोजा राजवास, तहसील सिकराय को तत्कालीन जागीर कमिश्नर ने अपने पत्र संख्या 2847/पुनर्ग्र/जा/क दिनांक 9.4.1956 के द्वारा तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर जागीर को इस भूमि को खालसा से मुक्त करने के निर्देश दिये थे ? यदि हां तो उक्त भूमि का कब्जा कब दिया गया ? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन-कौन दोषी

कृषि विभाग में कार्यरत अधिकारियों के विरुद्ध विचाराधीन प्रकरण

208. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर में कृषि विभाग में कार्यरत अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही व अन्य कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो कौन-कौन से राजपत्रित अधिकारी के विरुद्ध कौन-कौनसी कार्यवाही कब-कब से किस-किस स्तर पर चल रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विभागीय कार्यवाही के निपटारे के लिये समय सीमा निर्धारित है ? यदि हां, तो किस कार्यवाही के लिये क्या समय सीमा है ? इस सम्बन्ध में बने नियमों की प्रतियां सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही सम्पन्न नहीं होने के क्या कारण हैं और जिस अधिकारी को यह कार्यवाही समय सीमा में पूरी करनी है और वे नहीं करते तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कीं जा सकती है ?

(4) कार्यवाही समय सीमा में पूरी हो इसके लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, नागौर जिले में कृषि विभाग के कार्यरत निम्न राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही राज्य सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

1. सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) कुचामन पूर्व सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) मालपुरा – पद के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी हो चुके हैं। प्रकरण राज्य सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

2. विकास अधिकारी पंचायत समिति डीडवाना (जिला नागौर) को उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ए.सी.डी.) (जिला नागौर) द्वारा दिनांक 22.09.2000 को रिश्वत के आरोप में ट्रेप किया गया। इन्हें निलम्बित कर दिया है।

3. सहायक अभियंता (यूनिट इन्चार्ज) जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण इकाई कुचामन सिटी के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम-17 में जांच चल रही है।

(2) जी हां, नियमों के परिपत्र की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(3) रिकार्ड, साक्ष्य व बयान समय पर पूर्ण न होने के कारण निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही सम्पन्न नहीं हो पाती। समय सीमा के अन्तर्गत कार्यवाही न किए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध देर के सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की जा सकती है।

(कृषि मंत्री)

(4) कार्यवाही समय सीमा में पूरी हो इसके लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं। सभी को जल्दी से कार्यवाही करने हेतु पाबन्द किया हुआ है।

(परिपत्र के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

फव्वारा सैट्स पर पुनः अनुदान

209. **श्री श्रवण कुमार (पिलानी)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में फव्वारा सैट्स पर दिये जाने वाले अनुदान को बंद कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से ? उक्त सम्बन्ध में जारी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अनुदान राशि बन्द किये जाने से किसानों को वापस उसी तरीके से पानी खेत में सिंचित करना पड़ेगा ? क्या इससे किसानों के श्रम में वृद्धि के साथ-साथ पानी का अधिक अपव्यय होने की संभावना है ?

(3) क्या सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में फव्वारा सैट्स पर वापस अनुदान राशि देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) कार्यक्रम बन्द ही नहीं किया गया है।

(3) अनुदान चालू है।

सदर चिकित्सालय धौलपुर को आवंटित राशि का उपयोग

210. **श्री शिवराम सिंह कुशवाह** (धौलपुर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार चिकित्सालयों को वर्ष भर का बजट भेजती है ? यदि हां, तो इसके भेजने के मानदण्ड क्या हैं ?

(2) उक्त बजट को खर्च करने के क्या प्रावधान हैं ? क्या इसके लिए कोई समिति भी गठित की गई है ?

(3) सदर चिकित्सालय धौलपुर को वर्ष 1998-99 से 2000-2001 तक कितना बजट किस उद्देश्य के लिए भेजा गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त राशि से क्या-क्या सामग्री क्रय की गई और कितनी रख-रखाव पर व्यय की गई ? क्या सम्पूर्ण राशि व्यय कर दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, निदेशालय स्तर से अधिनस्थ चिकित्सालयों को वर्ष भर की राशि का आवंटन विभाग को स्वीकृत हुए प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

निर्धारित मानदण्ड के आधार पर किया जाता है। निर्धारित मानदण्ड परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के प्रावधान अनुसार बजट व्यय किया जाता है तथा क्रय कार्यवाही हेतु समिति बनाई जाती है।

(3) सदर चिकित्सालय, धौलपुर को वर्ष 1998-99 से 2000-2001 तक आवंटित बजट राशि का विवरण परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(4) उक्त राशि से क्रय की गई सामग्री का एवं रख-रखाव पर किये खर्च का विवरण मय कम खर्चों के कारण सहित परिशिष्ट-"स" पर संलग्न है।

(मानदण्ड/विवरण की प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मंडावरा (कोटा) के अध्यापकों को देय बकाया भत्ता

211. **श्री हेमन्त कुमार (दीगोद)** : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पल्स पोलियो दवा पिलाने के विशेष अभियान में स्वास्थ्य विभाग के अलावा अध्यापकों को लगाया गया था ?

(2) क्या उक्त कार्य हेतु कोई भत्ता दिया गया है ? यदि हां, तो कोटा जिले के मंडावरा में अध्यापकों को अभी तक भत्ता क्यों नहीं दिया गया ? क्या सरकार प्रकरण के दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को नियमानुसार यात्रा एवं दैनिक भत्ता चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मद से दिया जा चुका है। अन्य विभागों के कर्मचारियों को पल्स पोलियो विशेष अभियान में लगाये जाने पर यात्रा एवं दैनिक भत्ता उन कर्मचारियों के पैतृक विभाग से दिया जाना है। अतः कोटा जिले के अध्यापकों को उनके विभाग से यात्रा/दैनिक भत्ता देय होगा, जो बजट के उपलब्ध न होने के कारण नहीं दिया जा सका है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जिला जालौर में गरीब परिवारों को जारी मेडिकेयर रिलीफ़ कार्ड

212. **श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर)** : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को

(श्री गणेशीराम मेघवाल)

मेडिकेयर रिलीफ कार्ड जारी किये गये हैं ?

(2) जिला जालौर में चिकित्सा विभाग द्वारा कितने परिवारों को मेडिकेयर रिलीफ कार्ड जारी किये गये ?

(3) क्या यह सही है कि सामान्यतया रोगियों को स्टाक में उपलब्ध दवाइयां ही उपचार हेतु लिखी जाती हैं ?

(4) क्या स्टाक में कोई दवाई उपलब्ध नहीं है तो बाजार से खरीद कर मरीज का उपचार करने का कोई प्रावधान है ?

(5) उक्त जिले में कितने ऐसे परिवार शेष हैं जिन्हें अभी मेडिकेयर रिलीफ कार्ड उपलब्ध करवाना शेष है ?

(6) अब शेष परिवारों को कब तक कार्ड उपलब्ध करवा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जिला जालौर में जिला प्रशासन द्वारा 66537 गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मेडिकेयर कार्ड वितरित किये गये।

(3) जी हां।

(4) जी हां, प्रत्येक चिकित्सा संस्थान जहां मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी कार्यरत है वहां सोसायटी की आय का 25 प्रतिशत हिस्सा चिकित्सा कार्डधारियों को सेवा उपलब्ध कराने पर व्यय करेगा, जिसमें ऐसी दवाएं भी सम्मिलित होंगी जो राजकीय चिकित्सालयों में उपलब्ध नहीं है।

(5) उक्त जिले में 151 ऐसे परिवार हैं, जिन्हें अभी मेडिकेयर रिलीफ कार्ड उपलब्ध करवाया जाना शेष है।

(6) शेष परिवारों को कार्ड उपलब्ध करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के चिकित्सालयों में रिक्त पद

213. **श्री भंवरलाल शर्मा** (सरदारशहर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में कहां-कहां कौन-कौन से चिकित्सालय हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सालयों में किस-किस संवर्ग के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं और इनमें से कहां-कहां कितने-कितने पद कब-कब से रिक्त हैं ? स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में स्थित चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त चिकित्सालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की संवर्गवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, नर्स ग्रेड-I, एल. एच. वी. एवं वरिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों को केडर स्ट्रेन्थ की समीक्षा मंत्रि-मण्डलीय समिति द्वारा किये जाने के पश्चात् विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर भरा जाना सम्भव हो सकेगा। चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थियों की सूची प्राप्त हो गई है जिसको भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नर्स ग्रेड-II, सहायक रेडियोग्राफर, लेब टेक्नीशियन, डेन्टल टेक्नीशियन, ए. एन. एम., च. श्रे. कर्मचारी, एम. पी. डब्ल्यू. आदि के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों को भरने पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्ध होने के कारण भरा जाना सम्भव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र चूरू में नर्सिंग अधीक्षक का पदभार

214. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र चूरू में नर्सिंग अधीक्षक का पदभार वरिष्ठ कर्मचारी को सौंपने की जगह कनिष्ठ कर्मचारी को सौंप रखा है ? यदि हां, तो क्या यह विभागीय नियमों के अनुरूप है ?

(2) क्या उक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र में नर्सिंग अधीक्षक का पद वरिष्ठ कर्मचारी को सौंपने हेतु दिनांक 16.8.2000 को अतिरिक्त निदेशक व दिनांक 3.3.2000 व 9.6.2000 को संयुक्त निदेशक, बीकानेर को जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर कोई निर्देश दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) जी नहीं, वर्तमान में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, चूरू में नर्सिंग अधीक्षक का पदभार कनिष्ठ कर्मचारी को नहीं सौंप रखा है।

(2) जी हां, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर के पत्र दिनांक 16.8.2000 की अनुपालना में श्री बुन्दु खान, नर्सिंग ट्यूटर को नर्सिंग अधीक्षक के पद का चार्ज दिनांक 21.10.2000 को दिलवाया गया।

जिला पाली के चिकित्सालयों में रिक्त पद

215. **श्री केसाराम चौधरी (खारची) :** क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला पाली में वर्तमान में कितने चिकित्सा केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप केन्द्र एवं सामुदायिक केन्द्र संचालित हैं ? इनमें से कितने केन्द्रों पर कितने-कितने पद कब-कब से रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र खारची के उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में कौन-कौन से पद कब-कब से क्यों रिक्त हैं ?

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला पाली में स्वीकृत चिकित्सा संस्थानों का विवरण निम्न प्रकार है :–

चिकित्सा संस्थान	संख्या
राजकीय चिकित्सालय	03
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	11
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	69
मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	11
उप स्वास्थ्य केन्द्र	421

उक्त चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पदों का विवरण मय पदनाम के दिनांक सहित सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) विधान सभा क्षेत्र खारची के उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों का विवरण मय रिक्ती दिनांक से सदन की पटल पर रख दिया गया है रिक्त पद होना एक सतत् प्रक्रिया है।

(3) कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग अधीक्षक, नर्स श्रेणी प्रथम, बी. एच. एस., कार्यालय सहायक, वरिष्ठ लिपिक आदि के पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पदों को केडर स्ट्रेन्थ की समीक्षा मंत्री मण्डलीय समिति के द्वारा किये जाने के पश्चात् विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर भरा जाना सम्भव हो सकेगा। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थियों की सूची प्राप्त हो गई है जिनको पदस्थापन करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नर्सिंग ट्यूटर, नर्स श्रेणी द्वितीय, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, मलेरिया निरीक्षक, नेत्र सहायक, स्वास्थ्य निरीक्षक, डेन्टल टेक्नीशियन, लेब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, एम. पी. डब्ल्यू. (पुरुष/महिला), वाहन चालक, वार्ड बाय/हरिजन आदि के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पदों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्ध होने के कारण भरा जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

(विवरण की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के चिकित्सालयों में रिक्त पद

216. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के छबड़ा नगर व छीपा-बड़ौद के चिकित्सालयों में कितने-कितने चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं और इनमें कितने पद क्यों रिक्त हैं ?

(2) क्या उक्त चिकित्सालयों के आपरेशन थियेटर में आपरेशन हेतु सभी संसाधन व उपकरण उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्यों व कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे ?

(3) क्या उक्त चिकित्सालय में अस्थि रोग व निश्चेतन विशेषज्ञ का पद स्वीकृत है ? यदि नहीं, तो क्यों व कब तक स्वीकृत किया जावेगा ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के छबड़ा नगर व छीपा-बड़ौद के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के स्वीकृत व रिक्त पदों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पद रहना व भरना एक सतत् प्रक्रिया है।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छबड़ा के आपरेशन थियेटर में निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप संसाधन व उपकरण उपलब्ध हैं। छीपा-बड़ौद में आपरेशन थियेटर उपलब्ध नहीं हैं।

(3) जी नहीं, विभागीय स्टाफिंग पेटर्न के अनुसार 30 व 50 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों में अस्थि रोग व निश्चेतन विशेषज्ञों के पद के सृजन का प्रावधान नहीं है। अतः उक्त पदों को सृजित किया जाना सम्भव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

रैफरल चिकित्सालय, चिड़ावा (झुन्झुनूं) में सर्जन एवं महिला चिकित्सक के पद का सृजन

217. **श्री श्रवण कुमार** (पिलानी) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पिलानी के रैफरल चिकित्सालय चिड़ावा में सर्जन का पद सृजित नहीं है ? क्या सरकार उक्त रैफरल चिकित्सालय में नया पद सृजित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त चिकित्सालय में महिला चिकित्सक नियुक्त नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में अब महिला चिकित्सक नियुक्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जी नहीं, वर्ष 2000-2001 की राज्य योजनान्तर्गत नवीन पदों के सृजन

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के फलस्वरूप रैफरल चिकित्सालय चिड़ावा में सर्जन का पद सृजित किया जाना सम्भव नहीं है। किन्तु वर्तमान में डा. एल. के. शर्मा, कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) रैफरल चिकित्सालय, चिड़ावा में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद के विरुद्ध कार्यरत है।

(2) जी नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ ही (एक ही परिसर में) प्रसवोत्तर केन्द्र तथा मातृ शिशु कल्याण केन्द्र संचालित है, जिसमें से प्रसवोत्तर केन्द्र में कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) का पद सृजित है तथा मातृ शिशु कल्याण केन्द्र में डा. सुमित्रा ओला महिला चिकित्सक कार्यरत है। अतः उक्त केन्द्र में महिला चिकित्सक की सेवाएं उपलब्ध हैं।

श्रीराम फाइबर्स, तिजारा (अलवर) का गैस रिसाव प्रकरण

218. **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति तिजारा, अलवर स्थित श्रीराम फाइबर्स में कितनी बार गैस का रिसाव हुआ ? क्या इस गैस के रिसाव की वजह से किसानों की फसल एवं प्राकृतिक फसल नष्ट हुई ? क्या इस बाबत जिला कलेक्टर, अलवर द्वारा मुआवजा भी दिया गया ?

(2) क्या इस तरह का उत्पादन करने वाले समस्त उद्योग देश में बन्द कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त उद्योग क्यों चल रहा है ?

(3) उक्त उद्योग का क्या उत्पादन है तथा इसके बाई प्रोडक्ट क्या हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मैसर्स एस. आर. एफ. लिमिटेड, झिवाणा तहसील तिजारा, अलवर में दिनांक 10.3.92 को कुछ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड फ्यूम्स निकली थी। जी हां। जी हां, कलक्टर, अलवर के आदेशानुसार मुआवजा दिया गया।

(2) यह विषय भारत सरकार से सम्बन्धित है।

(3) इस कारखाने के उत्पादन एवं बाई प्रोडक्ट निम्न प्रकार है :–

उत्पाद :

1. ट्राई क्लोरो फ्लोरो मिथेन (आर-11)
2. डाई क्लोरो डाई फ्लोरो मिथेन (आर-12)
3. क्लोरो डाई फ्लोरो मिथेन (आर-22)
4. मैथीलीन क्लोराइड
5. कार्बन ट्रेटाक्लोराइड
6. क्लोरोफार्म

(श्रम मंत्री)

7. हाइड्रो क्लोरिक एसिड (100 प्रतिशत)

8. ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो मेथेन (एच-1211)

9. ब्रोमो ट्राई फ्लोरो मेथेन (एच-1301)

सह उत्पाद :

1. हाइड्रो क्लोरिक एसिड

2. सोडियम हाइपो क्लोराइड

3. हैवी आर्गेनिक्स (हैक्सा क्लोराईथेन)

4. स्पेन्ट सल्फ्यूरिक ऐसिड

5. जिप्सम

6. हाइड्रो फ्लोरो सिलिसिक्स ऐसिड (15 प्रतिशत)

वन विभाग में श्रमिकों का सेवा समाप्ति प्रकरण

219. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1995 में वन विभाग के श्रमिकों को स्थायी घोषित करने का एक आदेश प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो कितने श्रमिकों को स्थायी किया गया तथा उतने ही पदों को स्थायी करने के विरुद्ध नये पद सृजित किये गये ?

(2) क्या यह सही है कि पदों को समाप्त करने की विधिवत प्रक्रिया अपनाये जाने पर लगभग 3500 श्रमिकों को सरप्लस घोषित कर उनकी सेवायें समाप्त की जा रही हैं ? यदि हां, तो किस आधार पर सरप्लस घोषित किया जा रहा है ?

(3) क्या श्रमिकों की सेवा समाप्ति से पूर्व औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 एम. व 25 एन. के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रक्रिया अपनाई गई ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार को केन्द्रीय अधिनियम औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 एम. व 25 एन. की अनुपालना करने की छूट प्राप्त है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों को सरप्लस घोषित करने के कोई मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, वर्ष 1995 में वन विभाग के श्रमिकों को स्थाई घोषित करने का राज्य सरकार का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। मात्र नियमित घोषित कर राज्य सेवा नियमों के अन्तर्गत लेने के आदेश हुए थे।

(2) जी नहीं। सरप्लस घोषित नहीं किया गया है। कार्य की कमी के फलस्वरूप 3600 कर्मकार अधिक हो रहे हैं।

(3) जी नहीं, वन विभाग अधिनियम में वर्णित संस्थाओं के अन्तर्गत नहीं आने से 25 एम. व 25 एन. लागू नहीं होती है।

(श्रम मंत्री)

(4) श्रमिकों को सरप्लस घोषित करने के सम्बन्ध में पृथक से कोई नियम नहीं है। राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक : प. 13 (15) साप्र/3/83/पार्ट जयपुर, दिनांक 14.6.99 में अधिशेष करने से पूर्व कुछ निर्देशों की पालना सम्बन्धी निर्देश प्रसारित किये हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी जैसलमेर द्वारा अनियमितता

220. **श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में माध्यमिक शिक्षा के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी संस्थापक शाखा के कार्यालय सहायक एवं कनिष्ठ लिपिक के विरुद्ध जिला कलेक्टर बाड़मेर ने जांच कर हेराफेरी, कांट-छांट एवं अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगा कर जांच रिपोर्ट शिक्षा सचिव को प्रस्तुत की है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जांच के आधार पर तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी को निलम्बित किया और कार्यालय सहायक एवं लिपिकों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है ?

(3) क्या यह सही है कि तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध अभी तक कोई चार्जशीट नहीं बनाई गई ? यदि हां, तो क्यों और बनी है तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला कलेक्टर, बाड़मेर द्वारा शिक्षा सचिव को विस्तृत जांच रिपोर्ट में तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) बाड़मेर को ही दोषी माना है। जांच रिपोर्ट में किसी भी अधीनस्थ कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं है।

(2) जी हां। तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) बाड़मेर को आदेश दिनांक 27.10.99 द्वारा निलम्बित किया गया। जांच रिपोर्ट में कार्यालय सहायक एवं लिपिक के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) बाड़मेर अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.10.99 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अतः उनके विरुद्ध सीसीए नियम-16 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु आरोप पत्र की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अतारांकित प्रश्न संख्या-221

(स्थगित)

शिक्षा दर्पण द्वारा राज्य व्यापी सर्वे

222. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री सांवर लाल)

ध्यापकों का अन्तर्लयन सामान्य वर्ग में कर दिया है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या पूर्व में सरकार ने वर्ष 1961 से 15 दिसम्बर, 1971 तक उक्त संवर्गों में नियुक्त अध्यापकों का अन्तर्लयन सामान्य वर्ग में करके पदोन्नतियां प्रदान की गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान अन्तर्लयन कर उक्त वर्गों के अध्यापकों को पदोन्नति दे रही है ? यदि हां, तो किस प्रकार और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या पंचायत समिति में उद्योग प्रशिक्षण प्राप्त कर अध्यापकों को पदोन्नति प्रदान की जा रही है ? यदि हां, तो क्या शिक्षा विभाग में नियुक्त विषयाध्यापकों को भी दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नियमों में संशोधन के प्रस्ताव परीक्षणाधीन हैं।

(2) शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों के सेवा सम्बन्धी नियम "राजस्थान अधिनस्थ शिक्षा सेवा नियम-1971" जो कि 16.12.71 से प्रभावी हैं। इससे पूर्व में चित्रकला, उद्योग, संगीत विषयाध्यापक तृतीय श्रेणी एवं सामान्य वर्ग के अध्यापकों को एक ही वर्ग में रखा गया था। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण एक ही वर्ग में करने का प्रावधान था। अतः उक्त संवर्ग के अध्यापकों को राजस्थान अधिनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 प्रभावी होने से पूर्व तक नियमों में वर्णित योग्यता एवं अनुभव के आधार पर पदोन्नतियां दी जाती रही हैं। राजस्थान अधिनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के प्रभाव में आने के पश्चात् उप नियम-4 (1) एवं 29(7) के अनुसार वर्गवार वरिष्ठता के निर्धारण का प्रावधान है जो कि वर्तमान में भी प्रभावी है। अतः उद्योग/चित्रकला/संगीत विषयाध्यापक के रूप में नियुक्त अध्यापकों को सामान्य अध्यापक की वरिष्ठता सूची में अन्तर्लयन किया जाकर पदोन्नति दिये जाने का नियमों में प्रावधान नहीं होने के कारण पदोन्नतियां नहीं दी जा रही हैं। नियमों में संशोधन के प्रस्ताव परीक्षणाधीन हैं।

(3) पंचायती राज विभाग के अधीन संचालित विद्यालयों के अध्यापकों को शिक्षा विभाग की वरिष्ठता सूची में सम्मिलित करते हुए शिक्षा विभाग में प्रभावी नियमों के तहत शिक्षा विभाग द्वारा ही पदोन्नतियां दी जाती हैं।

गोविन्दपुरा-दौलतपुरा (जयपुर) में अपूर्ण विद्यालय भवन

226. **श्री संजीव कुमार** (भादरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गोविन्दपुरा प्रथम दौलतपुरा तहसील आमेर (जयपुर) का गत 15 वर्षों से बन रहा निर्माणाधीन भवन बालकों के बैठने के काम अब तक नहीं आ रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त विद्यालय भवन निर्माण प्रकरण में कौन

(श्री संजीव कुमार)

दोषी है और उनके विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या इस प्रकरण की कोई जांच करवाई गई है ? यदि हां, तो कब ? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त भवन विद्यालय के उपयोग हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया है। भवन के निर्माण की जांच हेतु कलेक्टर को निर्देश दे दिए गए हैं।

(2) जी नहीं।

बिहार राज्य से डिग्री प्राप्त अध्यापकों का नियुक्ति प्रकरण

227. **श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** (बाड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में बी.एड. के मान्यता प्राप्त कितने कालेज हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में कितने छात्र-छात्राएं बी. एड. करने के बाद बेरोजगार हैं ? क्या सरकार इन्हें रोजगार देने के लिये कोई प्रयास कर रही है ?

(3) क्या सरकार ने बिहार राज्य से बी. एड. करके आये छात्रों की डिग्रियों को मान्यता दी है ? यदि नहीं, तो क्या ऐसे शिक्षक जो बिहार राज्य से बी.एड. के बाद सेवा में हैं उन्हें सरकारी सेवाओं से पृथक किया गया है ?

उत्तर

(1) राज्य में 41 मान्यता प्राप्त गैर राजकीय तथा 02 राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय संचालित हैं। सूची परिशिष्ट-'क' सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) बी.एड. योग्यताधारी बेरोजगार छात्र-छात्राओं से संबंधित सूचना शिक्षा विभाग द्वारा संकलित नहीं की जाती है। नियुक्ति पर लगाए गए प्रतिबंध हटाये जाने पर ही पात्र बी. एड. योग्यताधारी बेरोजगार छात्र-छात्राओं को विभाग में रिक्त पद उपलब्ध होने पर नियुक्ति दिया जाना संभव होगा।

(3) बिहार राज्य के ऐसे विश्वविद्यालय जो विधानानुसार गठित हैं, से बी.एड. करके आये छात्रों की डिग्रियों (पत्राचार पाठ्यक्रम से नहीं) को मान्यता है। वर्ष 95 से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम लागू हो जाने के पश्चात् से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की बी.एड. डिग्रियों को ही राज्य में मान्यता है। बिहार राज्य में बी.एड. योग्यताधारी नियुक्त अध्यापकों की डिग्री की जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में बिहार राज्य के बी.एड. योग्यता-धारी शिक्षकों की सेवाएं समाप्त नहीं की गई हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

भीम व देवगढ़ (राजसमन्द) के बांधों की नहरों की मरम्मत

228. **श्री लक्ष्मण सिंह रावत** (भीम) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) प्रदेश के किस-किस जिले के किस-किस बांध व उसकी नहरों की मरम्मत हेतु कितनी-कितनी राशि चालू वित्त वर्ष सहित गत तीन वर्षों में स्वीकृत व व्यय की गई ? जिलेवार व वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिला राजसमन्द की भीम व देवगढ़ तहसीलों के बांधों व नहरों की मरम्मत हेतु इस वर्ष तथा अगले वित्तीय वर्ष में कोई प्रावधान करने पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) प्रदेश के जिलेवार बांधों एवं नहरों पर रख-रखाव मद में मरम्मत हेतु आवंटित राशि के विपरीत गत तीन वर्षों में चालू वर्ष सहित व्यय एवं बांधों/नहरों पर किये कार्यों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-'अ' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जिला राजसमन्द की भीम व देवगढ़ तहसीलों की कुल बांधों व नहरों में से वर्ष 2000-2001 में अब तक टिक्कड और कुण्डली बांध पर रख-रखाव मद में मरम्मत हेतु क्रमशः 0.18 लाख एवं 0.15 लाख का व्यय किया जा चुका है। इस वर्ष के शेष महीनों में और अगले वित्तीय वर्ष में वित्तीय साधन की उपलब्धता के अनुसार बांधों एवं नहरों की मरम्मत किया जाना संभव हो सकेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

तहसील छबड़ा व छीपाबड़ौद की अपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं

229. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील छबड़ा (बारां) की बैथली सिंचाई परियोजना कब तक पूर्ण होनी थी ? क्या बांध का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और नहरें अपूर्ण पड़ी हैं ?

(2) उक्त कार्य गत वर्ष क्यों रोका गया ?

(3) क्या उतावली डेम छीपाबड़ौद का कार्य भी अपूर्ण है ? यदि हां, तो कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बैथली सिंचाई परियोजना का कार्य जून, 2001 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। बांध एवं नहरों का लगभग 80 प्रतिशत और 50 प्रतिशत निर्माण कार्य संपादित किया जा चुका है और शेष कार्य प्रगति पर है।

(सिंचाई मंत्री)

(2) जी नहीं, माह जून तक वर्षा ऋतु से पूर्व प्रगति थी।

(3) जी हां। उतावली डेम का लगभग 80 प्रतिशत कार्य संपादित किया जा चुका है, शेष कार्य वित्तीय साधन की उपलब्धता के अनुसार वर्ष 2001-2002 में पूर्ण किया जाना संभव हो सकेगा।

जिला भरतपुर में बांध मरम्मत पर व्यय

230. **श्री निर्भय लाल** (रूपवास) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में जिला भरतपुर में बांध निर्माण/मरम्मत कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्र रूपवास में उक्त बांध निर्माण कार्य/मरम्मत के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई ? उक्त स्वीकृत राशि से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हुए और कितने कार्य अपूर्ण हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अब उक्त अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जिला भरतपुर में बांध निर्माण/मरम्मत कार्यों के लिए वर्ष 1999-2000 में राशि 78.02 लाख रु. तथा वर्ष 2000-2001 (माह 9/2000 तक) में राशि 28.10 लाख रुपये स्वीकृत की गई। सूची परिशिष्ट-'अ' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) विधान सभा क्षेत्र रूपवास में बांध निर्माण कार्य/मरम्मत हेतु वर्ष 1999-2000 में 11.59 लाख रु. की राशि स्वीकृत हुई जिसके विरुद्ध 20 कार्यों में से 4 कार्य पूर्ण हुए तथा 16 कार्य अपूर्ण परन्तु सुरक्षित स्तर तक कराये गए। सूची परिशिष्ट-'ब' सदन के पटल पर रख दी गई है। वर्ष 2000-2001 में कोई राशि आवंटित नहीं की गई है।

(3) उक्त अपूर्ण कार्यों को वित्तीय साधन की उपलब्धता के अनुसार पूर्ण किया जाना संभव हो सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

खोडिया व रायपुर (पाली) में स्वीकृत पशु चिकित्सालय

231. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सोजत (पाली) के ग्राम पंचायत मुख्यालय खोडिया व पंचायत समिति रायपुर के ग्राम पंचायत मुख्यालय पचानपुरा में पशु चिकित्सालय खोलने के आदेश किये हैं ? यदि हां, तो अब तक उक्त चिकित्सालय प्रारंभ नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

(श्री हीरासिंह चौहान)

(2) अब कब तक उक्त चिकित्सालय प्रारम्भ कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, सोजत के ग्राम खोडिया तथा पंचायत समिति, रायपुर के ग्राम पचानपुरा में वर्ष 1999-2000 में पशु उपकेन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन उपकेन्द्रों को विभाग में पद रिक्त होने के कारण प्रारंभ नहीं किया जा सका।

(2) नई नियुक्तियों के लिये कार्मिक एवं वित्त विभाग से स्वीकृति लिये जाने सम्बन्धी अनिवार्यता लागू होने एवं नई भर्ती पर पूर्णतया प्रतिबंध होने के कारण पदों को भरा जाना संभव नहीं है। शासन द्वारा प्रतिबंध हटाये जाने तथा कार्मिक एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होने पर ही पदों को भरा जाना संभव हो सकेगा, तभी इन्हें प्रारंभ किया जा सकेगा।

राजस्थान काअपरेटिव डेयरी फैडरेशन में नियुक्ति

232. **श्री कालूलाल खोईवाल** (गंगरार) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जनवरी, 1999 के बाद राजस्थान काअपरेटिव डेयरी फैडरेशन में कितनी नियुक्तियां किन-किन पदों पर की गई हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पदों में से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कितने व्यक्तियों को नियुक्ति दी गई है ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी, 1999 के बाद आर.सी.डी.एफ. में तीन मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति दी गई है।

(2) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर तीन मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति दी गई।

नियुक्तियां निम्न व्यक्तियों को दी गई हैं :–

1. श्री भौरीलाल मीणा पुत्र स्व. श्रीमती बसन्ती देवी।
2. श्री पूरण सिंह नेगी पुत्र स्व. श्री धर्म सिंह नेगी।
3. श्री सेवकराम पुत्र स्व. श्री घीसाराम।

विधान सभा क्षेत्र दानपुर के अध्यापकों का बकाया वेतन

233. **श्री माणजी भाई** (दानपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है विधान सभा क्षेत्र दानपुर पंचायत समिति बांसवाड़ा में राजीव गांधी पाठशालाओं का निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा पूर्ण कर लिया गया है ?

(श्री भाणजी भाई)

क्या अब तक उक्त विद्यालयों के निर्माण कार्यों की राशि का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो अब कब तक निर्माण कार्यों की राशि का भुगतान करा दिया जावेगा ? क्या उक्त पाठशालाओं में कार्यरत कर्मियों को वेतन नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक भुगतान कर दिया जावेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों का भुगतान भी अभी तक नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक भुगतान कर दिया जावेगा ?

(3) क्या बांसवाड़ा पंचायत समिति व पीपलखूंट पंचायत समिति में शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है ऐसी अव्यवस्था क्यों हो रही है इनके भुगतान की अब किस तरह की व्यवस्था रखी जाएगी और कब तक वेतन मिल जाएगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। 24 पाठशालाओं के भवनों के 8.56 लाख रुपये की राशि का भुगतान शेष है। जो नाबार्ड से राशि आवंटित होने पर भुगतान किया जायेगा। पाठशालाओं में कार्यरत कर्मियों को अगस्त, 2000 तक मानदेय का भुगतान किया जा चुका है। शेष अवधि का भुगतान किए जाने हेतु दिनांक 28.10.2000 को बजट आवंटित कर दिया गया है।

(2) उक्त क्षेत्र का ग्राम पंचायतों द्वारा निर्माण कार्यों का भुगतान कार्य की प्रगति के अनुसार समय पर किया जा रहा है।

(3) पंचायत समिति पीपलखूंट में शिक्षकों को वेतन का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है। पंचायत समिति बांसवाड़ा में शिक्षकों को अगस्त, 2000 से वेतन का भुगतान किया जा चुका है। सितम्बर माह से वेतन का भुगतान करने हेतु बजट 28.10.2000 को आवंटित किया जा चुका है।

पंचायत समिति इटावा (कोटा) के स्थानान्तरित अध्यापक

234. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति इटावा, जिला कोटा के तृतीय श्रेणी अध्यापकों का राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण किया गया था ? यदि हां, तो किस दिनांक को किस-किस अध्यापक का स्थानान्तरण किया गया ? स्थानान्तरित अध्यापकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि लम्बे समय के बाद भी विभाग के अधिकारियों के द्वारा जानबूझकर इन अध्यापकों को रिलीव नहीं किया गया एवं बाहर से आये अध्यापकों

(श्री रामगोपाल बैरवा)

को ड्यूटी पर नहीं लिया गया ? यदि हां, तो इसके लिये कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी हैं ?

(3) क्या यह सही है कि स्थानान्तरित अध्यापकों को रिलीव करने के लिये विभाग को बार-बार शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो इन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी और नहीं, तो इसके लिये कौन दोषी है ?

(4) क्या सरकार स्थानान्तरित अध्यापकों को शीघ्र रिलीव करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। विभाग द्वारा दिनांक 28.7.2000 को पंचायत समिति इटावा के निम्न अध्यापकों का स्थानान्तरण किया गया था :–

1. श्री कुशल सिंह इटावा से खैराबाद

2. श्री रमेश चंद नागर इटावा से कोटा

3. श्री धनराज राठौड़ इटावा से खैराबाद

4. श्री मोहनलाल नायक इटावा से खैराबाद

(2) श्री रमेश चंद नागर को स्थानान्तरण आदेश में उल्लेखित पांच वर्ष की सेवा पूर्ण न होने के कारण से रिलीव किया गया। अन्य अध्यापकों को नियमानुसार रिलीव कर दिया गया है।

दोषी अधिकारी ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां। अध्यापक/अध्यापिकाओं को नियमानुसार रिलीव करने के लिए निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

(4) जी हां। निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

नागौर में निर्मित स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं के भवनों का बकाया भुगतान

235. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 2000-2001 के दौरान जिला नागौर में कुल कितनी राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं के भवन निर्माण का कार्य किस-किस योजना के अन्तर्गत कराया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला नागौर में उक्त पाठशाला भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के बावजूद अभी तक इनके भुगतान की राशि बकाया है ? यदि हां, तो कुल कितनी तथा किस-किस तहसील में कितना भुगतान बकाया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त बकाया राशि का भुगतान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 2000-2001 में जिला नागौर में 150 राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला के भवन निर्माण कार्य आर.आई.डी.एफ-6 सहायता योजना अन्तर्गत स्वीकृत हुए।

(2) जी हां। बकाया भुगतान राशि का पंचायत समितिवार विवरण निम्न प्रकार है :–

पंचायत समिति	बकाया राशि
1. नागौर	1.82 लाख रुपये
2. रियां	4.17 " "
3. परबतसर	2.65 " "
4. डेगाना	3.29 " "
5. मंडवा	12.01 " "
6. जायल	15.61 " "
7. कुचामन	31.00 " "
8. मेड़ता	13.38 " "
9. लाडनूं	1.49 " "
10. डीडवाना	9.00 " "
11. मकराना	6.00 " "
योग	101.42 " "

(3) जी हां। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर बकाया राशि का भुगतान किया जायेगा।

पंचायत समिति जवाजा के ब्लाक शिक्षा अधिकारी द्वारा किये गये स्थानान्तरण

236. **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य की पंचायत समितियों में ब्लाक शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो किस-किस को कहां-कहां कब से लगाया गया तथा क्या कर्तव्य और अधिकार इन्हें दिये हैं ?

(2) क्या प्रधान पंचायत समिति की सहमति स्थानान्तरण या अन्य मामलों में आवश्यक है ? यदि हां, तो किस किस मामले में किस प्रकार ?

(3) क्या पंचायत समिति जवाजा में कार्यरत ब्लाक अधिकारी ने बिना प्रधान की सहमति के स्थानान्तरण किये वह नियम संगत है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। पदस्थापित ब्लाक शिक्षा अधिकारियों के नाम, स्थान पदस्थापन आदेश के दिनांक का विवरण परिशिष्ट-"क" में संलग्न है। इन अधिकारियों को पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 81 क में अधिकार एवं शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(पंचायती राज मंत्री)

(2) स्थानान्तरण के मामलों में पदस्थापन हेतु अधिनियम की धारा 81 क में प्रावधान निहित है।

(3) ब्लाक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षकों के पदस्थापन अधिनियम की धारा 81 के अन्तर्गत किये गये हैं जो कि नियम संगत है।

(विवरण की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम पंचायत नांगल सिरस (जयपुर) के पूर्व सरपंच द्वारा जारी पट्टे

237. **श्री भरोसी लाल** (हिण्डौन) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या ग्राम पंचायत नागल सिरस पंचायत समिति, आमेर (जयपुर) के श्री सोहन पुत्र सुण्डाराम निवासी दौलतपुरा को दिनांक 3 जुलाई, 1998 को पूर्व सरपंच के कार्यकाल में पट्टा जारी किया गया है ? यदि हां, तो पट्टे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त पट्टा सिवायचक भूमि में जारी किया गया है ? उक्त सम्बन्ध में हल्का पटवारी की रिपोर्ट क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पंचायत की पूर्व सरपंच श्रीमती मीरा देवी के कार्यकाल में और कितने पट्टे सिवायचक भूमि में जारी किये गये हैं ? उक्त सरपंच के कार्यकाल में दौलतपुरा बेनाड़ में जारी किये गये सभी पट्टे की जांच कराकर हल्का पटवारी की रिपोर्ट सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त पट्टे जारी करने में पंचायत/पंचायत समिति के कौन-कौन कर्मचारी दोषी हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या अवैध रूप से पट्टे जारी करने पर निरस्त करने का प्रावधान है ? यदि हां, तो अब उक्त अवैध पट्टे कब तक निरस्त कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पट्टे की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) जी नहीं। हल्का पटवारी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) पूर्व सरपंच द्वारा कुल 97 पट्टे जारी किये गये हैं, इनमें से ग्राम बेनाड में 7 पट्टे सिवायचक भूमि में जारी किये गये हैं। ग्राम दौलतपुरा में कोई पट्टा सिवायचक में जारी नहीं किया गया है। पट्टों के सम्बन्ध में हल्का पटवारी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) 7 पट्टे सिवाय चक भूमि में जारी करने के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टतया सरपंच ही उत्तरदायी है।

(पंचायती राज मंत्री)

(5) जी हां। सिवाय चक भूमि में जारी किये गये 7 पट्टों को निरस्त करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(पट्टे की प्रति एवं पटवारी रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम पंचायत नांगल सिरस (जयपुर) के पूर्व सरपंच के विरुद्ध प्राप्त शिकायत

238. **श्री श्रवण कुमार** (पिलानी) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या ग्राम पंचायत नांगल सिरस पंचायत समिति आमेर (जयपुर) के पूर्व सरपंच/सचिव के विरुद्ध गबन घोटाले की शिकायत ग्रामवासियों से प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो कब ? क्या उक्त शिकायत पर कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्राम पंचायत नांगल सिरस के पूर्व सरपंच द्वारा जारी अवैध पट्टों को अब तक निरस्त क्यों नहीं किया गया ? क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक की जावेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति में उक्त शिकायत दिनांक 1.5.2000 को प्राप्त हुई। जांच में राजीव गांधी पाठशाला सेठावाली ढाणी निर्माण कार्य, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोविन्दपुरा एवं क्षतिग्रस्त तालाब बांध बेनाड के निर्माण कार्यों में सरपंच द्वारा मूल्यांकन से अधिक राशि व्यय करना पाया गया है। अधिक राशि वसूली हेतु सरपंच को नोटिस जारी किया गया है।

(2) ग्राम पंचायत नांगल सिरस के पूर्व सरपंच द्वारा जारी किये गये पट्टों की जांच करायी गयी है। पटवारी रिपोर्ट के आधार पर कुल 97 जारी किये गये पट्टों में से 7 पट्टे सिवायचक भूमि में जारी करना पाया गया है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

इन्दिरा गांधी नहर की कृषि भूमि का द्वितीय चरण में आवंटन

239. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की चारणवाडी ब्रांच की समस्त वितरकाएं तथा माइनर जैसलमेर जिले में हैं और उक्त जिलों के काश्तकारों को कृषि भूमि का आवंटन भी हुआ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना को दो चरणों में विभक्त कर रखा है ? यदि हां, तो क्या इसमें चारणवाडी ब्रांच प्रथम चरण में है ?

(3) क्या यह सही है कि चारणवाडी ब्रांच के काश्तकारों की लम्बे समय से मांग

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

है कि उन्हें द्वितीय चरण में रखा जावे जिससे वे जैसलमेर जिले में रह सके ? क्या वर्तमान में उक्त कृषकों को सभी कार्य हेतु बीकानेर जाना पड़ता है ?

(4) क्या सरकार चारणवाडी ब्रांच को द्वितीय चरण में रखने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) चारणवाला शाखा की बुर्जी 120 से अप स्ट्रीम से निकलने वाली वितरिकाओं तथा माइनरें बीकानेर जिले में स्थित हैं एवं इसके नीचे की वितरिकाएं एवं माइनरें जैसलमेर जिले में स्थित है। चारणवाला शाखा की कृषि भूमि बीकानेर, जैसलमेर व अन्य जिलों के काश्तकारों को आवंटित है।

(2) जी हां। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को दो चरणों में विभक्त कर रखा है। चारणवाला शाखा द्वितीय चरण में रखी हुई है।

(3) चारणवाला शाखा पहले से ही द्वितीय चरण में रखी हुई है। अतः काश्तकारों की यह कोई मांग नहीं है कि चारणवाला शाखा को द्वितीय चरण में रखा जाय। चारणवाला शाखा पर कार्यरत अधिशाषी अभियन्ता का मुख्यालय बीकमपुर (जिला बीकानेर) में स्थित है। अतः चारणवाला शाखा के कृषकों को सिंचाई से सम्बन्धित सभी कार्य हेतु बीकानेर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(4) चारणवाला शाखा पहले से ही द्वितीय चरण में रखी हुई है। अतः इस पर पुनर्विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

नगरपालिका, आसीन्द के पर्यटन स्थलों का चयन

240. **श्री रामलाल गुर्जर** (आसीन्द) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका आसींद में श्री सवाईभोज मंदिर है जो विश्वविख्यात है और देवनारायण की जन्म स्थली मालासेरी भी स्थित है ? क्या उक्त स्थानों पर लाखों यात्री प्रतिवर्ष दर्शन के लिए आते हैं ?

(2) क्या सरकार इसे पर्यटक स्थल से जोड़ने का विचार रखती है ? अब तक इसे पर्यटक स्थल घोषित नहीं करने के क्या कारण हैं और अब कब तक घोषित किया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नगरपालिका, आसींद में श्री सवाई भोज मन्दिर स्थित है, जो कि भारत विख्यात है। देवनारायण जी की जन्मस्थली मालासेरी भी स्थित है, जहां प्रतिवर्ष काफी संख्या में यात्री दर्शन के लिए आते हैं।

(2) किसी भी स्थान को पर्यटक स्थल के रूप में जोड़ने तथा घोषित किये जाने

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई घोषणा नहीं की जाती।

अतारांकित प्रश्न संख्या-241

(स्थगित)

पंचायत समितियों राणी-देसूरी-खारची द्वारा चलाई जा रही योजनाएं

242. **श्री केसाराम चौधरी** (खारची) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में ग्रामीण विकास के लिए पंचायत समितियों के माध्यम से क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1998-99 व 1999-2000 में जिला पाली की पंचायत समिति राणी, देसूरी तथा खारची के लिए क्या-क्या लक्ष्य रखे गये थे ? क्या उक्त पंचायत समितियों ने अपने-अपने लक्ष्य पूरे किये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में ग्रामीण विकास के लिए पंचायत समितियों के माध्यम से संचालित की जाने वाली योजनाओं की सूची परिशिष्ट-'अ' पर अवलोकनीय है।

(2) पंचायत समिति राणी-देसूरी तथा खारची (मारवाड़ जंक्शन) में वर्ष 1998-1999 व 1999-2000 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य एवं उनकी उपलब्धियां तथा लक्ष्य पूर्ण नहीं होने के कारण परिशिष्ट-'ब' में संबंधित योजना के सम्मुख अंकित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

व्याख्याताओं की प्रतिनियुक्ति की समाप्ति

243. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न जिलों में कितने पद प्रोफेसरों/व्याख्याताओं के डेप्यूटेशन पर किन-किन स्थानों में किन पदों पर लगा रखे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त पदों में उनके डेप्यूटेशन पर रहने से ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के अध्ययन पर कुप्रभाव पड़ता है जिसके कारण उनका स्तर गिर जाता है ? यदि हां, तो डेप्यूटेशन वाले प्रोफेसरों/व्याख्याताओं को कब तक डेप्यूटेशन से हटा कर उनके असली पद पर भेजा जावेगा ?

उत्तर

(1) राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित राजकीय महाविद्यालयों में से एक उपाचार्य

(उच्च शिक्षा मंत्री)

एवं 9 व्याख्याता विभिन्न विभागों में डेप्यूटेशन पर लगा रखे हैं। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। डेप्यूटेशन पर गये अधिकारियों में से विशेष चयन प्रक्रिया के अधीन चयनित प्रतिनियुक्त पर लगे अधिकारियों को छोड़कर शेष प्रतिनियुक्त व्याख्याताओं को प्रतिनियुक्त से हटाकर उनके असली पदों पर पदस्थापित करने की प्रशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

राजस्थान विश्वविद्यालय में शिक्षकों को नियम विरुद्ध आवास आवंटन

244. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को मकान आवंटन हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ? क्या सभी प्रकार के आवंटन में इस प्रक्रिया का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि कुछ शिक्षकों को नियम विरुद्ध आवंटन किया गया, जिसके कारण से उनके वेतन से समायोजित करने का आदेश जारी किया गया ? यदि हां, तो किस–किस से व अब तक कितने शिक्षकों से वसूली की जा चुकी है और शेष से वसूली नहीं किये जाने के क्या कारण रहे ?

उत्तर

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में कार्यरत शिक्षकों को कुलपति के विवेकाधीन कोटे से आवासों के अतिरिक्त शेष सभी आवासों का आवंटन विश्वविद्यालय में गठित आवास आवंटन समिति की अनुशंषा के अनुसार वरियता सूची के आधार पर किया जाता है। जी हां।

(2) जी नहीं।

रावतभाटा में प्रस्तावित महाविद्यालय

245. **श्री घनश्याम जैन** (बेगूं) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार रावतभाटा में कालेज खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या रातवभाटा में कालेज हेतु आठ कमरे भी बना दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या अगले बजट में कालेज हेतु प्रावधान रखा जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। चालू वित्तीय वर्ष की योजना में राजकीय क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु प्रावधान नहीं है।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

(2) रावतभाटा में राज्य सरकार द्वारा कॉलेज हेतु कोई निर्माण कार्य नहीं करवाया गया है, यद्यपि रावतभाटा शिक्षा समिति द्वारा अपने स्तर पर महाविद्यालय हेतु कुछ निर्माण कार्य करवाया है।

राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण वित्तीय वर्ष 2001-2002 की वार्षिक योजना में राजकीय क्षेत्र में महाविद्यालय खोलने हेतु योजना विभाग ने कोई प्रावधान नहीं रखा है।

अतारांकित प्रश्न संख्या-246

(स्थगित)

पुष्कर (अजमेर) में प्रस्तावित खादी प्रशिक्षण केन्द्र

247. **श्री रमजान खान** (पुष्कर) : क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि खादी ग्रामोद्योग विभाग को पुष्कर नगर में खादी ग्राम प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु जिला प्रशासन ने 10 बीघा भूमि आवंटित की है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण करने हेतु सरकार ने बजट में दो करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है ? यदि हां, तो अब तक उक्त प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण नहीं कराने के क्या कारण रहे हैं और अब कब तक उक्त का निर्माण करवाकर केन्द्र का शुभारम्भ कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जिला कलेक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 29.3.94 के द्वारा जिला अजमेर के ग्राम पुष्कर में 10 बीघा भूमि राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु आरक्षित की गई है।

(2) जी नहीं। वर्ष 2000-2001 के (राज्य आयोजना) बजट में इस कार्य हेतु कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः प्रस्तावित केन्द्र का निर्माण संभव नहीं हो सका है।

आसींद (भीलवाड़ा) में आयुर्वेदिक औषधालय

248. **श्री रामलाल गुर्जर** (आसीन्द) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील मुख्यालय आसींद (भीलवाड़ा) में आयुर्वेदिक औषधालय नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या आसींद 'अ' श्रेणी आयुर्वेदिक औषधालय स्वीकृत करने की श्रेणी में आता है ? यदि हां, तो यहां अब कब तक औषधालय की स्वीकृति प्रदान कर चालू करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। आसींद (भीलवाड़ा) में आयुर्वेदिक औषधालय स्वीकृत नहीं है।

(2) जी नहीं।

मोहता चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित महाविद्यालय

249. **श्री नन्दलाल पूनिया** (सादुलपुर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजगढ़ (चूरू) में मोहता चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मोहता आयुर्वेदिक महाविद्यालय को अब बन्द कर दिया है ?

(2) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय को पुनः चालू करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस महाविद्यालय को पुनः चालू करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार करने हेतु राज्यादेश क्रमांक एफ. 14 (18) आयुर्वेद/92 दिनांक 7.6.2000 द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा इस प्रकरण में गुणावगुणों पर विचार कर आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जावेगी।

जिला जैसलमेर में रियासती गैर खातेदारों का पट्टा प्रकरण

250. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला जैलसमेर में रियासती काल के काश्तकारों को गैर खातेदार घोषित कर रखा है ? क्या उक्त प्रकरणों का निस्तारण आर.टी.ए. की धारा 15 एएए के अन्तर्गत होना है ? यदि हां, तो कितने प्रकरण लम्बित हैं तथा कितनी कृषि भूमि ऐसे काश्तकारों के कब्जे में है ?

(2) क्या यह भी सही है कि अधिकांश जागीरी पट्टे ऐसे हैं जिनका जागीर पुनर्ग्रहण पंजिका में इन्द्राज नहीं है तथा वे पट्टे फर्जी हैं ?

(3) क्या यह सही है कि प्रभावशाली व्यक्तियों ने बहुत बड़े भू-भाग पर नाजायज कब्जा कर रखा है और उन्हें बेदखल नहीं किया जा रहा ?

(4) क्या सरकार समय अवधि में उक्त काश्तकारों के फैसले करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जैसलमेर रियासत में राजस्व रिकार्ड नहीं था, इसलिये किसी भी श्रेणी के काश्तकार नहीं थे। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (उपनिवेशन) क्षेत्र में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लागू होने

(उपनिवेशन मंत्री)

के बाद प्रथम बंदोबस्त सर्वे से अभिलेख में दर्ज कृषक को ही गैर खातेदार मानकर राजस्व अभिलेख में अंकित किया गया है। इनकी खातेदारी देने के मामले राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 एएए के अन्तर्गत निस्तारण किये जाने का प्रावधान है। माह अगस्त, 2000 तक उक्त प्रकार के लंबित मामलों का विवरण निम्न प्रकार है। यह भूमि गैर-खातेदारों के कब्जा काश्त में है :–

मामले	**संख्या**	**कमांड**	**अन-कमांड**	**बारानी**	**योग (हेक्टेयर में)**
सीलिंग सीमा से कम	3625	6257	1976	29309	37542
सीलिंग सीमा से अधिक	1795	32978	12306	17972	63256
	5420	39235	14282	47281	100798

(2) नियमानुसार वे ही पट्टे विश्वसनीय हैं जिनका इन्द्राज जागीर अधिग्रहण के दौरान जागीर विभाग के रजिस्टर में दर्ज हुए, इसके आलवा जागीरी पट्टे की कोई कानूनी वैधता नहीं है।

(3) यह सही नहीं है कि प्रभावशाली व्यक्तियों ने बहुत बड़े भू-भाग पर नाजायत कब्जे कर रखे हैं। न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत काश्तकारों ने दावे कर रखे हैं और न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत ही जिन काश्तकारों ने स्थगन ले रखे हैं उनको छोड़कर जो भी कोई नारायज काश्त करता है, उन्हें धारा 22 के अन्तर्गत बेदखल किया जाता है।

(4) राज्य सरकार के काश्तकारों द्वारा दायर दावों को निस्तारण के लिये बीकानेर एवं जैसलमेर में अलग से सहायक आयुक्त, उपनिवेशन के कार्यालय स्थापित किये हैं, जिससे कि न्यायिक प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किया जा सके।

जिला श्री गंगानगर के क्रमोन्नत विद्यालय

251. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (गंगा-नगर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला श्री गंगानगर में कौन-कौन से विद्यालय क्रमोन्नत किए गए और कितने विद्यालय नये खोले गए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में किन-किन अधिकारियों ने विद्यालयों का कब-कब निरीक्षण किया

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

तथा निरीक्षण में क्या-क्या कमियां पाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विद्यालयों में कितने प्रधानाध्यापक हैं तथा शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के कितने-कितने विद्यालयों में प्रधानाध्यापक कब-कब से कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला श्रीगंगानगर में वर्ष 2000-2001 में क्रमोन्नत किए गए विद्यालयों की सूची परिशिष्ट-'क' सदन के पटल पर रख दी गई है। वर्ष 2000-2001 में कोई नया विद्यालय नहीं खोला गया है।

(2) विवरण परिशिष्ट-'ख' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) सूची परिशिष्ट-'ग' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। परिशिष्ट-'ग'

(सूची/विवरण की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला झुन्झुनूं में प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम पर व्यय

252. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला झुन्झुनूं में 14 से 35 आयु वर्ग के व्यक्तियों को साक्षर करने के कौन-कौन से कार्यक्रम कब-कब से चल रहे हैं अथवा चले हैं तथा किस-किस कार्यक्रम पर कितना-कितना व्यय हुआ है ?

(2) उक्त व्यय किन-किन मदों में कितना-कितना हुआ है ?

(3) उक्त व्यवस्था के लिये जिले में क्या प्रशासनिक ढांचा है ? क्या कोई कमेटियां बनी हैं ? यदि हां, तो उनका क्या स्वरूप है तथा कौन-कौन अधिकारी इस कार्यक्रम से संबंधित रहे हैं ?

(4) उक्त कार्यक्रम के लिए क्या कोई साहित्य का निर्माण करवाया गया है ? यदि हां, तो कौन-कौनसी पुस्तकें, हैण्ड बिल पोस्टर आदि बनाये गयें हैं तथा किस कीमत के हैं ?

उत्तर

(1) झुन्झुनूं जिले में 15 से 35 आयु वर्ग के व्यक्तियों को साक्षर करने के लिए चलाए गए कार्यक्रमों, अवधि व्यय राशि का विवरण इस प्रकार है :–

(पंचायती राज मंत्री)

कार्यक्रम कब से कब तक	व्यय राशि (रुपये)
1. सम्पूर्ण साक्षरता अभियान दि. 26.9.94 से 31.7.95 तक	11118448/–
2. उत्तर साक्षरता अभियान दि. 1.6.98 से निरन्तर जारी	6211991/–

(2) उक्त कार्यक्रमों पर जिन मदों से व्यय हुआ है उसका विवरण संलग्न है। परिशिष्ट-'क'

(3) जी हां। जिला साक्षरता समिति एक पंजीकृत संस्था है जिसमें जन-प्रतिनिधि, समाजसेवी, शिक्षाविद्, पत्रकार, अधिकारीगण एवं महिलाएं सदस्य होते हैं। जिला साक्षरता समिति के प्रशासनिक ढांचे एवं कमेटियों के स्वरूप का विवरण संलग्न है। परिशिष्ट-'ख'

(4) जी हां। उक्त कार्यक्रम के लिए निर्माण कराई गई सामग्री का विवरण संलग्न है। परिशिष्ट-'ग'

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के विद्यालयों में रिक्त पद

253. **श्री भंवरलाल शर्मा** (सरदारशहर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में कहां-कहां, कौन-कौनसे विद्यालय हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में कौन-कौनसे विषय के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं और इन स्वीकृत पदों में कहां-कहां कितने-कितने पद कब-कब से रिक्त हैं ? रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में संचालित विद्यालयों का विवरण संलग्न है। परिशिष्ट-'क' 'ख'

(2) उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के विषयवार स्वीकृत पद, रिक्त पद एवं कब से रिक्त हैं का विवरण संलग्न है। परिशिष्ट-'क' 'ख'

(3) वर्तमान में नवीन नियुक्तियों पर पूर्ण प्रतिबंध है। प्रतिबंध हटने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(विवरण की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधायकों की अभिशंषा पर कर्मचारियों के स्थानान्तरण

254. **श्री रतन लाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री रतन लाल ताम्बी)

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग में वर्ष 2000 में माननीय सदस्यों की अभिशंषा पर शिक्षकों/मंत्रालयिक कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कर्मियों के स्थानान्तरण में प्रारम्भिक शिक्षा का स्थानान्तरण माध्यमिक शिक्षा अथवा पंचायती राज विभाग की स्थानान्तरण सूची में भेजने के कारण भारी अनियमितताएं हुई हैं ? यदि हां, तो कितने कर्मचारियों की किस-किस माननीय सदस्य द्वारा संशोधन करने हेतु अभिशंषा की गई उनमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(3) उक्त अनियमितताएं किस स्तर पर हुई हैं ? क्या सरकार उसमें लिप्त दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? दोषियों की नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शिक्षकों/मंत्रालयिक कर्मचारियों के स्थानान्तरण प्रशासनिक, स्वैच्छिक, शिकायत आदि के आधार पर किए गए।

(2) जी नहीं।

(3) सहवन/टंकण त्रुटि से हुई गलतियों को सुधार लिया गया है।

विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में विद्यालय भवनों की मरम्मत

255. **श्रीमती कमला बृजलाल** (सपोटरा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र सपोटरा की तहसील सपोटरा के विद्यालयों के निर्माण/मरम्मत हेतु कोई राशि आवंटित की गई है ? यदि हां, तो कितनी राशि किस-किस विद्यालय के निर्माण/मरम्मत हेतु आवंटित की गई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त तहसील के कई विद्यालय भवन बिल्कुल जर्जर अवस्था में हैं ? क्या उक्त विद्यालयों की जानकारी संबंधित अधिकारियों को है ?

(3) क्या सरकार उक्त जर्जर अवस्था के विद्यालय भवनों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

आवंटित राशि का विवरण इस प्रकार है :–

1. राउप्रावि, बगाता – 5000 रुपये
2. राबाउप्रावि, हाडोली – 5000 रुपये
3. राउप्रावि, खेडला – 5000 रुपये
4. राउमावि, सपोटरा –4.10 लाख रुपये

(पंचायती राज मंत्री)

(2) जी हां।

(3) जी हां। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं ग्राम सभा द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार विद्यालय भवनों के मरम्मत का कार्य करवाया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक मिनट, मेरी बात सुन लें, मेरा करबद्ध निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, बहुत विनम्रता के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं, यह व्यवस्था देकर आप पधार जाते हैं, उपाध्यक्ष महोदय आ जाते हैं आसन पर। उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं कि मुझे कोई अधिकार नहीं है व्यवस्था देने का। अब कोई भी माननीय सदस्य अगर कोई बात निवेदन करे आसन से, तो उसकी व्यवस्था देने के लिए आप कम से कम 2, 4, 5 मिनट खुद सुनें यह मेरी विनम्र प्रार्थना है।

दूसरा, मेरा 127 का मोशन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन के अन्दर यह अवगत कराया है कि यह मोशन लगेगा, आज उसके लिए पर्ची की अनुमति दे दी। वह मोशन तो यों ही लग जाएगा उसका कोई प्रयोजन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप इस बात पर विचार करें। पूरे सदन के अन्दर आप 119 का मोशन नहीं लगाते, 127 का मोशन नहीं लगाते, 131 का मोशन नहीं लगाते, शार्ट नोटिस भी अलाउ नहीं करते तो आखिर अध्यक्ष महोदय, यह सब नियमों के अन्दर प्रावधान क्यों दिया गया है ? मेरी विनम्र प्रार्थना अन्त में यही है कि वह जो पर्ची के लिए आपने अनुमति दी है उसको मेरे मोशन के साथ टैग कर दें उनको भी अनुमति दें लेकिन मोशन के साथ डिबेट होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : 127 का आपका जो मोशन है वह 6 तारीख को लिया जाएगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यही तो मैं निवेदन कर रहा हूं इसलिए वह पर्ची...

श्री अध्यक्ष : पर्ची प्रायोरिटी से है। अगर पर्ची के बारे में कोई दूसरा आदमी बोलता हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, नियमों में यह प्रावधान है।

श्री अध्यक्ष : और आपका भी वही विषय है तो दोनों पर चर्चा हो जाएगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, अध्यक्ष महोदय, नियमों में यह स्पष्ट प्रावधान है कि जो इश्यू हाउस में डिबेट हो जाएगा, वह दुबारा नहीं होगा। एक इश्यू दो बार डिबेट थोड़े ही होता है ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं उसमें आपका 127 का होगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, होगा, सर, लेकिन मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि माननीय सदस्य को आप यह निर्देश दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। आप बीच में नहीं माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, वह रिपीट कैसे हो जाएगा ?

श्री अध्यक्ष : आप जानते हैं सब।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) डा. रतन लाल जाट, सदस्य की ओर से विधायक कोटे में स्वीकृत विभिन्न विकास कार्यों को समय पर पूरा नहीं करने से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(2) प्रो. सांवर लाल, सदस्य की ओर से पंचायत समिति आमेर की विभिन्न ग्राम पंचायतों में स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं के निर्माण कार्य में अनियमितता होने के सम्बन्ध में।

(3) श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं 10 अन्य सदस्यों की ओर से चूरू जिले की डूंगरगढ़ तहसील के ग्राम कल्याणसर में हैलीपैड बनाने के लिए गरीब अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के मकान तोड़ने के सम्बन्ध में।

(4) श्री नन्दलाल मीणा, सदस्य की ओर से प्रतापगढ़ से राणेपुर घाटे मार्ग पर दिनांक 25.10.2000 को हुई बस दुघर्टना में घायल एवं मृतकों की चिकित्सा में बरती गयी लापरवाही के सम्बन्ध में।

(5) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से राज्य में गत दो वर्षों से सरकारी नौकरियों पर रोक होने से बेरोजगार युवकों में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(6) श्री मदन दिलावर एवं एक अन्य सदस्य की ओर से जन्माष्टमी के दिन कोटा में एक छात्र नेता की पुलिस द्वारा अकारण पिटाई किये जाने की घटना के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :–

श्री मदन दिलावर एवं 6 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के लोगों की राष्ट्रीय वृद्धावस्था, राज्य वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन बंद करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य योग्य नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण

(श्री मदन दिलावर)

मामला है। जहां 710 विकलांग और विधवाओं की पेंशन बंद कर दी हो और जहां लोग इस वृद्धावस्था पेंशन और अन्य पेंशनों के कारण तड़प-तड़प कर मर रहे हों। मेरे को जवाब मिला है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

(12.10 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, काहे पर बोल रहे हो आप ?

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह राष्ट्रीय वृद्धावस्था...

श्री उपाध्यक्ष : उसको अध्यक्ष महोदय, डिस अलाउ कर गये फिर आप क्यों बोल रहे हो ?

श्री मदन दिलावर : नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वृद्धावस्था पेंशन के बारे में बोल रहे हैं। आप भी वृद्ध होने वाले हैं, इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्य भी वृद्ध होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो सब होंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और किसी के साथ सहानुभूति हो या नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी उसके बाद तो...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय तो वृद्ध हो गये इसलिए चले गये आप उस लाइन पर मत जाओ अभी तो।

श्री उपाध्यक्ष : वह व्यवस्था देकर गये हैं न इसलिए आप बिराजो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : थोड़ा सा गवर्नमेंट जवाब तो दे इस मामले में।

श्री उपाध्यक्ष : गवर्नमेंट से जवाब मांग लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इन्होंने एड-जोर्नमेंट मोशन मूव किया है।

श्री उपाध्यक्ष : अगर यह चालू हो गया तो फिर हर माननीय सदस्य कहेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, चालू नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : कि इस पर बोलने की इजाजत दें वह संभव ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, कोई चालू नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : वह संभव नहीं है। आप नहीं करोगे तो इधर से हो जाएगा, इधर से हो जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं, चालू करें नहीं करें।

श्री उपाध्यक्ष : एक व्यवस्था दे दी अध्यक्ष महोदय ने उसके बाद तो...

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। आपने व्यवस्था दे दी वह ठीक है। माननीय वित्त मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं, केवल आप इतना सा बता दें कि वृद्धावस्था पेंशन के मामलों में पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है वह कब तक करवा देंगे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमान्, शायद परसों इस सवाल का जिक्र इन्होंने किया था। उसी वक्त मैंने इसको नोट कर लिया था और मैंने बजट आफिसर को निर्देश दिया था आप इस बारे में पता लगायें कोटा और बारां की ट्रेंजरी से, क्योंकि माननीय सदस्य बारां से आते हैं। (व्यवधान) आप मेरी बात सुनें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वित्त विभाग की तरफ से पेंशन को रोकने के निर्देश नहीं दिये हुए हैं। नवम्बर एक। जो वहां के कोषाधिकारी ने हमको सूचना भेजी, जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके तहत जो पेंशनधारी हैं उनकी जांच संबंधित विभाग व अन्य लोग कर रहे हैं। गलत फार्म भरने के आधार पर वित्त विभाग की तरफ से या बजट आफिसर की तरफ से कोई निर्देश नहीं हैं ट्रेजरीज को कि पेंशन के भुगतान को रोका जाए। यह मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने नियम बदल दिया कि 21 साल का जिसके लड़का है उसकी पेंशन बंद कर दी है। नियम बदल दिया है थोड़े दिन पहले ही। इसलिए आप गलत बात कह रहे हैं, सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सुमित्राजी, आप इतनी पुरानी सदस्या हैं, आप इतनी पुरानी सदस्या हैं, मैं जो कह रहा हूं उसको गौर से सुनें आप। अब आप रूको न। आपने बोल दी है अपनी बात।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका आपने जवाब दिया है। आपकी सरकार ने जवाब दिया है। मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका यह जवाब आया है। आप कह रहे हैं कि नहीं दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप बात तो सुन नहीं रही हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। हमने ट्रेजरीज को डायरेक्शन नहीं दिया है, संबंधित विभाग, कलेक्टर या अन्य अधिकारी उसकी जांच कर रहे हैं। वित्त विभाग की तरफ से पेंशन को रोकने का कोई निर्देश जारी नहीं किया हुआ है ट्रेजरीज को। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं 'ट्रेजरीज'।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नियम बदल दिया है निर्देशों की आवश्यकता ही नहीं रही।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वे आप कृपया संबंधित मंत्रीजी से इसकी जानकारी प्राप्त करें। माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, एक बात मैं और बता रहा हूं। जो पेंशन का बिल था, इस नयी घोषणा के बाद में पेंशन, वृद्धावस्था, विकलांग और महिलाओं की पेंशन के अन्दर पांच गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है जो पेमेन्ट हो रहा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सरकार ने बदला है नियम, समाज कल्याण ने नहीं।

श्री मदन दिलावर : मामला यह नहीं है। मामला यह है कि सरकार...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मामला तो समाप्त हो गया है। आपने जवाब दे दिया है कि पेंशन को रोक नहीं रहे हैं, पेमेंट हो रहा है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मामला यह है कि सरकार ने 5.6.2000 के आदेश द्वारा 7.7.99 को पहले वाला आदेश संशोधित कर दिया और जो पहले वाले आदेश के आधार पर लाखों पेंशन के फार्म थे वे रद्द कर दिये। जिस दिन से आपने आदेश दिया उसके बाद के आवेदन तो नहीं लें यह तो माना जा सकता है, उनको स्वीकार नहीं करें, यह भी माना जा सकता है। लेकिन जो पहले वाले आदेश के आधार पर लाखों आवेदन आपने स्वीकार कर लिये और लाखों आवेदन निरस्त कर दिये। 11 महीने तक ऐसे लोगों को पेंशन दी जा चुकी है और फिर उनको आपने निरस्त कर दिया। बारां जिले में ही 12 हजार लोग तो ऐसे हैं जिनको आपने 11 महीने तक पेंशन दी और फिर बंद कर दिया। आठ हजार लोग ऐसे हैं जिनको आपने आवेदन की प्रतीक्षा में रखा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका हश्र क्या हुआ कि झालावाड़ जिले में झालरापाटन पंचायत समिति के मंडावर गांव की एक अमरी बाई पंचायत समिति कार्यालय में पेंशन लेने के लिए चक्कर काटती रही और कार्यालय में तड़फ-तड़प कर दम तोड़ दिया। उपाध्यक्ष महोदय, तड़प-तड़प कर उस अमरीबाई ने दम तोड़ दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजो, हो गया।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे खड़िया गांव का ही एक कुम्हार 66 वर्षीय...

श्री उपाध्यक्ष : विराजो। डिटेल्ड डिस्कशन नहीं हो रहा है। मूल बात का जवाब दे दिया है कि....

श्री मदन दिलावर : पागल हो गया, वह गांव में भागता है, बोलता है कि मेरी पेंशन कहां से आयेगी, इधर से आयेगी या उधर से आयेगी।

श्री उपाध्यक्ष : पेंशन जो बंद की है उसको चालू कर दिया। (व्यवधान) सब ट्रेजरी को आर्डर दे दिया है। पेंशन का पेमेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या बचा है ?

श्री मदन दिलावर : हजारों लोग वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलने के कारण मानसिक संतुलन खो चुके हैं। (व्यवधान) रिकार्ड देखेंगे तो हजारों लोग दिखायी देंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्री मंगला राम गोदारा। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक जानकारी करना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्रीजी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

से कि पेंशन के नियमों में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अमेंडमेंट किया है क्या, जिसके कारण से यह प्राब्लम खड़ी हुई है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि समाज कल्याण मंत्रीजी यहां विराजमान हैं। वे उसके बारे में बता देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वे बता दें तो कोई आपत्ति नहीं है। बैठो तो सही। समाज कल्याण मंत्रीजी बैठे हैं।

श्री बनवारी लाल बैरवा (समाज कल्याण मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सही बात यह है कि जो हमारी सरकार ने आदेश दिये थे कि दो अक्टूबर, 1999 तक दुबारा सर्वे किया जाए और जो वृद्ध हैं उनकी पेंशन जारी की जाए। उसमें काफी फार्म भरे गए और उनकी शिकायतें भी आना चालू हो गयीं कि गलत लोगों को पेंशन जारी हो रही है और जिन लोगों को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए थीं उनको पेंशन मिल रही है। तो सरकार को मजबूरन दुबारा यह आर्डर करना पड़ा कि उनके लिए दुबारा सर्वे किया जाए, दुबारा उनकी जांच की जाए और जो उसके पात्र हैं उनको जारी कर दी जाए और जो पात्र नहीं हैं उनको रोक दिया जाए। यह सही बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि जिस सर्कुलर से और जिन नियमों के आधार पर आपने पेंशन के केसेज सारे के सारे निर्णित किये और उनको पेंशन देना शुरू किया, आपका कहना है कि उनके सम्बन्ध में कई शिकायतें आई हैं। शिकायत की आप जांच करिये, उसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती लेकिन जिस व्यवस्था के आधार पर आपने फार्म मंजूर किये, क्या उस व्यवस्था में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कोई परिवर्तन किया गया ?

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय उपाध्क्ष महोदय, यह ठीक है कि हमारी सरकार ने एक फैसला यह लिया, जानकारी में आया था हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी के भी और हमारी सरकार के भी, कि बहुत वृद्ध ऐसे हैं कि जिनकी औलादें उनको सपोर्ट नहीं कर रही हैं, उनकी सेवा नहीं कर रही हैं और वे बहुत परेशानी के अन्दर हैं। उस स्थिति के अन्दर यह फैसला किया गया था कि ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा जरूरतमंद हैं उनको भी पेंशन, इसके बावजूद भी कि अगर उनके 20 साल का जवान लड़का है, दे दी जाए। लेकिन चूंकि यह जानकारी सरकार के सामने आयी है कि ऐसे लोग जिनकी बच्चे सेवा कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं और हर तरीके से वे सक्षम हैं, उन्होंने भी पेंशन जारी करवा ली है। इसलिए सरकार को उस फैसले में यह तय करना पड़ा है कि ऐसे हालात में जवान लड़के के होते हुए उनको पेंशन नहीं दी जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आपका जवाब आयेगा नहीं जो आप चाहते हैं। जो आप चाहते हैं वह जवाब तो आयेगा नहीं। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, जो सदन में प्रश्न विचाराधीन ही नहीं हैं उसके बारे में क्वेश्चन हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : यह वृद्धावस्था पेंशन का जो मामला है उसमें 50-50 साल के लोगों ने सर्टिफिकेट बनाकर पेंशन लेना चालू कर दिया है। हजारों की संख्या में फर्जी लोग आ गये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे ही खड़े हो रहे हैं तो क्या करूं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गलत तरीके से कोई पेंशन लेता है तो उसको निश्चित रूप से पेंशन नहीं दी जानी चाहिए। जो अधिकारी नहीं है, जो अधिकृत नहीं हो सकता और जो नियमों के अन्तर्गत आ नहीं सकता है उसको आप पेंशन नहीं दें, हम उसकी वकालत नहीं कर रहे हैं। हम तो केवल यह पूछना चाहते हैं कि बार-बार इस सदन के अन्दर घोषणा की गयी और बाहर घोषणा की गयी कि ऐसे वृद्ध हैं जिनके लड़के हैं, संतान हैं लेकिन वह संतान उनकी सेवा नहीं करती वह भी आदमी पेंशन लेने के अधिकारी हो सकते हैं। उस आधार पर फार्म भरवाये और फार्म भराने के बाद में गवर्नमेंट ने उनकी पेंशन चालू कर दी। आज आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बंद करें तो आपने एक बार तो बंद कर दिया और फिर जिन लोगों को पेंशन दे दी उनसे वसूली शुरू करेंगे, उनके कुर्कियां शुरू होंगी। यह गलत है। मैं समझता हूं कि आप प्रोस्पेक्टिवली कुछ करना चाहें तो कर दें, रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं करना चाहिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वसूलने का तो प्रश्न नहीं है लेकिन जो सरकार कर सकती है, जिन्होंने ले ली गलत तरीके से, फ्राडुलेंट मैथड से फैक्ट्स को मिस-रीप्रजेंट करके पेंशन प्राप्त कर ली है और सच्चाई सामने आयेगी तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों की पेंशन को रोकना पड़ेगा, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन मैं यह बात आश्वस्त करना चाहूंगा कि रिकवरी का तो कोई प्रश्न ही नहीं है इसके अन्दर। माननीय विपक्ष के नेता महोदय जो कह रहे हैं, यह बात बिलकुल साफ यहां पर होनी चाहिए लेकिन फ्राडुलेंट मैथड से लोगों ने फैक्ट्स को मिस-रीप्रजेंट करके 40-40 साल के लोग एक कॉमन प्रेक्टिस बन गयी है कि मेरे बच्चे नहीं है, देखभाल नहीं करते हैं। पेंशन प्राप्त करने के लिए एक आम बात बन गई है कि मेरा बेटा मेरी देखभाल नहीं करता है। लेकिन एक्सेप्शन हो सकता है ऐसे मामलों में, यह जांच के बाद दी जा सकती है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आप ठीक कहते हैं मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रश्न यह है कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने कहा, वित्त

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मंत्रीजी, आप जरा सुन लें, आप यह कह रहे हैं कि फ्राडुलेंट मैथड से किसी भी आदमी ने पेंशन ली है, वह पेंशन हम बंद करना चाहते हैं। सरकार से कोई फ्राडुलेंट-वे में पेशन ले ले या पैसा ले ले, यह काग्नीजेबल आफेंस होता है, और आप करेंगे कि, जब इस आदमी ने गलत तरीके से पेंशन ले ली तो उसके खिलाफ क्या केस बनायेंगे ? और नहीं बनायेंगे तो किस आधार पर रोकेंगे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा है उपाध्यक्ष महोदय, पेंशन बंद करने का हमको अधिकार है। किसी ने मिस-रिप्रजेंट्स फैक्टस को करके किया है, न क्रिमिनल केस बनाने की हमारी इच्छा है, न कोई वसूली करने की इच्छा है। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, जो आप ट्रेप में लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आप केस बनायेंगे, इस सदन के मार्फत आप जनता को यह मैसेज देना चाहते हैं कि जो पेंशनधारी हैं, वे जेल जायेंगे या उनसे वसूली होगी। यह दोनों बातें मैं साफ कर देना चाहता हूं, सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, सरकार का इरादा तो है ही नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। अब समाप्त करने दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : हो गया। माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह जवाब हो गया....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न डिस-अलाउड हो गया, उसके बाद भी इतनी बहस करा दी। अब आप बिराजिये प्लीज। (व्यवधान) अब आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के वृद्ध लोग भूख के कारण से तड़प-तड़प कर मर रहे हैं। राजस्थान के वृद्ध लोग भूख से तड़प रहे हैं। (व्यवधान) यह अमरी बाई, झालावाड़ में मर गई। (व्यवधान)

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। -

(1) श्री मंगलाराम गोदारा, सदस्य की ओर से निर्वाचन क्षेत्र डूंगरगढ़ में पेयजल की विकट समस्या के सम्बन्ध में।

(2) श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से जिला अलवर के थाना किशनगढ़बास में दर्ज बालिका के अपहरण की घटना के सम्बन्ध में।

(3) श्री धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से तहसील हैडक्वार्टर मुण्डावर को जिला हैडक्वार्टर से सीधी सड़क से जोड़ने के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(4) श्री मोहन लाल मोदी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में बिजली की अपर्याप्त सप्लाई के सम्बन्ध में।

(5) श्री शंकर लाल अहारी, सदस्य की ओर से जिला डूंगरपुर में भयंकर अकाल की स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री रमजान खां, सदस्य की ओर से अजमेर के थाना क्लाक टावर क्षेत्रान्तर्गत एक छात्र नेता धर्मेन्द्र मेघवंशी की हत्या के सम्बन्ध में।

(7) श्री जीतमल खांट, सदस्य की ओर से जिला बांसवाड़ा की माही बजाज सागर परियोजना का अपूर्ण कार्य अकाल राहत कार्यों के तहत करवाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री कन्हैया लाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी के ग्रामीण क्षेत्रों में आठ घंटे विद्युत उपलब्ध करवाने की घोषणा के उपरांत भी दो-ढाई घंटे विद्युत उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री गोवर्द्धन कल्ला, सदस्य की ओर से जैसलमेर जिले के इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के काश्तकारों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से राज्य में स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं के लिए अध्यापकों के चयन में बरती गई अनियमितता के सम्बन्ध में।

(11) श्री घासीलाल मेघवाल, सदस्य की ओर से जिला बूंदी की केशवरायपाटन सहकारी शुगर मिल को चालू रखने के सम्बन्ध में।

(12) श्री सोहन नायक, सदस्य की ओर से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की प्रथम चरण की नहरों में वाटर अलाउन्स कम करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री मंगलाराम गोदारा। क्या हुआ ? आप बिराजिये। बाद में बोल लेना। दूसरों को भी बोल लेने दो तैयारी नहीं है तो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (अनुपस्थित) श्री धर्मपाल चौधरी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

मुण्डावर तहसील मुख्यालय को जिला मुख्यालय से सड़क द्वारा जोड़ना

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा के कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में मुण्डावर तहसील हैडक्वार्टर है। तहसील हैडक्वार्टर होने के बाद भी आज तक जिला हैडक्वार्टर को सीधी सड़क से नहीं जोड़ा है। मुण्डावर से अलवर वाया पहेल होकर रास्ता 44 किलोमीटर पड़ता है तथा वाया खैरथल

(श्री धर्मपाल चौधरी)

होकर 65 किलोमीटर के रास्ते से आना जाना पड़ता है। सभी बसें वाया खैरथल होकर जाती हैं। इसमें मुण्डावर से पहेल के बीच चार किलोमीटर कच्चा रास्ता पड़ता है, बाकी सड़क बनी हुई है तथा पहेल से लालरपुर चौहारा के बीच पांच किलोमीटर ग्रेवल रोड पर डामरीकरण होना है तथा इस रास्ते के बीच एक पुलिया का निर्माण होना है। मंत्री महोदय, देश को आजाद हुए 53 वर्ष हो गये और आज तक मुण्डावर क्षेत्र की जनता को सीधा रास्ता उपलब्ध नहीं है।

अतः आपसे निवेदन है कि जनता को न्याय दिलवाने की कृपा करें तथा पूरे विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की बहुत बुरी हालत है। इन सड़कों में सोडावास से अमरवा, सोडावास से मुण्डावर हरसोली, शाहजहांपुर से बीचबाड़ चौहान एवं बडोद से शाहजहांपुर वाया बाढ बहरोड मार्ग की बहुत खस्ता हालत है। इनकी मरम्मत करवाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : मंगलाराम गोदारा।

श्री डूंगरगढ़ में पेयजल समस्या विषयक

श्री मंगला राम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़) : मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत चर्चा करना चाहता हूं।

मैं आपके माध्यम से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में लगातार तीन साल से अकाल पड़ रहा है। अकाल के कारण पीने के पानी की भी विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। राजस्थान के तीन जिलों, चूरू, झुन्झुनूं तथा श्रीगंगानगर के पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए जर्मनी के सहयोग से "आपणी योजना" राज्य सरकार ने 1994 में चालू की थी। इस योजना से श्रीडूंगरगढ़ को वंचित रखा गया है। "आपणी योजना" का प्रथम चरण 1995-96 में पूरा किया जाना था लेकिन अभी तक पहले चरण का कार्य शुरू ही नहीं हुआ। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में धोरों के कारण कुए का जल स्तर 700-800 फुट गहरा होने से एवं लगातार तीन साल से अकाल के कारण कुओं का पानी खतम हो गया है। पीने के पानी के अभाव में पशुधन खतम होता जा रहा है। ग्रामीण जनता को पानी की तलाश में दस-दस कोस से पानी लाकर अपना गुजारा करना पड़ रहा है। मेरा सदन के मार्फत अनुरोध है कि जर्मन गणराज्य एवं राजस्थान सरकार के संयुक्त देखरेख में चल रही "आपणी योजना" से श्रीडूंगरगढ़ तहसील को भी जोड़ दिया जाये तो पीने के पानी की समस्या से निजात मिल सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन लाल मोदी।

नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा

(श्री मोहन लाल मोदी)

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र में बिजली की सप्लाई सही नहीं है। चार घंटे भी किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है। किसान आंदोलन पर उतारू हैं। फसल बुवाई का समय है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बिजली पूरे समय देने का वादा किया है। नीमकाथाना में लम्बी लम्बी लाइनें हैं। पिछले 20 वर्षों में पावर हाउस नहीं बनाया गया है जिससे कि विद्युत आपूर्ति सही नहीं है इसलिए भूदोली पुराना बासऊ सिरोही में 33 के.वी. के सब स्टेशन बनाये जायें जिससे कि विद्युत आपूर्ति सही हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 31.3.87 तक के कनेक्शन भी आठ प्रतिशत ज्यादा वोल्टेज है, लम्बी लाइन के कारण कनेक्शन नहीं हो रहे हैं इसलिए आठ प्रतिशत से ज्यादा वोल्टेज वाले प्रतिबंध को हटाया जाकर दिनांक 31.3.87 तक के कनेक्शन दिलाये जाये और किसानों को पूरी बिजली आठ घंटे बिजली दी जाये। नीमकाथाना में भयंकर अकाल है, बिजली सप्लाई नहीं होने से पीने के पानी की समस्या भयंकर रूप धारण कर रही है इसलिए नीमकाथाना का कोटा भी बढ़ाया जाये, जब भी लोड बढ़ता है तो खेतड़ी से बिजली काट दी जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि बिजली आपूर्ति को सही किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकर लाल अहारी।

डूंगरपुर जिले में अकाल की स्थिति विषयक

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) : मैं राजस्थान विधान सभा की नियमों के नियम 295 की प्रक्रिया के अन्तर्गत डूंगरपुर जिले में भयंकर अकाल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि जनजाति क्षेत्र में रोजी रोटी एवं पानी की कमी से आदिवासियों का हाल बेहाल हो रहा है। वैसे तो राज्य के 32 में से 30 जिलों में सदी का भीषणतम अकाल है। आशंका है कि इस वर्ष का अकाल ऐतिहासिक "छप्पनिया के अकाल" से कई गुणा भीषण होगा। राज्य के जनजाति क्षेत्र एवं अन्य जिलों की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति, खान-पान तथा संसाधन उपलब्धता की स्थिति पूर्णतया भिन्न है।

मैं आपका ध्यान राज्य के डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं उदयपुर जिलों के जनजाति क्षेत्रों में वर्षा की कमी से उत्पन्न अकाल की स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इन क्षेत्रों के आदिवासियों की माली हालत सामान्य वर्षों में भी ऐसी नहीं होती है कि वे कृषि से छह माह की ही रोटी पैदा कर पाते हैं और रोजगार की तलाश में भटकते हुए जहां काम मिले वहां रोटी कमा कर लाते हैं। लेकिन इस बार पड़ौसी राज्यों में भी सूखे की स्थिति होने से बाहर रोजगार की संभावना भी क्षीण हो गई है जिसके कारण गरीब आदिवासियों के सामने रोजी-

(श्री शंकर लाल अहारी)

रोटी का संकट गहराने लगा है। ऐसी स्थिति में सरकार से मैं जनजाति क्षेत्रों में तुरन्त राहत कार्य प्रारम्भ करने का आग्रह करता हूं ताकि आदिवासियों को रोटी मिल सके। राहत कार्य पर श्रमिकों को न्यूनतम 60/– रुपये प्रति दिन दिये जायें ताकि वे इस सदी के भीषणतम अकाल का सामना कर सकें।

मेरा यह भी सुझाव है कि जनजाति क्षेत्रों में राहत कार्य पर श्रमिकों को मजदूरी भुगतान करने की प्रक्रिया में परिवर्तन कर मजदूरी का भुगतान अग्रिम किया जाये और इसमें आधा अनाज दिया जाये ताकि वे मजदूरी के भुगतान की वर्तमान प्रक्रिया के कारण गांवों के ब्याजखोर साहूकारों के चंगुल से बच सकें। पानी की कमी के कारण कई प्रकार के रोग पैदा होंगे, उनके उपचार के लिए गांव-गांव एवं फले-फले में चिकित्सा की माकूल व्यवस्था की जाये ताकि इस कारण किसी की जान नहीं जाये।

जनजाति क्षेत्र में आदिवासी आबादी बिखरी हुई है और उनका रहन-सहन सदियों से अलग-अलग रहने का है। यहां पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्य के अन्य जिले से अलग यहां की परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं को देखकर एक्शन प्लान बनाया जाये ताकि आगामी संकट के समय हर व्यक्ति को पीने का पानी मिल सके। इस क्षेत्र में लगे हैण्ड पम्पों को गहरा करने एवं मरम्मत करने का कार्य संकट गम्भीर होने से पूर्व ही कर लेना चाहिए ताकि पानी की किल्लत से निपटा जा सके। मेरा आग्रह है कि आदिवासी क्षेत्र के पशुधन को बचाने के लिए घास एवं पानी की विशेष व्यवस्था बनाने के लिए निर्देश दिये जायें। सूखे की स्थिति में अपराध बढ़ते हैं अतः पुलिस बल को भी मुस्तैद किया जाये लेकिन पुलिस ज्यादती भी न करे।

आशा है कि वर्तमान में गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए सम्पूर्ण व्यवस्था कर अकाल से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों को भरपूर सहयोग प्रदान करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमजान खान।

छात्र नेता धर्मेन्द्र मेघवंशी की पुलिस थाना क्लाक टावर, अजमेर में हुई हत्या

श्री रमजान खान (पुष्कर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत छात्र नेता धर्मेन्द्र मेघवंशी की पुलिस थाना क्लाक टावर, अजमेर में हुई हत्या के सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि दिनांक 19.6.99 की रात्रि को छात्र नेता धर्मेन्द्र मेघवंशी एवं उसके साथी अशोक चौधरी को क्लाक टावर, अजमेर के तत्कालीन थानेदार हरसहाय मीणा के निर्देश पर पुलिस पकड़ कर थाने में ले गई और वहां मेघवंशी को मार-मार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या में मुख्य अभियुक्त

(श्री रमजान खान)

हरसहाय मीणा, सी.आई. था। इस प्रकरण की जांच सी.बी.आई. के माध्यम से चल रही है, इस सम्बन्ध में मुझे विशेष कुछ नहीं कहना है, परन्तु मुख्य मंत्रीजी के आश्वासन के बाद भी मृतक के परिवारजनों को दस लाख रुपये का मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है जो तुरन्त दिया जाना चाहिए।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान इस महत्त्वपूर्ण बिन्दु की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि श्री हरसहाय मीणा, सी.आई. आदतन अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। जिस-जिस थाने में श्री मीणा की नियुक्ति रही वहां पर उनके कार्यकाल में उनके द्वारा कोई न कोई घटना जरूर घटित हुई, जिनमें वह कई बार निलंबित भी रह चुके हैं। मुख्य रूप से किसी की आंख फोड़ने का या किसी के हाथ-पांव तोड़ने का हो या किसी को थाने में लाकर बुरी तरह से मार-मार कर घायल करने का मुकदमा हो या कई अन्य मामलों में न्यायालय ने उन्हें दोषी ठहराया है। करीबन 12 मुकदमे आज भी हरसहाय मीणा के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में लंबित पड़े हुए हैं। ऐसे खूंखार पुलिस अधिकारी को पुलिस उच्चाधिकारियों द्वारा थाने में इंचार्ज बना कर ड्यूटी पर लगाना एक घिनौना कार्य था। इसके साथ मैं यह भी जानकारी में लाना चाहता हूं कि जो मुकदमे विभिन्न न्यायालयों में श्री मीणा के खिलाफ चल रहे हैं उनकी तारीखपेशी पर वह कभी नहीं गये, किसी-किसी न्यायालय ने तो इनके गिरफ्तारी वारंट तक जारी कर रखे हैं परन्तु फिर भी उच्च अधिकारियों ने इसकी कभी भी पालना नहीं करवाई बल्कि न्यायालय की सभी कार्यवाही को रद्दी की टोकरी में फेंकते रहे।

यही मुख्य कारण रहा है कि श्री मीणा की इतनी हिम्मत बढ़ गई थी कि उन्होंने सरे आम श्री धर्मेन्द्र मेघवंशी को थाने में लाकर उसे मार-मार कर निर्मम हत्या कर दी। इसलिए जिन उच्चाधिकारियों ने श्री हरसहाय मीणा, सी.आई. को जघन्य अपराध करते रहने पर भी इनाम रूपी क्लाक टावर थाने में इंचार्ज बनाकर रखा वह भी उतने ही दोषी हैं अतः उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जानी चाहिए तथा विभिन्न न्यायालयों में श्री हरसहाय मीणा के विरुद्ध मुकदमे चल रहे हैं उनके निपटारे के लिए श्री मीणा, जो वर्तमान में केन्द्रीय कारागृह, अजमेर में बंदी हैं, को पेशी पर भिजवाने की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। अतः मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से माननीय गृह मंत्री एवं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीतमल खांट। (व्यवधान) विराजें, विराजें।

श्री मदन दिलावर : मेघवंशी के परिवार को अभी तक सहायता उपलब्ध नहीं करवाना, यह बहुत गम्भीर है उपाध्यक्ष महोदय कि मुख्य मंत्रीजी घोषणा कर दें...

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न उन्होंने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य मंत्रीजी घोषणा करें, और अजमेर में जाकर घोषणा करें कि धर्मेन्द्र मेघवंशी के परिवार को दस लाख रुपये मुआवजे के रूप में देंगे। मुख्य मंत्रीजी की घोषणा पर अमल नहीं हो...

श्री मदन दिलावर : और फिर अभी तक उसको घोषणा होने के बाद भी पैसे नहीं मिले...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह सरकार चल रही है या क्या कर रही है, मुख्य मंत्रीजी सामने हैं, बता दें हमें...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : लोकप्रियता और सस्ती वाहवाही लूटने का कौन सा यह तरीका है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर मतलब क्या रहा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहां कहे अपनी बात को।

श्री मदन दिलावर : और अभी तो +++

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दस लाख रुपये की घोषणा उस मृतक परिवार को देने के लिए मुख्य मंत्रीजी अजमेर की धरती पर जाकर कर आये....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मुख्य मंत्रीजी दस लाख रुपये की घोषणा करके आये...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके पास कोई प्रमाण है क्या घोषणा की मुख्य मंत्रीजी ने।

श्री मदन दिलावर : है।

श्री उपाध्यक्ष : लाओ।

श्री मदन दिलावर : वह बता दें कि नहीं की। (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी कह दें कि नहीं की।

श्री उपाध्यक्ष : अखबारों से नहीं होता, कोई आर्डर बताओ, कुछ बताओ न।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उस अखबार की यहां कटिंग रखिये सदन की मेज पर।

श्री रमजान खान : अखबारों में आया है इनकी घोषणा का।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हर बात आप यहां गैर जिम्मेदारी से कह देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अखबारों में आने से काम नहीं चलेगा। आप कोई अथेंटिक...

श्री मदन दिलावर : माननीय सदस्य हैं, इनके सामने घोषणा की है।

श्री उपाध्यक्ष : आप कोई अथेंटिक डाकुमेंट पेश कीजिये तो उस पर... (व्यवधान) कहने से नहीं होता। नहीं।

श्री सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या रोज का मामला है।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : कोई आपने कह दिया दस लाख की कर दी, उन्होंने की या नहीं की।

श्री मदन दिलावर : या तो मुख्य मंत्रीजी मना कर दें।

डा. किरोड़ी लाल : रमजान खानजी वहां पर उपस्थित थे जब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की। मुख्य मंत्रीजी से बात कर लें कि उन्होंने घोषणा नहीं की।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं। उन्होंने कह दिया इससे थोड़े ही होता है, आपके पास कोई अथेंटिक डाकुमेंट है कि मुख्य मंत्रीजी ने दस लाख की घोषणा की ? कोई कागज हो, कुछ हो तो देओ। खाली आपने कह दिया, वह मान ले दस लाख, ऐसा नहीं होता।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुख्य मंत्रीजी ना कर दें। मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं वह ना कर दें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आइन्दा, उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी की घोषणा...

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात का तो भरोसा करेंगे आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आइन्दा क्या होगा, उसका सोच लेंगे, अभी तो...(व्यवधान) श्री जीतमलजी। (व्यवधान) आप बोलें। आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, उसको पुलिस मार दे, मुख्य मंत्रीजी घोषणा करें...

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो। आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। आप विराजें।

श्री सांवर लाल : ×××

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजें। प्लीज। श्री जीतमलजी।

माही बजाज सागर परियोजना, बांसवाड़ा को पूर्ण करवाने विषयक

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के तहत पानी, बिजली एवं अकाल की भीषण स्थिति के संबंध में मेरा विशेष उल्लेख प्रस्ताव है। मान्यवर, माही बजाज सागर परियोजना जिला बांसवाड़ा की तीन तहसीलों गढ़ी, घाटोल और बागीदोरा में सिंचाई करती

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री जीतमल खांट)

है। शेष दो तहसीलों को पानी से वंचित होना पड़ता है। माही नदी जिले की बहुद्देश्यीय परियोजना है, वर्तमान समय में माही बजाज सागर परियोजना में पानी की कमी जरूर है परन्तु तीनों तहसीलों के किसानों को दो बार पानी मिल जाता है तो वे अपनी आवश्यकतानुसार घास उगा सकते हैं।

माही की नहरों का पानी छोड़ कर किसानों को अनाज के उद्देश्य से न सही, चारे के उद्देश्य से पानी दिलाने की कृपा करें। कारण कि जिले में माही की नहरों का पानी 90 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई करता है जिसमें अगर प्रति हैक्टेयर 1 गाड़ी घास पैदा होगी तो जिले में 90 हजार गाड़ी घास अतिरिक्त पैदा होगी। जिससे पूरे जिले में चारे का इतना संकट नहीं रहेगा। कारण कि वहां नहरों का पानी नहीं जाता है उन काश्तकारों को भी घास जिले में ही उपलब्ध हो जायेगी जहां तक जिले के किसानों का मानना है कि पूर्व में भी कई भीषण अकाल पड़े हैं, लेकिन पीने के पानी की कमी की वजह से न तो पूर्व में मवेशी मरे हैं न ही मनुष्य, कारण कि जिले में पुराने पेयजल स्रोत आज भी विद्यमान हैं अगर कहीं इसके बावजूद पीने के पानी की कमी है तो, प्रशासन हैण्डपम्प या नलकूप द्वारा पेयजल संकट का समाधान कर सकता है, लेकिन प्रशासन या सरकार इतने चारे की कमी की पूर्ति कर मवेशी को जिन्दा रखने में समर्थ नहीं होगी।

अतः किसानों की वाजिब मांगों पर दयापूर्वक सोचकर तीन पीवत देने का अनुबंध कर जिले के पशुधन को बचाने में सहयोग कर गरीब काश्तकारों को राहत प्रदान करावें। साथ ही चारा उगाने हेतु अस्थाई कनेक्शन दिलवाने के आदेश करावें।

जिले में कई किसानों ने पूर्व में अपने निजी कुओं के कनेक्शन माही के पानी की उपलब्धता के मध्य नजर स्वेच्छा से कटवा दिये थे जिनको पुनः चालू करवाने का आदेश प्रदान करावें। कारण कि स्वेच्छाधारी किसानों द्वारा कनेक्शन कटवाने वाले किसानों की लाइन कुओं तक तैयार खिंची हुई है व उनकी डिमाण्ड राशि व मण्डल राशि अभी बिजली विभाग में जमा है। अतः किसान को कनेक्शन पुनः चालू करने में कोई अतिरिक्त भार वहन नहीं करना पड़ेगा व इस विकट घड़ी में किसान पशुधन को चारा उगाकर जीवित रख सकेंगे।

पिछली बार अकाल के नाम पर सड़कों के किनारे मिट्टी डाली गई और थोड़ा-सा पानी आया और सारी मिट्टी बह कर चली गई। सरकार आने वाले अकाल का मुकाबला करने से पहले यह तय करे कि जो भी कार्य हो स्थाई एवं आने वाले समय के लिए वरदान साबित हो और स्थाई परिसम्पत्तियों का निर्माण करे। अन्यथा जनता व पशुधन समाप्त हो जायेगा।

इस अकाल की भीषण विभीषिका से निपटने के लिए माही बजाज सागर परियोजना का कार्य जितना भी अपूर्ण पड़ा

(श्री जीतमल खांट)

हुआ है उसको सरकार अपने हाथ में ले और इस परियोजना को पूर्ण करावे। पिछले वर्ष जिस तरह का सौतेला व्यवहार होता रहा इस भीषण अकाल में न होवे और जनधन, पशुधन को समाप्त होने से बचावें। अतः निवेदन है सरकार से कि उक्त परियोजना से हजारों किसानों का भविष्य जुड़ा हुआ है इस अपूर्ण परियोजना को पूर्ण करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र, बस्सी के किसानों को माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय द्वारा आठ घंटे विद्युत सप्लाई की घोषणा के उपरांत भी 24 घंटे में मात्र 2-2½ घंटे तक विद्युत सप्लाई मिलती है जो कि ऊंट के मुंह में जीरा देने जैसा है। लगातार दो वर्षों के अकाल से त्रस्त इस वर्ष/वर्तमान में कृषकों को 8 घंटे से कम सप्लाई हुई तो वह अपने पशुओं हेतु चारा उगाना तो दूर की बात है, वह अपने परिवार के लालन-पालन के लिए पर्याप्त अनाज भी पैदा नहीं कर पाएगा। ऐसी हालत में मेरा ऊर्जा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप कम से कम 8 घंटे बिजली सप्लाई की अतिशीघ्र व्यवस्था करने का श्रम करें।

विशेष उल्लेखनीय है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के कृषकों के साथ भेदभावपूर्ण तरीका अपना कर मेरे ही विधान सभा क्षेत्र, बस्सी के रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया हीरावाला व बस्सी में 24 घंटे विद्युत सप्लाई की जा रही है। अकाल की काली छाया में मात्र दो से ढाई घंटे की शार्ट विद्युत सप्लाई से बुरी तरह पीड़ित किसान नर्सरी, चारा, स्पेशल जैसी सभी योजनाओं में इण्डस्ट्रियल फैक्ट्रियों से भी ज्यादा महंगे कनेक्शन लेकर विद्युत विभाग को अधिक भुगतान करते हैं। अतः अकाल पीड़ित अधिक भुगतान करने वाले भेदभाव के शिकार किसानों में भारी रोष को देखते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऊर्जा मंत्री महोदय अपनी पूर्व घोषणा के अनुरूप 8 घंटे किसानों को विद्युत सप्लाई देकर किसानों को राहत प्रदान करने का श्रम करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोवर्द्धन कल्ला (अनुपस्थित) श्री राजेन्द्र राठौड़।

राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं में अध्यापकों की नियुक्ति में हो रही अनियमितताएं

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि राज्य में स्वर्ण जयन्ती पाठशाला के अध्यापक व अध्यापिका के चयन में सभी प्रकार के नियमों को ताक पर रख भाई भतीजावाद के आधार पर चयन हो रहा है। चयन प्रक्रिया में निर्धारित

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मापदण्ड की धज्जियां उड़ाकर सत्तारूढ़ दल के लोग अपने परिवारजन को अध्यापक व अध्यापिका पद पर पदस्थापित करने में लगे हैं। इसका ताजा उदाहरण चूरू जिले के तारानगर पंचायत समिति अन्तर्गत पुनरास ग्राम पंचायत में शिक्षा सहयोगी में दिनांक 4.9.2000 को हुए चयन से स्पष्ट होता है। जिसमें तमाम पात्रता व अर्हताएं रखने के पश्चात् भी ग्राम थेलानार (पुनरास) की रूक्मणी पुत्री लादूराम का चयन नहीं कर उसके स्थान पर कु. रूक्मणी से कम योग्यताधारी पड़ौसी गांव के रेयाटुण्डा की लड़की का चयन करने से दुखी होकर कु. रूक्मणी को आत्महत्या करनी पड़ी।

मान्यवर, दिनांक 4.9.2000 को राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला पुनरास में शिक्षा सहयोगी के चयन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये। कु. रूक्मणी जो कि उसी ग्राम पंचायत के गांव थेलानार निवासी थी तथा पिछड़े वर्ग की लड़की थी बी.ए. कला द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण थी तथा उसके साथ एक अन्य लड़की कु. नानू पुत्री धीराराम साहाण पुनरास भी जो कि सीनियर सैकेण्डरी में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण थी, का वरीयता में क्रमशः पहला व दूसरा स्थान था। कु. रूक्मणी व कु. नानू को जब यह मालूम हुआ कि नियमानुसार सर्वाधिक योग्यताधारी होने के पश्चात् तथा चयन प्रक्रिया नियमानुसार चयन समिति में उनका नाम वरीयता में प्रथम व द्वितीय आना चाहिए था जो नहीं माना गया व ग्राम पंचायत के सरपंच, ग्राम सेवक व प्रधानाध्यापक ने भाई भतीजावाद व जातिवाद फैलाकर पड़ौस के गांव रेयाटुण्डा की कम योग्यताधारी लड़की का चयन कर रहे हैं तो कु. रूक्मणी व कु. नानू ने 6.9.2000 को ब्लाक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति तारानगर को आवेदन पत्र लिखकर कहा कि हम सर्वाधिक योग्यताधारी होने व नियमानुसार चयन के पात्र होने पर भी दूसरे गांव की महिला का चयन किया जा रहा है इसकी जांच की जाए। वरना उपाध्यक्ष महोदय, 7.9.2000 को जिला कलक्टर के समक्ष धरना देंगे। ब्लाक शिक्षा अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। इसके पश्चात् कु. रूक्मणी अपनी फरियाद लेकर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से मिलती है, न्याय मांगती है। न्याय नहीं मिलता है। इसके पश्चात् कलक्टर, चूरू को लिखित में पूरी दास्तान लिख न्याय मांगती है। चूरू कलेक्टर कोई कार्यवाही नहीं करते हैं।

शिकायत से नाराज होकर ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक महावीर सिंह कु. रूक्मणी को धमकाते हैं। कु. रूक्मणी कहती है कि वह न्याय मांग रही है कोई गुनाह नहीं कर रही। दिनांक 21.9.2000 को शिकायत से नाराज होकर बस स्टैण्ड पर सायं चार बजे कु. रूक्मणी के साथ ग्राम सेवक महावीर प्रसाद पंचायत समिति का सदस्य महावीर व मांगीलाल गांव मदावास ग्राम पंचायत के सरपंच की उपस्थिति में मारपीट करते हैं। जिसकी लिखित रिपोर्ट कु. रूक्मणी व उसके

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पिताजी लादूराम पुलिस थाना तारानगर में करते हैं जिस पर कोई भी कार्यवाही पुलिस नहीं करती है।

न्याय मांग रही गरीब लड़की के साथ मारपीट हो इससे व्यथित होकर कु. रूक्मणी ने दिनांक 29.9.2000 को गांव के सार्वजनिक कुएं में कूदकर अपनी इहलीला समाप्त कर लेती है। मरने से पहले अंतिम पत्र वह लिखकर जाती है कि गांव में जिन लोगों को व जिस कांग्रेस पार्टी को मेरे परिवार के लोग चार पीढ़ियों से जिताते आये हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वोट देते आये हैं, उसी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने धोखा दिया, बेईमानी की। मेरा योग्यता होते हुए भी चयन नहीं किया गया। मुझे महावीर ग्राम सेवक, श्योपत सिंह व त्रिलोकराम गोगणिया मांगीलाल ने मारा-पीटा व भगवान की मूर्ति वाला डोरा तोड़ दिया। पुलिस व प्रशासन न्याय नहीं कर रहा है। मैं अपना जीवन समाप्त कर रही हूं तथा उसने अपने नाम के नीचे रूक्मणी, युवा कांग्रेस व इंदिरा प्रियदर्शनी लिखा। आत्महत्या की सूचना 29.9.2000 को रूक्मणी का 85 वर्ष का पिता पुलिस स्टेशन तारानगर को देता है। पुलिस स्टेशन वाले कहते हैं कि जाकर गाड़ी लाओ तब चलेंगे। गरीब आदमी पैसे मांगकर गाड़ी लेकर आता है पुलिस वाले 24 घंटे बाद यानी 30.9.2000 को गांव जाकर खानापूर्ति करते हैं तथा मुकदमा नं. 16/2000 पी/एस तारानगर चूरू में दर्ज करते हैं।

लड़की का पिता जिला पुलिस अधीक्षक से मिलकर हार जाने पर अंतिम पत्र राज्य के मुख्य मंत्री को लिखकर कहता है कि अभी मुझे न्याय नहीं मिला है तो मैं भी विलाप करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा तथा जाता जाता श्राप देकर जाऊंगा। मेरी मांग है कि अपने आपको संवेदनशील कहने वाली सरकार के गृह मंत्रीजी पुनः प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवायें। आत्म हत्या में प्रेरक बने लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करें। पूर्व में जिन लोगों ने रूक्मणी से मारपीट की जिसके कारण उसने आत्महत्या की, उनके विरुद्ध भी कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घासीराम मेघवाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इन टीचर्स में किसका सलेक्शन हो रहा है। (व्यवधान) एक गरीब लड़की को मारा-पीटा जाता है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, उसने कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली, यह क्या हो रहा है, यह जंगल राज हो रहा है। (व्यवधान) एक लड़की के साथ न्याय नहीं कर पाये और वह कुएं में कूद कर आत्महत्या कर रही है और सरकार कुछ नहीं कर पाये...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए। (व्यवधान) 295 का नियम क्या है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, हमको मालूम है।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत गंभीर मामला है तो आप इसको और किसी ढंग से

(श्री उपाध्यक्ष)

उठाते, 295 में क्यों लाये। आप विराजिए। (व्यवधान) श्री घासीराम मेघवाल।

श्री सी. पी. जोशी (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, बहस किस बात पर चल रही है। 29.2 का मामला है पहले तो नींद निकाल रहे थे। 25.2. को राजीव गांधी पाठशाला में कोई भी सलेक्शन नहीं हुआ है। हर चीज में राजीव गांधी पाठशाला, कोई सम्बन्ध ही नहीं है जिस चीज का। यह मामला 29.2 का है, असेम्बली चली फरवरी में, असेम्बली चली मार्च में तब तो याद नहीं आया, आज याद आ गया। बस कुछ न कुछ बात कहनी है इसके अलावा कोई काम ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। 29.2 के बाद असेम्बली चली है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 29.2.2000 की बात कह रहा हूं मैं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को मालूम नहीं है, मैंने जो तथ्य सदन के सामने रखे हैं अगर यह तथ्य झूठे हों तो मंत्रीजी, मैं इस्तीफा दे कर चला जाऊंगा। आप जांच करवा लो। (व्यवधान) आप जांच करवा लो।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, विराजिए आप, प्लीज। श्री सोहन लाल नायक। श्री घासीलालजी। विराजिए आप, माननीय सदस्य आप इतने सीनियर मेम्बर हो, आप नियम जानते हो। आर्डर, आर्डर। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी।

श्री सी. पी. जोशी : आप आंदोलन करते, हम से क्या पूछ रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आंदोलन करें या नहीं करें यह आपसे पूछ कर करेंगे क्या ? आप मालूम करवाइए, आंदोलन भी किया है। किसको धमकी दे रहे हो आप। आपसे पूछ कर करेंगे क्या आंदोलन ?

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए। हां शुरू करो आप।

केशवरायपाटन सहकारी शुगर मील (बूंदी) को चालू रखने विषयक

श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अंतर्गत श्री केशवरायपाटन सहकारी शुगर मील को चालू रखने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य के बून्दी जिले में केशवरायपाटन राज्य की एक मात्र चीनी मील है। इस शुगर मील में पांच सौ कामगार कार्यरत हैं विगत छह माह से मील श्रमिकों का वेतन एवं गन्ना उत्पादक किसानों को गन्ने का बकाया भुगतान नहीं हुआ है तथा विगत दिनों समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा शुगर मील को बंद करने का मानस बनाया जा चुका है। इस खबर से गन्ना उत्पादक किसानों एवं श्रमिकों में घोर मायूसी छा गई है। तत्कालीन सहकारिता

(श्री घासीलाल मेघवाल)

मंत्री श्री गुलाब सिंह शक्तावतजी के आश्वासन पर पर्याप्त मात्रा में गन्ना लगाया गया है। जिसमें मील सुरक्षित क्षेत्र 40 किलोमीटर कमाण्ड क्षेत्र में कृषि विभाग द्वारा सर्वेनुसार 2600 हैक्टेयर गन्ना तथा असिंचित क्षेत्र नैनवा, हिण्डोली तहसील में 6000 हैक्टेयर गन्ना उपलब्ध है।

महोदय, राजस्थान राज्य की एक मात्र सहकारी शुगर मील केशवरायपाटन अब तक टैक्स के रूप में राज्य सरकार को 239.7 लाख रुपये तथा भारत सरकार को 593.16 लाख रुपये कुल 832.16 लाख रुपये भुगतान कर चुकी है साथ ही केन्द्रीय सहाकरी बैंक को ब्याज के रूप में 400.86 लाख रुपये तथा किसानों को गन्ना मूल्य के रूप में 5160.9 लाख रुपये कुल मिलाकर सम्पूर्ण योग 6394.10 लाख रुपये अदा कर चुके हैं। विगत दो वर्षों में 6-7 एम.डी. बदल दिये गये हैं जो गलत है। मील को घाटे में ले जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाये।

अतः श्रीमान् से करबद्ध निवेदन है कि यदि सहकारी शुगर मील को सरकार द्वारा बन्द किया जाता है तो श्रमिकों एवं गन्ना उत्पादक किसानों के साथ कुठाराघात होगा तथा पूर्व में 30.5.2000 को मुख्य मंत्री महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया था। अतः इस मील को चलाये रखना सभी प्रकार से आवश्यक है, इसके लिये निवेदन है कि मील को निम्न सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

(1) मील में पैदा होने वाले मोलासेस के पूर्ण उपयोग हेतु डिस्टीलरी प्लांट लगवाने की व्यवस्था एवं लाइसेंस स्वीकृति प्रदान करावें।

(2) चीनी मील को चलाने में दक्ष, समर्पित व निष्ठावान प्रशासनिक अधिकारी को पूर्णकालिक अधिकारी के रूप में लगाया जाये जिस पर यदि हानि हो तो जिम्मेदारी कायम की जावे।

(3) 1. गन्ना विकास कार्यक्रम नियमित रूप से चलाया जावे।

2. गर्मी के मौसम में आवश्यतानुसार सिंचाई हेतु गन्ने को नहरों से जल की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जावे।

(4) 5-10 वर्षों के लिये मील को सभी प्रकार के करों से मुक्त रखा जाये।

(5) किसानों को गन्ना मूल्य एवं श्रमिकों का भुगतान हेतु रुपये 332 लाख हिस्सा अशंदान या ब्याजमुक्त ऋण के रूप में मील को उपलब्ध कराया जावे।

(6) प्रबंध संचालक मण्डल का गठन किया जावे।

(7) मील को चलाने के लिए 5 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जिसको अविलम्ब उपलब्ध कराया जावे।

अतः प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत माननीय सहकारिता मंत्री महोदय से निवेदन है कि केशवरायपाटन सहकारी शुगर मील

(श्री घासीलाल मेघवाल)

को चालू करवाने की कार्यवाही शीघ्र करवाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सोहन नायक (व्यवधान) विराजिए। अंकित न हो।

श्री मदन दिलावर : ×××

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, प्रथम चरण की नहरों में वाटर अलाउंस बढ़ाने विषयक

श्री सोहन नायक (रायसिंह नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की प्रथम चरण की नहरों में वाटर अलाउंस कम करने से उत्पन्न स्थिति एवं रबी की फसल के लिये सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की प्रथम चरण की समस्त नहरों को वाटर अलाउंस 5.23 से 3 क्यूसेक कर दिया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वाटर अलाउंस को कम करने से 13 लाख एकड़ क्षेत्र की भूमि वीरान हो जायेगी जहां आज अरबों रुपयों का अनाज पैदा हो रहा है। वहां के किसान उजड़ जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1973 में राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में लिफ्ट नहर बनाने के लिये पानी की बात तलाशने हेतु एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी की सिफारिश भी प्रथम चरण में 110 प्रतिशत इंटेंसिटी से नहरों का निर्माण हो गया है जहां पानी कम करने से आर्थिक दृष्टि से हानिकारक है। यहां पानी कम नहीं किया जा सकता। उपाध्यक्ष महोदय, द्वितीय चरण में नहरों का निर्माण नहीं हुआ है वहां वाटर अलाउंस 5.23 से घटाकर 3 क्यूसेक कर नहरों का निर्माण करवाया जावे। उपाध्यक्ष महोदय, जब 1973 में पानी 110 इंटेंसिटी से कम करना संभव नहीं था तो अब 30 वर्षों से हो रही विधिवत सिंचाई में वाटर अलाउंस को कम करने से अरबों रुपयों का नुकसान होगा तथा इस क्षेत्र के किसान भुखमरी की स्थिति में पहुंच जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, 31 दिसम्बर, 1981 को तत्कालीन प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में तीनों राज्यों पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के मुख्य मंत्रियों की बैठक हुई उसमें समझौते के मुताबिक हमारे राज्य का पानी का हिस्सा 8.60 एम. ए. एफ. तय हुआ तब राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि 8.60 एम.ए.एफ. पानी पंजाब तब तक उपयोग कर सकता है जब तक कि हम यह पानी लेने की क्षमता का निर्माण कर नहीं लेते।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री सोहन नायक)

(13.00 बजे)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब हमारी नहरें 8.60 एम.ए.एफ. पानी लेने के लिये सक्षम हैं, अत 8.60 एम.ए.एफ. पानी लेकर प्रथम चरण की सिंचाई सुविधा सुचारू की जावे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रथम चरण की नहरों का चार समूह चक्रिय प्रणाली से प्रथम समूह में 25 से 35 दिनों बाद पानी मिलेगा। इससे फसल सिंचाई तो दूर, पीने के पानी की समस्या पैदा हो जाएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र के किसानों को बचाने के लिए जैसलमेर में इसके 570, 1120, 1365, सागर मल गोपा-465 की लाखों क्यूसेक पानी से झीलें भरी पड़ी हैं। सिंचाई विभाग इन झीलों के पानी को लिफ्ट कर नहरों में डालकर तथा पंजाब से पानी की हो रही चोरी, जो कि लगभग 750 क्यूसेक है, को रोककर प्रथम चरण की नहरों को तीन समूहों में चलाया जा सकता है जिससे कि किसानों को 17 से 25 दिनों के अंतराल में पानी मिल जाएगा। इससे किसान बरबाद होने से बच जाएगा तथा पीने का पानी भी उपलब्ध हो सकेगा क्योंकि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में पीने के पानी के परम्परागत जल स्रोत नहीं हैं। अतः माननीय सिंचाई मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो वाटर अलाउंस कम किया है इस पर पुनर्विचार किया जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीतमल खांट

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, बांदरवाड़ा में छात्रा के साथ हुई ज्यादती विषयक

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी भी यहां विराजमान है, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला आपके सामने रखना चाह रहा हूं, जहां पर छात्राएं विद्यालय में पढ़ने के लिए जाती हैं वहां पर भी सुरक्षित नहीं हैं।

घटना इस प्रकार है कि छात्रा मीना कुमारी, उम्र 14 वर्ष, कक्षा नौ 'सी' में राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, बांदरवाड़ा में अध्ययनरत है। गत वर्ष उक्त छात्रा ने कक्षा आठ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नाहरपुरा से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। यह घटना 29.9.2000 की है। जब छात्रा कक्षा में अध्ययन कर रही थी कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नाहरपुरा के अध्यापक श्री लक्ष्मण लाल, उम्र 35 वर्ष, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बांदरवाड़ा परिसर में आए। आकर उन्होंने अपने भांजे सुभाष, जो उसी विद्यालय में कक्षा 12वीं में पढ़ता है, उससे कहा कि मीनाकुमारी को बुलाकर बाहर लाओ। सुभाष ने, जो कक्षा 12वीं में पढ़ता है, उसने जाकर छात्रा को कहा कि अध्यापकजी श्री लक्ष्मण लाल आपको बुला रहे हैं। छात्रा निःसंकोच बाहर आ गई क्योंकि उक्त अध्यापक छात्रा के

(श्री जीतमल खांट)

गुरु रह चुके थे। छात्रा ने कहा कि गुरुजी आपने मुझे क्यों बुलाया है। गुरुजी ने कहा कि आप प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई हो अतः छात्रवृत्ति का फार्म भरना है, मुझे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नाहरपुरा के प्रधानाध्यापकजी ने लेने के लिए भेजा है। बच्ची के दिमाग में आया कि मैं प्रथम श्रेणी से पास हुई हूं, मुझे गुरुजी बुलाने के लिए आए हैं। बच्ची मोटरसाइकिल पर बैठ गई, साथ में उनका भानजा भी बैठ गया। होता यह है कि लक्ष्मण लाल नाम का जो अध्यापक है, नाहरपुरा और बांदरवाड़ा के बीच में मात्र एक किलोमीटर की दूरी है, जहां सड़क के किनारे ही पी.एच.सी. के क्वार्टर बने हुए हैं, उन कमरों में लक्ष्मण लाल अध्यापक का भानजा रहता है। गाड़ी आते-आते उन क्वार्टर्स तक रुक गई। छात्रा ने पूछा कि गुरुजी आप यहां पर कैसे गाड़ी रोक रहे हैं ? तब अध्यापकजी ने कहा इस कमरे के अंदर छात्रवृत्ति के फार्म पड़े हुए हैं, आप और हम बैठकर, फार्म भरकर नाहरपुरा प्रधानाध्यापकजी के पास में जाएंगे। उक्त अध्यापक छात्रा के गुरु रह चुके थे, निःसंकोच वह उनके पीछे-पीछे उस कमरे के अंदर चली गई। अध्यापकजी का भानजा बाहर रह गया, उसने बाहर से उस क्वार्टर को बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ तो उस छात्रा ने अध्यापकजी से निवेदन किया कि गुरुजी, आप यह क्या करने जा रहे हो ? तब उस अध्यापक ने कहा आज आपको बोलने का नहीं है, हम जिस तरीके से जो करें उस तरीके से आपको सुनना है, बैठे रहना है, हम जो भी कुकर्म करेंगे वह आपको देखते रहना है।

मैं सदन को यह निवेदन करूं कि उस निर्जन स्थान पर मात्र दो ही क्वार्टर हैं। वह अध्यापक आधे घंटे तक उस 14 वर्षीय बच्ची के साथ कुकर्म करता रहा। बच्ची चिल्लाती रही। वहां कोई नहीं आया। आधे घंटे के बाद में लक्ष्मण लाल अध्यापक का वही भानजा आया और उसने उस दरवाजे को खोला और बच्ची को छोड़कर दोनों मामा और भानजा वहां से मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। उसके बाद में बच्ची स्वयं अपने घर पर जिस हालत में थी, उस हालत में पहुंचती है। उसके पिताजी रोजगार के लिए कुवैत में गए हुए थे। तब अपनी आप बीती किसको बताए ?

उसने अपने ताऊ व ताई को सारी घटना बताई। उसके पश्चात् में उसका ताऊ श्री लेमा आनन्दपुरी थाना पहुंचता है और सी.आई. से जाकर इस सारे घटनाक्रम को उनके समक्ष रखता है, तब सी.आई. यह जवाब देता है कि अध्यापक प्रभावशाली परिवार का सदस्य है, पैसे व राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हर तरीके से मजबूत है। आप ऐसा काम करो, सीधे मास्टरजी के परिवार के साथ समझौता कर लो, वरना आप तो खतरा मोल लोगे ही, मेरी भी नौकरी का सवाल है, मुझे भी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। उस बच्ची का ताऊ उल्टे पांव वहां से लौट आता है। जब वह इस तरीके की घटना जाकर गांव में अपने परिवार और गांव के

(श्री जीतमल खांट)

मुखियाओं से सारी बात करता है तब वह घटना उस गांव के अंदर आग की तरह फैल जाती है। घर, परिवार और गांव के लोगों ने फैसला किया कि उसका बाप यहां पर नहीं है, जब एक थाने का सर्किल इन्सपेक्टर इस तरीके का जवाब दे दे तो फिर उनके पास में क्या सहारा था। सबने मिलकर यह फैसला किया कि सबसे पहले उसके पिताजी को कुवैत से बुलाया जाए। उसी रोज यहा से टेलीफोन करके सारी घटना की जानकारी दी गई, उसके बाद में उनको कुवैत से आते-आते कम से कम 24 दिन लग गए। इस बीच में जो भी अभियुक्तगण थे, वह घर और परिवार में कट्टा लेकर आए और कहा कि अगर इस तरह की घटना किसी को भी बताई तो आपको तो मार दूंगा। लेकिन सारे का सारा परिवार भी खतम कर दूंगा। इस तरीके की बार-बार धमकाने की बात आई तब जाकर उस गांव के लोगों ने, आस-पास के जो गांव थे उनको और समाज को धीरे-धीरे इकट्ठा किया। आखिर में ऐसा क्यों हुआ ?

मैं यह कहना चाहूंगा कि जब उसका बाप 24 तारीख को आता है, आने के बाद में गांव ही नहीं, गांव के लोगों को बुलाकर यह सारा का सारा प्रकरण सरकार के सामने लाने की बात करता है पर यह जो अभियुक्तगण हैं, उस लड़की के बाप को दो लाख तक का एक संदेश भेजते हैं कि दो लाख रुपये ले लीजिए और मामले को यहीं रफा-दफा कर दीजिए। उसके बाप ने कहा कि मेरी बच्ची की जो इज्जत लूटी है मुझे चाहे कितना ही रुपया दो, मैं इसमें समझौता करने वाला नहीं हूं। इस बात को लेकर पूरे प्रतिनिधिमण्डल के साथ में 24 तारीख को पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा में प्रार्थिया और उसका पिता पेश होते हैं और एस.पी. साहब को सारी घटना की जानकारी देते हैं।

होता यह है कि जो अभियुक्तगण इतना प्रभावशाली था, इतने पैसा वाला था और इतनी राजनीतिक पहुंच रखने वाला था, इसकी वजह से एस.पी. साहब ने कहा कि ठीक है, आपकी कार्यवाही हम कर देंगे। यह कह कर रिपोर्ट लेकर सीधा उस प्रार्थी को आनन्दपुरी इन्सपैक्टर के पास भेज दिया। आनन्दपुरी में वही इन्सपैक्टर बैठा था जिसने पिछले दिन उसको दुत्कार कर भेज दिया था। मैं आज इस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान की संवेदनशील और जवाबदेह सरकार है और पूरे उदयपुर ही नहीं, हमारे राजस्थान के माननीय सदस्यों की भी कोई बेटियां हो सकती हैं, कोई बहनें हो सकती हैं, सबकी बेटी है, आप इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं ले जाएं। लेकिन मैंने उस बच्ची के साथ में, जब सारा मामला तहकीकात किया तो बच्ची से सिर्फ मैंने इतना ही पूछा कि बेटी तेरा क्या नाम है, इतना कहते ही वह फूट-फूट कर रोई तो मेरी आंखों में भी आंसू आ पड़े। तो माननीय उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सुन लो।

श्री जीतमल खांट : आज इस पूरे घटनाक्रम में न तो उस दोषी को बर्खास्त किया है, न ही वहां पर उस अध्यापक के खिलाफ में कोई कड़ी कार्यवाही की जा रही है और न ही उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। हालत यह है कि उक्त अध्यापक हमारे बांसवाड़ा जिले के जिला प्रमुख का छोटा भाई है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्षजी, उसको इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर, आप क्यों, वे बोल रहे हैं न उनको रोका है क्या मैंने ?

श्री जीतमल खांट : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने, मैं आप सबके सामने शपथपूर्वक बयान करता हूं अगर मैं इन तथ्यों को कोई कहीं भी तोड़-मरोड़कर पेश करता हूं और जो पूरी राम कहानी है उसमें कहीं मैं गलत तथ्य पेश करता हूं तो मुझे सदन जो भी दण्ड दे, मैं उसको स्वीकार करूंगा लेकिन मुझे बड़े मानवीय दृष्टिकोण के साथ यह कहना पड़ रहा है कि क्या जो कानून है, वह क्या गरीब लोगों के लिए बने हैं ? क्या कानून जो गरीब और पिछड़े हुए हैं, जिनके पास में पैसा नहीं है, जिनके पास में राजगद्दी नहीं है, क्या ऐसे गरीब लोगों के लिए ही, हम सबके लिए जंजीरें बनी हैं ? आज हमारे बीच में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी बैठे हुए हैं, मैं आपके सामने इतनी बात कहना चाहता हूं कि इस घटनाक्रम में चाहे वह सी.आई. अपराधी हो, चाहे जिस किसी ने भी इस मामले को कमजोर करने का काम किया हो, मैं चाहूंगा कि इस घटना में लिप्त लोग जो हैं, सबको कठोर से कठोर दण्ड दिया जाए और उस हैडमास्टर से लगाकर इस जंजीर में जितने भी फंसे हुए लोग हैं उन सबको निलम्बित किया जाए और साथ ही गिरफ्तार किया जाए।

ज्यादा बात नहीं कहते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं लें। यह छात्रा का भविष्य है और इस मासूम बच्ची के साथ में, एक 13 वर्षीय युवक ने जिस तरह से वह किया होगा, इतना ही कहना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के मंदिर में बलात्कार हुआ है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : शिक्षा के मंदिर में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह बलात्कार की घटना का वर्णन किया है, यह बहुत गम्भीर विषय है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : गम्भीर घटना है। 29.9 की घटना है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

डा. किरोड़ी लाल : उसको इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया, वहां के जिला प्रमुख का....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

डा. किरोड़ी लाल : उसको इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाए कि वह बांसवाड़ा के जिला प्रमुख का छोटा भाई है तो... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : कांग्रेस पार्टी के जिला प्रमुख का छोटा भाई है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री मदन दिलावर : इसलिए उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा रही है। (व्यवधान)

श्री भाणजी : आप अनुसूचित जाति और जनजाति के वोटों पर जीत कर आये हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : अगर एक स्कूली छात्रा, एक मासूम बच्ची के साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध एक शिक्षक कर जाए और 29 सितम्बर की घटना के बाद भी अगर वह दर-दर की ठोकर खाता रहे, भटकता रहे और अगर उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हो सकती, यह डिपार्टमेंट उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता, उसको सस्पेंड नहीं कर सकता तो फिर कहां जाकर यह जनता रोएगी ? मैं सोचता हूं कि यह घटना किसी एक बच्ची मीना का सवाल नहीं है, यह सवाल है हम सब लोगों का। हम सब पर एक तरह से यह जनता क्या विश्वास करेगी कि हम कितने दरिन्दे बन गये कि हमने इतना बड़ा अपराध करने वाले और अपराध करने वाले अध्यापक को आज दिन तक सजा नहीं दे पाएं और न उसे गिरफ्तार कर पाएं। अफसोस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि अगर इस प्रकार की घटना इन विद्या मंदिरों में अगर शुरू हो गई तो मैं सोचता हूं कि जिन बच्चियों को बड़ी मुश्किल से हमने स्कूलों में लाना प्रारम्भ किया, बहुत मेहनत करने के बाद विद्यालयों में बच्चियां आना शुरू हुई, अगर इस प्रकार की घटना घटे और उस विद्यालय में अध्यापक नौकरी पर रह जाए, ऐसे आदमी को नौकरी से बर्खास्त करके निकाल दिया जाना चाहिए अगर वह केस जीतकर आए तो कोई बात नहीं पर. ..(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मुख्य मंत्रीजी, इसको गिरफ्तार करवाओ तुरन्त। तुरन्त गिरफ्तारी होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : लेकिन कम से कम भविष्य में इस बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से हमें जनता के मन में और उनके अभिभावकों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि इन विद्या मंदिरों में बच्चियों के साथ उनके अध्यापक इस प्रकार का घिनौना काम नहीं कर सकेंगे तब तो हम जरूर कहीं न कहीं मुंह बताने लायक रहेंगे, बाकी हम सब लोग भले ही यहां कुछ भी करें, कुछ भी तर्क करें लेकिन अपने आप में इतना मायूस और दु:खी महसूस करेंगे कि इस प्रकार की घटना घट जाने के बाद भी इस राजस्थान के इस पवित्र सदन में बैठने वाले दो सौ लोग, जनता के प्रतिनिधि आंख मूंद कर उस गरीब की बच्ची के साथ हुए अन्याय का भी प्रतिकार करने की स्थिति में नहीं हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता है।

श्री जगत सिंह दायमा : मुख्य मंत्रीजी, सिर्फ यह बता दो कि कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी इसकी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। विराजिए।

श्री जीतमल खांट : एक और कहानी होने पर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए आप। आप बैठिये। आपने बहुत डिटेल में कर दी। माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री फतेह सिंह : आदिवासी बालिका के साथ यह हुआ है। जनता जागरूक है। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्पूर्ण प्रकरण की...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए। माननीय सदस्य, आप विराजिए। यह क्या बोलेंगे, मैं बोल रहा हूं न। आप क्या बोलेंगे ? विराजिए, प्लीज।

श्री फतेह सिंह : एक आदिवासी युवती के साथ अगर इस प्रकार का व्यवहार हुआ और पुलिस डिपार्टमेंट उसमें कोई कार्यवाही नहीं करे और किन्हीं राजनेताओं के प्रभाव से उस मामले को दबाया जाए तो यह कहां का न्याय है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए प्लीज।

श्री फतेह सिंह : कहां का न्याय है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सरकार से यह चाहूंगा कि घटना बहुत गम्भीर है। 6 तारीख तक इसकी जानकारी प्राप्त करके सदन को सारी कार्यवाही से अवगत कराए। और क्या होता है ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया।

राजस्थान में बढ़ती शिक्षित बेरोजगारी की समस्या विषयक

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय चुनाव से पूर्व जनता से वोट लेने की जरूरत पड़ती है तब हम राजनेता और राजनीतिक पार्टियां

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

किस-किस प्रकार के आश्वासन देकर केवल जीत हासिल करने का काम करते हैं। मैं सोचता हूं कि चाहे वह हम हो, चाहे कोई भी हो लेकिन जब हम बार बार इस बात का ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने जो घोषणा की उसकी पालना करते हैं। हमने अपनी बाइबिल में जो कुछ कहा उसके अनुसार हम एक्शन करते हैं। मैं आज इस सवाल को इसलिए खड़ा कर रहा हूं, भले ही इसको आप नजरन्दाज करें, इसको नहीं मानें, आपकी मर्जी, लेकिन इस समय जितना भी पढ़ा-लिखा नौजवान है वह बारूद के ढेर पर आकर बैठ गया है। जो उसके मन में गुस्सा है, क्रोध है, अगर आपने इसको सही दिशा में डालने का प्रयास नहीं किया तो मैं सोचता हूं कि हम इस बारूद के ढेर को कब आग लगा देंगे।

हमने कहा था कि हम 58 साल की उम्र इसलिए कर रहे हैं कि जितने पद खाली होंगे, नौजवानों को नौकरिया देंगे लेकिन नौजवान को नौकरी देने का सवाल, हमने रिटायर कर दिया, बहुत अच्छी बात है और उसके बाद जितने पद खाली हुए उन पदों पर कोई भर्ती नहीं की। चलो वह भी समझ में आता है कि अगर आप प्रक्रिया शुरू नहीं करते तो भी समझ में आता लेकिन आपने भर्ती की प्रक्रिया शुरू की, पटवारियों की परीक्षा ले ली, रिजल्ट निकाल दिया। रिजल्ट निकालने के बाद उनको ट्रेनिंग कराने का सवाल आया तो आपके दिमाग में आ गया कि नहीं, यह भार नहीं उठाना चाहिए। और उसके कारण से वह बच्चे यहां घूमते रहें। कोई टखनियों के बल चलता है, कोई पेट के बल चलता है, कोई आधा नंगा है और चड्डी पहनकर के जयपुर में जुलूस निकालता है और उसके बाद आश्वासन के छींटे देकर उसको शांत करने का प्रयास किया जाता है, और उसके बाद आपने उनको 1200 रुपये में सचिव लगा दिया। अब 1200 रुपये में वह सचिव का काम कर रहे हैं। अभी उनकी ट्रेनिंग हुई नहीं, वह पटवारी बने नहीं और आपने उनको छींटे देकर के बंद कर दिया।

इसी तरह से आपने लैब असिस्टेंटों का सलेक्शन किया। 175 लोगों को आपने नौकरी पर लगा दिया। तीन महीने का अपाइंटमेंट दे दिया। उनको आपने तीन महीने की तरख्वाह दे दी और तीन महीने बाद वह नौकरी में हैं या नहीं, इसका कोई निर्णय नहीं, कोई पता नहीं है कि उनका क्या होना है। कहीं तो नौकरी से निकाल दिये, कहीं वह आज भी बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं और आकर के आपके दरवाजे पर, सारी जगह भटकते रहते हैं। कहीं पशुधन सहायक भटकता है। जो दृश्य बन रहा है राजस्थान में, वह किस प्रकार से इन नौजवानों और शिक्षित बेरोजगारों को हम देखते हैं, इससे पीड़ा होती है। आपके घर में भी कोई नौजवान बच्चा होगा। आपने हमने इस पर विचार नहीं किया कि आखिर हम यह जो बी. एड. और एस. टी. सी. कराए हुए हैं जिनकी संख्या पचास हजार है इन पचास हजार नौजवानों को आखिर हम कहां खपाएंगे। क्या इनका काम करेंगे ? नहीं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

खपाएं, आप ना कर दें और आज इस सदन में घोषणा कर दें कि अब हम किसी को नौकरी नहीं देंगे। उसको मरना होगा तो मरेगा। जिन्दा रहना होगा तो जिन्दा रहेगा। लेकिन आप फिर उसके साथ दगा करते हैं। आपने फिर प्री.बी.एड. का टैस्ट कराया।

प्री.बी.एड. में एक लाख से ज्यादा बच्चों ने आकर परीक्षा दी। आपने दो बार परीक्षा की डेट चेंज कर दी। पहले एक तारीख को परीक्षा थी, फिर आपने एक आदेश निकालकर 8 तारीख को परीक्षा कर दी। वह बच्चा भटककर अपने सेंटर पर पहुंचा। उसका जो एनरोलमेंट नम्बर है, जो उसका रोल नम्बर है उसका कार्ड तक ठीक प्रकार से नहीं मिला। कुछ बच्चे परीक्षा से वंचित रह गये। लाखों रुपया आपने यूनिवर्सिटी को दे दिये और उसके बाद यह लाखों बच्चे कहां जाएंगे ? क्यों लेते हो परीक्षा ? अगर आपके पास नौकरी देने की नहीं है तो कृपा करके, मेहरबानी करके इन बच्चों को और इनके मां-बाप को मत दुःखी करो क्योंकि बी.एड. करना कोई खेल नहीं। बी. एड. में जब पहली बार रोल नम्बर आता है अखबार में, तो उसके घर के सब लोग नाचते हैं और नाचने के बाद भगवान को प्रसाद चढ़ाने जाते हैं और उसके लिए 20-25 हजार का कर्जा लेकर अपने बच्चों को बी.एड. में एडमिशन दिलाते हैं और एडमिशन देने के बाद हम उसे नौकरी नहीं देते। केवल हम परीक्षाएं आयोजित करके, केवल लूटने का धंधा क्यों करते हैं। अगर हमारे मन में कहीं है कि सरकार बहुत खराब स्थिति में है तो कम से कम बहुत साफ सुथरा कह दें कि हम चार साल तक, पांच साल तक, दस साल तक किसी को भी नौकरी नहीं देंगे। उसे जहां जाना होगा, मजदूरी करनी होगी, वह मजदूरी करेगा।

लेकिन उसको लटकाए रखते हैं कि तुझे अध्यापक बनाएंगे। उन एक लाख बच्चों ने परीक्षा दी अभी उदयपुर विश्वविद्यालय द्वारा। क्या होगा उन बच्चों का ? पहले से ही आप के पास पचास हजार पड़े हुए हैं। आप कम से कम कृपा करके यह मजाक मत करो और अगर यह मजाक किया न तो अभी तो आपको कुछ नहीं लग रहा क्योंकि राज के नशे में आप चढ़े हुए हो। आप बहुत पारदर्शी हो, आप बहुत हितैषी हो, आखिर यह नौजवान जाएंगे कहां ? काम क्या करेंगे ? कैसे जीवन पालेंगे ? क्या करेंगे और नहीं करेंगे तो फिर पेट्रोल पम्प लूटेंगे। आप अगर यही चाहते हैं इस नौजवान से, कि वह पेट्रोल पम्प लूटे, लोगों को लूटे और इस तरह से कानून व्यवस्था को तोड़े या सरकार इसके बारे में कोई पुख्ता व्यवस्था करे। 800 रुपये में, 1200 रुपये में मजदूर नहीं मिलता है। क्या मजाक कर रखा है।

आपने उन पढ़े-लिखे नौजवानों के साथ और आप इस बारे में अपने आप में यह सोच रहे हो जैसे हम बहुत बड़ा काम कर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रहे हैं। इतने अभिमान में मत आओ। +++ यह तो दिन आते रहते हैं, जाते रहते हैं। सरकारें भी बनेंगी और मिट जाएंगी। हम भी पैदा हुए हैं, एक दिन भगवान के घर चले जाएंगे। लेकिन काम वह करो जिसके कारण लोगों के मन में विश्वास और आस्था जमे। उसको आप नजरअन्दाज करके बैठे हैं। मैंने बार-बार स्थगन प्रस्ताव दिया। कितनी बार दिया लेकिन कोई जवाब नहीं। मैंने प्रश्न पूछा उसका जवाब इन्होंने इसलिए नहीं दिया, मैंने पूछा था आपसे, कि कितने लोगों को स्केल नम्बर 1 से 19 के बीच में पिछले दो वर्षों में नौकरी पर लगाया ? आपने कहा बहुत लम्बा-चौड़ा सवाल पूछ लिया है इसलिए उत्तर नहीं दे सकते। यह अपनी गर्दन अपने पैरों में छिपाने से बात नहीं छुपेगी। आज अगर इस सरकार के पास में दो साल का यह पता नहीं कि हमने कितने आदमियों को नौकरी दी, इतना भी रिकार्ड अगर यहां के सचिवालय में नहीं है, डिपार्टमेंट में नहीं है तो क्या डिपार्टमेंट +++ क्या कर रहा है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला (सामान्य प्रशासन एवं कार्मिक मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सवेरे माननीय वित्त मंत्रीजी ने इस सदन के समक्ष यह बताया था कि बीस हजार लोगों को इस सरकार ने दो वर्षों में नौकरी दी है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : तो मैंने यही तो मांगा था। मैंने सूची तो मांगी थी, मैंने कौनसी और सूचना मांगी ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, एक मिनट। नहीं, आप सुनते नहीं हो। आप सुनते नहीं हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने तो डिपार्टमेंट से स्केल नम्बर 1 से 19 तक कितनी भर्ती की, यह 20 हजार का आंकड़ा ...(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं ...(व्यवधान) कि बीजेपी के राज में कितने लोगों को रोजगार दिया था ? इन दो वर्षों में जितना रोजगार राजस्थान में मिला है बीजेपी की सरकार ने कितने लोगों को नौकरी दी ? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : खाली रोजगार का सवाल नहीं है। आप बेरोजगारों के साथ मजाक मत करो। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : किसी को नौकरी नहीं दी...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : बेरोजगार डूब रहे हैं...(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप बताइये। आप बताइये कितने लोगों को नौकरी दी आपने ? (व्यवधान) हल्ला करने से कुछ नहीं होता है। आप बताइये कितने लोगों को नौकरी दी। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

एक माननीय सदस्य : जोर-जोर से बोलकर आप अखबार में नाम छपवाना चाहते हो। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : 12 हजार लोगों को पंचायत विभाग में नौकरी दी, 5 हजार लोगों को शिक्षा विभाग में नौकरी दी, चार हजार को पुलिस में नौकरी दी। आपने किन-किन लोगों को नौकरी दी ? आप बताइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। विराजें। (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : और आज कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं किया। आपने कितना किया है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने शिक्षा...(व्यवधान) बीजेपी के राज में चार बार परीक्षा ली। (व्यवधान) सही काम करना नहीं जानते। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने शिक्षाकर्मी को कितने... (व्यवधान) आज राजीव गांधी पाठशाला के लिए बात करते हैं। यहां पर आलोचना के लिए आलोचना नहीं करनी चाहिए। आपको तथ्यों के आधार पर बोलना चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर, गुलाब चन्दजी। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : केवल मात्र आलोचना के लिए आलोचना नहीं करनी चाहिए। आपको तथ्यों पर आधार बनाना चाहिए। आपने शिक्षाकर्मियों को क्या तनख्वाह दी थी ? आप राजीव गांधी पाठशाला की बात करते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बैठिये माननीय कटारियाजी। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर आपको यह अभिमान है...(व्यवधान) यदि नौजवानों के साथ धोखा किया तो वह फेंक देंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : शिक्षाकर्मी के नाम पर इन्होंने आर.एस.एस. के कार्यकर्त्ताओं को नौकरी पर लगाया। शिक्षाकर्मी के नाम पर इन्होंने आर. एस. एस. की शाखाएं लगवायीं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप भ्रम में मत रहना। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आज आप यहां देवता के रूप में +++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कटारियाजी, विराजें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्षजी, राजस्थान सरकार ने तो उन बेरोजगारों को जिनके घरों में खाने का दाना नहीं था, बिना किसी भेदभाव के 1200 रुपये देकर के उनके घर में उजाला किया। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्रीमती कमला बृजलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने तो बोल्डनैस दिखायी और 58 साल की उम्र की, लेकिन आपकी सरकार केन्द्र में है वहां भी 58 साल की उम्र करें। हमारी सरकार ने बोल्डनैस दिखायी है और 58 करी और इतने लोगों को रोजगार दिया। आपकी सरकार भी 58 करे वहां। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : पीड़ा नहीं है। पीड़ा तो केवल इसलिए है कि जो आर.एस.एस. के कार्यकर्त्ता...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : चार हजार व्यक्तियों ने ग्राम सभा में...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : आपने कितने लोगों को नौकरी दी ? (व्यवधान) आप क्या बात करते हो ? आपके शासन काल में आपने कितने लोगों को नौकरी दी ? बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी। आपने केवल +++ कोई काम नहीं किया इस विधान सभा में। (व्यवधान) आपने केवल आंसू बहाये हैं। आंसू बहाने के अलावा आपने कुछ नहीं किया। वह भी जैन मुनि की दृष्टि से...(व्यवधान) आपने केवल जातिवाद का...(व्यवधान) बनाया है राजस्थान में। (व्यवधान) आपने एक की भी नौकरी नहीं लगायी। मात्र...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : शिक्षाकर्मी के नाम पर आपने आर.एस.एस. की फौज खड़ी कर दी। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपकी जाति के जैन मुनि का देहान्त हो गया उस पर आपने आंसू बहाये। इसके अलावा कोई योगदान नहीं है आपका। आपने एक को भी नौकरी नहीं दिलायी और शिक्षा विभाग का भट्टा बैठा दिया। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाली जिले में ग्राम सेवकों की भर्ती के लिए जो परीक्षा हुई थी उसमें चार हजार व्यक्तियों ने परीक्षा दी...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अनियमितता की, लिस्ट में हेरा–फेरी की...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : बेरोजगारों के साथ धोखा करने वाली सरकार का नाश हो। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : ...(व्यवधान) सरकार में बैठे हैं क्या आप उसकी वापस परीक्षा करवाएंगे। चार हजार व्यक्ति बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारियाजी, आप अपनी बात में इतने आवेश में आ गये कि सारे हाउस को उत्तेजित कर दिया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : पीड़ा है, उपाध्यक्ष महोदय, पीड़ा। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सीकर से आने वाले माननीय सदस्य, मेरे पास, आपके पास रिकार्ड है।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप क्या चाहते हैं, बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य, कि ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी स्कूलें खुली हुई हैं क्या उन विद्यालयों को बंद कर दें ? आप तो यही चाहते हैं क्योंकि आपका तो शहरी क्षेत्रों से वास्ता है। वहां आपको आर.एस.एस. की शाखाएं लगानी हैं। आपको ग्रामीण क्षेत्र की जनता से, उस गरीब किसान से क्या लेना-देना है ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय सदस्य, आपकी सरकार से पूछ लो कि मेरे कार्यकाल में 34 हजार अध्यापकों की भर्ती हुई है, वो मैरिट से हुई है। 34 हजार, सरकार के पास रिकार्ड है, उठा कर देख लो। 34 हजार अध्यापकों को भर्ती किया है। (व्यवधान) 16 हजार महिला शिक्षाकर्मी चयनित हुई हैं।

श्री नगराज (लसाड़िया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि जब आप शिक्षा मंत्री थे उस समय आपने शिक्षाकर्मी को क्या वेतन दिया था ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारियाजी, समाप्त कीजिये।

श्री नगराज : आपके पास आंकड़े हैं क्या ? कृपया बताने की कृपा करें। (व्यवधान) आप शिक्षा मंत्री थे, कितना वेतन तय किया था उस समय ? वो आंकड़े हैं क्या आपके पास ? (व्यवधान) आपने शिक्षाकर्मियों को लगाया, उस वक्त क्या वेतन दिया गया ? (व्यवधान) अब आप हाउस में जोर-जोर से बोल रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपके जमाने में आपने आर.एस.एस. के कार्यकर्त्ताओं की भर्ती करायी थी स्कूलों में, जिनको कि हटा दिया गया।

श्री नगराज : आपके शिक्षा मंत्री काल में आपने शिक्षाकर्मियों को क्या वेतन दिया, कृपया यह बताएं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने आर.एस.एस. के कार्यकर्त्ता भर्ती कर लिये थे साम्प्रदायिकता का जहर फैलाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आज भी आपसे एक बात की प्रार्थना कर रहा हूं, अगर आपके पास नौकरी देने को नहीं है तो कम से कम स्पष्ट कर दें। इन परीक्षाओं का आयोजन कर के उस बच्चे को आप दूसरे कामों में जाने से रोकें नहीं, वह कहीं भी कमा खायेगा, कैसे भी काम करेगा लेकिन बारबार परीक्षाओं का आयोजन कर के आप उसमें लटकाये रखते हो। अभी अगर वो एक लाख अध्यापकों की लाइन में लग गया, वो रिजल्ट का इन्तजार करेगा। जिनका रिजल्ट आ जायेगा, वह बी.एड. में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जाकर फिर वहां पैसे खर्च कर के फिर डूबने के लिए जायेगा। इस कारण से आप अपने मन-मस्तिष्क को साफ कर दो, जो कुछ आपने घोषणा-पत्र में वोट चाहिए था तब आपने किया होगा, आपका कर्म आपके साथ आ जायेगा। इतना घबराने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी होना है उसका परिणाम तो आयेगा लेकिन इस नौजवान के साथ बार-बार इस प्रकार की बात का खिलवाड़ करते हो, आप उसे नौकरी देओ तो पटवारी की तो ट्रेनिंग पास करे या परीक्षा दी और 1200 में लगा दिया। लैब असिस्टेंट को आपने 3000 रुपया फिक्स पर लगा कर के उसके बाद तीन महीने के बाद एक्सटेंशन ही नहीं किया। इन बी.एड. वालों को आपने बी.एड. करा दिया।

श्री जगत सिंह दायमा : आप तो एक प्रस्ताव लाओ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंह जी, विराजें। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर आपको यही देना है तो कम से कम कुछ तो लिहाज रखो। कम से कम मजदूर की मजदूरी भी आप नहीं देना चाहते हो, 1200 रुपये में आप उसे न्यूनतम वेतन भी नहीं देना चाहते हो, आखिर आप किस नशे में हो ? कम से कम इतना तो विचार करो। किस घमंड में हो ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य यह बता दें कि शिक्षाकर्मी को आप कितना रुपया देते थे ? (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : एक प्रस्ताव पास करो, इसको मौलिक अधिकार में कन्वर्ट करो। सरकार हर बेरोजगार को काम दे, यह मौलिक अधिकार होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 1800 रुपये देते थे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : 500 रुपये देते थे आप। 400 रुपये, उसके बाद आपने 500 रुपये किया। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बात जाने नहीं, कुछ नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर। विराजें आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : असत्य बोल रहे हो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मैं बोलूं ?

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये। क्या बोल रहे हो आप ?

श्री मदन दिलावर : पर्ची पर।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस राज आये चाहे बी.जे.पी. आये, जो भी विपक्ष में होता है सिर्फ आरोप लगाता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बात समाप्त, विराजो। आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र पारीक : +++ 400 रुपये आर.एस.एस. कार्यकर्त्ताओं को देने वाले, बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य आज राजस्थान की इस लोकप्रिय सरकार को यह कह रहे हैं कि आप 1200 में मजदूर रख रहे हैं। हमने तो 1200 रुपये दिये हैं, 1000 से ऊपर 200 रुपये और।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें आप।

दशहरा मेला, कोटा में अपर्याप्त सहयोग एवं आपत्तिजनक शेरो-शायरी विषयक

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में जन्माष्टमी और दशहरा बहुत बड़े त्यौहार होते हैं और कोटा जिले में तो कोटा शहर में जो दशहरा में मेला भरता है, वह हिन्दुस्तान में मैं समझता हूं दूसरे नम्बर का दशहरा मेला है।

श्री राम किशन वर्मा : पहले नम्बर का।

श्री मदन दिलावर : हां, पहले नम्बर का, एक्सक्यूज मी। पहले नम्बर का मेला है। यह मेला लगभग 20 दिन तक चलता है कोटा में। 19 अक्टूबर, 2000 को इस दशहरे के मेले में एक मुशायरे का कार्यक्रम था। दशहरे को जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, उसमें 19 अक्टूबर को मुशायरे का कार्यक्रम था। मुशायरे में मुख्य अतिथि, केन्द्र के राज्य मानव संसाधन मंत्री श्रीमान शाहनवाज हुसैनजी पधारे थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि वास्तव में दशहरा मेला एक आपसी सद्भावना का मेला है और इस मेले से आपस में मेल-मिलाप बढ़ता है। उन्होंने मेले की बहुत तारीफ की थी।

उपाध्यक्ष महोदय, जो मुशायरा जो रहा था वह ठीक-ठाक चल रहा था। राहत इन्दौरीजी, एक शायर हैं, इस शायर ने अपना शेर पढ़ना शुरू किया और उस शेर में माननीय प्रधान मंत्रीजी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब के लिए पहले तो कहा कि जिस को भेजा बदलवाना चाहिए था वह घुटना बदलवा रहे हैं। ऐसे समय में जब माननीय प्रधान मंत्री अस्पताल में हों, जब हिन्दुस्तान भर के लोग यह शुभकामनाएं कर रहे हों कि वह अस्पताल से लौट कर आयें। खैर, उन मंत्री महोदय, जो विराजमान थे, उन्होंने इसको भी सहन किया। फिर उन्होंने कहा कि तुम हम को कब्रिस्तान देकर समझाते हो, हमने तो तुम को राजधानी दी है, हम तुम से राजधानी लेकर रहेंगे। राहत इन्दौरी, उन्होंने शेर में यह भी कहा कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने यह कहा है कि मेले में सहयोग नहीं मिला, इस पर बोल रहे हो आप।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री मदन दिलावर : हां, उस पर बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कह क्या रहे हो ?

श्री मदन दिलावर : हां, उसी पर बोल रहा हूं। आ रहा हूं उसी पर। वो ही है।

श्री उपाध्यक्ष : कहां से आ रहे हो ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, और फिर साम्प्रदायिकता भड़काने के शेर पढ़े और उन्होंने फिर स्पष्ट किया कि राजधानी मुगलों ने दी थी हिन्दुस्तान को, अब मुगलों के लिए हिन्दुस्तान की राजधानी वापस लेकर रहेंगे। हमारे देश का अपमान, राष्ट्र का इतना अपमान किया। इस पर वहां से मंत्रीजी गुस्सा होकर के उतर कर आ गये और उन्होनें पत्रकारों को बताया।

श्री उपाध्यक्ष : आप इस पर बोलो, फिर मैं बंद कर दूंगा।

श्री मदन दिलावर : हां उसी पर। साम्प्रदायिकता भड़काना चाह रहे थे। (व्यवधान)

श्री हेमन्त कुमार : इस तरह की कोई बात नहीं हुई, यह असत्य बात है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : यह गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री मदन दिलावर : हुआ क्या, पुलिस ने उस शायर को रोकने वाले के ऊपर लाठीचार्ज ही नहीं किया, कांग्रेस के लोगों ने भी उसे मारा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री श्रवण कुमार : यह साम्प्रदायिकता की बात कह रहे हैं, साम्प्रदायिकता की बात मत करो सदन में। (व्यवधान) सदन में साम्प्रदायिकता की बात करना कानूनी अपराध है।

श्री मदन दिलावर : विवेक राजवंशी नाम का जो वहां का नगर निगम का पार्षद है, उसने जब रोका, उसके साथ जबरदस्ती मारपीट की।

श्री हेमन्त कुमार : ऐसी कोई बात नहीं हुई है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : मदन दिलावरजी, यह साम्प्रदायिकता की बात करना कानूनी अपराध है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करना चाहिए था, उस पर साम्प्रदायिकता का मुकदमा करना चाहिए था, वह मुकदमा नहीं किया...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आपके मंत्री, चतुर्वेदीजी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल।

श्री श्रवण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में साम्प्रदायिकता की बात कहना

(श्री श्रवण कुमार)

कानूनी अपराध है। (व्यवधान) सद्भावना की बात करते-करते साम्प्रदायिकता की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल।

श्री श्रवण कुमार : ये सदन को दूषित करना चाहते हैं। साम्प्रदायिकता की बात करना उचित है क्या ? ये साम्प्रदायिकता की बात कर रहे हैं। (व्यवधान) कृपया कार्यवाही से अपलोपित करवायें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विषयान्तर हो रहे हैं। आप बैठिए। अंकित नहीं हो।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

(माननीय सदस्य श्री मदन दिलावर और श्री प्रताप सिंह सिंघवी द्वारा वैल में आकर जोर-जोर से बोलना)

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, आप बोले जा रहे हो। बैठिए प्लीज। डा. किरोड़ी लालजी, शुरू करो।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए, हो गयी बात। डा. किरोड़ी लालजी, आप बोल रहे हैं कि नहीं ? माननीय जगत सिंहजी बैठिए।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : जगत सिंहजी, आपस में बात नहीं। प्रताप सिंहजी, बैठिए।

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

राजस्थान में आरक्षित वर्ग के अधिकारियों को पंदावनति विषयक

डा. किरोड़ी लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के एक ऐसे नीतिगत फैसले की ओर आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिनके

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(डा. किरोड़ी लाल)

वोटों के बलबूते पर कांग्रेस सत्ता में आयी, गहलोत साहब मुख्य मंत्री बने। सत्ता में आने से पहले बड़े लुभावने नारे लगाये कि एस.टी., एस.सी. के लोगों को, हम राज में आएंगे तो अपनी अपार्चुनिटीज देंगे, उनके आरक्षण का ध्यान रखेंगे, उनके साथ किसी प्रकार का कोई गलत निर्णय नहीं होने देंगे, उनको प्रोटेक्शन देंगे। इन्होंने मैनीफैस्टो में लम्बा-चौड़ा लिखा है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे शासनकाल में एस.टी., एस.सी. के दस आर.पी.एस. आफिसर्स को 1997 में प्रमोशन देकर आई.पी.एस. बनाया और आई. पी.एस. इसलिए बनाया कि वे सीनियर थे, उनकी आउट स्टैण्डिंग ए.सी.आर. थीं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से पदक प्राप्त थे, मैडल प्राप्त थे और जैसे ही गहलोत साहब की सरकार आयी, अब 2000 में आठ लोगों को पदावनत कर दिया। जिनको हमने जिलों में एस.पी. लगा रखा था। उनको एडीशनल एस.पी. बनाकर सबोर्डिनेशन में रख रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, इन आठ अधिकारियों को जिनको पदावनत किया है, आपको सुनकर इस बात पर गर्व होगा कि सात अधिकारी ऐसे हैं जिनको राष्ट्रपतिजी का मैडल मिला हुआ है उत्कृष्ट सेवाओं के लिए।

राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और होम कमिश्नर के ढेर सारे प्रशंसा पत्र इनके पास पड़े हुए हैं लेकिन उनको किसी को नहीं देखा गया और उनको पदावनत कर दिया गया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पदक प्राप्त हुए और आपने प्रशंसा पत्र भी जारी किए, उपाध्यक्ष महोदय, जिस एस. टी., एस.सी. के बलबूते पर बड़ी तादाद में प्रचण्ड बहुमत के आधार पर राज कर रहे हो, बैठे हो, आप उनको अनदेखी कब तक करोगे ? मेरे को लग रहा है कि अब एस. टी., एस.सी. के लोग इस पदोन्नति में आर. ए.एस. से आई.ए.एस. और आर.पी.एस. से आई.पी.एस. में अलग-अलग मापदण्ड इन्होंने अपनाये हैं। एक ही कैडर के लोग हैं। वही आर.पी.एस.सी. से सलेक्शन होता है और सलेक्शन की प्रक्रिया भी एक ही है लेकिन इन्होंने किया क्या है, कि आर.ए.एस. में वरिष्ठता सूची का संशोधन वर्ष तो 95-96 माना है जबकि आर.पी.एस.सी. में उसको 85-86 मानकर इनको पदावनत कर डाला। उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन अजीत सिंह जुनेजा, सेकिण्ड 1999, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि आर.ए.एस. एवं आर. पी.एस. दोनों सेवाओं के लिए समान है। उसमें एक मापदण्ड अपनाकर 1995-96 से ही संशोधन नहीं करके दोहरे मापदण्ड अपनाये जिसका परिणाम यह हुआ कि एस.टी., एस.सी. के आठ लोग पदावनत हो गये। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए थे कि 1.4.97 से पूर्व जिस किसी की भी पदोन्नति हो गयी है उसको डि-प्रमोट नहीं करेंगे लेकिन राजस्थान की सरकार ने उनको डि-प्रमोट कर दिया। एस.टी., एस.सी. के सीनियर अधिकारियों

(डा. किरोड़ी लाल)

की अनदेखी करके सवर्ण जाति के दूसरे जूनियर अधिकारियों को प्रमोशन दे दिया गया जिनकी भर्ती एस. टी., एस. सी. के लोगों से बाद में हुई। सीनियरिटी लिस्ट में एस.टी., एस.सी. के लोगों से सवर्ण काफी नीचे थे, ऐसे लोगों को प्रमोशन दे दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, इसका मेरे पास एक प्रमाण है कि हमारे यहां एक एस.पी. थे टोंक में, मिस्टर मदन लाल दहिया, एस. सी. के हैं। उनका 1973 में सलेक्शन हुआ जूनियर स्केल में और सीनियर स्केल उनको मिल गयी 1979 में और सलेक्शन स्केल मिल गयी 1988-89 में। अब आप तमाशा देखो। मदन लाल दहिया के बाद उमेश जोशी का सलेक्शन हुआ 1977 में, बाबूलाल जैन का हुआ 1974 में, रिद्धकरण चौहान का हुआ 1974 में, पी.सी. कल्ला का हुआ 1974 में, शिवप्रसाद शर्मा का 1973 में और गिरधारीलाल तिवारी का 1973 में। सलेक्शन स्केल भी उपाध्यक्ष महोदय, मदनलाल दहिया को मिल गयी 1988-89 में, उमेश जोशी को 1992-93 में, बाबूलाल जैन को मिली 1993-94 में और रिद्धकरण चौहान को मिली 1992-93 में और पी.सी. कल्ला को भी 1992-93 में और इसी प्रकार से शिव प्रसाद शर्मा को मिली। यह सारे जूनियर थे। उपाध्यक्ष महोदय, तमाशे की बात यह है कि इस मदनलाल दहिया को तो पदावनत कर दिया और इन आठों लोगों को प्रमोट कर दिया। यह कितने बड़े अचम्भे की बात है।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे ही आठ अधिकारी और थे। प्रहलाद जेंवरिया जो एस.सी. का है, हरिराम मीणा जो एस. टी. का है, टी.डी. डामोर जो एस.टी. का है, गोरधन मीणा जो एस.टी. का है, जगदीश कांवट जो एस.सी. का है, बी.पी. वर्मा जो एस.सी. का है और बादाम बैरवा जो एस. सी. की है। सीनियर होने के बाद भी इनको प्रमोशन से वंचित कर दिया बल्कि डी-प्रमोट करके पहले जिलों में एस.पी. रह चुके हैं इनको एडिशनल एस.पी. बना दिया। मैं इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार के मुख्य मंत्रीजी को +++ चाहता हूं कि इस मौके पर जिन्होंने इतना जबर्दस्त बहुमत देकर इनको यहां पर बैठाया और बैठाने के बाद इन्होंने इनकी किसी प्रकार की कोई चिन्ता नहीं की।

उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे 21 विधायक माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिलने के लिए गये। ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के थे। 21 विधायकों ने जाकर उपाध्यक्ष महोदय, जब मुख्य मंत्रीजी को यह बात बताई कि हमारे अधिकारी, कर्मचारी के साथ यह हो रहा है और उनको ड्यू प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है तो मुख्य मंत्रीजी ने कहा अभी चुनाव, उप चुनाव चल रहे हैं। बाद में इस मामले को देख लेंगे। अब एस.सी. और एस.टी. के विधायक जब मुख्य मंत्रीजी से मिलने गये तो उसको

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(डा. किरोड़ी लाल)

कांग्रेस ने असंतोष मान लिया। क्या इन विधायकों को अपना पूरा हक रखने का अधिकार नहीं है। जब वो बात वहां पर कहने के लिए गये तो एक बयान आता है नटवरसिंहजी का।

उपाध्यक्ष महोदय, नटवर सिंहजी कहते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के विधायक यदि हमको छोड़कर चले जाते हैं तो हमारी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आप अन्दाज लगा सकते हो उपाध्यक्ष महोदय, एस.टी., एस.सी. के लोगों के साथ जिस ढंग का व्यवहार, चाहे जन प्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी कर्मचारी हो, जिस ढंग की अनदेखी इस राज में हो रही है, जिस ढंग की बेइज्जती हो रही है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करके कहना चाहता हूं कि जिन आठ लोगों को इस राजस्थान की सरकार ने पदावनत किया है, जिनको हमने पदोन्नत किया था, मैं मांग करना चाहता हूं सदन में कि उन अधिकारियों की पदोन्नति के लिए दुबारा पुनर्विचार किया जाए। डी.पी.सी. बैठाई जाए, जैसा मैंने आपको बताया मदनलाल दहिया जैसा आदमी जो सबसे सीनियर है उसको जूनियर बनाकर एडिशनल एस.पी. बना दिया और मैंने सात आठ नाम और गिनाये हैं। उन सात आठ नामों को भी सबको जूनियर बनाकर उनकी वर्दी उतरवा ली। हमने तो एस.पी. बनाकर जिलों में भेजा था और इस सरकार ने वर्दी उतारकर उनको ह्यूमिलिएट कर दिया और एस.पी. का फीत उतारकर उनको एडिशनल एस.पी. बनाकर बैठा दिया, मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इससे बड़ा अपराध एस.सी., एस.टी. के साथ यह सरकार और कोई नहीं कर सकती, इससे बड़ा अपमान एस.सी., एस.टी. के एम.एल.ए. का और यह सरकार कोई कर नहीं सकती कि एम.एल.ए. मिलने जाए और उनको असंतोष मान लिया जाए और नटवर सिंहजी इस ढंग का कमेन्ट करें। हम कभी भी ऐसा नहीं करते थे। इसलिए मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपसे चाहूंगा गृह मंत्रीजी भी यहीं है, मुख्य मंत्रीजी भी यहीं हैं। यह यहां स्थिति स्पष्ट करें और इनका प्रमोशन करें।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना)

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

परिवहन विभाग

श्री उपाध्यक्ष : श्री छोगारामजी बाकोलिया, परिवहन मंत्री। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या प.7(94)परि/रूल्स/एच.क्यू./94 दिनांक 25.10.2000 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसाराम चौधरी। (व्यवधान) क्या हुआ ? क्या हुआ, काहे को बुलावें, क्यों बुलावें...(व्यवधान). नहीं बुलायेंगे। (व्यवधान) श्री केसाराम चौधरी। (व्यवधान)

श्री घासीलाल मेघवाल : (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप सदन को आश्वस्त कराएं कि अनुसूचित जाति/जनजाति के हितों की रक्षा की जाएगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इनका जवाब आ जाने दो। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : हमारी सरकार निश्चित रूप से इस पर विचार करेगी। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से हम भी मांग कर रहे हैं...(व्यवधान) ये लोग तो खाली दिखावा कर रहे हैं। हम तो वास्तव में मांग कर रहे हैं इस बात की...(ब्यवधान) और हमारी सरकार बड़ी तेजी से इस मामले को लेकर के...(व्यवधान) और सरकार ने आश्वासन भी हमको दिया है कि हम जल्दी ही इस मांग को पूरा करेंगे...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे गृह मंत्रीजी और हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी इस बात से बड़े चिन्तित हैं...

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

श्री रामस्वरूप : ...(व्यवधान) और उनसे हम भी मिले थे और उन्होंने विश्वास भी दिलाया है कि इस बारे में जल्दी विचार किया जाएगा। (व्यवधान) हम खुद ही यह चाहते हैं कि हमारी सरकार इस मामले को जल्दी पूरा करे। (व्यवधान) आप लोग खाली दिखावा करके इस पर रोड़े अटका रहे हो। इस मांग को हमारे जरिये उठने दो ताकि यह मांग पूरी हो जाए। आप रोड़े अटकाना चाहते हो ताकि यह मांग पूरी नहीं हो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ...(व्यवधान)... आड़ लेकर के यह एस.सी. एस.टी. के हितों के ऊपर कुठाराघात है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हम तो इस मांग को पूरा करवाना चाहते हैं। आप लोग होने नहीं देते हो। (व्यवधान) खाली हल्ला मचाना चाहते हो इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मसले के ऊपर हम भी बार-बार मांग कर रहे हैं इस बात की। हमने मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन किया है हमने...(व्यवधान) होम मिनिस्टर साहब से भी निवेदन किया है। (व्यवधान)

श्री घासीलाल मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इस पर विचार चल रहा है। इसलिए आप लोग यह बातें छोड़ो और...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सरकार ने यह किन कारणों से कर दिया कि सिर्फ एस. सी., एस.टी के लोगों को ही रिवर्ट किया

(एक माननीय सदस्य)

गया, अगर करना था कानून की आड़ लेकर के क्यों किया गया। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इनकी जब सरकार थी तो इन्होंने एस.सी., एस.टी. का भला नहीं किया। हमारी सरकार जरूर करेगी... (व्यवधान) हमें भरोसा है इस बात का और जरूर यह मांग हमारी पूरी होगी। (व्यवधान) सरकार से हम भी मांग कर रहे हैं। हम भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे इसलिए आप लोग अपने स्थान पर विराजो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसलिए हम भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे...

श्री रामस्वरूप : सरकार से हमारी भी मांग है इस बारे में...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : 153 में से 50 विधायक आरक्षित वर्ग के हैं। आरक्षित वर्ग के हितों के साथ कुठाराघात... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : और मांग पूरी होगी। (व्यवधान)

श्री घासीलाल मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा निवेदन है कि इस मामले की पुनः समीक्षा की जानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान का अनुसूचित जाति समाज अगर इस...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कमलाजी, कमलाजी।

एक माननीय सदस्य : ...(व्यवधान) उसके बावजूद भी कार्मिक विभाग में यह पदावनति कर दी गयी है जो अन्याय है। अनुसूचित जाति समाज के साथ अन्याय है इसलिए इसकी पुनः समीक्षा की जाए। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला बड़ा गम्भीर है। सरकार को इस पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना पड़ेगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक वरिष्ठ अधिकारी की साजिश से यह सारा काम हुआ है। (व्यवधान)

श्री घासीलाल मेघवाल : आप एस. सी., एस.सी. के लोगों को सिर्फ रिवर्ट करते रहेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप ऐसी बात कर रहे हैं। आप नियमों में बंधे हुए लोग हैं। आप नियम समझते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : उपाध्यक्ष महोदय, फिर तो राष्ट्रपति ने जो पदक... (व्यवधान) दिया वो बेकार है। (व्यवधान) आप यह कह दें राष्ट्रपतिजी ने...(व्यवधान) दिया वो गलत दिया। राष्ट्रपति पदक ही गलत है उन्हीं सभी कर्मचारियों को राष्ट्रपति पदक मिला उन्हीं को आपने रिवर्ट कर दिया। राष्ट्रपति पदक ही बेकार है तो फिर क्यों राष्ट्रपति पदक दिया जाता है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, इस पदावनति प्रकरण की पुनः समीक्षा होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह आपके मार्फत पूछना चाह रही हूं कि जो राष्ट्रपति पदक दिया जाता है वह राष्ट्रपति पदक किस लिए है ? उनकी सम्माननीय सेवाओं के लिए, उत्कृष्ट सेवाओं के लिए है और उन्हीं को रिवर्ट किया जा रहा है आपकी तरफ से...

एक माननीय सदस्य : अनुसूचित जाति और जनजाति के समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। कृपा करके...(व्यवधान) समीक्षा करवाई जावे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न एकदम यहां हाउस में उठा लिया गया है, इसकी डिटेल अभी हमको मालूम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

(14.00 बजे)

श्री खेतसिंह राठौड़ : ...(व्यवधान) अभी मालूम नहीं है। हम आपको 6 तारीख को विधान सभा सत्र के दरम्यान इसकी डिटेल मालूम करके इसका जवाब दे देंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बात खतम हो गई। हो गई ना।

श्री रामस्वरूप : (व्यवधान) प्रश्न लगाया है उस प्रश्न में माननीय मंत्रीजी ने आश्वासन दिया है। (व्यवधान) इस मांग पर गम्भीरता से विचार चल रहा है। मेरा खुद का भी प्रश्न लगा हुआ है विधान सभा में इस प्रकार का और उसमें माननीय मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि जल्दी ही इस मांग के बारे में विचार चल रहा है गंभीरता से इसलिए आप चिंता नहीं करें। हम खुद चिंतित हैं इसके बारे में आप ज्यादा चिंता करोगे तो रोड़ा अटक जायेगा। (व्यवधान) इसलिए होने दो इस बात को।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर। रामस्वरूपजी। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : यह अनुसूचित जाति का आरक्षण समाप्त करना चाह रहे हैं। इसलिए इसकी पुनः समीक्षा की जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए। जब कह दिया 6 तारीख को जवाब देंगे फिर अब क्या बचा है। माननीय कमलाजी। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : हर विभाग में यह हो रहा है। वाणिज्यिक कर विभाग में यह हो रहा है। कौनसा ऐसा विभाग है। (व्यवधान)

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता विधेयक, 2000

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों

(श्रीमती कमला)

की सहभागिता विधेयक, 2000 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री जगत सिंह दायमा : ...(व्यवधान) इससे बड़ा अन्याय कोई हो नहीं सकता।

श्री केसाराम चौधरी : मेरी याचिका को ले लें। (व्यवधान) याचिका पढ़नी है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री जगत सिंह दायमा : 6 तारीख को जवाब देंगे इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। (व्यवधान) 6 तारीख को तो आप भाग जाओगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कृषकों की विरोधी सरकार है यह। (व्यवधान) एस. टी., एस.सी. विरोधी सरकार है यह।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम कोई भागने वाले नहीं हैं। हम आपका मुकाबला करेंगे। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : निर्णय आज क्यों नहीं।

श्री केसाराम चौधरी : मैं पढ़ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको पुकारा आप बोले नहीं।

श्री केसाराम चौधरी : पढ़ा हुआ, (व्यवधान) इस हो-हुल्लड़ में...

श्री उपाध्यक्ष : पढ़ो।

याचिका का उपस्थापन

विधान सभा क्षेत्र खारची के मारवाड़ जंक्शन कस्बे के लिए सिरीयारी में पेयजल योजना स्वीकृत होने के पश्चात भी कार्य अपूर्ण रहने बाबत

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केसाराम चौधरी, सदस्य विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र खारची के मारवाड़ जंक्शन कस्बे के लिए सिरीयारी में पेयजल योजना दसवें वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात् भी कार्य अपूर्ण रहने बावत् एक याचिका पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए। (व्यवधान) श्री राजेन्द्र राठौड़।

विधेयक पर विचार

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सिंचाई प्रणाली में कृषकों की सहभागिता का विधेयक जो माननीय सिंचाई मंत्रीजी लेकर आई हैं मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कुछ मन तो बनाया है परन्तु पूरा मन आपका बना नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, अब वह समय आ गया है जब जन उपयोग से जुड़े हुए कार्यों में उपभोक्ताओं को

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जोड़ना पड़ेगा और यह जिस प्रदेश के अन्दर यह विधेयक आया है। राष्ट्रीय जल नीति बनी थी 1987 में और उस समय...

(14.05 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, यह चिंता व्यक्त की गई थी कि हमारे देश के अन्दर और जल संवर्द्धन का कार्य, एक-एक बूंद जल के उपयोग का कार्य जिस प्रकार से होना चाहिए वह, विगत वर्षों में नहीं हुआ। जल अमूल्य है। एक-एक बूंद का सदुपयोग हो। इसके लिए राष्ट्रीय जल नीति के अन्दर इस बात की चिंता की गई थी कि...

श्री सभापति : माननीय सदस्य एक मिनट, यदि सदन की अनुमति हो तो दो प्रस्ताव हैं जनमत जानने हेतु और प्रवर समिति के लिए, इन दोनों का डिस्कशन एक साथ हो जाये फिर मतदान अलग-अलग हो जायेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन कर रहा था सभापति महोदय, हमारी राष्ट्रीय जल नीति के अन्दर जब यह चिंता प्रकट की गई कि हम जल का उपयोग, सदपुयोग करने वाले लोगों को किसी न किसी तरह जोड़ें जल के मूल्य को और जल की उपयोगिता को समझें। मैं समझता हूं कि जब हमारी सरकार थी सिंचाई मंत्री कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य थे, तब यह पहली बार प्रयास हुआ कि किसानों को उसकी सिंचाई के लिए जो जल दिया जा रहा है उसके लिए वाटर यूजर कमेटी बना कर उसको उसके साथ जोड़ें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय, आपने इस विधेयक की धारा 4 के अन्दर वाटर यूजर कमेटी बनाने का प्रावधान रखा। 5 में प्रबंध कार्यकारिणी का और 6 में डिस्ट्रीब्यूटरी कमेटी का। उनके कार्य के आगे विवेचना भी आपने सेक्शन 17 और 18 में की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने वाटर यूजर कमेटी को यह अधिकार तो दे दिया कि वह बारीबंदी करें, पूरे मामले को रेगुलेट करें परन्तु अनुसूची के अनुसार करें।

अब मंत्री महोदया बनायेगा कौन अनुसूची तैयार करेगा आपका परियोजना अधिकारी। परियोजना अधिकारी जो अनुसूची और जो शिड्यूल उनको देगा उनको रेगुलेट करने का काम करेंगे। मोगों में जल को रेगुलेट करने का काम, अनुसूची जारी करने का परियोजना अधिकारी देगा। उसको रेगुलेट करने का काम करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा इसी तरह आपने सेक्शन 18 में वितरण समिति को अधिकार देने की बात तो कही है परन्तु यह कहा है कि परियोजना अधिकारी तय करेगा उसके अनुसार कौनसी फसल हेतु कितना जल दिया जाये उसको तय करेगी आपके द्वारा बनाई गई समिति। आपके इस विधेयक के सेक्शन-20 के अन्दर आपने फीस का प्रावधान रखा है। यह फीस पहले भी मंत्री महोदय निवेदन करूं कुर्सी पर विराजते ही सबसे बड़ा जो कुठाराघात किया किसान की बेटी हो, किसान के साथ जब से 1952 से लेकर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आज तक अगर सिंचाई शुल्क में सबसे बड़ी शत प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है तो आपकी कलम से हुई है। सेक्शन-20 के अन्दर आप जो फीस का प्रावधान कर रही हैं, अधिकार का तो आपने विकेन्द्रीकरण कर दिया उसके लिए धन्यवाद। परन्तु फीस कितनी होगी कैसे निर्धारित की जायेगी इसका कहीं उल्लेख नहीं किया। इसके सेक्शन 46 के उप खण्ड 4 के अन्दर माइनर और डिस्ट्रीब्यूटरी दोनों की मैंटिनेंस का प्रावधान किया। इनकी फण्डिंग कहां से होगी उस एरिया का कुल सिंचाई शुल्क आयेगा उसकी पचास फीसदी राशि यह जो तीनों कमेटियां आपकी हैं यह कमेटियां उस राशि के अनुसार इसका उपयोग करेगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं जिस तरह के हालत हैं, नहरों के हालात हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी और माइनर के हालत हैं, इतनी कम राशि के अन्दर यह सारा प्रावधान कभी हो सकता है क्या ? दूसरा आप पूरे इस विधेयक को देख लें। आपने अलग-अलग तरीके से सारी शक्ति केन्द्रित की है परियोजना अधिकारी। मैं समझता हूं यह सारा आपकी सलाहकार समितियों की तरह रह जायेगा जिनके पास कोई अधिकार होगा नहीं। जल के वितरण का काम आप उनको दे रहे हैं जल उनके पास आयेगा कम, आगे आपस के अन्दर लड़ाई झगड़े करने और प्रारम्भ हो जायेंगे।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं क्यों नहीं हर चकबंदी के अनुसार पूरा प्लान बने और पूरा प्लान बन कर कितना किसी ऋतु के अन्दर कितना-कितना जल उनको सौंपा जायेगा एंड पर जिसको वह टेल एंड तक, जहां तक उनका क्षेत्र है वहां तक डिस्ट्रीब्यूट करने का काम उन पर छोड़ा जाये, परियोजना अधिकारी पर नहीं। आज किसान को मालूम है कि कौनसे मौसम में कौनसी फसल और कितनी बार पानी लगाना पड़ता है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा बिल लेकर आई हैं परन्तु इस बिल के अन्दर अगर ज्यादा अधिकार दे रहे हो तो सेक्शन-23 के अन्दर जो प्रोजेक्ट आथोरिटी आपने बनाने की बात कही है और उसमें गवर्नमेंट को ही सारे अधिकार दे दिये, इसका मतलब वही सिंचाई अधिकारी जो पहले सिंचाई विभाग में सारी चीजों को, सारी व्यवस्था देखते थे वही दुबारा प्रोजक्ट अधिकारी के नाम से वापस इस सारे कार्य को देखेंगे। इसलिए मंत्री महोदय आपकी मंशा है कि इस पूरे कार्य के अन्दर किसान अपनी सहभागिता लेकर उसके अन्दर किसी तरह जुड़े, किसान जुड़े इसके लिए आपको उसके अन्दर और प्रावधान डालने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं आप उत्तर देंगी तब इन सारी चीजों के बारे में बतायेंगी। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री देवीसिंह।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : सभापति महोदय, राजस्थान की सिंचाई प्रणाली में किसानों की सहभागिता का विधेयक यहां प्रस्तुत किया गया है, उसका पूरा

(श्री देवीसिंह भाटी)

प्रदेश स्वागत करेगा। और यह काफी समय से अपेक्षित भी था और हमारा सोच भी यही है कि यूजर्स का हर सिस्टम के अन्दर ज्यादा से ज्यादा इनवॉल्वमेंट हो। अब इसमें निश्चित तौर पर सहभागिता तो बढ़ेगी। लेकिन इसकी जो शुरूआत, इसके अंदर चुनाव की जो प्रक्रिया रखी है उसमें हमें विशेष तौर से निगरानी रखनी पड़ेगी। सहकारिता के आधार पर इसके चुनाव होंगे। और जैसा कि हम पूरे प्रदेश में देख रहे हैं जहां कहीं भी कोई भी यूनिट बने, चाहे ग्राम सेवा सहकारी समिति की या अन्य किसी प्रकार के चुनाव हो, उसमें गांव की पार्टीबाजी निश्चित रूप से सामने आ जाती है। अभी नोटिफिकेशन होने के बाद में हमारे बीकानेर में दत्तौड़ ब्रांच की जग्गासर माइनर के ऊपर एक समिति का गठन हुआ।

सभापति महोदय, अब वह समिति का गठन बहुत दुःखदायी रहा क्योंकि आजकल यह सोच बन गयी है कि जहां कहीं भी चाहे वह पंचायत की यूनिट हो, चाहे और कहीं अवसर मिले सहकारिता के क्षेत्र में हरेक का यह सोच बन गया है कि इसमें हम शामिल हों, कर्ता-धर्ता हम बन जायें और जो भी फंड्स आयें, जो भी इसके फायदे उठा सकते हैं, उसका सारा नाममात्र के लोग ही फायदा उठायें। और उसी के तहत इस जग्गासर माइनर में जो समिति गठित हुई, चुपचाप अंगूठे लगाकर के अपने ही एक ग्रुप से उन्होंने समिति का गठन कर दिया।

अब इसके अंदर प्रावधान यह जरूर है कि मजमा-ए-आम के अंदर, गांव के बीच में समिति का गठन होगा और हकीकत अपन जानते हैं कि जिस प्रकार से आज सारा यह सोच बन गया है इस प्रजातंत्र के अंदर, जैसे-जैसे मौका मारो और काम चलाओ। यह बहुत ही हमारे आम जीवन से जुड़ा हुआ मसला है।

जैसी-तैसी भी हमारी सिंचाई प्रणाली चल रही है और जिसमें कम से कम हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर जहां-जहां बाड़ाबंदी लागू हैं उसमें काफी सुचारू रूप से यह व्यवस्था चल रही है। लेकिन यदि इसके चुनाव ही गलत हो गया और इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी कमेटी जो बन जायेगी वह सर्वेसर्वा होगी और उसके यदि चुनाव सही नहीं होंगे तो निश्चित रूप से तो पानी का सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा और जो भी उसके मेंटिनेंस का पैसा आयेगा वह भी कागजों में हड़प लिया जायेगा। इसमें मैं राज्य सरकार से चाहूंगा कि जल्दबाजी न करें। हकीकत को देखें कि किस प्रकार से सहकारिता के चुनाव होते हैं। इसमें भी काफी शिकायत हुई। मैं भी उन लोगों की पंचायती करने गया लेकिन एक-दूसरे के सामने अड़े हुए थे। अब जब यह एक सिस्टम के अंदर शुरूआत हुई है और सबका सोच इस प्रकार का है तो हम इसके अंदर थोड़ी पारदर्शिता रखें क्योंकि यह शुरूआत है। शुरूआत में यदि गड़बड़ हो गयी तो यह संभालना बहुत मुश्किल हो जायेगा। इसके लिये हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर कुछेक सिस्टम अलग-अलग क्षेत्रों में ले सकते हैं और उसमें हमारे अधिकारियों का

(श्री देवीसिंह भाटी)

ज्यादा से ज्यादा इनवाल्वमेंट हो। उसमें भी हालांकि प्रोजेक्ट आफिसर गया था, कॉपरेटिव सेक्टर का। उसने उस पार्टी से मिलकर चुपचाप चुनाव करा दिये। अब हम तो चाहते हैं कि बहुत अच्छे नतीजे मिलें और हम तहे दिल से चाहते हैं यदि यह सिस्टम लागू हो जाये तो इसके बहुत अच्छे परिणाम आयेंगे। लेकिन शुरूआत में यदि गलती हो गयी तो यह सारी जगह फैल जायेगी। एक जगह सुनेंगे कि इस प्रकार से चुनाव चुपचाप करा लें और अपनी मनमर्जी की कमेटी बना लेंगे। तो यह सबसे बड़ी गड़बड़ हो जायेगी। इसमें जल्दबाजी न करें। नोटिफिकेशन जारी है, आप कार्यक्रम भी यह लागू कर सकते हैं लेकिन जल्दबाजी में इसके बहुत गलत परिणाम आने वाले हैं। इसका मुझे सबसे ज्यादा डर है।

अब इसमें आपने चुनाव की समयावधि भी पांच साल डाल दी है। नियमों में संशोधन करना हमारे हाथ में है। एक जगह जब आप शुरूआत कर रहे हैं तो कम से कम दो साल से ज्यादा तो इसका पीरियड न रखें। पांच साल के बाद में जल्दी से आप न तो उस कमेटी को भंग कर पायेंगे, न उस सिस्टम को जल्दी चेंज कर पायेंगे इसलिए इसमें जल्दबाजी न करें। संशोधन तो मैं इसलिए लाया नहीं क्योंकि संशोधन भले ही हम कितने ही विरोधी दल के या कोई भी मेम्बरान दे दें तो वह स्वीकृत नहीं होता। राज्य सरकार अपने स्तर पर इसको सोचे। इसमें किसी का नुकसान नहीं है। पांच साल की बजाय अगर आप दो साल की अवधि रखें और इसके परिणाम आ जायें तो हम भले ही इसको तीन साल की अवधि बढ़ा दें। पांच साल की बढ़ा दें। कहीं एतराज नहीं है लेकिन सिस्टम जितना ज्यादा हो सके फुलप्रुफ हो। इसके अच्छे परिणाम आयेंगे। यह हमारी शुभकामनाएं हैं।

इसमें एक आपने रख दिया कि यह समिति ऋण ले सकेगी। अच्छा है अगर सिस्टम को सुधारने के लिए ऋण लें। लेकिन इस ऋण की वापस भरपाई कैसे होगी। यह सारा भार उस यूजर के ऊपर, काश्तकार के ऊपर पड़ जायेगा और वापस वसूली के लिये वह काश्तकार ही लपेट में आयेगा, कोई नहर तो कुर्क होने वाली नहीं है। जिसने भी लोन लिया है वह निश्चित रूप से प्रोपर्टी अटैच करेगा। अब वह कमेटी वाले तो भाग जायेंगे। उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, अब वह यूजर, काश्तकार रह गया, उसके लिये बड़ा संकट खड़ा हो जायेगा। इसके लिये भी आप विचार करें।

इसमें आपने किया है कि रिकार्ड को मैनटेन करना। अब देखें, अभी हमारे हिन्दुस्तान की यह हालात नहीं हुए हैं कि काश्तकार इस प्रकार के सारे रिकार्ड मैनटेन कर ले। कितना उसको राज्य सरकार से हिस्सा मिला है, कितना उसने खर्च किया है और उसके लिये फिर आगे जाकर आपको कोई न कोई प्रावधान करना पड़ेगा तो शुरूआत के लिये, काम सीखने के लिए

(श्री देवीसिंह भाटी)

किसी भी एक कर्मचारी को उनके साथ लगायें। मैं यह नहीं कहता कि परमानेन्टली आप कोई पोस्ट क्रिएट कर दें लेकिन उनके सहयोग के लिये, इसकी शुरूआत की जानी चाहिये कि किस प्रकार से वह रिकार्ड मैनटेन कर सकते हैं। उसके बाद में तो सह किसी अध्यापक से भी सहयोग ले लेंगे। किसी और कर्मचारी से भी सहयोग ले लेंगे या बच्चे भी धीरे-धीरे अब पढ़ रहे हैं तो आगे आने वाले समय में वह समझ लेंगे। शुरूआत के अंदर उनको यह रिकार्ड मैनटेन करने के लिये आप जरूर सहयोग देंगे, यह मैं आशा रखता हूं। इसमें क्लॉज तो बहुत हैं, सुझाव बहुत दिये जा सकते हैं लेकिन इसकी एक्सरसाइज सारी अधिकारियों के स्तर पर हुई है।

श्री सभापति : आप तो सब दे डालिये। जितने सुझाव हो सकते हैं, सब दे दीजिये।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, उसके लिए मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यदि आप विचार करें इसको तुरन्त पास कराने की कोई आपकी मंशा है तो वह बात अलग है। लेकिन जब तक कोई भी नयी प्रणाली हम लागू करें, कोई भी नया प्रारूप हम लेकर आयें, जब तक यूजर को इनवाल्व नहीं करेंगे तो वह सिस्टम कभी कामयाब नहीं हो सकता है। उसमें बहुत खामियां रह जाती हैं। अगर इसे उचित समझें तो आप डिवीजनल लेवल के ऊपर, जन प्रतिनिधियों की, काश्तकारों के प्रतिनिधियों की बैठक बुला लें, इसके ऊपर सुझाव ले लें और उसमें अच्छे सुझाव आयेंगे। इनके खिलाफ कोई नहीं जायेगा। लेकिन इसमें जितना ज्यादा सुधार हो सकता है उसके लिए निश्चित रूप से हमें अच्छे सहयोग की अपेक्षा है। मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा।

लेकिन मैंने जो बात रखी है, सबसे पहले सहकारिता वाले विषय पर देखें कि जो चुनाव होने जा रहे हैं, होंगे, निश्चित रूप से उसके ऊपर मानीटरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, ट्रांसपरेंसी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो रही है और आगे बहुत ज्यादा गड़बड़ी की उम्मीद है। इसलिए शुरूआत में यदि गड़बड़ी होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी।

मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाकर दुबारा यह कहना चाहूंगा कि आप इसके अंदर जन प्रतिनिधियों और यूजर्स के सुझाव जरूर लें। तब इसको लागू करें वरना लागू तो अगर आपने करने का सोच रखा है तो भले ही कर दें। यह सिस्टम फेल हो जायेगा तो हमें बहुत दुःख होगा क्योंकि इससे हमें बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं। यदि यूजर्स इसमें शामिल हो जाते हैं और सिस्टम को अपने-अपने संभाल लें तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि गिनी जायेगी। मैं आशा करता हूं राज्य सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी।

श्री सभापति : माननीय श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : सम्माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस पवित्र सदन में राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता का विधेयक, 2000 लाया गया, मैं भी इसका स्वागत करता हूं। लेकिन सभापतिजी हमारे राज्य में सहकारी समितियों का गठन बहुत पहले से हुआ और जिस प्रकार सहकारी समितियों के गठन में, उसके चुनाव में आज दिन तक सभी राज्य सरकारों के द्वारा प्रयत्न करने के बावजूद भी उनकी चुनाव प्रणाली में कोई विशेष प्रकार का सुधार नहीं करने के कारण आज भी उनके प्रति अविश्वास भरा हुआ है।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, हालांकि इस बिल में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं लेकिन यह जो आप बिल लाए हैं उसका जनमानस में, जनता में जिस प्रकार से प्रचार-प्रसार होना चाहिए, उस तरीके से हो नहीं पाने की कमी के कारण जो भी सिंचाई योजनाओं से जुड़े हुए काश्तकार हैं, चाहे मध्यम सिंचाई योजनाएं हों, चाहे बड़ी सिंचाई योजनाएं हों, चाहे लघु सिंचाई योजनाएं हों, चाहे लिफ्ट से सिंचाई करने वाले किसानों का समूह हो, तत्काल चुनाव करवाने से जिस प्रकार की भागीदारी, जिस प्रकार से जिस व्यक्ति को इन समितियों का अध्यक्ष चुना जाना चाहिए, जिस प्रकार से वोट देने वाली प्रणाली आप तय करेंगे, इसका व्यापक प्रचार-प्रसार जब तक उस क्षेत्र के लोगों में नहीं होता है तब तक मैं सोचता हूं कि जो पहली बार चुनाव करवाएंगे उसमें मनमानी करने की भारी संभावना है। क्योंकि कौन-कौन तो इसमें वोटर होंगे और उनको किस प्रकार सूचित किया जायेगा और चुनाव करने की क्या-क्या तिथियां तय होंगी, कहां चुनाव रखा जाएगा। मेरा ऐसा निवेदन है कि पहले इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

जिस प्रकार से माननीय देवीसिंहजी भाटी साहब, राजेन्द्रजी राठौड़ साहब ने यह व्यथा बताई कि, यह व्यवस्था बहुत सुन्दर है, हम इसका स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि इसका व्यापक प्रचार-प्रसार हो। प्रचार-प्रसार होने के बाद में इसके विधिवत् चुनाव हों। हालांकि आपने यह प्रावधान किया है, धारा 10 में आपने लिखा है "Procedure for recall.-(1) A motion for recall of a Chairperson or a President or a Member, as the case may be, of a Managing Committee of a Farmer's Organisation may be made by giving a written notice in such form, as may be prescribed, signed by not less than one-third of the total number of Members of the Farmers' Organisation, who are entitled to vote." इस प्रकार चुने हुए जो भी इसके चेयरमैन या अध्यक्ष होंगे उनका रीकॉल प्रोसीजर जो रखा है, लेकिन इस प्रकार लगातार रीकॉल करने का एक साल बाद रखा है। लेकिन यह रीकॉल वाला प्रोसीजर किसानों में आपस में मनमुटाव पैदा करता है। जिस प्रकार से ये आर्गेनाइजेशन या संगठन प्रभावशाली बनने

(श्री मदन दिलावर)

सिंचाई योजनाओं से अपना पिण्ड छुड़ाने के लिए उन पर जबर्दस्ती थोपने का प्रयास कर रही है। यदि जबर्दस्ती थोपा तो मैं समझता हूं कि किसान बरबाद हो जाएगा और वे नहरें बिलकुल बरबाद हो जाएंगी, न उनकी मरम्मत होनी है बल्कि जो बड़े-बड़े जमींदार और बड़े-बड़े ठेकेदार नहरों के हैड की जमीन दूर-दूर तक खरीदकर वास्तव में पानी देंगे और 20 प्रतिशत लोगों का ही नहरों पर कब्जा होगा, 80 प्रतिशत खेत बिलकुल असिंचित रह जाएंगे, 80 प्रतिशत किसान भूखे मरेंगे और 20 प्रतिशत का कब्जा हो जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय, इस प्रकार का अत्याचार किसानों पर नहीं करें। इस पर पुनर्विचार करें, सोचें, समझें। इसलिए इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करना चाहिए ताकि इसकी जानकारी सब लोगों को मिल सके। फिर भी बहुत गहन सोच-समझ के साथ इसे लाना चाहिए अन्यथा फिर मैं कह रहा हूं कि आप जो किसानों के साथ धोखा करने जा रही हैं, अन्याय करने जा रही हैं वह अन्याय नहीं करें, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : माननीय श्री गणेशीराम मेघवाल। (अनुपस्थित) डा. रामप्रताप।

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : सभापति महोदय, राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में किसानों की सहभागिता, विधेयक 2000 पर चर्चा हो रही है। सभापति महोदय, सिंचाई विभाग से सम्बन्धित मैंने स्थगन प्रस्ताव दिये थे तो माननीय अध्यक्षजी ने व्यवस्था दी थी कि जब यह बिल आएगा तो आप अपनी बात कह सकेंगे। इसलिए दो-तीन मुद्दों पर बोलना था। तो मैं बिल पर बोलने से पहले आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। सिंचाई मंत्रीजी, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है गंग कैनाल के मोर्डनाइजेशन का। मैंने आपसे सवाल किया था, सवाल के जवाब से मेरे दिमाग में एक चीज आती है अधिकारी या तो आपसे बहुत ज्यादा डरते हैं या इनको जानकारी नहीं है। अन्यथा आपकी जानकारी में आने के बाद में इस समस्या का समाधान नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि इसमें बजट का प्रावधान है 40 लाख रुपये। वह तो मुझे पता है वह तो आपकी तनख्वाह में ही जाएगा, उसका इस मार्डनाइजेशन से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन आगे आपने इस महती परियोजना को कितने समय में पूर्ण करने का विचार रखा है, तो इसमें जवाब मिला 8 से 10 साल। यह 8 से 10 साल लिखने का मतलब यह हुआ कि यह कभी पूरी होगी नहीं। अगर आप ऐसे रख देती तो कम से कम किसान एक किनारे तो एक बार तो लगा लेता। क्योंकि 8 से 10 साल का मतलब पिछले दफे बजट सत्र में भी जब चर्चा हुई तो मैंने आपसे निवेदन किया था कि इस मोर्डनाइजेशन ऑफ गंग कैनाल को अगर आप आज हाथ में नहीं लेंगे तो भविष्य में इसको बनाने में इतना भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा कि अपने बूते से बाहर की बात हो

(श्री रामप्रताप)

जाएगी, क्योंकि जिस बात के लिए हमें आई. जी. एन. पी. से इस गंग कैनाल को लिंक किया था, तो उसका मुख्य आधार यही था कि जब इसका मोर्डनाइजेशन लेंगे तो हमें यह आई. जी. एन. पी. से फीड करना पड़ेगा।

लेकिन जब आई. जी. एन. पी. की खुद की डिमाण्ड इतनी बढ़ती जा रही है और सेचुरेशन पाइंट पर हम आ गये हैं कि आज लिंक्स के जरिये इसको फीड नहीं कर सकेंगे। तब आपके पास सिर्फ दो रास्ते बचेंगे। एक रास्ता तो यह है कि आप डाइवर्सन लेकन बनाएं। पंजाब आपको जमीन देने वाला नहीं है। और जमीन देगा तो इतनी भारी कीमत मांगेगा कि वो भी अपने बस की बात नहीं होगी। उस कैनाल को शीघ्र बन्द करें तो बन्द करने के बाद वहां सिंचाई का पूरा सिस्टम ठप्प हो जाएगा, पूरा जिला पीने के पानी के लिए तरसेगा।

इसलिए इस बात को लेकर पूरा गंगानगर जिला, चाहे उसमें किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, या कोई अन्य हो, पूरा उद्वेलित है। यहां तक कि जितने भी जन-प्रतिनिधि हैं, चाहे पंचायत के हों, चाहे जिला परिषद के हों, चाहे पंचायत समिति के हों सबने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किये हैं कि हमें गंगानगर जिले में न तो सड़कें चाहिए, न हमें स्कूल चाहिए, न हमें अस्पताल चाहिए, हमें इस गंग कैनाल का मोर्डनाइजेशन करवाना है और यह हमारे लिए एक लाइफ लाइन है।

इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि, वैसे बाहर से लोनिंग हो रही है, इस सिस्टम को अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम पजांब का पोर्सन, जो कि हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, उस पार्ट के लिए 450 करोड़ की योजना है। तो उसको आप आगे के पोर्सन को एक बार छोड़ सकते हैं, लेकिन वो हिस्सा अगर अब नहीं बनेगा तो कभी नहीं बनेगा। इस स्थिति से निकलने के लिए कम से कम पंजाब पार्ट तो हमें प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लेना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, यह गंग कैनाल चूने व कंक्रीट से बनी है जिसकी लाइफ 33 साल की होती है। 1927 की बनी हुई नहर है, 30 साल लें तो 1957 में ही इसकी कंडीशन खराब होना शुरू हो गई। यह करते-करते 1970 के बाद में यह जीर्ण-शीर्ण हालत में पहुंच गई और हम आकलन करें तो बहुत भयावह आंकड़े हमारे सामने आते हैं। क्योंकि जब हमारी बोर्डर पर पहुंचते हैं तो 600 क्युसेक्स लासेज तो हम वहां कर देते हैं और 600 क्यूसेक्स का लोंसेज हमारी मैन कैनाल और डिस्ट्रीब्युटरी में हो जाता है। 1000-1200 क्यूसेक्स का हम नुकसान करते हैं। 1000-1200 क्यूसेक्स का मतलब यह हुआ कि लाखों एकड़ भूमि के सिंचित होने से हम वंचित कर रहे हैं और वह हमारा पानी या तो पाकिस्तान जा

(श्री रामप्रताप)

रहा है या हम उस हिस्से को ले नहीं सके हैं। इसलिए एक वीसिअस साइकिल बन गया, उस साइकिल के जरिये हमें बहुत नुकसान हो रहा है। जब तक आप मोर्डनाइजेशन के प्रोग्राम को शुरू नहीं करें, यह मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि पंजाब निश्चित तौर पर बहुत बढ़ा-चढ़ाकर हमसे मेंटिनेंस के पैसे लेता है, लेकिन उससे ठगना हमें घाटे में नहीं हैं। अगर वो एक करोड़ की बजाय दो करोड़ मांगता है तो भी हमें देना चाहिए क्योंकि उसकी एवज में हम जितना पानी लेंगे उससे सैकड़ों करोड़ की फसल लेंगे।

माननीय सभापति महोदय, बड़े दुःख की बात है कि पिछले दो-तीन साल में, मैं कोई पार्टी लाइन पर बात नहीं कर रहा, आप खुद पीछे के आंकड़े उठाकर देख लेना, अधिकारियों से आप पूछ लेना कि दो-तीन साल में गंग कैनाल की मेंटिनेंस के लिए पैसा ना के बराबर दिया गया है। अगर वहां कोई डेढ़ करोड़ मांगते हैं तो आप 10 लाख रुपये देते हैं। मैं यह मानकर चलता हूं कि कम से कम 10 लाख का घाटा आपको है, क्योंकि उस बहाने उनको काम तो करना ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के टाइम में लगातार जब इसको सी. डब्ल्यू. सी. से क्लीयर नहीं कराया गया था तो राजस्थान के हिस्से में कम से कम 250 से 300 किलोमीटर की डिस्ट्रीब्युटरीज और माइनर्स की लाइनिंग की गई थी। तो कम से कम वो लोसेज तो हमारा कम हुआ।

(14.37 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

तो मेरा आपसे आग्रह है कि यह काम आप जल्दी हाथ में लें। आपके पास में धन का कोई प्रबन्ध हो उससे पहले कम से कम एक तो मेंटिनेंस का पैसा दें और दूसरा आगे का पोर्सन है उसके लिए थोड़ा-बहुत पैसा देना चाहिए जिससे कि लाइनिंग अगर आगे के पोर्सन की होती है तो पानी के लोसेज कम होंगे। माननीय सभापति महोदय, इस बात को लेकर हालात ज्यादा बिगड़ें उससे पहले हमें संभलना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इसके बाद में अभी राज्य सरकार ने एक फैसला किया। आई. जी. एन. पी. की फर्स्ट स्टेज के वाटर अलाउंस को कम करने का। हमें रेगुलेशन कमेटी की मीटिंग से पहले जो एजेण्डा भेजा गया इंसमें फर्स्ट स्टेज का 5.23 से 3.5 क्यूसेक फर्स्ट फेज और तीन क्यूसेक सैकण्ड़ फेज का किया गया। उसमें जो मुख्य कारण बताया गया, इसका कारण उसमें लिखा गया है, 3.5 क्यूसेक करने से सेम समस्या का समाधान होगा।

माननीय सभापति महोदय, राज बड़ा होता है, राज के सामने आदमी असहाय होता है। आप भले ही पानी ले लो, वाटर अलाउंस कम कर दो, लेकिन ये एलीबिस और एक्सक्युजेज लेकर लोगों के साथ दो किस्म का धोखा आप मत करो। क्यों नहीं हम इस बात को एडमिट करते कि सेम

(श्री रामप्रताप)

की समस्या का मुख्य कारण है ज्यादा वाटर अलाउंस होना। कोई थोड़ा-बहुत एलीमेंट हो सकता है, लेकिन मुख्य कारण इस कैनाल का पूरा का पूरा बैड टूटा हुआ है और टूटने की वजह से इसके अन्दर लोसेज बहुत ज्यादा हो रहे हैं।

मैं आपको 16.8.2000 की रेगुलेशन कमेटी की मीटिंग में जो चीफ़ इंजीनियर (नोर्थ) ने कहा, मैं उसको उद्धत कर रहा हूं। "मुख्य अभियंता, सिंचाई (उत्तर) ने अन्य समस्याओं की जानकारी देते हुए बताया कि उनके क्षेत्र में अनिवार्य आवश्यकता के तहत जो 530 क्यूसेक के लोसेज माने गये थे वे वर्तमान में 1200 क्यूसेक से अधिक आते हैं।" माननीय सभापति महोदय, 530 क्यूसेक लोसेज होने चाहिए थ्योरिटिकली, आप कैलकुलेट करो। उसकी एवज में अगर 1200 क्यूसेक हैं तो 700 क्यूसेक के लोसेज तो कैनाल की वजह से हो रहे हैं। इस बात के लिए एरिया डवलपमेंट कमिश्नर ने खुद ने माना। "इस सम्बन्ध में आयुक्त महोदय ने सभी मुख्य अभियन्ताओं की जानकारी के लिए अवगत कराया कि इंदिरा गांधी फीडर की बुर्जी नम्बर 580 से 671 तथा जीरो आर.डी. से 100 बुर्जी तक का बैड़ बैठ गया है और उसके कारण से भी अत्यधिक लोसेज हो रहे हैं और इसकी मरम्मत यदि नहीं करायी जाती है तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं एवं सिंचाई की सारी व्यवस्था ठप्प होने की संभावना पैदा हो सकती है। अतः आयुक्त महोदय ने मुख्य अभियन्ता, सिंचाई (उत्तर) को निर्देशित किया कि उक्त नहर हेतु आवश्यक प्रस्ताव बनाकर अविलम्ब राज्य सरकार को भिजवाएं ताकि राज्य स्तर पर बजट की मांग की जाकर बजट स्वीकृत किया जा सके।"

माननीय सभापति महोदय, यह चीफ इंजिनियर सहित चीफ इंजिनियर नार्थ, आई.जी.एन.पी. और सी.ए.डी. तीनों आपके टाप अधिकारी थे और उसमें इस बात को माना है कि इसमें भयंकर लोसेज हैं और उस लोसेज की वजह से सारा एरिया सेमग्रस्त हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, आपके अधिकारियों से आप जानकारी प्राप्त करना पूना इन्स्टीट्यूट से एक टीम आयी थी और उस टीम ने सौ आर.डी. के पास में वहां पर स्टडी की तो वाटर लासेस आपके 2,3,4 क्यूसेक्स होना चाहिए प्रति बुर्जी, माननीय सभापति महोदय, 30 क्यूसेक्स के लासेस हैं। और उस रिपोर्ट को अगर कोई इंजिनियर देखे और गंभीरता से देखे तो एक बहुत ही भयानक स्थिति है, आज की तारीख में उसको ताले में बंद करके रख रखा है उस सांप को लेकिन उसको निकालना पड़ेगा कभी न कभी। इस किस्म के जो लासेस हो रहे हैं वह मैन कैनाल से हो रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आई.जी.एन.पी. में अगर वाटर अलाउंस की वजह से सेम हो रही थी तो आपके

(श्री रामप्रताप)

सूरतगढ़ से आगे अनूपगढ़, घड़साना, रावला, खाजू-वाला इस एरिया में सेम क्यों नहीं हुई ? वहां पर भी तो 5.23 क्यूसेक्स वाटर अलाउंस है। वहां पर 80 से लेकर सौ फीट नीचे पानी है, वहां पर नहीं हुआ और सेम वाटर अलाउंस यहां पर कैसे हो गया ? इसलिए इसका कारण हमें खोजना पड़ेगा। किसान से आप वाटर अलाउंस कम करके उसको धोखे में रखकर कि यहां सेम की समस्या इसलिए हो रही है, ऐसा कोई कारण नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ सेम का कारण, आपका दूसरा मुख्य कारण है कि यह कंटूर कैनाल है आपकी और राइट साइड में इर्रिगेशन करते हैं मैक्सिमम लेफ्ट साइड का पार्ट उसकी कटिंग में होने की वजह से एक किस्म का अन्याय किया गया है इस इलाके के किसान के साथ में कि एक ही साइफन आपने नहीं दिया। ड्रेनेज आपने नहीं बनाया। जब कि इर्रिगेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट आफ इण्डिया की हैंड बुक आप देखें उसमें साफ लिखा गया है कि आउटलेट से पानी आप जब ही देंगे जब पास में ड्रेनेज सिस्टम होगा। और अभी पिछले दिनों आपके दिल्ली से एक साइंटिस्ट आये थे पूरी इस मामले की स्टडी करने के लिए, उन्होंने इस खेंतावाली सौ बुर्जी के पास में जो आपने बंद करके रखी हुई है, उस आदमी ने वहीं पर कहा था कि यहां पर आपको अल्टीमेटली साइफन बनाना पड़ेगा। अगर आप साइफन नहीं बनाते है, आप वाटर अलाउंस जीरो कर दीजिये उस सेम की समस्या का समाधान आप नहीं कर सकते।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके से तीसरा मुख्य कारण है वह आपके सूरतगढ़ के डिप्रेसन से है। यह शायद हिन्दुस्तान में पहली दफा हो रहा होगा कि सैंड ड्यून्स के बीच में मिलीयंस आफ क्यूसेक्स पानी पड़ा हुआ है। पास में आपका बड़ोपुल गांव है। बड़ोपुल गांव, 650 फीट उसका लेवल है और आपका पोंड लेवल है 686 फीट। माननीय मंत्रीजी, 30 फीट पानी इतना भारी लाखों क्यूसेक्स खड़ा हो सिर के ऊपर और टिब्बों के अन्दर खड़ा हो तो उससे सेम नहीं होगा तो क्या होगा ? इसलिए हमें इसका समाधान निकालना चाहिए, वाटर अलाउंस कम करके हम कोई समाधान नहीं निकाल सकते। माननीय सभापति महोदय, यह क्षेत्र आपके लिए पेडी की बैल्ट बन चुका था, उस पेडी की बैल्ट को हम तबाह करने जा रहे हैं। यह आपको रिव्यु करना चाहिए, हड़बड़ाहट में फैसला लेने से कोई लाभ नहीं होने वाला।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका समय तो ले रहा हूं, मंत्रीजी, आप यह ध्यान से सुनें। आपके अधिकारी आपको बताते हैं कि नहीं बताते हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी आपका ओटूवियर का मामला आया।

श्रीमती कमला : बिल के ऊपर बहस करिये।

श्री रामप्रताप : मेरे को माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय ने यह थोड़े ही कहा था कि आप टोटल लेंथ आफ इर्रिगेशन डिपार्टमेंट ही डिस्कस करो।

श्री रामप्रताप : टोटल लेंथ नहीं कर रहा, मैं मेरे मन की पीड़ा, तकलीफ बता रहा हूं। आपको यह पसंद नहीं है, यह मुझे उम्मीद नहीं थी।

श्रीमती कमला : यह तो कोई समय नहीं है। सभापति महोदय, पूरे इर्रिगेशन डिपार्टमेंट पर डिस्कस कर रहे हैं।

श्री रामप्रताप : नहीं, इर्रिगेशन डिपार्टमेंट पर यह व्यवस्था दी गयी थी कि जो मुद्दे आपने बिल में उठाये हैं, टाइम बहुत है, आपको तकलीफ क्या है ? बात काम की हो तो ठीक है न लगे तो टाल कर देना और यह गलत है तो मैं चेलेंज करता हूं कि आप मेरे को बता देना किसी टाइम। सारी फेक्चुअल पोजीशन दे रहा हूं आपको।

श्रीमती कमला : सीमा तो हो न कोई।

श्री रामप्रताप : ऐसी बात थोड़े ही है, मैं शार्ट में ही कह रहा हूं। ओटू वियर का मामला, यह हमारे लिए शर्म की बात है क्यों कि यह मुद्दा उठा रहा हूं बिलकुल सही है। इंटर स्टेट मैटर होते हुए भी राजस्थान की सरकार ने पूरे गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के साथ अन्याय किया है। आप इसको मजाक में ले रहे हैं और इसको सुनना नहीं चाहती। कल आपके सामने जो पूर्वी राजस्थान का मुद्दा आया था।

माननीय सभापति महोदय, यह गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले के सामने स्थिति पैदा कर रहे हैं आप, अभी ओटू वियर का मामला है, आपको सुनकर इसमें फैसला देना चाहिए। ओटू वियर का मामला है जिसकी क्षमता 20 हजार की थी उसको उठाकर हरियाणा एकतरफा कार्यवाही से जिस तरह से 63 हजार क्यूसेक्स बना देता है और राजस्थान की गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई कार्यवाही ही नहीं करती, आप 20 हजार क्यूसेक्स में हमेशा डूबते हैं। आगे जाकर पाकिस्तान की बोर्डर पर बंधा बना हुआ है। 63 हजार क्यूसेक्स की क्षमता से जब पानी वहां पर जाएगा तो माननीय सभापति महोदय, वहां पर बचेगा क्या ? आपके सारे हाइड्रोलिक्स स्ट्रक्चर्स फैल हो जाएंगे, पूरा एरिया डूब जाएगा और जब हरियाणा के मुख्य मंत्रीजी ने उसका उद्घाटन कर दिया, शुरूआत उसने कर दी, उसके बाद राजस्थान के मुख्य मंत्री उनको पत्र लिखते हैं।

मैं यह आगे कभी चर्चा आएगी तो वह पत्र भी दिखाऊंगा कि एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर उसका पत्र दूसरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पास जा रहा है वह पार्टी का मामला नहीं है, मुख्य मंत्री और मेरा भी है। राजस्थान का मुख्य मंत्री मेरा भी मुख्य मंत्री है। अगर वहां बेइज्जती होती है तो वह

(श्री रामप्रताप)

मेरी भी बेइज्जती है। उसका वह लिखा गया मैटर वह कोई 20 हाथों में से निकला होगा और उस मैटर को देखें तो कई बातें आपको समझ में नहीं आती संबोधन भी गलत किया गया है, उसको पढ़कर आपको अगला आदमी मदद करेगा ? और एक लैटर लिखकर आपने छोड़ दिया और वह पानी जब वहां पर एक लाख क्यूसेक्स की तादाद में आएगा और हम 20 हजार नहीं संभाल सकते तो वहां कौन संभालेगा और क्या स्थिति वहां पर होगी उसके लिए आपने कोई इंतजाम नहीं किया। समय आपका इंतजार नहीं करेगा, अक्टूबर, 2001 में वह वियर बनकर तैयार हो जाएगा। हरियाणा बाढ़ रहित हो जाएगा और राजस्थान को आप बाढ़ की विभीषिका में धकेलकर रहेंगे, इसका आपके पास कोई इलाज नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी सुनना नहीं चाहती इसलिए मैं बिल पर आ रहा हूं। बिल को मैंने बहुत ही ध्यान से पढ़ा है लेकिन मैं ज्यदा लम्बी चौड़ी बात न कहते हुए आपसे 2-3 निवेदन करना चाहूंगा। इसमें बाकी का तो माननीय सदस्य पूरा बोल चुके हैं, आफेंसेज और पेनेल्टीज की मैं एक लाइन पढ़कर सुनाता हूं, ".....A farmer shall, on conviction, be punished with imprisonment which may extend to two years or with fine which may extend to rupees five thousand or with both."

माननीय सभापति महोदय, आप भी गांव में रहते हो, मैं भी गांव में रहता हूं। यह बात जंचती है क्या कि गांव के आदमी को 5 साल की सजा दे दो, दो साल की सजा दे दो, पांच हजार रुपयें जुर्माना दे दो, वह सहन कर लेगा ? यह क्या व्यावहारिकता है ? इस किस्म के क्लाजेज आपने लगाये हैं, यह कतई व्यावहारिक नहीं है। माननीय सभापति महोदय, और इस काम को करने के लिए जिस चीज की मानसिकता है उसका तो मैं बाद में निवेदन करूंगा, आपका सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान दादाबाड़ी कोटा, इन्होंने एक कार्यशाला का आयोजन किया था। माननीय सभापति महोदय, उससे पहले इन्होंने एक बुक लैट भेजी है इसमें उदाहरण दिये 322 से 184 ईसा पूर्व मौर्य काल, अशोक महान का काल, चाणक्य का जमाना।

माननीय सभापति महोदय, उस किस्म के लोग और उस किस्म के संस्कार और संस्कृति आपके पास में है क्या ? उस टाइम में जो सिस्टम था उसका हम मुकाबला कर सकते हैं क्या ? उनको हम इस तरीके का उद्बोधन करके और यह बातें सुनाकर लोगों को बहलाने से कोई लोग इस बात में पड़ने वाले नहीं है, लोगों के सिर फुटेंगे और कोई बचा नहीं पाएगा। माननीय सभापति महोदय, आज से शायद साल डेढ़ साल पहले ही मेरे क्षेत्र में भी एक कार्यशाला का आयोजन किया गया राजस्थान जल संसाधन विकास पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन परामर्श कार्यशाला।

(श्री रामप्रताप)

मैं ज्यादा लम्बी चौड़ी बात न कहते हुए मंत्रीजी को शार्ट में निवेदन करूं, इन्होंने एक दो पेज का पैम्पलेट दिया था उसके आखिर में छोटी सी लाइन है उसको उन्होंने पूरी कार्यशाला में किसी किसान को नहीं बताया। इसमें नीचे लिखा है, सिंचाई विभाग का दायित्व, इसमें दो लाइनें लिखी हैं। माननीय सभापति महोदय, इस व्यवस्था में सिंचाई विभाग की मुख्य जिम्मेदारी एक सलाहकार के रूप में होगी जो कालान्तर में इन समितियों को अपने खर्चे पर उपलब्ध होगी यानि किसान है वही सारा खर्चा वहन करेगा।

माननीय सभापति महोदय, इसके पीछे सिर्फ एक ही मानसिकता है कि वर्ल्ड बैंक जो आपको टर्म्स डिक्टैट कर रहा है उसी को हमें फालो करना है, इसलिए आपकी मजबूरी है आप इसको पास करवाइये। लेकिन यह काम चलने वाला नहीं है। आप बिजली दे रहे हो टोटल प्रोडक्शन की जो आपकी कास्ट है उसके ऊपर तीन परसेंट मुनाफा लेकर। इसी तरीके से उसी पैटर्न पर आप किसान के साथ करने वाले हो। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जब आप यों ही तीन तीन परसेंट का दे रहे हो, थोड़ा हिसाब लगाकर किसान को ही तीन परसेंट प्रोडक्शन पर दे दो। वह तो तीन परसेंट ही नहीं मांगता। उसका जो खर्चा लगता है, उसकी जो लेबर लगती है वह एट पार आप दे दो वह आपको दे देगा। बाजार में जब उसकी चीज आती है तो कोई लेने वाला ही नहीं होगा। अभी पेडी आयी तो पेडी बाजार में रूल रही थी और उससे आप तीन परसेंट ले रहे हो और प्रबंधन उसको दे रहे हो। माननीय सभापति महोदय, गांव में यह पंचायत के चुनाव होते हैं, अपन जानते नहीं हैं क्या ?

आप पीछे से रिकार्ड उठाकर देख लें कि कितने मर्डर होते हैं कितने कैसेज होते हैं। और केसेज उस वक्त में नहीं, चुनाव के थोड़े दिन बाद में आप क्राइम्स का फीगर उठाकर देखें कि वह कितने ज्यादा होते हैं। किसान के खेत में, अभी माननीय देवीसिंह जी भाटी, पूर्व मंत्री ने एक बात उठायी थी कि एक तो हैड-रीच का किसान है और एक टेल का है। हैड वाला कहेगा कि मैं तो नहर को ऐसे ही रखूंगा और टेल वाला कहेगा कि खोदकर सिल्ट निकालो इसकी। आप वहां जाकर क्या फोर्स खड़ी करोगे क्या ? हैड-रीच का किसान, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को निवेदन कर देता हूं कि, इकोनोमिकली साउंड होता है। साउंड का कारण है क्यों कि उसको पानी ज्यादा उपलब्ध होता है। तो जो आदमी मजबूत है वह इस गरीब का कहना मानेगा ? आप चाहे कितने ही कानून बना दो और चाहे उनको कितना ही रख दो।

अंत में मैं एक बात और निवेदन करूंगा। जो समिति होगी, उसको देखना कि क्या क्या रिकार्ड वह रखेगी। सदस्य रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, रोकड़ बही, खाता बही, सदस्यों की भूमि का विवरण का रजिस्टर, सदस्यों की भूमि का नक्शा सदस्यवार,

(श्री रामप्रताप)

समस्त सदस्यों की भूमि का नक्शा जो समिति द्वारा धारित की जाती है जिसमें वह भूमि अलग से दर्शायी जाएगी जिसमें सिंचाई हो सकती है। यह तो बुक लेट है, डिटेल आयी है। उनकी भूमि की लेवलिंग करने से जिस भूमि की सिंचाई हो सकती है उसका अलग विवरण रखा जाएगा। रजिस्टर व रसीद बुक, रजिस्टर व पास बुक, हिस्सा पूंजी रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, अन्य रजिस्टर, निर्माण रजिस्टर, आडिट रिपोर्ट व आक्षेप पत्र प्राप्ति पूर्ति पत्रावली, निरीक्षण पत्र व निरीक्षण पत्र आक्षेप पूर्ति पत्रावली, वार्षिक अंतिम लेखों का रजिस्टर जिसमें आय व्यय, हानि लाभ खाता व संतुलन चित्र आदि सम्मिलित करते हुए, सिंचाई के विवरण का रजिस्टर वर्षवार भूमि जिसमें सिंचाई की गयी, सिंचाई कर निर्धारण रजिस्टर, सिंचाई कर वसूली का रजिस्टर, सिंचाई योजना का रजिस्टर, वर्क-इन-प्रोग्रेस का रजिस्टर, कर्मचारियों की उपस्थिति का रजिस्टर, सदस्यों की भूमि का सिंचाई रजिस्टर जिसमें सदस्यों को सिंचाई के लिए निश्चित किये गये समय का विवरण होगा, प्रत्येक सदस्य को कितना समय पानी दिया जाएगा इसका विवरण होगा, अन्य आवश्यक रजिस्टर जो समिति रखना जरूरी समझे। सभापति महोदय, आप रख लो क्या आप पढ़े लिखे हो ? इतने ज्यादा रजिस्टर रख ले क्या कोई ?

सबसे पहले आपके पास में चीज जो होनी चाहिए वह शिक्षा होनी चाहिए। ये इतने सारे रजिस्टर मैं ही नहीं रख सकता और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप भी नहीं रख सकते। तो यहां तो गड़बड़ घोटाला सीधे ही हो जाएगा। इस चीज के लिए जो बेसिक चीज है, एक आपको मैं उदाहरण देता हूं गंभीरता पूर्वक। सभापति महोदय, परिवार नियोजन कार्यक्रम आया था, बहुत ही बढ़िया नेशनल चीज थी, इश्यू था, नेशन के लिए बढ़िया चीज थी। वह फेल्योर ही नहीं हुआ, उसने गवर्नमेंट को भी फेल करके रख दिया। साउथ में तो कोई असर नहीं पड़ा और नार्थ में आकर के उसने कांग्रेस को बिलकुल जमीन पर लाकर रख दिया। वह भी हिन्दुस्तान के थे और ये भी हिन्दुस्तान के थे फर्क इसलिए रहा कि वहां शिक्षा थी और यहां शिक्षा नहीं थी। आज की तारीख में कोई किसी से जबरदस्ती नहीं करता। आप और हमको पता नहीं हो कि कब कैम्प लगेगा लेकिन जिसको जरूरत है वह जाकर आपरेशन करवा रहा है।

इसलिए सबसे पहले आप मोटिवेट करिये, उनको जानकारी दीजिये। यह कार्यशाला में बुलाकर के जो महत्वपूर्ण ब्रिन्दु हैं उनको नहीं बतायें और यों ही चाय पानी पीकर आ जाए और वह कहे कि हमने इतनी कार्यशालाएं आयोजित कर दीं उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। आप, मंत्री महोदय, थोड़ा विद्युत मंत्रीजी से आप में फर्क है, निश्चित रूप से आप इसका अवलोकन करेंगे, जल्दबाजी से कोई फैसला नहीं करेंगे, यह मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री भंवरलालजी शर्मा (अनुपस्थित) श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात का तो समर्थन करता हूं और मंत्री महोदय ने जिस विचार से इसको पेश किया उसका भी समर्थन करता हूं। पर चूंकि हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिससे राजस्थान का सारा किसान और विशेष कर जो इर्रिगेटेड क्षेत्र का किसान है उसे इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

बहुत समय से आवश्यकता महसूस कर रहे थे कि जो किसान इस पानी का उपयोग करता है उसकी भागीदारी कैसे इसमें ज्यादा से ज्यादा बने ताकि वह उसको अच्छी प्रकार से कर सके। लेकिन हमने इस सारे को बनाने के पीछे जितने लोगों को इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, इंट्रक्शन करना चाहिए, बातचीज करनी चाहिए, खुली चर्चा करनी चाहिए ताकि हमारा जो कानून बन रहा है वह बिलकुल परफेक्ट बने और प्रभावी ढंग से बन सके।

मैं सोचता हूं कि इसको अगर हम दो महीने बाद लागू कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्यों कि बहुत बड़ा तूफान नहीं होने वाला है लेकिन हमने मेहनत की उसको तो मैं एप्रिशियेट करता हूं पर जिस मन की भावना से इसको लाये वह वास्तव में स्वागत योग्य है लेकिन इसमें जिस प्रकार की चुनाव की प्रक्रिया डाली इस पर विचार करिये कि हमने सारे प्रदेश में जिस प्रकार से चुनाव के कारण से गांवों को बांटा है और बस्तियों को बांटा है, बहुत ज्यादा आपस में एक दूसरे के प्रति ऐसी हीनभावना पैदा हो गयी और ऐसे ग्रुप खड़े कर दिये कि अगर इसमें भी कहीं खुदा न खास्ता इसी लाइन में चले गये तो हमारे लिए जिस लाभ के लिए हम कह रहे हैं वह लाभ शायद हम नहीं उठा सकेगें। आपने गुप्त मतदान से किया। अब इस गुप्त मतदान से चुनाव कराना और लड़ना, यह क्या इस किसान के लिए बहुत अधिक कोई महत्वपूर्ण बात है क्या ?

क्या इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता कि बिना इस चुनाव की प्रक्रिया को हल्की किये हुए सीधे मतदान से नहीं कराकर के उनके प्रतिनिधित्व के कोई वार्ड बनाकर जिस-जिस किसान की होल्डिंग है उसके आधार पर कुछ कमजोर लोगों के आधार पर भी उनका भी कोई न कोई प्रतिनिधित्व उसमें रहे और उसके आधार पर अगर चुनाव हो तो मैं समझता हूं कि ज्यादा हम अच्छी प्रकार से इसको स्वरूपता ला सकें। फिर आपने जो कार्यकाल रख दिया वह पांच साल का रख दिया। अगर मान लो गलती से भी, किसी न किसी प्रभाव से या अपने व्यक्तिगत साधनों से चुनाव जीत भी लिया और जीतने के बाद वह पांच साल तक उस पद पर रहेगा, आपने उसको हटाने का भी किया है कि एक साल बाद आप उसे हटा सकते हैं पर एक-तिहाई लोगों के दस्तखत करके आप उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लायेंगे। लेकिन यह प्रक्रिया हम लोग जो इस राज

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

व्यवस्था में कर रहे हैं वही बहुत है। क्यों इस किसान को भी इस ओर डालना चाहते हैं। इसका कोई सरल स्वरूप हो सकता है क्या ? क्या इसका और रास्ता हो सकता है ? उस रास्ते पर आप जरूर विचार करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं भी सहमत हूं पर आप इसका कोई विकल्प बता दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : विकल्प क्या है कि यह अगर चर्चा में बैठकर कोई सलेक्ट कमेटी को या किसी को भेजकर के, मेरी प्रार्थना है, आप स्वीकार करें या नहीं करें आपका बहुमत है लेकिन आप ऐसी चीज बना रहे हैं कि जिसके बारे में जो भी इसके बारे में अच्छा ज्ञान रखता है, ऐसे कुछ लोगों को बिठाकर के इसके एक एक बिन्दु को ठीक प्रकार से हम देखते चले जाएं और फिर उसमें कोई कमी-खामी है तो उसको सुधार करते चले जाएं। जैसा आपने सैक्शन-7 में वितरण समिति की प्रबंध समिति और उसके अध्यक्ष और सदस्यों का निर्वाचन, इसमें एक नीचे लाइन डाली है–प्रत्येक वितरण समिति की एक प्रबन्ध समिति होगी और उक्त समिति में अध्यक्ष सहित पांच से अधिक इतने सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएं। अब यह कहां-कहां. एक-एक जगह राज्य सरकार इस बारे में अपनी चिंता करेगी। कोई ऐसा फूलप्रूफ बनायें कि इतने कृषकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मैम्बर होगा। तो सब जगह चाहे बड़ा होगा, चाहे छोटा हो, जितने खातेदार हैं उनके आधार पर कोई संख्या तय करके इतने खातेदार पर हम एक प्रतिनिधि चुनकर आयें, ऐसा कोई सिस्टम बनायें तो अपने आप चलता रहेगा। रोज-रोज सरकार के पास आना, रोज-रोज सरकार इसके बारे में फैसला करेगी, मैं सोचता हूं कि यह बहुत ही कठिन काम होगा। इसलिए इस पर आप विचार करें।

(15.00 बजे)

अब इसमें लिखा है, इसी के साथ में सैक्शन दो में–"परन्तु सरकार लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, निर्वाचन समय-समय पर स्थगित कर सकेगी" यह बंटाधार हो गया। मतलब अगर आपने उसके चुनाव को कोई न कोई रीजन देकर बंद कर दिया तो आप जिस भावना से इसको बना रहे हो वह भावना काम नहीं करेगी। हमारी पीछे भावना यह है कि हमारा किसान ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके और उसके खेत को पानी ठीक प्रकार से मिल सके ताकि उसकी आमदनी बढ़े। लेकिन आपने फिर यहां अंड़गा लगाने की कोशिश की कि अगर यदि कोई दिमाग में घुस गयी, कोई अध्यक्ष ठीक नहीं बना, कोई कमेटी ठीक नहीं बनी तो आपने भी कोई सा भी कारण बनाकर कह दें कि चुनाव नहीं होगा तो क्या मतलब निकला। इसलिए इसके हर बिंदु के ऊपर ठीक प्रकार से, मैं सोचता हूं कि यह काफी विस्तृत बना है, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

निश्चित रूप से विचार आपको करना चाहिए।

इसी प्रकार से आपने उसकी अयोग्यता के बारे में बताया है। अब उसकी अयोग्यता के बारे में जो आपने (3) के (ग) में लिखा है, "या तो सरकार को या कृषक संगठन या भू-राजस्व या प्रभारों का व्यतिक्रमी है" कितने समय का ? यानी वह अगर डिफाल्टर है तो कितने समय का डिफाल्टर है। इसको अगर स्पष्ट कर देते, एक साल का, दो साल का, छह महीने का, या एक फसल से दूसरी फसल का। अगर कोई सीमा नहीं होगी तो कोई भी किसी का भी छोटा-सा बकाया होगा तो इसको आधार बनाकर के उसको इससे रोका जा सकता है। मतलब कम से कम जो चीज करें, उसको बिलकुल स्पष्ट करने की कोशिश करें। मैं सोचता हूं कि मंत्रीजी, आपने प्रयास किया, इसके लिए आपको बधाई दे रहा हूं लेकिन इतना जल्दी और अभी का अभी पास हो जाये, ऐसा कोई नहीं है। आप जिन्हें ठीक समझें, इस बारे में जिनको ज्ञान है, जिनके क्षेत्र सिंचित क्षेत्र में हैं, जो इस बारे में जानते हैं, उनको बैठाकर के इसके एक-एक बिन्दुओं पर, क्योंकि हम भी इतने डिटेल में उसके एक-एक छोटे-छोटे बिन्दुओं के ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं, और न उसकी कोई कमियों को ठीक तरह से हम निकाल पाये। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि हम एक ऐसी अच्छी व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे राजस्थान के कृषकों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, उसकी भागीदारी बढ़ेगी लेकिन इसको इतना जल्दी नहीं किया जाए यानी इसको थोड़ा-सा सब लोगों से चर्चा करके, बातचीत करके और इसका एक ऐसा फूलप्रूफ कानून का रूप दें जिसके कारण से हम अपने किसानों को इससे जोड़कर उनको ज्यादा लाभ पहुंचा सकें।

श्री सभापति : माननीय शिवनाथ सिंहजी।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय सभापतिजी, मेरे पहले से बोलने वाले माननीय सदस्यों ने काफी सुझाव इसमें दिये हैं और मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा। मेरा प्रस्ताव इसमें यह है कि इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये।

माननीय सभापतिजी, हमारे जो नियम हैं प्रक्रिया और कार्य संचालन, उनमें एक प्रोविजन यह भी है, एक नियम यह भी है कि कोई विधेयक, कोई बिल सदन में पेश हो और ऐसा पेश हो कि जिसमें सुधार की आवश्यकता महसूस की जाये तो उसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रावधान है। प्रक्रिया यह शुरू हो रही है कि कोई भी कितने भी अच्छे सुझाव हों और कितनी भी खामियां उस बिल में हों लेकिन प्रवर समिति के सुपुर्द करने में हमारे अधिकारियों और सम्बन्धित मंत्रीजी एक तरह से अपने आपको यह समझते हैं कि जो हमने विद्वतापूर्वक

(श्री शिवनाथ सिंह)

अधिकारियों ने एक बिल बना दिया, उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है चाहे वह अधिकारी छह महीने बाद उसमें संशोधन लाने के लिए कहते हैं। मुझे डर है, कहीं यह प्रोविजन जो प्रवर समिति को सुपुर्द करने वाले हैं, वह धीरे-धीरे विलुप्त न हो जाये। बहुत से पशु-पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, ये प्रोविजन भी विलुप्त न हो जायें।

सभापतिजी, यह इस प्रकार का सोच जो कि कुछ अधिकारियों ने बना दिया, पेश कर दिया, वही सही है, यह सही नहीं है। उसमें बहुत गुंजाइश होती है। हमारे सामने उदाहरण है। पंचायती राज के सम्बन्ध में कानून हमने बनाया इस सदन में, उस समय में बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा था, बहुत बड़ी गलतियां इसमें हैं, कमियां इसमें हैं और प्रवर समिति को सुपुर्द कर दीजिये। नहीं किया गया। परिणाम यह हुआ कि आज तक उसमें लगातार संशोधन किये जा रहे हैं और मैं जो यह बात यहां रख रहा हूं, वह आपके अधिकारियों ने प्रभारी मंत्रीजी के माध्यम से मेरे कथन को पुष्टि मिलती है। यह कल बिल पेश हुआ था। आज रातों-रात और कल रातों-रात, 5-7 संशोधन तो इसमें अभी तक आ चुके हैं, यह स्पष्ट संकेत है कि जहां से बिल ड्राफ्ट किया गया, उसमें कमियां थीं और यह सिलसिला चालू रहेगा।

माननीय सभापतिजी, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस डिस्कशन के दौरान यदि अधिकारियों ने हठियल रुख नहीं अपनाया तो एक संशोधन अभी तुरन्त सदन में और आपको लाना पड़ेगा। बिल के कुछ प्रोविजन्स के सम्बन्ध में क्यों इसको सलेक्ट कमेटी को भेजा जाये, मैं निवेदन करने जा रहा हूं। माननीय सभापतिजी, डेफिनेशन में एक डेफिनेशन दी गई है कि सब-टीनेंट, डेफिनेशन के बाद में एक सब-टीनेंट की परिकल्पना इस बिल में की गई है। टीनेंसी बिल में सब टीनेंट की जो डेफिनेशन है, वह करीब-करीब हम यहां अडाप्ट करने जा रहे हैं क्योंकि इस बिल में सब-टीनेंट की कोई अलग से डेफिनेशन नहीं दी गई है। सब-टीनेंट कौन माना जायेगा। आज गिरदावरी नहीं हो रही है, दूसरा रिकार्ड नहीं बन रहा है। जो खातेदार हैं, वही उसका टीनेंट है। जब गिरदावरियां बनती थीं उसका एक क्लाज हुआ करता था, काश्तकार कौन है और उसका उप कृषक कौन है और वह सब आपने समाप्त कर दिया। अब सब-टीनेंट कौन होगा, यह स्पष्ट नहीं है। इसमें मंत्री महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, यह देखने की आवश्यकता है कि इसमें सब-टीनेंट का शब्द डालकर हम कितने कन्फ्यूजन यहां पैदा कर रहे हैं, यह सोचने की बात है।

माननीय सभापतिजी, इसी के साथ आपने कई आर्गेनाइजेशन, कई कमेटियां गठित की हैं लेकिन एक कमेटी के माध्यम से आपने अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को सब पावर्स दे दिये हैं और वह आपके सब अच्छे प्रोविजन्स हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहीं भी बाधक हो

(श्री शिवनाथ सिंह)

सकते हैं, कितने भी बाधक हो सकते हैं। उसके अधिकारों पर अंकुश लगे, इसमें इस प्रकार के कोई प्रोविजन्स नहीं हैं।

माननीय सभापतिजी, इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा, वाटर यूजर, वाटर यूजर आप किसको मानेंगे ? सब-टीनेंट, और कोई है, और उसमें आपने डाल दिया नोन-डोमेस्टिक परपज, पावर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इण्डस्ट्री के लिए, सब के लिए जो वाटर यूज करेगा, उसको ही आप वाटर यूजर कहेंगे। इस बिल के जो एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स हैं, वह बहुत स्पष्ट हैं। किसान जो अपनी खेती के लिए पानी लेता है, वह पानी का वितरण ठीक हो, उसका उपयोग ठीक हो और ठीक ढंग से काम चले। और वाटर यूजर जो है, वह उस कमेटी के इलेक्शन में, उसके प्रबन्धन में, सबमें आयेगा और जो उद्योग में उपभोग करता है, वह भी उसमें चुनाव में जाएगा। नोन-डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक है, वह भी उसमें जायेगा और दूसरे उद्योग के लिए पैदा कर रहा है, कामर्स के लिए पैदा कर रहा है, वे सब लोग उसमें जायेंगे। और जाकर उस कमेटी में जो जिस प्रकार के जिस उद्देश्य से इसका गठन किया जा रहा है, सब उसके एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स क्रेश हो जायेंगे। इसी प्रकार सभापतिजी, आगे कुछ क्लाजेज हैं, जिनके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि गहराई से इनको देखा जाये तो बहुत बड़ा संशोधन करने की इनमें आवश्यकता है। "डिस्क्वा-लिफिकेशन" अभी माननीय पूर्व वक्ता ने इस बात के लिए कहा कि एक मोरल टरपिट्यूड रखा है। मोरल टरपिट्यूड अभी कोई डिफाइन नहीं है। इसमें दो रखे हैं। या तो मोरल टरपिट्यूड या जिसको छह माह से अधिक की सजा हो चुकी है, वह तो हम जानते हैं लेकिन मोरल टरपिट्यूड इसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा। किसी भी एक्ट में इसकी डेफिनेशन आज तक दी नहीं गई है। एक चोरी का मामला है, 379 में उसमें चोरी कर ली, 1000 रुपये जुर्माना हो गया, जमा करा दिया जुर्माना उसने। सजा तो छह महीने की नहीं हुई, वह मोरल टरपिट्यूड में आता है कि नहीं आता है। हम सब को तो इसमें सम्मिलित नहीं कर सकते लेकिन उस पर भी जहां तक सम्भव हो उन चीजों तक हमें जाना चाहिए।

माननीय सभापतिजी, इसके साथ ही निवेदन करना चाहूंगा...(व्यवधान) मैं आपसे अर्ज करूं, मोरल टरपिट्यूड वाइड वर्ड है, कहीं भी डेफिनेशन है, उसका डिफाइन एक तरह से नहीं है। मोरल टरपिट्यूड आप एक को मानते हो, दूसरा दूसरे को मानता है और आप तो खैर विद्वान हो, कानून के ज्ञाता हो लेकिन मोरल टरपिट्यूड के आधार पर बहुत से छूटते हैं, बहुत से पकड़ में आते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि मोरल टरपिट्यूड, पूरी कंक्लूसिव उसकी डेफिनेशन हो, ऐसा नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने चोरी का उदाहरण दिया, वह मोरल टरपिट्यूड में आता है लेकिन...(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : मैंने एक दे दिया उदाहरण, वह तो आ गया लेकिन सब उदाहरण मैं थोड़े ही दे सकता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरा ज्ञानवर्द्धन करने के लिए आप बतायें कि कौन से आफेंसेज आर डाउटफुल कि मोरल टरपिट्यूड में आते हैं कि नहीं आते हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : पहले मुझे बिल पर बोलने दीजिये, फिर मैं आपकी क्लास लेकर पूरा बता दूंगा आपको। माननीय सभापतिजी, एक क्लाज इसमें डाला गया है और वह हमारे सब बिलों में डाला गया है, पंचायत एक्ट से शुरू हुआ, नगरपालिका में गया और आज इस बिल में भी आया है। जिसके दो से अधिक सन्तान हो वह इसके लिए चुनाव नहीं लड़ पायेगा, डिस्क्वालिफिकेशन एक है। लेकिन जैसा मैंने कहा, कोई भी प्रोसीजर इस बिल में नहीं है कि इसका फैसला कौन करेगा, दो सन्तान से अधिक होने का यह दोषी है, कौन फैसला करेगा। हमारे पंचायत एक्ट में यह प्रोविजन रखा गया था, बार-बार उसको बदला गया। पहले डिस्ट्रिक्ट जज को हमने पावर्स दी, कभी और किसी को पावर्स दी, कभी सरकार ने अपने हाथ में पावर्स ली। इसलिए यह कंक्लूजन बहुत लम्बा-चौड़ा है, इस बात का फैसला कौन करेगा कि दो बच्चों से अधिक सन्तान होने पर यह डिस्क्वालिफाइड है। अभी कहा जा सकता है कि हम इसको रूल्स में प्रोवाइड करेंगे।

माननीय सभापति महोदय रूल्स मेकिंग की जो पावर्स आपने ली है, शिड्यूल दिया है यह डिस्क्वालिफिकेशन है क्लाज 14 में और रूल मेकिंग पावर्स आपने ली है उसमें क्लाज 14 के ऊपर कोई भी रूल मेकिंग की पावर्स नहीं ली है आपने। इसलिए इस पर आप कोई रूल नहीं बना सकते, इस बिल में आपने कोई प्रोविजन दिया नहीं है इसलिए इसका फैसला कैसे होगा, यह बहुत बड़ी समस्या है। इसी तरह से, माननीय सभापतिजी, और बहुत से प्रोविजन्स हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि अपाइंटमेंट आफ प्रोजेक्ट अथारिटी है, यह बहुत देखने की बात है, बहुत सावधानी से हमें इस पर चलना चाहिए। काम्पीटेंट अथारिटी है इसको भी बनाने में हमको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि नीचे के जो काम हमने किये हैं वह सब समाप्त हो जाते हैं। अभी एक क्लाज 26 है, पनिशमेंट का रखा गया है और पनिशमेंट में कम्प्रोमाइज का भी रखा गया है मामले में, सजा का भी रखा गया है। यह भी रखा गया है कि एक आदमी को एक आफेंस के लिए दो बार सजा नहीं दी जावेगी। लेकिन यह इतना कन्फ्यूज्ड है, उसने आफेंस किया, वह दूसरे किसी कानून में पनिशेबल है और उसके लिए कार्यवाही शुरू हो गई, आपने उससे कम्प्रोमाइज कर लिया, आपने उसको बरी कर दिया और उसमें जो उसके खिलाफ कार्यवाही हो रही है उस पर कहां रोक लगेगी।

इसलिए, माननीय सभापतिजी, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो एक रात में सात अमेंडमेंट हमारे सामने आ गये हैं

(श्री शिवनाथ सिंह)

बिल में डिफेक्ट जो थे उनके लिए, पता नहीं कितने और डिफेक्ट इसमें हो सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय प्रभारी मंत्रीजी से कि इसको वह जल्दी में पास कराने की आवश्यकता नहीं समझें और एक सलेक्ट कमेटी को दिया जाय। हर बिन्दु पर इसका विचार किया जाये और विचार करने के बाद इसको अगले सत्र में पास करवाया जाये क्योंकि इसके रिजल्ट, इसके परिणाम फार-रीचिंग है। आज हमको दिखते नहीं हैं लेकिन सिंचाई का जो हमारा क्षेत्र है वह आज भी बहुत तुनक-मिजाज है। एक छोटी-सी बात के लिए, मोखा बड़ा हो गया, मोखा छोटा हो गया, सिल्ट नहीं निकाली गई, टेल वाले को पानी नहीं मिल रहा है, इस प्रकार के बहुत प्वाइंट्स हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अच्छा बिल यह बने, इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसे सलेक्ट कमेटी को भेजा जाये और उसके बाद में इस पर विचार किया जाये।

श्री सभापति : माननीय श्री माणकचन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरण-सर) : सभापति महोदय, राजस्थान सिंचाई प्रणाली के सम्बन्ध में कृषकों की भागीदारी, कृषकों की सहभागिता विधेयक, 2000 पर चर्चा हो रही है। मैं इस बिल का स्वागत करने में असमर्थ हूं। मैं इस बिल के मूल उद्देश्य, क्या प्राप्त करना चाहती है सरकार, उसको भी समझने में असमर्थ हूं। इस बिल में एक बड़ा तंत्र खड़ा किया गया। धारा 3 के अन्दर जल उपभोक्ता क्षेत्र का एक कंसैप्ट है और धारा 6 में वितरण समितियों का कंसैप्ट है और उसके ऊपर एक परियोजना समिति का कंसैप्ट है और परियोजना अधिकारी कौन होगा उसके बारे में, माननीय सभापतिजी, कहा गया है कि परियोजना अधिकारी वह होगा जिसको राज्य सरकार परियोजना अधिकारी घोषित करेगी। धारा 23 परियोजना अधिकारी की नियुक्ति और उसके कृत्य से सम्बन्धित है और परियोजना अधिकारी की परिभाषा में यह है कि राज्य सरकार जिसको परियोजना अधिकारी घोषित करेगी वह परियोजना अधिकारी होगा। राज्य परियोजना अधिकारी से धारा 23 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है।

मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं, राजस्थान के सिंचाई क्षेत्र में कितने परियोजना अधिकारियों का कंसैप्ट अपने ने बनाया है। इन्दिरा गांधी नहर में कुल मिलाकर एक परियोजना अधिकारी होगा या जितनी बड़ी-बड़ी वितरिकाएं हैं उन वितरिकाओं का एक परियोजना अधिकारी होगा ? और यदि सौ-पचास परियोजना अधिकारी हो गये तो उन सब का समन्वय कैसे होगा, यह भी मैं इस बिल में समझने में असमर्थ हूं। मूल बात यह है, माननीय मंत्रीजी से मेरा निवेदन है, इस बिल से कृषकों की जो सहभागिता आप अपेक्षित करना चाहती हैं, देना चाहती हैं, बिल का मूल उद्देश्य भी यही है कि उनकी सहभागिता

(श्री मानिक चन्द सुराना)

मिले और उसकी चार लाइनें आप सुनें। "उक्त उद्देश्यों की अभिप्राप्ति की दृष्टि से एक ऐसे विधान की आवश्यकता थी जो उपयोक्ता समूह और सरकारी एजेन्सियों के बीच भागीदारी की भावना विकसित करे।" उपयोक्ता कृषक है, इधर सरकार है, उनके बीच में एक एजेन्सी की जरूरत है कि जो सहभागिता की, भागीदारी की भावना विकसित करे और पारस्परिक फायदा पहुंचाने वाली उत्तम संवादशीलता और सहयोग की अभिवृद्धि करे। डायलाग होना चाहिए कृषिक और सरकार के बीच में। तो यह एजेन्सी क्रियेट की जा रही है कि यह डायलाग करेगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह सोशिलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी के आधार पर की है।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय सभापतिजी, यह समाजवादी पद्धति है तो भी मैं इसकी आलोचना कर रहा हूं और यह कोई सरकारी, अनावश्यक, एक तंत्र खड़ा किया जा रहा है तो भी मैं उसकी आलोचना कर रहा हूं। यदि इससे पानी की बचत हो, यदि इससे पानी की बचत की कोई संभावना हो और पानी अधिक पहुंचाने की व्यवस्था हो सकती है तब तो इस बिल को लाने का कोई उद्देश्य है। इसमें मैं निवेदन करना चाहता हूं, धारा 17, 18 और 19 इस पूरे बिल की जान हैं। धारा 17 में तो जो वाटर यूजर्स एसोसिएशन है, जल उपयोक्ता संगम उनके कृत्य लिखे हुए हैं और उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटरी कमेटियों के क्या फंक्शंस हैं, लिखे हुए हैं। और परियोजना अधिकारियों के फंक्शंस लिखे हुए हैं। कुल काम परियोजना अधिकारी जो प्लान बनायेंगे, पानी का वितरण वो करेंगे। जब पानी का वितरण परियोजना अधिकारी के यहां से होकर आएगा तो वितरण समिति क्या करेगी। अपने क्षेत्र में जो भी वितरण समितियों के नीचे उपयोक्ता संगम हैं उन उपयोक्ता संगमों से कहेगी कि आप अपने क्षेत्र में जो भी बंटवारा ऊपर से होकर आया है उसके अनुसार पानी का वितरण करें, पानी की मॉनीटरिंग करें। मॉनीटरिंग कैसे करेंगे प्रश्न यह है। वो मॉनीटरिंग और ये सब उद्देश्यों में डाला गया है।

माननीय सभापतिजी, आज माननीय मंत्रीजी की तरफ से संशोधन सर्कूलेट हुए हैं और उन संशोधनों में धारा 24 में संशोधन है कि जो आमदनी सिंचाई कर से उस क्षेत्र में होगी उसका पचास प्रतिशत रुपया उपयोक्ता संगम को दिया जाएगा और उसके बाद इधर तो रुपया धारा 24 में दे दिया हमने 50%, और जो मूल प्रारूप है उसमें मैं यह समझा कि करीब सौ प्रतिशत रुपया जो भी सरकार वसूल करेगी सिंचाई का, वो उनको देगी। पर आज तो धारा 18 और 19 में आप जो संशोधन लाये हैं उन संशोधनों में यह साफ कर दिया गया है कि ये समितियां जो उपयोक्ता समितियां हैं जिनको यह अधिकार था कि समय-समय पर समिति की निधियों में ऐसे कार्यों को

(श्री मानिक चन्द सुराना)

निष्पादित करना, यह अधिकार था, आज वह अधिकार हटा दिया गया। उसमें कहा गया कि इस एक्सप्रेशन को हटा दिया जाए और समय-समय पर समितियों की निधियों से ऐसे कार्यों को निष्पादित कराना हटाया जाए। जब प्राइमरी वाटर यूजर्स एसोसियेशन और डिस्ट्रीब्यूटरी कमेटी यदि कोई अपना काम कर ही नहीं सकती है और वो समस्याओं पर समिति की निधियों से काम कर ही नहीं सकती है तो उसकी उपयोगिता क्या है कि हम उन कमेटियों को बना दें ?

मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि यह लम्बा-चौड़ा तंत्र जो खड़ा करना है यह बिलकुल अनावश्यक है। और इस तंत्र में अभी तो यही साफ नहीं है कि परियोजना कितनी लम्बी-चौड़ी होगी। मैं धारा 3 के प्रोविजन की तरफ माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इसमें है कि, "परन्तु लघु और लिफ्ट सिंचाई प्रणाली के अधीन कमान क्षेत्र के सम्बन्ध में सम्पूर्ण कमान क्षेत्र यथासम्भव कोई एक जल उपयोगिता क्षेत्र हो सकेगा।" परन्तु अब यह कंवरसेन लिफ्ट कैनाल है इस पर 25 हजार किसान हैं। और यदि आपका तात्पर्य ये लिफ्ट सिंचाई प्रणाली से जिसमें कंवरसेन लिफ्ट भी शामिल है, क्योंकि कहीं इसका एक्सक्लूजन नहीं है, तो क्या मैं यह समझूं कि 25 हजार लोगों का एक वाटर यूजर्स एसोसियेशन बनेगा ? और उसमें डाइरेक्ट इलेक्शन की प्रक्रिया रखी गयी है।

कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने डाइरेक्ट इलेक्शन की प्रक्रिया पर कुछ कहा पर लोकतंत्र में डाइरेक्ट इलेक्शन से बढ़िया कुछ नहीं है तो डाइरेक्ट इलेक्शन में आखिर जो प्राइमरी जो वाटर यूजर्स एसोसियेशन है, उसमें आप कोई संख्या तो रखें कि एक हजार वाटर यूजर्स पर एक वाटर यूजर्स एसोसियेशन अलग होगा। फिर हजार-हजार के वाटर यूजर्स एसोसियेशन अलग होंगे और उन 5-6, 8-10 को मिलाकर कोई डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम हो सकता है। पर यदि पानी ऊपर से परियोजना अधिकारी को निर्धारित करना है और परियोजना अधिकारी भी यह नहीं समझें कि वो निर्धारित कर देंगे। पानी तो सी. ए. डी. की जो कमेटी है जिसमें अभी भी सारे सिंचित क्षेत्र के चीफ इंजीनियर बैठते हैं और एम. एल. ए., एम. पी., प्रधान और जिला प्रमुख बैठते हैं वहां पानी की चर्चा होकर और रेगुलेशन बनता है। तो जब रेगुलेशन ऊपर से बनकर आएगा और पानी की मात्रा कितनी दी जाएगी यह भी निर्धारित होकर आएगा तो इस परियोजना समिति का काम क्या है ? जो कुछ ऊपर से निर्धारित होकर आया उसके अनुसार चलना है। इस धारा 23 में जरा देखें।

मैंने जिक्र किया 17, 18, 19 का। 17 में जल उपयोक्ता संगम के कृत्य लिखे हैं उसमें लिखा है कि प्रणाली की बाड़ाबंदी अनुसूची के अनुसार। तो प्रणाली की बाड़ा-बंदी उस सूची के अनुसार क्या करेंगे अपने कार्यक्षेत्र के अधीन विभिन्न मोघों के बीच जल के उपयोग को विनियमित करना।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

क्या काम हुआ यह ? प्रणाली की बाड़ाबंदी अनुसूची के अनुसार ऊपर सब कुछ तय हो गया प्रणाली में। प्रणाली इन्दिरा गांधी नहर प्रणाली या गंगनहर की प्रणाली या चम्बल की प्रणाली, तय तो वहां हो गया और उसके अनुसार हम देखेंगे मोघे में पानी, कौनसे मोघे में कितना गया कौनसे में कितना गया तो आपके इर्रिगेशन के अफसर क्या करेंगे। यह काम यदि जल उपयोक्ता समिति के जिम्मे किया जा रहा है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी और सब कुछ आप तय कर रहे हैं। धारा-23 को देखें आप। यह धारा मैंने वो पढ़ दी जो वाटर यूजर्स एसोसियेशन या जल उपयोक्ता संगम की है।

अब आप देखें, धारा 23 को सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे अधिकारी को जिसे आवश्यक समझा जाये परियोजना क्षेत्र के लिए परियोजना अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी। तो परियोजना क्षेत्र कितना होगा यह भी सरकार को तय करना है और अफसर किसको लगाना है यह भी उनको तय करना है। और परियोजना समिति में फिर कोई 5-7 मेम्बर होंगे उनको तय करना है और इसके ऊपर भी एक अपेक्स कमेटी और बनेगी। राज्य सरकार चाहेगी उसको शीर्ष समिति का गठन और आयुक्त की नियुक्ति सरकार अधिसूचना द्वारा इतने सदस्यों को जितने आवश्यक समझे जाएं, शीर्ष समिति का गठन कर सकेगी। उप-धारा 2 के अधीन गठित समिति ऐसी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग कर सकेगी जो निम्नलिखित के लिए आवश्यक होगा। मैं इन धाराओं को कोट करके आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी, आपने जो धारा 18 और 19 में संशोधन आज प्रस्तुत कर दिया है और उसमें उनके उन अधिकारों को समाप्त कर दिया है कि जिससे वो समितियां कोई काम करा सकेंगी अपनी निधियों से, तो जब काम कराने का अधिकार ही नहीं है तो इन कमेटियों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि यदि काम ही नहीं करा सकते तो मैं समझता हूं कि उन कमेटियों के गठन में जितना समय सरकार और जनता खर्च करेगी या किसान खर्च करेगा वो बहुत निरर्थक होगा।

सभापति महोदय, शायद हम यह समझ रहे हैं कि सरकार अपनी असमर्थता को जनता के जिम्मे करना चाहती है। पानी नहीं मिलेगा इन कमेटियों के गठन के बाद तो वे कहेंगे कि पानी का बंटवारा आपने किया है। आदमी नीचे तो नहीं समझता कि कमेटी बन गई। वाटर यूजर्स एसोसियेशन फिर डिस्ट्रीब्यूटरी कमेटी फिर उसके ऊपर परियोजना अधिकारी फिर शीर्ष समिति और उसमें कुछ मेम्बर हो गये। और वो भी सब ऊपर से नीचे की ओर चलेगा तो इस लोकतंत्र को आपने पांवों के बल नहीं सिर के बल खड़ा कर दिया। इस पूरे बिल के अन्दर पूरा लोकतंत्र सिर के बल खड़ा है। ऊपर के आदेश आएंगे परियोजना समिति तय करेगी और उसके अनुसार नीचे डिस्ट्रीब्यूटरी कमेटी को चलना है और उसके

(श्री मानिक चन्द सुराना)

अनुसार ही प्राइमरी वाटर यूजर्स एसोसिएशन को चलना है।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह बिल और इसके प्रावधान इतने खतरनाक हैं कि इसको आप एक प्रवर समिति को भेजिये। आपने 28 जुलाई को इसका यह अध्यादेश जारी किया। 28 जुलाई से कितनी एसोसियेशन इसके तहत बनीं। वाटर यूजर्स एसोसियेशन और उनकी फंक्शनिंग क्या रही। एक फंक्शनिंग कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य जो जगासर माइनर की बता रहे थे। माइनर पर एक प्राइमरी यूजर्स एसोसियेशन होगी या पूरी डिस्ट्री-ब्यूटरी पर एक होगी या एक हजार पर एक होगी, इसको भी कुछ स्पष्ट करें और बिल में रखें कि कितनों पर वाटर यूजर्स एसोसियेशन बनेगी। उपयोक्ता का मतलब है किसानों से धारा 25 और 28 की तरफ माननीय शिवनाथ सिंहजी ने और हमारे हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है।

मैं धारा 27 की तरफ माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं। धारा 25 में प्रावधान है दो साल की सजा 5 हजार का जुर्माना, और 27 में प्रावधान यह है कि वो कृषक संगठन, जो भी है वो 1 हजार रुपये की पेनल्टी लेकर उसको वाश आफ कर सकेंगे। दो साल की सजा हो गयी 5 हजार का जुर्माना हो गया किसी अदालत में कोई करेगी, कोई यह नहीं समझे कि कोई कृषक संगठन कर देगा। दो साल का आफेंस है वह किसी मजिस्ट्रेट को तय करना पड़ेगा। वहां सी. आर. पी. सी. लागू है, यह सी. आर. पी. सी. से बाहर नहीं है। जहां भी आपने पैनल्टी दी वहां मजिस्ट्रेट आयेगा, मजिस्ट्रेट ही तय करेगा कि सम्मन आफेंस है या 6 महीने से अधिक का आफेंस है। वारंट ट्रायल है या सम्मन ट्रायल है, यह मजिस्ट्रेट तय करेगा और दो साल के आफेंस में सजा देगा। मजिस्ट्रेट और कृषक संगठन उसको खारिज करेगा। एक हजार रुपये ले लेगा। यह आप क्या प्रावधान बना रहे हैं ? धारा 26 पर तो मुझे बहुत हैरत है कि आप पहले तो यहां पैनेलाइज कर देंगे और उसके बाद अन्य किसी भारतीय दण्ड संहिता या और किसी धारा में यदि वह आफेंस है तो आपने कहा है कि वहां आफेंस अलग से चलेगा। देश की सुप्रीम कोर्ट ने जो मूल मान्यता स्थापित कर दी है कि किसी व्यक्ति को एक आफेंस के लिये दुबारा दण्डित नहीं करेंगे। पता नहीं खेतसिंहजी ने और लॉ डिपार्टमेंट ने इसे देखा या नहीं देखा या अधूरा देखा, हमको समझ में नहीं आता कि दो-दो बार आफेंस बनाने का औचित्य क्या है ?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को माननीय मंत्रीजी प्रवर समिति को सुपुर्द करने का काम करें और जो राज्य सरकार की कमियां हैं, अभी हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि 5.23 को साढ़े तीन क्यूसेक राज्य सरकार ने अभी अक्टूबर में किया है। यह राज्य

(श्री मानिक चन्द सुराना)

सरकारों को फँसी है कि कृषक का पानी कम किया जाये। सेम क्षेत्र बढ़ रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस भ्रम से वर्तमान सरकार को भी मुक्त होने की जरूरत है। माननीय मंत्रीजी, एस्केपों में लाखों क्यूसेक पानी भरा पड़ा है। रावतसर के एस्केप में जो कितना लम्बा-चौड़ा एस्केप है, डिप्रेशन कितने लम्बे-चौड़े हैं सूरतगढ़ के, और मंत्रीजी, यह 507 हैड जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है वहां मछलियां पल रही हैं, दो-दो करोड़ के ठेके हो रहे हैं। और 507 से आगे चले 750 एस्केप में तो अभी खाली है। 1120 का एस्केप मैं देखकर आया हूं हालांकि वह जैसलमेर के क्षेत्र में पड़ता है। सभापति महोदय, 1120 एस्केप में हजारों क्यूसेक पानी पड़ा है। हम काश्तकार को मार रहे हैं कि पानी की बारी महीने में एक बार देंगे। सागरमल गोपा की 46 आर. डी. पर दसों हजार क्यूसेक पानी पड़ा है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी से कि इन एस्केपों के पानी को जहां-जहां नहरों के टूटने से जो लीकेज हो रहा है, 30-30 क्यूसेक पानी लीकेज हो रहा है जिसकी तरफ हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है। मैं उन एस्केपों में पड़े पानी को पुनः नहर में डालने की तरफ माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि उस पानी को तो उसमें डालें। आप सिंचाई मंत्री हैं एक-एक बूंद पानी राजस्थान के लिये बहुत मूल्यवान है। इसलिए इन एस्केपों के पानी को एस्केपों में न रखें। और अभी जो किसानों की वर्तमान में स्थिति है जिसमें एक महीने में पानी की बारी देने का सवाल है, आप कृपा करके एस्केपों में यह व्यवस्था करें कि राज्य सरकार जब चाहे एस्केपों का उपयोग करे लेकिन जब चाहे तो एस्केपों के पानी को वापस नहर में डालने की व्यवस्था हो और इसके लिये स्ट्रक्चरल काम करना है, निर्माण करना है तो उस काम को भी राज्य सरकार करे।

माननीय सभापतिजी, 5.23 क्यूसेक को जो साढ़े तीन क्यूसेक किया गया है...

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : आपको भी इजाजत दी है क्या ?

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, मुझे कोई इजाजत नहीं है। मैं बिल पर ही बोल रहा हूं क्योंकि पानी की भागीदारी और पानी के अधिक उपयोग की बातें इसमें की हैं। इसमें सभी कुछ आ जाता है। सभापति जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि यह माननीय मंत्रीजी का फर्ज है कि इन्दिरा गांधी नहर की महत्वपूर्ण टेलों पर पिछले 6 साल में पानी कितना पहुंचा है, कितना नहीं पहुंचा है इसका रिकार्ड देखें। आप 5.23 से साढ़े 3 तो कर रही हैं पर यदि 6 साल का एवरेज देखें तो 80 पर्सेंट पानी भी वहां नहीं पहुंचा है, 70 पर्सेंट पानी नहीं पहुंचा, 65 पर्सेंट पानी भी नहीं पहुंचा किसानों को।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप तो खुद जानते हैं इसका उत्तर आपको मिलने वाला नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना : मुझे उत्तर मिले या नहीं मिले, यह सदन तो बहुत शक्तिशाली है इस सदन के ध्यान में बात आ जाये।

श्री सभापति : यह बात तो डा. रामप्रताप जी ने बता दी सारी।

श्री मानिक चन्द सुराना : अच्छा मैं अधिक नहीं कहूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि यदि आप पानी की मात्रा को कम कर रहे हैं तो पहले टेलों का रिकार्ड देख लें, महत्वपूर्ण डिस्ट्रीब्युट्री की टेलों का रिकार्ड देखें और इन अधिकारियों की जो ब्रिफिंग है, चैयरमेन की जो ब्रिफिंग है उनसे कुछ मुक्त होने का काम करें और मौके पर सारे एस्केपों को देखने का काम करें। इस बिल से चार पर्सेंट पानी की भी बचत नहीं होगी किसान को दो पर्सेंट रिलीफ भी नहीं होगी पानी की उपलब्धि में। हां, यह जरूर है कि इस लोकतंत्र में अनावश्यक झगड़े होंगे। यदि 50 परियोजना बन गई, 50 अधिकारी बन गये और हर किसान को वोटिंग राइट है यह तो इसमें साफ है।

सभापतिजी, एक पंचायत समिति का, एक जिला परिषद का, एक सहकारी समिति का, ग्राम सभा का और दुग्ध उत्पादक का और एक चुनाव बना दीजिए किसानों का। डाइरेक्ट इलेक्शन है, और इसमें तो आपने रिकाल का प्रोविजन भी रखा है। उससे अधिक अच्छा है कि आप इसका कार्यकाल कम कर दें, दो साल का रखिए ताकि किसी का दिमाग खराब न हो कि पांच साल के लिये कर दिया। विधायकों का दिमाग भी पांच साल के कारण खराब हो रहा हो तो उसको भी संशोधन करवा कर चार साल करवा लीजिए, मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान) मेरा निवेदन है कि इसका कार्यकाल कम किया जाये।

श्री सभापति : विधायकों का भी रिकाल रख लिया जाये तो अच्छा है।

श्री मानिक चन्द सुराना : सभापतिजी, रिकाल में 1/3 लोगों के हस्ताक्षर, क्या कभी सम्भव हैं। आप पांच पर्सेंट रखते, दस पर्सेंट रखते तो कुछ समझ में आता, 1/3 के हस्ताक्षर से कोई रिकाल होना सम्भव नहीं है। फालतू कानून बनाने का कोई अर्थ नहीं है। सभापतिजी, मेरा निवेदन है राज्य सरकार से कि इस बिल को भी यदि अधिक उपयोगी बनाना है तो निश्चित रूप से इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये ताकि वहां सदस्यों में चर्चा हो जाये और राज्य सरकार चाहे तो भले ही इसको जनमत जानने हेतु भी परिचालित करे और अलग-अलग डिविजनल हैड क्वार्टर्स पर किसानों से और जनप्रतिनिधियों से सलाह करें तो भी मैं उसके पक्ष में हूं। कम से कम इसे प्रवर समिति को निश्चित रूप से भेजा जाना चाहिये ताकि उसकी रिपोर्ट आये और सदन में फिर उस पर विचार हो। इसी निवेदन के साथ मैं इजाजत चाहता हूं।

(श्री हेमाराम चौधरी)

मुरब्बों को खारिज करने का रहे हैं। अब आप मुरब्बों को खारिज कर दें, आपकी मर्जी हो वह करें, काश्तकारों के पास तो अभी किश्त चुकाने को पैसा नहीं है। आप भले ही चाहे कुछ भी कर लें। जब आप फसल के लिए पानी नहीं दे पा रहे हैं तो वे अपनी किश्त कहां से चुका पाएंगे ? उनकी कौनसी दूसरी आय का स्रोत है जिससे वह आपको किश्त चुका दें ? इस नहर से पैदा करके ही तो वह फसल से अपनी किश्त चुकाएंगा।

इसलिए आप इस पर ध्यान देंगे तो सरकार को भी आय होगी, आपकी किश्त आ जाएगी। किसान के ऊपर 18 प्रतिशत ब्याज नहीं लगेगा। और अभी इस समय आपको पता है कि पहले मुरब्बे जो काश्तकार ले रहे थे, अब लेने के लिए कोई नहीं आ रहा है, वहां सुनसान पड़ा है। जो कालोनाइजेशन के आफिस हैं, ए.सी.सी. के आफिस हैं, वहां आदमी नजर ही नहीं आ रहा। गत वर्ष मैं गया था तो मेला लगा हुआ था। इतने लोग वहां पर इन मुरब्बों के लिए आए थे। गत वर्ष नहीं उससे पिछले साल...

श्री सभापति : इस बिल के ऊपर बोलो तो ठीक रहेगा। (व्यवधान)

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : यह बिलकुल उस पर नहीं बोल रहे हैं। थोड़ा संक्षेप कर लीजिए।

श्री हेमाराम चौधरी : सभापति महोदय, संक्षेप कर लेता हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके विशेष आवंटन के जो मुरब्बे हैं, वह बंद हो गए। आप पता कर लें पिछले महीने में कितने अलाटमेंट हुए। आपके जो मुरब्बे बाकी हैं वह अब कोई नहीं लेगा, क्योंकि जिन्होंने लिए वह ही रो रहे हैं। उनको रोते हुए देखकर जो आएगा वह भी वापस चला जाएगा। गत वर्ष नहीं इससे भी पिछले वर्ष ठीक फसल हुई थी। पानी ठीक मिला था और खरीफ की फसल भी ठीक हुई थी। कुछ बरसात भी हो गई थी।

श्री रामसिंह विश्नोई (जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : भाखड़ा बांध में पानी कम आया है, पानी कहां से मिलेगा। बांध में पानी नहीं है, पानी आयेगा तब ना। यह तो धैर्य रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत।

श्री देवीसिंह भाटी : पानी नहीं आयेगा किश्त कहां से भर देगा। किश्त को नहीं लें।

श्री हेमाराम चौधरी : सभापति महोदय, आप यह कह दो कि पीछे बंधों में पानी नहीं है, पानी नहीं मिलेगा आप घर जाकर आराम करो। आप तो एक महीने के बाद दोगे, उस पानी का क्या करें ? रात को सर्दी में क्यों मार रहे हो ?

श्री रामसिंह विश्नोई : कम मिलेगा।

श्री हेमाराम चौधरी : कम से क्या करें ? कुछ तो मिले कम से तो क्या, एक

(श्री हेमाराम चौधरी)

गिलास के अन्दर इतना डालकर दे दो, उससे क्या प्यास बुझे, कम से कम एक गिलास तो दो। प्यास तो लगी है दो-तीन लोटे पीने की और उस गिलास में पानी बूंद सा। तो इसलिए सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था आप हमको पानी दे दो आपमें हमारी जमीन के पैसे हैं वो लिए हैं कमान्ड और अनकमान्ड। आपने भूमि को दो श्रेणी में बांटा है, एक तो कमान्ड और एक अनकमान्ड। जिस जमीन के कमान्ड के हिसाब से पैसे लिए उसमें आपने पानी देने की बात कही। अनकमान्ड में पानी का कोई लेना-देना नहीं है, उसकी कम कीमत ली। कमान्ड के हिसाब से पैसे तो ले लिए पर आपके पास पानी नहीं है। जमीन समतल है उसमें पानी लग सकता है, यह आप कह सकते हो समतल से क्या करें पानी तो उसमें आप दोगे तब लगेगा। आपके पास पानी देने को नहीं है तो क्या कहें।

इसलिये सभापति महोदय, आप हमारे को जितनी जमीन में पानी दे सकते हो उतनी जमीन को आप कमान्ड मानें और उतनी जमीन का पैसा आप कमान्ड के हिसाब से लें। बाकी का अनकमान्ड के हिसाब से। और जब आप पानी नहीं दे पा रहे हो तो आपको किश्तों को डैफर करना चाहिए। बिना ब्याज उनको आगे बढ़ाना चाहिए। आप अगर उसको स्थगित भी करते हैं और 18 प्रतिशत तक ब्याज चालू रखते हैं तो किसान किसी भी सूरत में मूल किश्त भी नहीं चुका पाने की स्थिति में है। तो 18 प्रतिशत का ब्याज जोड़कर सरकार को दे देगा तो यह संभव है क्या ? कई काश्तकारों के तो मुरब्बे खारिज कर दिए। पहले भी मंत्रीजी से मिले थे इन्होंने रूकवाया था लेकिन उससे पहले कई काश्तकारों के मुरब्बे खारिज कर दिए, उनको वापस से बहाल किया जावे। बहाल करने में नियमों में प्रावधान है कि छह प्रतिशत की पेनल्टी, और 18 प्रतिशत तो ब्याज है ही, छह प्रतिशत की पेनल्टी और लगा दी।

अब 24 परसेंट, दो रुपया सैकड़ा पैसा देने को उनके पास हो तो फिर खराब ही क्यों होती। इसलिए आप व्यावहारिक सोचें, व्यावहारिक देखें, किसानों की हालत भी देखें। आप किसानों को कितनी मदद दे रहे हैं, कितना पानी दे रहे हैं, क्या सहयोग कर रहे हैं, इन सारे पहलुओं पर विचार करके किसानों की मदद करें। किसानों का ध्यान रखें। किसान का ख्याल करेंगे तो किसान भी बच जाएंगे और आपका उत्पादन बढ़ेगा। आपको भी पैसा मिलेगा, किश्त भी मिलेगी तो सभापति महोदय, यह निवेदन कर रहा था।

दूसरा, सभापति महोदय, यह एक ऐसा प्रावधान है, किश्त जमा हो जाए, जैसे तीन किश्तें रख दीं, उसमें एक किश्त 80 हजार रुपये की बनती है, तो यह 80 हजार रुपये जब तक पूरे जमा नहीं कराते हैं तो कम पैसे लेते नहीं है। और किसान की फसल मुश्किल से, या इधर-उधर से करके उसके पास चालीस हजार रुपये इकट्ठे हुए तो

(श्री हेमाराम चौधरी)

आप चालीस हजार रुपये लेते नहीं हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि चालीस हजार रुपये अगर आप ले लो तो इतने तो राज के खजाने में आएगा और उतना भार उसके कम हो जाएगा। नहीं तो वह चालीस हजार रुपया इकट्ठा करके कहीं रख नहीं सकेगा, उसके वे भी खतम हो जाएंगे और पूरे 80 हजार रुपये उससे कभी जुड़ने नहीं और आपकी किश्त कभी आनी नहीं। तो इंस्टालमैंट में केवल कुछ हिस्सा भी अगर वह देता है तो आपको जमा कर लेना चाहिए। उसको जमा करने में आपको कहां तकलीफ होती है ? क्या आपत्ति होती है ? नियमों में कुछ इस तरह की है तो आप नियमों में परिवर्तन कर सकते हैं।

मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि जिस प्रकार से जैसे-जैसे वह पैसा देने की स्थिति में जितना हो, उस हिसाब से आपको ले लेना चाहिए। इस समय रबी की बुवाई में पानी के लिए आप 31, 32, 33 दिन का जो मामला है, उसको घटाकर कुछ कम करें। हमारे वहां तो काश्तकार कम से कम बाड़मेर जिले के वे जीरे की बुवाई करना जानते हैं। जीरे की फसल एक ऐसी फसल है जिसको हर काश्तकार बोना भी नहीं जानता। उसको मालूम भी नहीं है कि कितने दिन में पानी लगता है, किस प्रकार से उसको बोया जाता है, कितना पानी उसको दिया जाता है। उसमें पानी कम मात्रा में दिया जाता है। थोड़ा सा अगर ज्यादा पानी दे दो तो पानी होते हुए भी जल जाएगा। रोग लग जाते हैं उसमें कई तरह के तो इसलिए आप मेहरबानी करके पानी की जो बारी है, इतनी लम्बी कर दी उसको आप कम करें। मेरा तो आपसे यही अनुरोध है, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री वृद्धिचन्दजी। (अनुपस्थित) माननीय मंत्री महोदया।

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, बिल के संदर्भ में माननीय सदस्यों ने जो अपनी कुछ आशंकाएं और कुछ कठिनाइयां और कुछ सुधार की अपनी बातें कही हैं, और साथ में यह भी कहा है कि इसे जनमत जानने के लिए भेज दिया जाए और प्रवर समिति को भेज दिया जाए, इस संदर्भ में पहले तो मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि यह जो संगठन बन रहे हैं जिनको जल उपयोक्ता संगम, वितरण समिति, परियोजना समिति के नाम से रखा गया है। माइनर के लेवल पर जो संगठन बनेगा जिसको जल उपयोक्ता संगम कहा गया है वह मुख्य इकाई है जहां काश्तकार अपने तमाम जल प्रबन्धन को देखने के लिए काम करेगा और उसमें पचास प्रतिशत जो सिंचाई दरें सरकार लेती है वह उस संगम को सरकार देगी। उसके अलावा अगर संगम और काश्तकार चाहते हैं तो वे अपने स्तर पर और पैसा इकट्ठा करें उसमें किसी को कोई मुमानियत नहीं है। वह सारा पैसा जो इकट्ठा करेंगे वह उन्हीं का होगा। सरकार उसमें से कुछ नहीं

(श्रीमती कमला)

लेगी। माइनर की देख-रेख के बाद में डिस्ट्रिब्यूटरी लेवल जो आती है, दरअसल में यह वितरण समिति का जो नाम है वह कन्फ्यूजिंग है।

ऐसा लगता है जैसे वह पानी के वितरण के लिए बनाई गई है। वह डिस्ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रिब्यूटरी का मतलब है वितरण प्रणाली, वह उसके हिसाब से इन्होंने वितरण समिति उसका नाम रख दिया है। एक्चुअली वह मानइर के बाद में डिस्ट्रिब्यूटरी आती है, उसके ऊपर है। डिस्ट्रिब्यूटरी के बाद प्रोजेक्ट इट सैल्फ आता है। तो वह परियोजना समिति तो यह जो माननीय, शायद अपने चित्तौड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था या किसी अन्य ने, कि आपने जो इनका काम वापस ले लिया, नहीं, सुरानाजी ने कहा कि आपने इनका काम ले लिया है तो फिर इनको बनाया काहे के लिए। वह हमने काम लेने के लिए संशोधन जारी नहीं किया है। मैंने खुद ने उनसे कहा कि डिस्ट्रिब्यूटरी और परियोजना लेवल की जो समितियां हैं

(15.55 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

उनमें इस संगम का जो पैसा है वह नहीं लगेगा। पहले इसमें ऐसा लिख दिया था कि कुछ डिस्ट्रिब्यूटरी और परियोजना लेवल पर भी संगम, अपना पैसा है, उसमें लगाए। लेकिन मैंने कह दिया कि संगम के ऊपर ही वह अपना पैसा लगाएंगे बाकी खर्चा सरकार करेगी। डिस्ट्रिब्यूटरी लेवल हो, चाहे प्रोजेक्ट लेवल हो, उसमें काश्तकार को कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसलिए वे प्रावधान किया है इसमें क्योंकि यह स्पष्ट नहीं था इसलिए मैंने उस प्रावधान को रखा।

दूसरा, यह भी प्रावधान रखा है कि जो मौजूदा सिस्टम है इससे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हुआ जिससे यूं लगा कि काश्तकारों को जबरन हम ऐसा गड़बड़ हुआ सिस्टम थोपना चाहते हैं। हमने इसीलिए उसमें दुबारा संशोधन किया है जिससे स्पष्ट रहे कि कोई भी सिस्टम काश्तकार को तब तक नहीं सौंपा जाएगा जब तक कि यह समिति, यह जो संगम है, उनके पदाधिकारी और अधिकारी संयुक्त अपने इन्स्पैक्शन से उसको वर्किंग आर्डर में नहीं पा लें। इसलिए वह संशोधन किया है कि जब तक कोई वितरण प्रणाली कार्यकारी स्थिति में नहीं होगी तब तक वह उनको नहीं सौंपी जाएगी। राज्य सरकार को ही उसको देखना पड़ेगा।

इसलिए यह तीन स्टेज के स्तर हैं इसमें एक मात्र जो माइनर स्तर का जो हमारा एसोसियेशन है, वह ही काश्तकार से सीधा जुड़ा हुआ है। बाकी डिस्ट्रिब्यूटरी स्तर पर और परियोजना के स्तर पर जो कमेटी बनाई है वह इसलिए बनाई है कि उस लेवल पर अधिकारियों की तरफ से पानी के वितरण की योजना, परियोजना के रख-रखाव की योजना और सब प्रकार की जो प्रबन्धन है पानी का उसमें अगर उनके कोई दिक्कत पैदा हो रही है या

(श्रीमती कमला)

उनको कोई सुझाव देना है, कोई परिवर्तन कराना है, उनको सुझाव देने के लिए और उन सुझावों को क्रियान्वयन कराने के लिए एक सलाहकार समिति के तौर पर कृषकों की वह समितियां बनाई हैं बाकी फाइनेंशियल बर्डन उनके ऊपर कोई भी नहीं है इसलिए एक तो मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं।

(15.58 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

दूसरा, आपने इसको सहकारी समिति के चुनावों के हिसाब से देखा है। यह सहकारी करेक्टर की बोडी नहीं है। यह साधारण एसोसिएशन जो सारे काश्तकार इकट्ठा होकर अपनी बना लें, उसके स्तर की है। सहकारिता के एक्ट के तहत या सहकारिता के पैटर्न पर इसको हमने कायम नहीं किया है। आपने कहा कि पांच वर्ष का जो आपने समय रखा है वह बहुत लम्बा है और अभी आप शुरू करेंगे और न मालूम कितनी-कितनी गलतियां होंगी। कितनी-कितनी परेशानियां पैदा होंगी। कुछ गड़बड़ियां भी होंगी तो पांच वर्ष में अगर गड़बड़ियां होती हैं तो पंचायत समिति भी पांच वर्ष की है, तो पंचायत भी पांच वर्ष की है, हम भी पांच वर्ष के हैं।

अगर सभी समितियां और सभी इलेक्टेड बोडीज पांच वर्ष की हैं तो इसमें भी जिम्मेदार आदमी हैं अपने इण्टरेस्ट को देखने के लिए हमेशा चौकस रहने वाले लोग हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत बड़ा कोई हंगामा हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा घोटाला हो जाएगा। होता भी है तो उस घोटाले को पकड़ने की प्रक्रियाएं कायम की हुई हैं। और पांच वर्ष अगर नहीं रखते हैं तो यह एक ऐसा प्रबन्धन है जिसमें एक बार करने के बाद साल दो साल का आपको जब अनुभव होता है तब जाकर आप उस पूरे सिस्टम को बहुत कुशलता के साथ चलाने और रखने की स्थिति में आ पाते हैं।

इसलिए छोटा समय रखने में, थोड़ी-बहुत एक्सपर्टिज किसी ने हासिल की और इतने में आपने बदल दिया तो फिर उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। हिसाब रखने के लिए आपने कहा कि उनके पास कौनसा कर्मचारी है जो इतनी लम्बी लिस्ट आपने बना दी। अब कोई संस्था बनेगी तो उसे अपना सारा का सारा हिसाब तो रखना ही पड़ेगा। अपना सारा लेखा-जोखा काम-काज का रखना पड़ेगा। पानी का भी, खेत का भी, लेन-देन का भी यह सारा ही रखना पड़ेगा लेकिन इसके बारे में यह सोचते हैं कि जो हमारे उस क्षेत्र में कृषि के कर्मचारी हैं या हमारे कोई कर्मचारी हैं उनको हम पार्ट टाइम अलाउ करें, कुछ ऐसी व्यवस्था उनकी करने की चेष्टा करें।

(16.00 बजे)

अब इसमें आपने लिखा है कि टेल एण्ड के कृषक का अनुपात अधिक होना चाहिये। यह बात तो सही है। सिंचाई प्रणाली में हालांकि सिद्धान्त यह है कि जब भी पानी छोड़ा जाये तब बीच का सारा पानी

(श्रीमती कमला)

बंद करके सीधा पहले टेल पर पानी पहुंचाना चाहिये उसके बाद में बीच के और हैड के काश्तकारों को पानी देना चाहिये। लेकिन यह लागू होता नहीं है। अगर कोई लागू करना भी चाहे तो काश्तकार लागू नहीं करने देते। इसलिए यह जो सिस्टम अप्रूव्ड है और जो इसकी थ्योरी एक्सेप्टेड है उसको लागू नहीं किया जा रहा है वरना तो इस में दिक्कत ही नहीं होती।

लेकिन जो टेल एण्ड का काश्तकार है वह भी इसका मेम्बर होगा। यह ठीक है कि जो हैड के और बाकी वालों की संख्या ज्यादा होगी। टेल एण्ड की हो सकती है, कम हो लेकिन यह भी हो सकती है कि टेल एण्ड के बराबर भी हो। जैसा अभी खेतों का जो नक्शा है या उसकी जो स्थितियां हैं, यह उस पर निर्भर करेगा। वितरण समिति के सदस्यों की संख्या किसानों की संख्या के हिसाब से पहले से ही तय कर देनी चाहिये। इसमें ऐसा है कि जो माइनर्स हैं, उन माइनर्स में किस-किस माइनर के, कोई छोटी माइनर है, कोई बड़ी माइनर है। जो कोई छोटा मीडियम प्रोजेक्ट है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूटरी है वह भी करीब-करीब माइनर जैसी ही होती है। इसलिए उसको भी हमने इसमें रखा है। तो किस डिस्ट्रीब्यूटरी और किस माइनर पर कितने काश्तकार हैं उन सबका डिक्लेरेशन जब शुरू हो जाएगा उसके बाद में हम करेंगे। पहले से ही हम काश्तकारों की संख्या के हिसाब से कायम कर दें तो उनकी जो कंटिग्युटी है एरिया की, वह कैसे बनती है, कैसे नहीं बनती है उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं।

दूसरा, आपने जो सजा का कहा है कि यह जिस काम के लिए कहा, वह काम दरअसल बहुत जरूरी है। अब अगर कोई जल वितरण में बाधा पहुंचाता है, कोई सिस्टम को तोड़ देता है या कोई दूसरी तरह की एक्टिविटी करता है तो उसके लिए सजा तो सख्त हुए बिना पार पड़ नहीं सकती। आप यह कहते हैं कि इसको जनमत जानने के लिए भेजें। अभी किसी को पता नहीं है और न इसका कोई अनुभव हुआ है और न आपके पास तर्क आये। वैसे तो आर्डिनेंस के जरिये यह कई महीनों से चालू है। फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहती हूं कि आई. जी. एन. पी., अब तक कोटा की जो परियोजनाएं हैं उसमें 332 समितियां गठित हो चुकी हैं और काम कर रही हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में भी 83 समितियां गठित हो चुकी हैं और काम कर रही हैं। सिंचाई विभाग के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी 10 समितियों का गठन किया जा चुका है और वह काम कर रही हैं। जो नये प्रोजेक्ट्स बने हैं उनमें तो सिस्टम, क्योंकि नये सिरे से शुरू होगा, इसलिए किसी प्रकार का कोई ऐसा सिस्टम हम किसानों को दें कि जो खराब है, उसका सवाल ही नहीं है, वह तो शुरू होगा और शुरू करने के बाद भी अगर उसमें कोई कमी खामी है तो भी हम किसान को नहीं देंगे। पुराने सिस्टम को हम पूरा सही कराकर देंगे। तभी किसानों को सौंपेंगे।

(श्रीमती कमला)

इसलिए इस आशंका से, कि सारा बोझ भार और भलाई-बुराई सरकार किसानों पर डालना चाहती है, ऐसी न तो सरकार की कोई नीयत है, न ऐसा कोई इरादा है। बल्कि हम यह चाहते हैं कि आज जो नीचे माइनर के लेवल पर बहुत-सी शिकायतें आती हैं, किसानों को परेशानियां होती हैं उसमें अगर यह खुद ही अपना प्रबन्धन शुरू कर दे और अपनी खुद ही व्यवस्थाएं कर लें और जरूरत पड़े और कभी अगर मन बन जाए तो अपना कुछ पैसा और इकट्ठा करके कुछ और अपने इंतजामात करके अगर और भी अच्छा कर सकते हैं तो उनके लिए सहूलियत होगी। अभी भी जब कभी कोई नहर टूट जाए या कहीं पर और कोई खराबी हो जाती है तो किसान भी अपना ट्रेक्टर दौड़ाकर उसको ठीक करता है। माइनर के खालों को और उसमें हम किसान की मदद के लिए राज्य की तरफ से 50 प्रतिशत जो रेट्स हैं, उनको हम दे रहे हैं। इसलिए मैं यह समझती हूं कि काश्तकारों को यह आशंका है, माननीय जन प्रतिनिधियों को आशंका है कि इस तरह की स्थितियां पैदा होंगी, ऐसा मैं नहीं समझती कुछ हो पाएगा। और काश्तकार अपना काम खुद करता है और उसमें आगे कई दिक्कतें पैदा होंगी या कार्य प्रणाली में कोई इस तरह की स्थितियां आएंगी अनुभव के आधार पर तो उसको हम आगे ठीक भी कर सकते हैं। आज ही हम आशंका करके यह कह दें कि सिस्टम चलेगा कि नहीं, सफल भी होगा कि नहीं। वैसे कह रहे हैं राज्यों में सफल हो रहा है। आन्ध्र में भी सफल हो रहा है और राज्यों में भी सफल हो रहा है। जहां भी लिया है ऐसी कोई शिकायतें आयी नहीं और चुनाव के नाम से हम घबराएं तो जन प्रतिनिधियों को तो चुनावों के नाम से घबराने की बात ही नहीं होनी चाहिए।

इसके अलावा माननीय रामप्रतापजी ने कुछ दूसरे मुद्दे जो अध्यक्ष महोदय ने इनको अलाऊ किया, उसके हिसाब से आपने जो कहे हैं, तो गंगनहर मार्डनाइजेशन प्रोजेक्ट के बाबत में आपने कहा। यह बात सही है कि यह बहुत ही गम्भीर स्थिति के अन्दर नहर बनी हुई है। मैं खुद भी इसकी पूरी लैंथ में जाकर आयी हूं उसकी पूरी पट्टी के साथ-साथ और उस एरिया के अन्दर इसकी स्थिति और भी खराब है। इस प्रोजेक्ट को हमने बहुत परश्यू करके, बहुत मेहनत करके वहां से सी. डब्ल्यू. सी. और प्लानिंग कमीशन से अप्रूव कराया। अब इसके फण्ड्स की जो बात है वह हमने नोट बनाकर माननीय मुख्य मंत्रीजी को प्रस्तुत किया है कि इससे फाइनेंसेज लेने के लिए हम आउटर एजेन्सी को किस प्रकार से मोटिवेट कर सकते हैं, उसके लिए हम कार्यवाही करने जा रहे हैं और यह हमारी बहुत प्रायोरिटी की चिन्ता है कि हम किस प्रकार से इसके काम को प्रारम्भ कराने के लिए पैसे की व्यवस्था करा सकें। यह मुझे पूरी तरह से अहसास है इसका।

जहां तक वाटर अलाउंस का मामला है जिस किसी भी अधिकारी ने अपने स्तर

(श्रीमती कमला)

पर, अपने लेवल पर कोई कारण लिखकर अखबारों में कुछ दिया है उसका तो मैं नहीं कह सकती कि उन्होंने किस हिसाब से लिखा है। लेकिन यह दो-तीन कारण ऐसे हैं जिनके कारण से इसको किया जाना जरूरी था। पहली जो बात है वह यह है कि जितना भी वाटर अलाउंस दूसरे सिस्टम में है उससे दुगुने से भी ज्यादा वाटर अलाउंस इस नहर में हम दे रहे हैं। और जिस वक्त यह वाटर अलाउंस दिया है उस वक्त हमारा सिस्टम बहुत थोड़ी जगह पर बन पाया था। लेकिन हमको पंजाब से अपने पानी का हिस्सा लेना जरूरी था इसलिए जितना-सा भी सिस्टम बना, जितना-सा भी एरिया ओपन हुआ उसमें हमने इस सारे पानी को लेने की चेष्टा की। एक तरफ तो यह स्थिति है दूसरी तरफ यह कि नहरों से सीपेज होती है। यह बात भी सही है और उस वक्त हमने एनविसेज ही नहीं किया जब यह नहर बनायी जा रही थी कि इस डेजर्ट में भी कहीं सीपेज होगा। इसलिए यह सही बात है कि ड्रेनेज के सिस्टम पर प्रोजेक्ट्स के साथ में होने चाहिये। वह ड्रेनेज सिस्टम उस वक्त में नहीं बनाये जा सकें।

इसके अलावा यह भी है कि इसके एरिया में जगह-जगह पर हार्ड पैन और सेमी हार्ड पैन है, उसको भी उस तरह से जब नहर को बनाया जा रहा था उस वक्त इसका पूरी तरह एग्जामिन नहीं किया गया। नहीं तो उसी वक्त से हम इस बात को तय कर सकते थे कि इस एरिया में सिर्फ इतना पानी देंगे, इस एरिया में इतना देंगे। सभी जगह एक जैसा वाटर अलाउंस, एक जैसा सिस्टम कायम कर दिया। हमने इसके अन्दर हनुमानगढ़ में वर्कशाप की थी उसमें एक कारण नहीं है, कई कारण उसमें एनवीसेज किये गये थे। एक्सपर्ट्स ने, भारत सरकार के विशेषज्ञों ने, कृषकों ने, जन-प्रतिनिधियों ने, अधिकारियों ने सबने बैठकर दिन भर इसके ऊपर चर्चा करके तीन-चार कमेटी बनाकर उन्होंने मौके-मुआयने अलग-अलग स्टेट्स के देखकर बहुत सारे प्रस्ताव इसके लिए सुझाये थे। इस संदर्भ में राज्य सरकार को यह प्रस्तुत किया गया और उसके हिसाब से हमने इसको कायम किया है।

ओ-टू वेयर वाला जो आपने बताया। 63 हजार की कैपेसिटी का जो हरियाणा बना रहा था वह जैसे ही हमको पता लगा उसका हमने बहुत सख्त एतराज हरियाणा सरकार को भेजा। लेकिन हरियाणा सरकार ने उसको बनाने का काम जारी रखा। इसके लिए हमने फिर उसको तकाजा किया। इस बीच में एक प्राइवेट रिट भी कोर्ट में लगी। उस कोर्ट की रिट में उन्होंने यह कहा कि एक कमेटी बैठे और वह इसको पैनेलाइज करे तब तक वह 40 हजार का बना था उसको 40 हजार की ही स्वीकृति मिली। उसके बाद में हमने उसमें प्रोटेस्ट किया। हमारी कमेटी की रिपार्ट में प्रोटेस्ट दर्ज है। अभी तक 40 या 44 से ज्यादा उन्होंने नहीं बनाया है। और हमने यह तय किया है कि यह जो बनाया है जिसके लिए

(श्रीमती कमला)

हमने एतराज किया था, उसके लिए हमें कोर्ट में जाने की भी तैयारी रखनी है, वह भी हम कर रहे हैं।

माननीय हेमारामजी ने बताया कि आई. जी. एन. पी. में पानी नहीं पहुंच रहा आर. डी. 1365 से नीचे और फसलें नष्ट हो रही हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि पानी की जो स्थिति है पोंग डेम में, भाखड़ा में, वह आपको मालूम है। हमने आपके सभी स्तरों पर वाटर रेगुलेशन कमेटीज बना रखी हैं और उन वाटर रेगुलेशन कमेटीज की एक मीटिंग 15 को हुई है। इस बीच में मुझे यह सूचना मिली कि जो 30 दिन या 33 दिन का रखा है उसमें पीने के पानी की बड़ी असुविधा हो रही है इसलिए इसका कुछ निराकरण करना चाहिए। जबकि जो माननीय सदस्य हैं वह भी इसके सदस्य हैं, कुछ दूसरे जन-प्रतिनिधि भी सदस्य हैं, अधिकारी भी हैं, उसमें क्यों नहीं यह ध्यान रख सके, यह मुझे पता नहीं लेकिन चार तारीख को, कल वापस रेगुलेशन कमेटीज की मीटिंग मैंने रखवा दी है। आप अपनी बात वहां पर कह कर और अपने हिसाब से उसको किसी तरह से एडजस्ट किया जा सकता है, उसको आप देख सकते हैं।

दूसरा, जो आपने किश्तों का कहा और अलाटमेंट के मामले में बात कही, यह बात सही है कि आज काश्तकार की स्थिति इस तरह की नहीं है कि जो किश्तें देय हैं उनको वह दे सके। किश्तें कई इकट्ठी भी हो रही हैं और उसका ब्याज भी काफी चढ़ रहा है और इसके कारण से पहले जो मुरब्बे खारिज कर दिये जाते थे उनको तो मैंने यह आदेश दे दिया है कि किश्तें चढ़ने के कारण से किसी काश्तकार का मुरब्बा खारिज नहीं किया जायेगा। किश्तें अगर चढ़ रही हैं तो काश्तकार अपना भुगतान अपने हिसाब से आगे करता रहेगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : मंत्री महोदय, इस सम्बन्ध में आपने निर्देश नीचे अधिकारियों को दे दिये हैं न, सर्कुलर राज्य सरकार का पहुंच चुका है क्या ?

श्रीमती कमला : मैंने लिखित में जारी किया है।

श्री हेमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जिनके खारिज हो गये, कर दिये हैं आपके आदेश जाने से पहले, उनके तो वापस बहाल तो करो। बाकी दूसरों के साथ जो होगा वो ही सलूक उनके साथ करो।

श्रीमती कमला : अब वह तो देखना पड़ेगा कि कितना है और उसमें कितना वह जमा कराये तो वापस बहाल करें। यह थोड़ा देखने की बात है। बाकी आगे खारिज करने वाला तो कोई उनसे अधिकार ले लिया है।

एक आपने जो यह बात कही है कि काश्तकार कि जो 80 हजार की किश्त है वो अगर फसल के हिसाब से 40-40 हजार कर दी जाये तो सहूलियत से दे सकते हैं,

(श्रीमती कमला)

इसको मैं एग्जामिन करा लूंगी जिससे कि काश्तकारों को सुविधा हो सके।

अन्त में मैं माननीय सदस्यों को यह भरोसा दिलाना चाहती हूं कि हम किसी भी प्रकार से काश्तकारों को बर्डन् करने के लिए या काश्तकार पर सिस्टम की परेशानियां डालने के लिए यह बिल नहीं लाये हैं। काश्तकार की सहभागिता, काश्तकार खुद अपना मोनीटर करे, खुद अपनी व्यवस्थाओं को देखे और उनका प्रबन्धन कर सके और अपने खुद के विकास के लिए और जो कुछ भी स्कीमें जोड़ सकता है वह जोड़े। सिर्फ इसके लिए किया है। बाकी ऊपर के सिस्टम पर उसका कोई भी फाइनेन्शल इन्वाल्वमेंट नहीं रखा है। सिर्फ वह अपने एतराजात और अपने सुझाव डिस्ट्रीब्यूटरी और प्रोजेक्ट लेवल पर देता रहे जिससे कि ऊपर के अधिकारी और ऊपर के सिस्टम को वो मोनीटर कर सके। इसके लिए ऊपर वाली बनी है। सिर्फ माइनर वाली के लिए हमने काश्तकार को कुछ फाइनेंशल सहूलियत भी दी है और उनसे भी कुछ एक्सपैक्ट किया है। तो यह अपने आप किसान के लिए अगर अच्छी तरह से चलाये जाने में आप सब सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छा निकलेगा। और अगर किसी कारण से कमी-बेशी नजर आती है तो फिर उसमें बाद में संशोधन करके ठीक किया जा सकता है, ऐसी कोई आशंका वाली बात नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगी कि इसको आप उसी दृष्टि से देखें।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि अभी उन्होंने जो धारा 24, खण्ड 24 में जो सर्कूलेट किया है, 50 प्रतिशत सिंचाई कर हम उपयोक्ता समूहों को दे देंगे, मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि उसका फाइनेंशल इम्प्लिकेशन जो करंट ईयर है, उसमें अंदाजन कितना होगा ? करोड़, दो करोड़ ऊपर-नीचे की बात नहीं है परन्तु उसका 50 परसेंट का असेसमेंट आपका क्या है ? 50 परसेंट सिंचाई कर जो हम ट्रांसफर करेंगे उपभोक्ता संघों को, वह अंदाजन कितना बनता है ? कितने करोड़ बनता है ?

श्रीमती कमला : अब वह इस वक्त थोड़े बता सकते हैं। अलग-अलग उपयोक्ता संघों को 50 परसेंट से कितना बनेगा, यह हम कहां कह सकते हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, आपको तो कहना पड़ेगा, मंत्री महोदया, क्योंकि कोई भी बिल यदि उसके फाइनेंशल इम्प्लिकेशंस हैं तो इस सदन को आपको बताना ही होंगे।

श्रीमती कमला : वह तो जब बिल आता है तो उसका सारा का सारा फाइनेंस में भी एग्जामिन होता है।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, आपके इस बिल में कोई फाइनेंशल मेमोरेंडम नहीं है, मंत्री महोदया।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 61 की ओर आकर्षित करता हूं "A Bill involving expenditure shall be accompanied by a financial memorandum which shall invite particular attention to the clauses involving expenditure and shall also give an estimate of the recurring and non-recurring expenditure involved in case the Bill is passed into law." आपने संशोधन आज रखा है। पहले कोई इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। पहले उन्होंने धारा, खण्ड-24 में सिर्फ इतना ही था कि जो भी ग्रांट सरकार देगी वो उसको प्राप्त करेंगे जो उपयोक्ता संघ हैं। अब आपने 50 परसेंट का लिख दिया है। 50 परसेंट का मतलब हुआ 40 रुपये बीघा, जो भी सिंचाई कर उस क्षेत्र में आता है, तो निश्चित रूप से राजस्थान में लाखों बीघा में पानी जा रहा है और जहां लाखों बीघा में पानी जा रहा है वहां 100 करोड़ की रेवेन्यू कम से कम सरकार को हो रही है। 50 परसेंट आप ट्रांसफर कर रहे हैं, 50 करोड़ रुपये का भी यदि ट्रांसफर है तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह फाइनेंशल मेमोरेंडम के बिना, आकलन के बिना और इस रूल 61 की उपस्थिति में यह बिल अभी पास कैसे होगा ? पहले तो इसका फाइनेंशल मेमोरेंडम राज्य सरकार सदन के सामने रखे, सर्कुलेट करे और उसके बाद इस बिल पर कोई विचार करके इसमें पारण की स्थिति बनेगी अन्यथा यह धारा, खण्ड-24 जो है, उपाध्यक्ष महोदय, वहीं पर जाकर अटक जायेगा। आप इसको देखें।

मैं व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से इस प्रश्न को उठाता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह कांस्टिट्यूशन का आर्टिकल 207 भी यह कहता है "(1) A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of Article 199 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the Governor and a Bill making such provision shall not be introduced in a Legislative Council ;

"Provided that no recommendation shall be required under this clause for the moving of an amendment making provision for the reduction or abolition of any tax. (2) A Bill or amendment shall not be deemed to make provision for any of the matters aforesaid by reason only that it provides for the imposition of fines or other pecuniary penalties ; or for the demand or payment of fees for licences or fees for services rendered, or by reason that it provides for the imposition, abolition, remission ; alteration or regulation of any tax by any local authority or body for local purposes. (3) A Bill which if

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

enacted and brought into operation, would involve expenditure from the Consolidated Fund of a State shall not be passed by a House of the Legislature of the State unless the Governor has recommended to that House the consideration of the Bill." तो यह कांस्टिट्युशन में गवर्नर की प्रायर सैंक्शन जरूरी है, उपाध्यक्ष महोदय। फाइनेंशल मेमोरेंडम जरूरी है, यह भी जरूरी है।

श्री हेमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : इसको तो निपटने दो। आप भी इस पर बोल रहे हो क्या ?

श्री हेमाराम चौधरी : हां, मैंने अभी बोला भी था।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, इसी पर बोल रहे हो या कोई अलग बोल रहे हो ?

श्री हेमाराम चौधरी : इसी पर बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप समझे नहीं।

श्री हेमाराम चौधरी : नहीं, इस पाइंट पर नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जब तक आप तैयार हो जाएं तब तक बोलने दो इनको।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, एक काम तो निपटे न।

श्री हेमाराम चौधरी : मेरा तो कोई लम्बा मामला ही नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। निपट जायेगा, नहीं तो रह जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : बोलो, मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदया ने कहा कि मुरब्बे खारिज नहीं करने के आदेश दे दिये हैं। वह आदेश आपने 24.6.2000 को दिये हैं और 31.5.2000 को कमिश्नर ने जो आदेश निकाला है उसमें लिखा है, मैं आपको पढ़ कर सुना दूं– 31.5.2000 द्वारा प्रदेश की अकाल की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आवंटन खारिज कार्यवाही नहीं करने के निर्देश दिये गये थे। राज्य सरकार ने अपने पत्रांक दिनांक 24.6.2000 द्वारा जैसलमेर जिले में सिंचाई के अभाव में काश्त नहीं हो पाने से किश्तों के अभाव में आवंटन खारिज नहीं करने के आदेश दिये हैं। यह 31.5.2000 वाले आदेश कमिश्नर ने वापस ले लिये, वह मैं नीचे पढ़ रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय। "अतः इस कार्यालय द्वारा दिनांक 31.5.2000 को जारी निर्देशों को तुरन्त प्रभाव से वापस लिया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि बकाया राशि की वसूली हेतु हर संभव प्रयास किये जाएं, वसूली कार्य में शिथिलता नहीं बरती जावे जिससे आवंटी समय पर किश्तें चुकाने में विफल रहते हैं उनके आवंटन खारिज की कार्यवाही नियमानुसार की जाय तथा भौतिक रूप से कब्जा सरकार लिया जाकर के मौके पर से बेदखली की प्रभावी कार्यवाही की

(श्री हेमाराम चौधरी)

जाय तथा भूमि को पुनः आवंटन करने की कार्यवाही की जाए।"

श्री देवीसिंह भाटी : कितनी तारीख का है ?

श्री हेमाराम चौधरी : 17 अक्टूबर का यह आदेश है। इस आदेश की कॉपी मैं आपको दूं...(व्यवधान)

श्रीमती कमला : ऐसा है, आप जो आदेश पढ़ रहे हैं, पहले हमने आपकी किश्तें देने के लिए शिथिलता या रोक लगा दी थी कि इसको न किया जाए, उसका आदेश है यह....(व्यवधान) मुरब्बा खारिज न किया जाए। उसके आदेश के विपरीत का नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी : इसमें लिखा है कि खारिज किया जावे। ब-हक राज्य सरकार लिया जावे और पुनः आवंटन की कार्यवाही की जावे। तो फिर वह आपका दूसरा है। (व्यवधान) तो फिर आदेश वह रहेगा कि यह रहेगा ? अब इस आदेश में जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया, इसमें तो है कि कब्जा बहक दिया जावे, पुनः अलाटमेंट की कार्यवाही का है। तो फिर आप दूसरों को अलाट करके तो काश्तकारों को आप आपस में लड़ा दोगे। इस तरह से पहले जिनके मुरब्बे खारिज हो रखे हैं उनको पुनः आवंटन की भी कार्यवाही वह कर सकते हैं। इस समय पानी की परेशानी है इसलिए काश्तकार तबाह हो जाएंगे। ऐसे मामलों को आप देखें या फिर आप कह दें कि हम बोरी बिस्तर लेकर जैसलमेर से वापस चले जाएं। (व्यवधान) नहीं, तो ये कह दें न।

श्रीमती कमला : आपने जो अभी लास्ट लाइन पढ़कर सुनायी है जिसमें कि मुरब्बे खारिज कर दिए जाएंगे और अगर किश्तें दे देंगे तो फिर वापस दे दिए जाएंगे, इसमें किस कारण से...

श्री हेमाराम चौधरी : वापस नहीं, दूसरे को अलाट। एक मिनट। उनके आवंटन खारिज की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी तथा भौतिक रूप से कब्जा बहक सरकार लिया जाकर मौके पर से बेदखल की प्रभावी कार्यवाही की जावे तथा भूमि को पुनः आवंटन करने की कार्यवाही करें। आवंटन का मतलब यह थोड़े ही है कि उसके पास पैसा नहीं है तो दूसरे को दे दें।

श्रीमती कमला : मैं यही कह रही हूं कि आखिरी लाइन जो आपने पढ़ी है, यह लाइन उस आदेश की नहीं है जिस आदेश के तहत यह ऊपर वाला लिखा हुआ है। ऊपर वाला लिखा है कि बीच में यह सारी की सारी वसूलियां रोक दी थीं उन वसूलियों को वापस जारी करने का आदेश हमने वापस किया था लेकिन आदेश यह दिया था कि किश्तें चढ़ने के कारण वसूली कम होने के कारण से किसी का मुरब्बा खारिज नहीं किया जाएगा। वह उस आदेश में कहीं भी नहीं है। इसलिए यह किस कारण से लिखा है, इसको मैं देखूंगी।

श्री हेमाराम चौधरी : आप देख लें साहब। किसान के पास पैसा कहां से आयेगा जो वह किश्त चुका सके। खरीफ की फसल हुई नहीं, रबी की फसल हुई नहीं। पिछले साल भी रबी और खरीफ की फसल नहीं हुई। पिछले साल भी और इस साल भी पानी नहीं मिला और अब कोई मुरब्बा लेने वाला नहीं है। इसीलिए तो लेने वाला नहीं है कि जो काश्तकार आकर ले लेगा वह तबाह हो जाएगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा है उसमें बहुत तत्व हैं। मैं निवेदन करता हूं कि जब तक आप ऐसा आदेश दुबारा नहीं देंगीं, जो मुरब्बे खारिज हो गये और वापिस आवंटित नहीं किये गये और उन काश्तकारों की दरख्वास्तों का दो महीने इन्तजार किया जावे तब तक वह सारे मुरब्बे नीचे के अधिकारी दूसरों को जिन पर पांच सात साल की किश्तें हो चुकी हैं, वह दूसरों को आवंटित कर देंगे इसलिए जो भी आदेश खारिज के हुए हैं वह आदेश ही स्थगन, माननीय मंत्रीजी, आप करेंगी तभी उन काश्तकारों को सही माइने में कोई लाभ होगा अन्यथा एक तकनीकी बात तो हो जायेगी कि आपने घोषणा कर दी कि खारिज नहीं किए जाएंगें, लेकिन जिनके खारिज हो चुके हैं वही पीड़ित हैं। और इसलिए उन पीड़ितों को कोई राहत, वह आपके बहुत स्पष्ट आदेश के माध्यम से मिलनी चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

श्री हेमाराम चौधरी : इस समय तो काश्तकारों के पास एक भी पैसा नहीं है। उल्टे उनको थोड़ा बहुत कर्जा लेकर बुवाई करना चाहेगा और आप किश्त की बात करते हो। फसल आ जाए, उस समय आप बात करो तो ठीक है, बात समझ में आती है लेकिन आज काश्तकारों के पास एक पैसा देने को नहीं है, चाहे आप मुरब्बे लेओ, चाहे उसकी जान लेओ। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, जो खारिज हो चुके हैं उनको दूसरों को नहीं दिया जाए, इस सम्बन्ध में जिन-जिन के मुरब्बे खारिज हुए हैं, वे किस स्टेज के हैं, अगर इनीशियली हैं, कोई भी किश्त नहीं दी है तो उसका केस अलग होगा और कुछ किश्तें देने के बाद में वह पैण्डिंग था और उस दौरान खारिज हुए हैं तो वह डिफरेंट केस होगा। इसलिए जो खारिज हुए हैं उनकी क्या-क्या केटेगरीज हैं और किस प्रकार से उनको रिवाइज किया जा सकता है उस सबको देखने के बाद ही कहा जा सकता है। बाकी हमने जो आदेश दिया उसके बाद अगर किसी के मुरब्बे खारिज किये हैं तो उसको हम निरस्त करवायेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी : उन्होंने एक ही तो किश्त दी है पहली किश्त ही तो उसने जमा करवायी है। दूसरी किश्त तो वह जमा नहीं करवा पाया। तीन ही तो किश्तें हैं। दूसरी और तीसरी उनकी बाकी है। अगर दूसरी और तीसरी दे दी तो बाकी ही क्या रहा ? इसलिए दो किश्तें तो बाकी हैं

(श्री हेमाराम चौधरी)

ही। अब स्टेज तो यही है। स्टेज की आखिर आप जांच करवाओगे या नहीं करवाओगे, फर्स्ट किश्त 35 प्रतिशत तो आपको तब दे दी जब आपने अलाटमेंट किया।

श्री देवीसिंह भाटी : इनके हाथ में नहीं है। वित्त विभाग इनके पीछे पड़ा हुआ है।

श्री हेमाराम चौधरी : हाथ में है कि नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डा. रामप्रतापजी, आप कुछ कह रहे थे ? बोलो न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह फाइनेंशल बिल है तो इनको विद्ड्रा करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : हां, अभी आपको बताते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, यही है। फैसला यही करना है आपको। नहीं तो ज्यादा अच्छा होगा, खेतसिंहजी की राय ले ली जाए। खेतसिंहजी को बुलाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : बुलाया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : विधि मंत्रीजी जवाब देंगे। कानून से जुड़ी हुई बात है। आप उनको बुलाओ न।

श्री उपाध्यक्ष : बुलवाया है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) (पशुपालन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो तीन आपत्तियां विपक्ष की तरफ से आयीं। एक तो आप यह कहना चाहते हैं कि यह मोनीटरी बिल है और बिना गवर्नर साहब की सेंक्शन हाउस के अन्दर इन्ट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। दूसरा, आप यह कहना चाह रहे हैं, माननीय सदस्य का एतराज इसमें यह है कि फाइनेंशल क्या बर्डन होगा, इस सम्बन्ध में फाइनेंशल क्लाज के साथ मैमोरेण्डम लगाना चाहिए था।

मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन यह है कि आपके दोनों एतराज आप उस समय ला सकते थे जब यह बिल हाउस में इन्ट्रोड्यूस हो रहा था। (व्यवधान) बिलकुल, उस समय आपके आब्जेक्शंस आने चाहिए थे और जब कि हाउस ने उसको इन्ट्रोड्यूस करने की इजाजत दे दी है। ये विचारणीय विषय उस समय थे। यह मोनीटरी बिल है या नहीं ? अव्वल में, मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह मोनीटरी बिल नहीं है। इसमें कोई भी नया टैक्स इम्पोज नहीं किया जा रहा है, इसमें फाइनेंशल इम्पोज नहीं किया जा रहा है, इसमें आम पब्लिक के ऊपर बर्डन इम्पोज नहीं किया जा रहा है इसलिए यह जो आप एतराजात कर रहे हैं, हाउस उनको वेव कर चुका है। उस समय आप एतराज करते तो हाउस इस पर कन्सीडर करता और उसको इन्ट्रोड्यूस करने की इजाजत देते या नहीं देते, अब तो हाउस में इसको वोट लेने के बाद विचारार्थ लिया जा चुका है। इसलिए आपका

(श्री हरिसिंह कुम्हेर)

जो पाइंट आफ आर्डर है वह काबिल रिजेक्शन है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस रिलेक्स कर सकता है।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, जो अमाउन्ट आपको दिख रहा है, यह टैक्स तो पहले से लगा हुआ है और यह पैसा भी राज्य सरकार में पहले से उसके तौर पर है। इसका कुछ हिस्सा मात्र उन संगमों को ही डाइवर्ट किया है इसलिए कोई नया टैक्स, नया एक्सपेंडीचर इन्वाल्व नहीं है इसलिए यह उस परिभाषा में नहीं आता जिसके लिए फाइनेंशल मैमोरेण्डम साथ में लगाना अपेक्षित था।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, सेक्शन 24 देखें बिल का...(व्यवधान) पहले से हो या नहीं हो। (व्यवधान) A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of Article 199 shall not....

श्री उपाध्यक्ष : आप कहां से पढ़ रहे हैं ? क्या है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : सर, कंसोलीडेटेड फण्ड में, 24 पढ़ रहा हूं और 207 पढ़ रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपको बिल का 24 पढ़ना पड़ेगा। Resources of Farmers Organisation.- (1) grants received from the Government. गवर्नमेंट के कंसोलीडेटेड फण्ड से अगर पैसा जाता है तो यह आर्टिकल 207 में कवर हो जाता है और आर्टिकल 207 के अन्दर आप बिल इन्ट्रोड्यूस तब तक नहीं कर सकते जब तक कि राज्यपाल महोदय की आपको स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह सदन सर्वोपरि है इसमें कोई सन्देह नहीं है और नियमों में रिलेक्स कर सकता है, लेकिन संविधान के प्रावधानों में सदन को कोई पावर्स नहीं है।

मैं माननीय हरिसिंहजी, मंत्री महोदय की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि वे खुद वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, संविधान के प्रोविजन्स को यह हाउस रिलेक्स नहीं कर सकता। आप रूल्स को रिलेक्स कर सकते हैं। यह मैण्डेटरी प्रोविजन है। कंसोलीडेटेड फण्ड से अगर पैसा दिया जाता है तो पहले गवर्नर की सेंक्शन लेनी पड़ेगी। मैं दूसरी बात यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप If you rush through this Bill, the entire proceedings of the Bill through this House, Will stand vitiated. कोई मतलब नहीं है। आप सर्वसम्मति से पारित कर दीजिए। सब बिलकुल अवैधानिक हो जाएगा इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी स्टेज पर सदन का, आसन का और मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्षजी, मूल आपत्ति अभी कुम्हेर से

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आने वाले माननीय मंत्रीजी ने जो बात कही है...

श्री शांति कुमार धारीवाल : कुम्हेर से तो सदस्य आते हैं, मंत्री तो यहीं से आते हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : कुम्हेर से सदस्य आते हैं पर मैं कुम्हेर से आने वाले माननीय मंत्रीजी कह रहा हूं। अभी मंत्री हैं या नहीं हैं ? या आपको भी कोटा से आने वाले विधायक कहना पड़ेगा ? आप तय कर लें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : विधायक एवं मंत्री कहिये आप।

श्री मानिक चन्द सुराना : चलिये, आइन्दा संशोधन करेंगे। माननीय पशुपालन मंत्रीजी ने जो आपत्ति की है, मैं आपका ध्यान...

श्री उपाध्यक्ष : पशुपालन की हैसियत से नहीं, लॉ मिनिस्टर की हैसियत से बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भैरोसिंह शेखावत : ला मिनिस्टर और पशुपालन मंत्री।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ला मिनिस्टर को तो बुलाएं।

श्री उपाध्यक्ष : मिल नहीं रहे हैं ढूंढ रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अधिकृत जानकारी तो मिल जाए।

श्री उपाध्यक्ष : नोट अवेलेबल, तलाश कर रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : स्टेट ला मिनिस्टर भी हैं क्या यह ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अधिकृत जानकारी तो उनके पास ही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर मुख्य मंत्री जी को बुला लो।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैंने पहले तो आपको रूल-61 पढ़कर सुनाया था। रूल-61 प्रक्रिया व कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों का है और अब मैं आपको आर्टिकल 199, संविधान की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। आर्टिकल 199 का रेफरेंस आर्टिकल 207 में है। उस आर्टिकल में यह साफ कहा गया है 199 में "(1) For the purposes of this chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters,----" कृपया ध्यान दें, all or any of the following matters. और उसमें क्लाज–डी है.... ".....(d) the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of the State;..

यदि कन्सोलिडेटेड फण्ड आफ दी स्टेट से आप पचास पर्सेन्ट राशि सिंचाई कर की उनको दे रहे हैं तो यह संविधान के आर्टिकल 199 की धारा "डी" में कवर हो जाएगी माननीय मंत्रीजी, और उसमें कवर होने के कारण इसमें फाइनेंशियल मैमोरेण्डम आर्टिकल 207 का चाहिए। और माननीय मंत्रीजी ने भी यह कुछ नहीं कहा कि

(श्री मानिक चन्द सुराना)

हमारी आमदनी 100 करोड़, 150 करोड़ है, 200 करोड़ है सिंचाई कर से तो यह तो बताना पड़ेगा कि इतना रुपया चूंकि ट्रांसफर करना है। पहले तो आप जो मूल बिल लाए हैं उस मूल बिल में कहीं भी किसी पचास परसेंट का रेफरेंस नहीं है। वहां तो यह है कि राज्य सरकार कोई ग्रांट देगी तो वह लेंगे। तो राज्य सरकार दे न दें। वहां कोई फाइनेंशियल इम्पलीकेशन क्लियर नहीं हुआ और यहां जो पचास परेसंट आप दे रहे हैं तो क्या मुझे यह बताना पड़ेगा कि यह फाइनेंशियल इम्पलीकेशन क्लियर हैं और यह 60-70-80 करोड़ का मामला है। फाइनेंशियल मैमोरेण्डम लाने में आपको दिक्कत क्या है ? 6 तारीख को ले आइये। गवर्नर की सैंक्शन कराकर 6 को ले आइये उसमें हमें कहां दिक्कत है और बहुमत आपका है ही और अभी रहने वाला ही है जब तक आप में ही कोई विभाजन न हो, जिसकी संभावना नहीं है तो इसलिए आपका बहुमत है और रहेगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : है, संभावना।

श्री मानिक चन्द सुराना : है तो वो आपको ज्यादा जानकारी में है। आप निकट हैं उनके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप अपनी बात पर आओ ना।

श्री मानिक चन्द सुराना : मेरी आपत्ति को अलाऊ करने के लिए उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करता हूं।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से आप इस ग्रांट को जो कि सीधा गवर्नमेंट का कोई एक्सपेंडीचर नहीं है और सिर्फ एसोसिएशन्स को डाइवर्ट हो रहा है, उसको आप इस परिभाषा में जबर्दस्ती खींचकर डालना चाह रहे हो, जो एक्सपेंडिचर की परिभाषा में नहीं आता। इसलिए इसके ऊपर वह पाबन्दी जो आप फाइनेंशियल मैमोरेण्डम की कह रहे हैं, वह इसमें लागू नहीं होती।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह सैक्शन-24 पूरा का पूरा डील करता है। "Clause (i) grants received from the Government as a share of the water tax collected in the area of operation of the Farmers' Organisation." वाटर टैक्स आपने कलेक्ट किया, कन्सोलिडेटेड फण्ड में आया कि नहीं आया ?

श्रीमती कमला : वह तो पहले से लगा हुआ टैक्स है और आ गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं मंत्रीजी, एक मिनट आप धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनने का प्रयास कीजिए, समझने का, अब वो आप वापस दे रहे हैं तो डिसवर्स किया, आर्टिकल 199 में आ गया। फिर आप क्लाज-2 पढ़िये।

"(ii) such other funds, as may be granted by the State and Central Government for the development of the area of operation,"

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

"(iii) resources raised from any financing agency for undertaking any economic development activities in its area of operation."

फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशन्स आपकी भी है। आर.एफ.सी. से भी दे सकते हैं और दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं, यह पूरा का पूरा इसमें कवर होता है। और कन्सोलिडेटेड फण्ड का जब आप पढ़ते हैं, यह आर्टिकल 199 पढ़ लीजिए आप. For the purposes of this chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill....

श्री उपाध्यक्ष : यह तो पढ़ दिया ना। पढ़ दिया ना सुराना साहब ने।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, पढ़ दिया। तो मेरा मतलब यह है कि...

एक माननीय सदस्य : समझ नहीं रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां समझ नहीं रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : विधि मंत्रीजी को बुलाओ ना।

श्री उपाध्यक्ष : बुला रहे हैं, बुला रहे हैं। मिले जब बुलाऊं, किसको बुलाऊं।

मोहम्मद माहिर आजाद : विधि मंत्री को बुला लें।

श्री उपाध्यक्ष : आप सब कह रहे हो, मैं नहीं समझ रहा हूं क्या ? मिले तो बुलाऊं ना, किसको बुलाऊं।

श्रीमती कमला : यह एक्सपेंडिचर की परिभाषा में नहीं आ रहा इसलिए आप इसके उसमें नहीं डाल सकते। यह बिल जो पास होकर आया है वो भी ला डिपार्टमेंट से एग्जामिन होकर और दुबारा एग्जामिन कराकर आपके सामने पेश किया है। तो यह आपकी इस परिभाषा में आता ही नहीं है एक्सपैंडिचर, इसलिए यह इसमें लागू नहीं होता है।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप जो सत्तर करोड़, अस्सी करोड़ देंगे वह राज्य सरकार का एक्सपेंडिचर नहीं है क्या ? कन्सोलिडेटेड फण्ड से ही देंगे आप। और जब आपके हाथ से चला जाएगा वह प्राइमरी आर्गेनाइजेशन, वाटर यूजर्स आर्गेनाइजेशन के पास में, तो वह उसका कुछ भी उपयोग करें आपके समेकित निधि से अस्सी करोड़, सत्तर करोड़ कम होगा वह फाइनेंशियल, यही तो उसमें लिखा है कि यदि कन्सोलिडेटेड फण्ड से आप कोई एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं तो वह फाइनेंशियल मैमोरेण्डम की तारीख में आता है, फाइनेंशियल इम्पलीकेशन की तारीख में आता है। आप संविधान पर जिद तो न करें। संविधान को तो सही तरीके से समझने की कोशिश करें....

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं यह कौनसी किताब में लिखा हुआ है कि ला डिपार्टमेंट ने जो कर दिया वह गलती नहीं हो सकती ?

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं जानना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या विधि सचिव यह कहने को तैयार हैं कि इसमें फाइनेंशियल मैमोरेण्डम इन्वाल्व नही है। विधि सचिव कहकर तो देखें, वह लिखें तो सही कि कोई इन्वाल्व नहीं है। विधि सचिव भी यह राय नहीं दे सकते।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्षजी, इसमें विधि सचिव क्या राय देते हैं, क्या राय नहीं देते है यह आज स्टेज नहीं है। आज तो सदन के सामने यह मैटर है। मैंने एक बात तो पहले ही यह निवेदन किया कि अब यह स्टेज पार हो चुकी इसमें एतराज करने की। नम्बर दो मनी बिल्स वो होते हैं जिस बिल इटसैल्फ में यह होता है कि यह-यह पैसा इस-इस प्रकार से एप्रोप्रियेट किया जाता है। ये-ये पैसा इनको दिया जाएगा या पब्लिक से लेने के लिए, पब्लिक को टैक्स लेने के लिए...

श्री सुरेन्द्र व्यास : कहां लिखा है ? पढ़िये आप।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : 199 पढ़ लीजिए, मेरे पास तो नहीं है किताब। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह प्रोविजन क्या है ? आप जो बता रहे हो, यह किस आधार पर बता रहे हो बता दीजिए। इसमें क्या दिक्कत आ रही है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे यह 199 आप पढ़ लीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : बताइये आप इसको। हाउस में अगर अलाऊ कर दिया रखने के लिए तो हाउस विथड्रा करने के लिए भी अलाऊ कर देगा।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : काहे के लिए विथड्रा कह रहे हैं आप ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : पशुपालन मंत्री जी...

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आप तो बहुत अच्छी वकालत करते हैं। बीच में नहीं बोलें। बीच में बोलने का कोई कायदा तो मैंने आज तक देखा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोल लेने दो ना उनको।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : जब मैं अपनी बात रख रहा हूं तो बीच में एतराज क्यों कर रहे हैं आप Let me specify first. यह 24 जो आपका क्लाज है उसमें कहीं भी सरकार के ऊपर इस बात की बाध्यता नहीं है कि सरकार इस पैसे को इस-इस प्रकार से खर्च करेगी। यह बात आती है... (व्यवधान) बात सुन लीजिए आप, यह बात आती है जब मनी को एप्रोप्रिएट करने का सवाल होता है, मनी को खर्च करने का सवाल होता है। खर्च करने के लिए एक्ट इटसैल्फ प्रोवाइड करता है। वहां जाकर के मनी बिल्स की परिभाषा में आता है। यहां तो आप देखिये, सैक्शन-24 जो है रिसोर्सेज आफ फार्मर्स आर्गेनाइजेशन। फार्मर्स आर्गेना-इजेशन के किस प्रकार के क्या रिसोर्सेज

(श्री हरिसिंह कुम्हेर)

होंगे यह डिफाइन किया गया है इसके अन्दर। इसमें कहां गवर्नमेंट के ऊपर बाध्यता है यह पचास परसेंट शेयर देगी, दो करोड़ देगी, एक करोड़ देगी, नहीं देगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्लाज-24 जो है जिसके ऊपर आप बहस कर रहे थे 24 में तो केवल यह डिफाइन किया गया है कि रिसोर्सेज फार्मर्स आर्गेनाइजेशन के क्या-क्या होंगे। वह हैं इसके अन्दर। इसमें इस एक्ट के मुताबिक सरकार के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि किसके लिए क्या पैसा दिया जाएगा। इसलिए मनी बिल की तारीख में नहीं आता है यह।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी सैक्शन-24 में लिखा है "Resources raised from any financing agency for undertaking any economic development activities in its area of operation." रिसोर्सेज होंगे जब एक्टिविटीज डवलप करोगे, काहे से करोगे आप ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : तो वह तो फार्मर्स आर्गेनाइजेशन रिसोर्स डवलप करेंगे। गवर्नमैंट के ऊपर बाइन्डिंग नहीं है।

श्रीमती कमला : डवलपमैंट फण्ड के फोरमेशन का कहा गया है कि इनके काम करने का जो फण्ड बनेगा वह किस-किस तरीके से बनेगा। अभी आपने वह फण्ड सारे डाइवर्ट कर दिये और रिलीज कर दिये और इतना हो गया यह उसमें कहां है ? यह तो फोरमेशन आफ दी फण्ड this indicates only formation of the fund for the sangam.

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय पशुपालन मंत्रीजी, जो संशोधन माननीय मंत्रीजी ने आज पेश किया है, आप इसको पूर्णतया नजर-अन्दाज कर रहे हैं। आप मूल बिल को देख रहे हैं। संशोधन में यह साफ लिखा है, इन क्लाज 24.

श्रीमती कमला : संशोधन सहित ही तो सदन ने परमिशन दी है।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, संशोधन आपका अभी इन्ट्रोड्यूज नहीं हुआ है माफ करें आप। (व्यवधान) अभी संशोधन इन्ट्रोड्यूज नहीं हुआ है।

मोहम्मद माहिर आजाद : ओनली बिल इन्ट्रोड्यूज हुआ है हाउस में। (व्यवधान) संशोधन के लिए हाउस ने अलाउ ही नहीं किया और माननीय कुम्हेर से आने वाले पशुपालन मंत्रीजी कह रहे हैं कि हाउस अलाऊ कर चुका इस बात को। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : अभी उसको इन्ट्रोड्यूज करने की परमीशन नहीं दी है, अभी सिर्फ आपने सर्कुलेट करवाया है। (व्यवधान) अभी तो खण्ड 24 तक पहुंचे ही नहीं हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : हाउस परमिट कर चुका। हाउस ने मूल बिल को परमिट किया है। आपके अमेंडमेंट को अभी नहीं

(मोहम्मद माहिर आजाद)

किया है। अमेंडमेंट के ऊपर ही तो बात हो रही है।

श्री मानिक चन्द सुराना : ऐसी मेरी उम्मीद है कि इस संशोधन को देखकर पशुपालन मंत्रीजी अपनी राय को बदल लेंगे। ऐसी मुझे उम्मीद है इस संशोधन को देखकर जिसमें 50 परसेन्ट सिंचित कर की राशि इन संगठनों को देने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। वह आपकी राय को शायद बदलने का काम करेगी। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : जिस समय अमेंडमेंट आयेगा उस समय आपकी बहस होगी। अभी तो कुछ नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : फिर क्या होगा वह 23 तक जाकर रूक जायेगी अभी।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : जब बिल में संशोधन हो तो आप रिजेक्ट कर देना। आज मूल बिल को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं आप।

श्री मानिक चन्द सुराना : हम कह रहे हैं इसमें संशोधन ला चुके और हम उसकी संवैधानिकता को चुनौती अभी दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो। अभी तो यह विचारार्थ लिया जा रहा है। आप जो बात कह रहे हैं सारी संशोधन की कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मूल बिल का सैक्शन-24...(व्यवधान) यह संशोधन की बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह जो अमेंडमेंट मूव कर रहे हैं उसमें फाइनेंशियल स्टेज, अमेंड-मेंट मूव करे जब बात कर लेना आप। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं-नहीं।

श्री मानिक चन्द सुराना : उससे क्या होगा ? उपाध्यक्ष महोदय, वह तो बात वह की वह ही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अगर गवर्नमेंट यह खण्ड विद ड्रा कर लेती है तो फिर क्या बात है।

श्री मानिक चन्द सुराना : इतनी बहस इस वक्त क्यों कराते हैं। धारा 24 में... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) अमेंडमेंट आयेगा जब देखेंगे इसके लिए। मूल बिल में क्या एतराज है मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मूल बिल का सैक्शन-24 का क्लॉज (1) क्या कहता है "grants received from the Government as a share of the water tax collected in the area of operation of the Farmers' Organisation.

207 क्या कहता है "A Bill which, if enacted and brought into operation,

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

would involve expenditure from the Consolidated Fund of a State shall not be passed by a House of the Legislature of the State unless the Governor has recommended to that House the consideration of the Bill."

श्री उपाध्यक्ष : If the Government delates this amendment then what would be happened.

श्री सुरेन्द्र व्यास : Kindly bear with me for a minute.

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, इस कन्ट्रोवर्सी को अवाइड करने के लिए मैंन जो यह संशोधन पुट अप किया है उसको वापस ले लूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : बात खतम हो गई।

श्री सुरेन्द्र व्यास : संशोधन वाला नहीं है। मूल बिल का है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मूल बिल पर संशोधन है उसका क्या करोगे ? (व्यवधान) अमेंडमेंट वापस ले लिया। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : फिर इसका कोई मतलब ही नहीं निकला। फिर हाउस काहे पर चर्चा कर रहा है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : यह तो अमेंडमेंट है उसमें क्या है। (व्यवधान) अमेंडमेंट को मैं पुटअप करूं या ना करूं, उस पर भी आप जबरदस्ती करेंगे ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्रीमती कमला : नहीं इसमें आपका कोई दबाव नहीं है कि मैं अमेंडमेंट करूं ही करूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...(व्यवधान) मूल बिल के सैक्शन-24 का क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। एक मिनट, क्या हुआ ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, भ्रान्ति यह हो रही है कि लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां जब संशोधन की चर्चा करी तो मंत्रीजी ने उस बात को पकड़ लिया कि सम्भवतया संशोधन फाइनेंशियल है। यह नहीं है उपाध्यक्ष महोदय, मूल बिल का जो सैक्शन-24 का खण्ड-1 है उसके अन्दर साफ है कि grants received from the Government as a share of the water tax collected in the area of operation of the Farmers' Organisation. वाटर टैक्स कलैक्ट होने के साथ ही कन्सोलिडेटेड फण्ड में आ गया उसके अन्दर से यह सैक्शन 207 का क्लॉज 3 आपरेशन में आ जायेगा। "A Bill which, if enacted and brought into operation would involve expenditure from the Consolidated Fund of a State shall

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

not be passed by a House of the Legislature of the State unless the Governor has recommended to that House the consideration of the Bill." तो रिकमण्डेशन के बिना हो ही नहीं सकता।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। विराजो। (व्यवधान) आर्डर-आर्डर। आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : समझ में नहीं आयेगा। किसी के समझ में नहीं आयेगा। खेतसिंहजी के बिना नहीं पार पड़ेगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जो बिल इन्ट्रोड्यूज हो चुका है और वह अभी इन्ट्रोडक्टिव स्टेज पर है। उस पर तो आपने एतराज किया नहीं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं किया होगा। (व्यवधान) अगर हम पास भी कर देंगे तो वैधानिक नहीं होगा यह।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। जिस सैक्शन पर आप एतराज कर रहे हैं Let that Section come, then we will think about it. और क्या Suppose the Govt. withdraw this then what will be problem?

श्री सी.पी.जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कोट कर रहे हैं आपरेशन का पार्ट है। आपरेशन के पार्ट को कोट कर रहे हैं आप। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो आर्टिकल कोट कर रहे हैं कांस्टीट्यूशन का, वह ऑपरेशन का पार्ट है। इसका कोई सम्बन्ध इसके साथ में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : That stage has not come as yet.

श्री सी.पी.जोशी : जरूरत ही नहीं है इसकी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सी.पी.जोशी को तो इस बात की बीमारी है कि ला डिपार्टमेंट से जो हो गया वह गलत हो ही नहीं सकता।

श्री सी.पी. जोशी : I am also law graduate gentleman for your kind information. You are not only law graduate I myself is also a law graduate. Don't think that only you have wisdom. मैं भी ला ग्रेजुएट हूं, मैंने भी ला में ग्रेजुएशन कर रखा है। सारी विजडम आपने नहीं ले रखी है। आप दुबारा पढ़ लीजिए उसको।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। I disallow at this stage. Let it continue. When that stage will come before me then you can object on it.

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप डिसअलाऊ करेंगे तो आपकी व्यवस्था तो फाइनल है।

श्री उपाध्यक्ष : जब यह सैक्शन आये तब आप आब्जैक्शन कीजिए। अगर गवर्नमेंट विदड्रा कर लेगी तो ठीक है। (व्यवधान) वरना नाजायज पास हो जायेगा। (व्यवधान) उस समय मैं रूलिंग दूंगा जब आपके जो प्रश्न है उस समय आ जायेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, संविधान से आप और हम सब बंधे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता विधेयक, 2000 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता विधेयक, 2000 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये ? (व्यवधान)... अब आयेगा ना।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह विद्वानों की सभा है। यह जन सभा नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप क्या कर रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय। अभी तो विचार होना है। बिल पर संशोधन है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इस हाउस की गरिमा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : स्टेज आयेगी ना। She will satisfy you.

श्री मानिक चन्द सुराना : संशोधन है इस पर।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सैटिस्फाइड हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : खण्डवार संशोधन है। आपको सन्तुष्ट करेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिल पास तो हो नहीं रहा। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : कहां पास हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : इसका तो बिल पास हो नहीं रहा ना। फिर आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो ?

श्री मानिक चन्द सुराना : हम तो यह समझ रहे हैं कि आप बिल पास करवा रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो खण्डशः विचार होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किस स्टेज पर आप रूलिंग देना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : जिस स्टेज पर आब्जैक्शन आयेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आ गया ना आब्जैक्शन।

श्री उपाध्यक्ष : जिस स्टेज पर आब्जैक्शन आयेगा वह स्टेज आई नहीं है अभी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप इस आब्जैक्शन को पोस्टपोन कर रहे हैं। इस रूप में पोस्टपोन कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, पोस्टपोन नहीं कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो इस स्टेज पर डिसअलाऊ कर रहा हूं। पोस्टपोन नहीं कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट ठहरिये।

श्री उपाध्यक्ष : पोस्टपोन नहीं कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी बात सुनिये। आपने इस आब्जैक्शन को रूल आउट नहीं किया है। नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : एट दिस स्टेज, आई एम रूलिंग इट आउट।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एट व्हाट स्टेज ?

श्री उपाध्यक्ष : खण्डशः तो आयेगा, दुबारा आयेगा तब बात करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एट दिस स्टेज भी आपने इसको फाइनली रूल आउट नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष : एट दिस स्टेज यह आब्जैक्शन आना ही नहीं चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं बहुत पहले आना चाहिए था।

श्री उपाध्यक्ष : आना था तो आ जाता, अब तो इन्ट्रोड्यूज हो गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं सैक्रेटरी साहब निकाल कर देंगे आपको फाइनेंशियल मेमोरेंडम के लिए, लास्ट स्टेज तक यदि किसी ने आपत्ति उठाई है तो उस आपत्ति के आधार पर उसको वेलिड माना है।

श्री उपाध्यक्ष : इसका तो मान रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लास्ट स्टेज तक, फ्राम बिगनिंग टू एण्ड। बिगनिंग टू एण्ड, मैं कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नाट बिगनिंग टू एण्ड। जिस क्लाज प्रर आप आब्जैक्ट कर रहे हैं, व्हेन नेक्स्ट स्टेज कम्स।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो इतना ही कहता हूं कि न तो आप जा रहे हैं ना हम जा रहे हैं। इसको अभी पोस्टपोन कर दीजिए। जब तक यह भी देख लेंगे और हम भी देख लेंगे। और जो भी उचित होगा...

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद : संविधान के प्रावधान के अनुसार उसको डील करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इस विद्वानों की सभा में और जन प्रतिनिधियों की सभा में इस आसन से अधिक बुद्धिमान कोई नहीं है, आसन जो है वह सर्वश्रेष्ठ है।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो मुझे मालूम है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आसन संविधान से ऊंचा नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : सर्वश्रेष्ठ इस सभा का...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कांस्टिट्युशन से ऊंचा नहीं है आसन।

श्री रामनारायण चौधरी : सर्वश्रेष्ठ इस सभा का प्रतिनिधि उस आसन पर विराजमान है और वहां से व्यवस्था हो गयी। उस व्यवस्था को अब कोई चुनौती नहीं दे सकता है।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिये...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, रामनारायणजी ने जिस प्रकार की बात कही है वह तो ऐसी बात है कि एक आदमी से पूछा कि धरती का बीच कहां है।

श्री शिवनाथ सिंह : वह तो मैं कहने वाला हूं ना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो उठाकर के एक जैली रख दी कि इस जगह धरती का बीच है।

मोहम्मद माहिर आजाद : +++

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब यह आप बता दो, मुझे पता नहीं है...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, कोई खड़ा होकर के कह सकता है कि इस आसन से ज्यादा बुद्धिमान मैं हूं। इस सभा में कोई खड़ा होकर के कह सकता है कि इस आसन से ज्यादा बुद्धिमान मैं हूं ? कोई नहीं कहेगा। कहो तो कोई खड़ा होकर...(व्यवधान)

सम्पूर्ण सम्मान इस हाउस का..(व्यवधान) वह प्रतिपक्ष के नेता सहित और उनके दल सहित, सभी दलों के सहित, सभी माननीय सदस्यों सहित सम्पूर्ण सम्मान इस आसन के प्रति है और आसन ने जो कुछ फरमा दिया वह हमें शिरोधार्य है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आसन भी संविधान से बंधा हुआ है...(व्यवधान) आप माननीय

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सदस्य, आंसन से ऐसा क्यों काम कराना चाहते हो कि आसन को खुद को महसूस हो कि वह गलत कर रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आसन का सम्मान तभी है जब आसन की तरफ से व्यवस्था ऐसी हो जिस पर किसी प्रकार से आपत्ति नहीं हो। ऊंगली नहीं उठे। आप तो चाहते हो ऐसी व्यवस्था हो जाये और ऊंगलियां उठती रहें। यह ठीक नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : आसन ने बिलकुल संवैधानिक व्यवस्था दी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं दी है।

श्री रामनारायण चौधरी : सुनकर के दी है। आपको सुना, उनको सुना, प्रतिपक्ष के नेता महोदय को सुना, सबको सुना।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजें। मैं समझता हूं बहुत हो गयी इस पर चर्चा, जब आपका खण्ड आयेगा तब उस पर विचार करेंगे, बाकी नहीं...(व्यवधान)

प्रश्न यह है कि राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता विधेयक, 2000 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति के निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता विधेयक, 2000 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड-2, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाये ?

श्री मानिक चन्द सुराना : जो संशोधन हैं आप देखें। सर्कूलेट किये हैं सचिवालय ने और आप कह रहे हैं कि कोई संशोधन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड-2 में कहां संशोधन है ?

श्री मानिक चन्द सुराना : आप देखें तो सही। संशोधन विधान सभा में सर्कूलेट कर दिया हमारे पास में।

श्री उपाध्यक्ष : आपका संशोधन जहां होगा मैं नाम बोलूंगा आपका।

श्रीमती कमला : खण्ड-2 में कहां है ?

श्री उपाध्यक्ष : जहां कोई आपने अमेंडमेंट दिया है, मैं आपका नाम बोलूंगा, आपको बोलने देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, धीरे-धीरे पढ़िये, धीरे पढ़िये।

श्री उपाध्यक्ष : What is the hurry in it ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : धीरे-धीरे पढ़िये।

श्री उपाध्यक्ष : जहां संशोधन नहीं है, वही तो कह रहा हूं संशोधन होगा तो आपको बुलाऊंगा ना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : +++ आप सर्वोपरि हो।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो सर्वोपरि नहीं हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : +++ उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : +++

श्री उपाध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद आपको।

श्री रामनारायण चौधरी : चूरू से आने वाले सदस्य आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह रिफलेक्शन है आसन के ऊपर, यह आपको अधिकार नहीं है आब्जेक्शन करने का।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-3 , प्रभारी मंत्रीजी संशोधन प्रस्तुत करेंगी।

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड-3 में उपखण्ड 1 के विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जावे अर्थात् परन्तुक यह और कि परियोजना अधिकारी इस धारा के अधीन किसी भी क्षेत्र का आकलन तब तक नहीं करेगा जब तक यह समाधान नहीं हो जाता कि इस क्षेत्र की सिंचाई प्रणालियां संतोषप्रद कार्य करने की स्थिति में हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है खण्ड-3 के परन्तुक की तरफ मैं राज्य सरकार का ध्यानाकर्षित करता हूं। इसमें यह लिखा है, परन्तु लघु और लिफ्ट सिंचाई प्रणाली के अधीन के कमान क्षेत्र के सम्बन्ध में सम्पूर्ण क्षेत्र यथासंभव कोई एक जल उपभोक्ता क्षेत्र हो सकेगा। अब माननीय उपाध्यक्षजी, इसको जरा गौर फरमावें। अब इन्होंने इसके परन्तुक के नीचे एक संशोधन और कर दिया और जो संशोधन यह लाये हैं, मैं इन दोनों परन्तुकों की तरफ इनका ध्यानाकर्षित करता हूं। इसका कुल अर्थ क्या निकलेगा ? जो मैंने पढ़ा है, परन्तुक, उसका मतलब यह है कि लिफ्ट सिंचाई प्रणाली के अधीन के कमान क्षेत्र के सम्बन्ध में सम्पूर्ण कमान क्षेत्र

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

यथासंभव कोई एक जल उपभोक्ता क्षेत्र हो सकेगा। तो मतलब यह है कि कंवरसेन लिफ्ट जो है वह पूरी एक उपभोक्ता क्षेत्र होगी और उसके पहले आपने लघु लिखा है और लघु से मैं मतलब समझतां हूं स्माल का और अंग्रेजी में आपने लघु को माइनर कर दिया है। अब इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन जो सर्कूलेट हुआ है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस खण्ड 3 को अंग्रेजी में देखें, लिखा है। That in respect of the command area under the minor....

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, इनका कोई संशोधन नहीं है वह वैसे ही कह रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, नहीं इसमें संशोधन हो, ना हो। आपका लघु से मतलब माइनर से है या आपका लघु से मतलब जो आपने परिभाषा लघु की दी है इस पूरे बिल में उस लघु का मतलब लघु सिंचाई परियोजना से है जिसकी सीमा दो हजार हैक्टेयर मानी गयी है तो लघु सिंचाई कह रहे हैं कि माइनर कह रहे हैं ? क्या कह रहे हैं, कुछ स्पष्ट तो हो।

श्रीमती कमला : आप जिस बात की चर्चा कर रहे हैं उसका न कोई अमेंडमेंट है, ना मैंने इसका अमेंडमेंट रखा है। अमेंडमेंट सिर्फ यह है कि काश्तकार के लिये पाबंदी की जाये जब तक सिस्टम सही नहीं हो जबरन उसके माथे नहीं डाला जाये।

श्री मानिक चन्द सुराना : वह ठीक है।

श्रीमती कमला : आप जो कह रहे हैं उसमें कोई अमेंडमेंट ही नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना : उसमें अमेंडमेंट नहीं है, आपका मतलब लघु से, माइनर से है या स्माल से है। मैं यह पूछ रहा हूं कि राज्य सरकार की मंशा लघु शब्द का उपयोग करने से, आपने जो लघु की परिभाषा अभीं दी है।

श्रीमती कमला : वही लागू होगी।

श्री मानिक चन्द सुराना : वह लागू होगी तो माइनर कहां से आ गया अंग्रेजी में।

श्रीमती कमला : लघु को माइनर ही कहते हैं और क्या कहते हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : तो आपने कहा है ना, आपने सर्कूलेट किया है लघु को माइनर आखिर क्या सही अनुवाद है।

श्रीमती कमला : लघु को माइनर करने से क्या हो गया तो। दिक्कत क्या हो गयी।

श्री मानिक चन्द सुराना : लघु और माइनर में बहुत फर्क है माननीय मंत्रीजी। आप माइनर कहना चाहती हैं माइनर कहें। मुझे आपत्ति नहीं है।

श्रीमती कमला : लघु सिंचाई योजना, माइनर इर्रिगेशन प्रोजेक्ट, यह अंग्रेजी है वह हिन्दी है।

श्री मानिक चन्द सुराना : एक माइनर पर दो हजार हैक्टेयर कमाण्ड एरिया नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बात क्या है ?

श्रीमती कमला : यह तो दूसरी बात है। आप इसको क्यों डाल रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप क्या लघु और माइनर में डिफाइन कर रहे हैं। क्या करना चाहते हो ?

श्रीमती कमला : नहीं, इसमें कोई संशोधन ही नहीं है- किसी का...(व्यवधान) ना परिभाषा में संशोधन है, ना इसमें संशोधन है। बोल किस पर रहे हैं आप ?

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लघु की डेफिनेशन इस एक्ट में दी है। स्पष्टीकरण दिया हुआ है एक्ट में और बिल में और लिखा है लघु सिंचाई प्रणाली, यह लघु सिंचाई परियोजना के अधीन ऐसी सिंचाई प्रणाली अभिप्रेत है जिसका सींचने योग्य कमाण्ड क्षेत्र दो हजार हैक्टेयर है। तो आप लघु कहना चाहते हैं, माइनर कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं ?

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कह कहना है कि इसमें कोई संशोधन नहीं है। वह बोल किस पर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन तो आपने रखा है इसमें।

श्रीमती कमला : अगर क्लाजवाइज चल रहे हैं तो इसमें तो कोई संशोधन ही नहीं है। आप तो अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर रहे हैं यूं ही।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं तो आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपका अभिप्राय लघु से लघु सिंचाई परियोजना से है या माइनर से है। मैं यह पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : लघु और माइनर में कोई फर्क ही नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना : श्रीमान्‌जी, बहुत फर्क है। आप भी समझने की कोशिश करें, उपाध्यक्ष महोदय। आप भी देखें। (व्यवधान) माइनर में तो हो सकता है 500 हैक्टेयर भी नहीं हो, हो सकता है 1000 हैक्टेयर भी नहीं हो, 200 हैक्टेयर भी नहीं हो एक माइनर में।

श्री उपाध्यक्ष : आप हिन्दी को एक्सैप्ट करते हो। हिन्दी वाले क्लाज को जिसमें यह लिखा है, लघु होता है, इसको एक्सैप्ट करते हो ?

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, नहीं, आप इसका इंडिकेशंस देखें।

श्रीमती कमला : जब तक समाधान नहीं हो जाता इसमें कहां लघु और कहां माइनर है। जो संशोधन है वह यह है, "परन्तुक यह और कि परियोजना अधिकारी इस धारा के अधीन किसी भी क्षेत्र का आकलन तब तक नहीं करेगा जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाये कि उस

(श्रीमती कमला)

क्षेत्र में सिंचाई प्रणाली संतोषप्रद कार्य करने की स्थिति में है।" इसमें न लघु है, न माइनर है, कुछ भी नहीं है। आप तो इस बात पर आपत्ति कर रहे हैं। आप किस आप पर आपत्ति कर रहे हैं ?

(17.00 बजे)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : इसके ऊपर है।

श्रीमती कमला : इसमें संशोधन ही नहीं है, काहे की उस पर चर्चा होगी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई संशोधन की जरूरत नहीं है। बिना संशोधन के इसको डिलीट करने के लिए मूव कर सकते हैं।

श्रीमती कमला : वह तो ठीक है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न नहीं है। इस पर यह बोल सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बिकाज गवर्नमेंट साइड से आया है संशोधन के लिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, आप बोलो भले ही।

श्री मानिक चन्द सुराना : क्या कह रहे हैं आप ? (व्यवधान) मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि अभी भी वक्त है। यदि आप माइनर पर भी बनाना चाहते हैं तो लघु के स्थान पर वर्ड माइनर यूज कर लें। अन्यथा लघु सिंचाई का मतलब यह होगा कि वाकई में लघु सिंचाई प्रणाली कही जाती है, वहां पूरे के पूरे काश्तकारों का एक उपयोक्ता संघ होगा।

श्रीमती कमला : इसमें जगह-जगह पर यह लिखा है, जितने भी काश्तकार हैं उनकी सहूलियत के मुताबिक से परियोजना अधिकारी एक या अधिक, किसी को जोड़कर या किसी को घटाकर संगम घोषित कर सकता है। इसमें कहां दिक्कत है ?

श्री मानिक चन्द सुराना : दिक्कत यह है कि आपने इसी परन्तुक में जो ऊपर वाला है, उसमें कहा है। यह कोई बहस की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : फिर काहे की बहस है ?

श्री मानिक चन्द सुराना : खाली बहस की बात नहीं है कि हम कोई बहस करने के लिए कह रहे हैं। हम यह कह रहे हैं कि आपने जो शब्द उपयोग किया है, "परन्तु लघु और लिफ्ट सिंचाई प्रणाली के अधीन के कमान क्षेत्र के सम्बन्ध में संपूर्ण कमान क्षेत्र, यथासंभव, कोई एक जल उपयोक्ता क्षेत्र हो सकेगा।"

श्रीमती कमला : यदि वह छोटा होगा तो सम्पूर्ण को भी कर सकता है। आगे यह लिखा है कि बड़े क्षेत्र में चार भी कर सकता है, कम भी कर सकता है।

श्री मानिक चन्द सुराना : कर सकता है ?

श्रीमती कमला : आप एक तो आइसो-लेट करके पढ़ रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : राज्य सरकार की मंशा क्या है, मैं यही पूछ रहा हूं, मंशा ही साफ नहीं है। माइनर पर होगा कि लघु पर होगा, कहां पर होगा, कहीं नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इसका हिन्दी वर्सन है, उसको आप समझ लीजिए, उसको मान लीजिए, इसका हिन्दी वर्सन करेक्ट है, उसको समझ लें आप।

श्री मानिक चन्द सुराना : इसका हिन्दी वर्सन करेंगे वह ?

श्रीमती कमला : वह हिन्दी वर्सन ही तो पढ़ रहे हैं पर जो इररेलेवेंट है...

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-3 में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-4 से 17, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-4 से 17 स्वीकार किए जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड-4 से 17 स्वीकार किए गए।

खण्ड-18, प्रभारी मंत्रीजी संशोधन प्रस्तुत करेंगी।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड-18 के उप खण्ड (ख) में अभिव्यक्ति "और समय-समय पर समिति की निधियों से ऐसे कार्यों को निष्पादित करना" हटाई जाती है।

श्री मानिक चन्द सुराना : खण्ड-18 के अंदर माननीय मंत्रीजी ने जो संशोधन रखा है, 18 के साथ, 17 पास को चुका है, 17 को आप देखें।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया उसको क्या देखें ?

श्री मानिक चन्द सुराना : उसका रेफरेंस नहीं दूं जो चीज पास हो चुकी है। यानि उसका रेफरेंस देना भी गुनाह है ? 17 में अपन कहते हैं कि, अपन ने लिखा है कि जल उपयोक्ता संगम के कृत्य, उसमें लिखा है कि उपयोक्ता संगम, अब 18 में अपन कह रहे हैं वितरण समिति के कृत्य, वितरण समिति का जो 'ख' है उसमें से आपने जो हटाया है, वह यह है "और समय-समय पर समिति की निधियों से ऐसे कार्यों को निष्पादित करना" यह डिलीट किया जा रहा है। वितरण समिति उपयोक्ता संगम,

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आपने यह नहीं कहा है कि आपका अभिप्राय यह है जो आप इण्ट्रोड्यूस सैक्शन में बोले हैं। उन संगम की निधियों का उपयोग न तो वितरण समिति कर सकेगी न परियोजना समिति कर सकेगी, यही मतलब है न ? तो आपकी वितरण समिति भी तो समिति है, आप जब यह कह रहे हैं कि और समय-समय पर समिति की निधियां...।

श्रीमती कमला : संगम की जो निधि है उसको डिस्ट्रीब्यूटरी लेवल पर ही आप क्या खर्च करना चाह रहे हैं ? हम उसको बचाना चाहते हैं, उसमें तो गवर्नमेंट ही खर्च करे, किसान का तो सिर्फ संगम स्थल पर खर्च हो, मांइनर स्तर पर, बाकी गवर्नमेंट करे।

श्री मानिक चन्द सुराना : मंत्री महोदया, मुझे कहने दीजिए। इसमें यह लिखा है कि "और समय-समय पर संगम की निधियों से ऐसे कार्यों को निष्पादित करना", यह लिखतीं न आप तो उसको डिलीट कर सकती थीं अन्यथा यहां समिति से मतलब है वितरण समिति की निधियों से।

श्रीमती कमला : नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं है तो संगम की निधियों को यह खर्च नहीं कर सकेगी, कहां यह पाबन्दी आई है, यह तो खाली यह आई है कि वह समिति अपनी निधियों को खर्च नहीं कर सकेगी, वितरण समिति अपनी किसी निधि को खर्च नहीं कर सकेगी, यह एक्सप्रेशन क्लीयर है।

श्रीमती कमला : वितरण समिति की तो कोई निधि होती ही नहीं और होगी भी नहीं, वह तो रख-रखाव, मोनिटरिंग वगैरह के लिए है और वह गवर्नमेंट लेवल के तौर पर खर्चा होने का है।

श्री मानिक चन्द सुराना : हां, तो वितरण समिति में यदि कोई निधि नहीं है तो आपका अमेंडमेंट बिलकुल गैर जरूरी है। फिर आप क्यों कह रही हैं कि यह समय-समय पर समिति की निधियों से ऐसे कार्यों को निष्पादित करने के लिए, निधियां है ही नहीं तो आप रहने दीजिए एक्सप्रेशन को। मैं इस बात से सहमत हूं कि संगम की निधियों को वितरण समिति खर्च न करे। मैं इस बात से सहमत हूं पर आप एक्सप्रेशन तो सही दीजिए जिससे यह साफ आए कि संगम की निधियों को वितरण समिति और परियोजना समिति खर्च नहीं कर सकेगी, स्पष्ट रूप से, उनके नेगेटिव, नकारात्मक अधिकारों को समाप्त कीजिए। आप आखिर लेजिस्लेट कर रही हैं तो लेजिस्लेशन की भाषा का उपयोग तो बिलकुल सही होना चाहिए कि जिससे इसकी व्याख्या अभी तो दो नहीं हो सके, बाद में हो तो यह अलग बात है लेकिन साधारणतया एक ही अर्थ निकले। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जरूरी है। इसलिए यह जो आप हटा रही हैं उसका मतलब है वितरण समिति अपनी निधियों को खर्च नहीं कर सकेगी, इसका मतलब यह है। और इसी तरह का संशोधन आपका 19 में है। 19, परियोजना समिति अपनी निधियों को खर्च नहीं कर सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष : 19 तो आएगा तब रख देना।

श्री मानिक चन्द सुराना : अच्छा 19 जब आएगा तब बोल लूंगा, आप 18 को जारी रखें।

श्री उपाध्यक्ष : एक तो निपटे।

श्री मानिक चन्द सुराना : इस संशोधन को माननीय मंत्री महोदया वापस लें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-18 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-18 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड-18 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

श्री मानिक चन्द सुराना : बोलूं मैं ?

श्री उपाध्यक्ष : अब आप कृपा करो, इसको पास होने दो न।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, नहीं, पास तो होगा, पास होने में कोई न मुझे कठिनाई है...

श्रीमती कमला : किसानों का जो पैसा समिति में है उसको क्यों खर्च करवाना चाहते हैं आप ? गवर्नमेंट अपना खर्च करेगी।

श्री मानिक चन्द सुराना : गवर्नमेंट अपना खर्च करे, हम तो चाहते हैं कि खूब करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्रीमती कमला : यही मतलब है और क्या।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य काहे पर बोल रहे हैं आप ?

श्री मानिक चन्द सुराना : 19 पर।

श्री उपाध्यक्ष : 19 को इण्ट्रोड्यूस ही नहीं किया।

श्री मानिक चन्द सुराना : इण्ट्रोड्यूस करवा लो साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो, होने दो।

श्री मानिक चन्द सुराना : आपने 18 पास करवा लिया, 19 इण्ट्रोड्यूस करवा लो।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो तो सही। बोलने दीजिए, संशोधन मूव तो करने दो।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं यही तो कह रहा हूं, 19 को करना है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्रीजी 19 में संशोधन प्रस्तुत करेंगी।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड-19 में, उप खण्ड (ख) में,

(श्रीमती कमला)

अभिव्यक्ति "और समय-समय पर समिति की निधियों से ऐसे कार्यों को निष्पादित करना" हटाया जाए।

श्री मानिक चन्द सुराना : 19 से हटाया, 18 से हटाया। मैं यही तो कह रहा हूं कि हटाना ही जरूरी नहीं है, आप अपने संशोधन को विदड्रा करिए।

श्रीमती कमला : ऐसा है माननीय सदस्य, उसमें गवर्नमेंट का तो कोई पैसा समिति में है नहीं, समिति के सदस्यों का अगर कोई पैस इकट्ठा होता है तो हम उस पैसे को बचाना चाहते हैं, इसलिए हमने हटाया है यह।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय मंत्रीजी, जो आपने हटाया है वह आपने इण्ट्रोड्यूस किया है। अब 19 को जरा पढ़िए। परियोजना समिति जो टोप पर बैठेगी, वह "प्रत्येक फसल मौसम की समाप्ति पर अपने कार्य क्षेत्र के भीतर मुख्य नालियों सहित सिंचाई प्रणाली के विस्तार, सुधार नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और वार्षिक रख-रखाव के लिए योजना का अनुमोदन करना और समय-समय पर समिति की निधियों से कार्यों का निष्पादन करना", अब एक कम्पलीट विचार इसमें है कि वह प्लान करेंगे, रख-रखाव का प्लान करेंगे, नवीनीकरण का प्लान करेंगे, आधुनिकीकरण का प्लान करेंगे और मंत्रीजी ने हटा दिया, "और समय-समय पर समिति की निधियों से ऐसे कार्यों को निष्पादित करना" मतलब वह निष्पादन नहीं करेंगे तो फिर किसलिए प्लान कर रहे हैं ?

श्रीमती कमला : यही तो समझने की बात है।

श्री मानिक चन्द सुराना : खाली प्लान करना है और कार्यों का निषादन नहीं करना है, यदि आपकी सरकार की यही मंशा है...(व्यवधान)

श्रीमती कमला : निष्पादन सरकार करेगी, समिति अपने फण्ड से उसका निषादन नहीं करेगी। इसलिए यह तो समिति का अधिकार है कि वह अपना प्लान बनाए, कार्यक्रम तय करे जो गवर्नमेंट को कहे कि आप कार्यक्रम को इस तरह से लागू करेंगे। लेकिन समिति उसके लिए फण्ड इकट्ठा करे, खर्चा करे, यह समिति पर बोझ नहीं डालना चाहते।

श्री मानिक चन्द सुराना : हम तो सरकार को धन्य कहते हैं, जब प्लान करना और उसको एक्जीक्यूट नहीं करना। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-19 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड-19 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड-19 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-20 से 23– कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-20 से 23 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड-20 से 23 स्वीकार किये गये। अब आगे।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन मूव नहीं करना चाहती।

श्री उपाध्यक्ष : बोलो पहले।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं यह असंवैधानिक है। यह इण्ट्रोडक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बोलो जब पूछूं। आप तो इतनी जल्दी कर रहे हो। मैं आपसे ज्यादा तेज हूं, लेकिन आप मेरे से ज्यादा तेज हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपसे ज्यादा तेज नहीं हों तो काम ही नहीं चले यहां।

श्री मानिक चन्द सुराना : इण्ट्रोड्यूज होता तो कहेंगे पहले बोलते।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड-24। आप रख रहे हैं क्या ?

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन मूव नहीं करना चाहती।

श्री मानिक चन्द सुराना : जो मूल खण्ड है उस पर तो बोलने का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : विदड्रा हो गया, उस पर क्या बोलना है।

श्री मानिक चन्द सुराना : विदड्रा हो गया तो क्या हो गया ?

श्रीमती कमला : आपका संशोधन थोड़े ही है जो आप बोलोगे। आपका कोई संशोधन नहीं है, इसलिए आप कैसे बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आपका संशोधन विदड्रा हो गया, अब मूल खण्ड पास हो रहा है। क्या बोलोगे उस पर, आपका अमेण्डमेंट ही नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना : क्या विदड्रा हुआ ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो पता ही नहीं चला क्या विदड्रा हो गया ?

श्री उपाध्यक्ष : आपके पास क्या है ?

श्री मानिक चन्द सुराना : मेरे पास तो सब कुछ है।

श्री उपाध्यक्ष : तो आप किस पर बोल रहे हो ?

श्री मानिक चन्द सुराना : क्या चीज विदड्रा हुई है ?

श्री उपाध्यक्ष : इण्ट्रोड्यूज ही नहीं हुआ है, विदड्रा क्या करेंगे। वह इण्ट्रोड्यूज ही नहीं कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या इण्ट्रोड्यूज नहीं कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड-24 का...(व्यवधान)

श्रीमती कमला : धारा-19 का संशोधन।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो 24 बोल रहे हो, वो धारा 19 बोल रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : 24.

श्रीमती कमला : धारा-24 का जो संशोधन प्रस्तुत किया हुआ है वो मैं मूव नहीं कर रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं कर रही हैं, बात खतम हो गई। फिर क्या है ? (व्यवधान) अब क्या हुआ ?

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं धारा 24 के...

श्री उपाध्यक्ष : अब तो विराजो।

श्रीमती कमला : आपका कोई संशोधन ही नहीं है तो आप काहे पर बोलेंगे, सुरानाजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : धारा-24 का ये अमेण्डमेंट मूव नहीं कर रहे हैं। यही तो है ना ? अमेण्डमेंट पर हम नहीं बोलेंगे, लेकिन धारा-24 इटसैल्फ है, इस पर तो बोलने का अधिकार है।

श्रीमती कमला : नहीं, उस पर किसी का संशोधन नहीं है, उनका कोई संशोधन नहीं है, इसलिए नहीं बोल सकते।

श्री हरजीराम बुरड़क : उस पर अमेण्डमेंट ही नहीं है तो धारा पर कैसे बोलेंगे।

श्रीमती कमला : धारावार जब डिस्कशन होता है तो अमेण्डमेंट हो तभी बोल सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुन लीजिये कमलाजी।

श्रीमती कमला : थर्ड रीडिंग में बोल सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कमलाजी, आप बड़ी अनुभवी हैं, इसमें आप किसी क्लाज को डिलीट करना चाहते हैं उसमें डिलीशन का अमेण्डमेंट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती कमला : डिलीट कौन कर रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर वह बोल रहे हैं...

श्रीमती कमला : नहीं, कोई नहीं कर रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मान लीजिए, 24 के खिलाफ मैं बोलता हूं कि इसको डिलीट किया जाए और आप यह एतराज करें कि आपका अमेण्डमेंट नहीं है तो अमेण्डमेंट की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती कमला : यह भी संशोधन देना पड़ता है कि यह डिलीट किया जाए। यह संशोधन देना पड़ता है बिना संशोधन डिलीट नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्रीजी ने अमेण्डमेंट...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : बिना संशोधन के भी बोल सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : वो थर्ड रीडिंग में। बिना संशोधन के थर्ड रीडिंग में।

मोहम्मद माहिर आजाद : बोला जा सकता है। बता देंगे ये आपको। बोला जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर।

श्रीमती कमला : पुरःस्थापन के समय या थर्ड रीडिंग में बोला जा सकता है बिना संशोधन के। धारावार जब करेंगे तो आपका संशोधन होना जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर। (व्यवधान) आप बिना संशोधन प्रस्तुत किये उस पर बोल सकते हैं जहां पर गवर्नमेंट संशोधन प्रस्तुत करे, उस पर आपको संशोधन की आवश्यकता नहीं, बोल सकते हो, लेकिन जो मूल प्रश्न है उस पर आपका कोई संशोधन नहीं, उस पर आप नहीं बोल सकते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गवर्नमेंट ने संशोधन मूव कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन मूव ही नहीं किया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पहले आ गया था इसलिए किया था।

श्री उपाध्यक्ष : विदड्रा किया ना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अमेण्डमेंट सर्कुलेट हो गया, यहां मूव नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : विदड्रा हो गया ना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब विदड्रा किया है।

श्री उपाध्यक्ष : तो फिर किस पर बोलोगे आप ? अमेण्डमेंट ही विदड्रा हो गया तो फिर किस पर बोलोगे ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : ये इटसैल्फ के खिलाफ बोलना चाहते हैं और ये चाहते हैं it should not become part of the Bill. हमको हराना चाहते हैं, वे बोलना चाहते हैं,

(श्री रामनारायण चौधरी)

बोलने दो, अपने क्या एतराज है। हम पास कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : क्लाज में कोई अमेण्डमेंट ही नहीं है कैसे बोलेंगे।

श्रीमती कमला : कोई अमेण्डमेंट ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण : बोलने का अधिकार है उनको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से इस क्लाज में एक अमेण्डमेंट आया, इस अमेण्डमेंट को सर्कुलेट कर दिया। (व्यवधान) मैं बताऊंगा, मेरी बात तो सुन लो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि...(व्यवधान) सरकार ने एक क्लाज में अमेण्डमेंट दिया, अमेण्डमेंट सर्कुलेट हो गया, मेम्बर्स को मिल गया और मेम्बर्स ने देखा कि जो अमेण्डमेंट हम करना चाहते हैं वह सरकार की तरफ से पेश हो गया। हमें अमेण्डमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। वह सरकार ने इलेवंथ आवर पर विदड्रा कर लिया तो क्या हमारा राइट खतम हो गया ?

श्रीमती कमला : इसकी तो आप पहले से ही आपत्ति जता रहे हो, आप कहां से सोच रहे हो कि हम दें।

श्री उपाध्यक्ष : जो चीज इंट्रोड्यूज ही नहीं हो रही है उस पर क्या बोलोगे आप ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी समझ में नहीं आता, एक कोमनसेंस की चीज है, इंट्रोड्यूज हो या नहीं हो, गवर्नमेंट ने अमेण्डमेंट मूव किया और गवर्नमेंट उसको विदड्रा करती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, कर लिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विदड्रा करती है तो हमारा जो राइट था हम इसलिए मूव नहीं कर पाये कि गवर्नमेंट ने अमेण्डमेंट दे दिया, एक कामनसेंस की बात है, वह भी अप्लाई नहीं करते।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक बात है उपाध्यक्ष महोदय। आपने यह कहा कि मूल आपत्ति का निस्तारण...(व्यवधान) आपने आसन से यह व्यवस्था दी थी कि जो व्यवस्था का प्रश्न, जो आपत्ति लूणकरसर से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन के सामने रखी थी, उसका निस्तारण आप धारा 24 के वक्त करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अब करेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो वही बोल रहे थे और आप बोलने नहीं दे रहे।

श्री उपाध्यक्ष : वह स्टेज ही नहीं है। विदड्रा कर लिया। अगर ये विदड्रा नहीं करते तो मैं इसमें व्यवस्था देता। विदड्रा कर लिया तो व्यवस्था किस पर दूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसीलिए तो 24 के ऊपर बोलना चाहते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : अमेण्डमेंट ही विदड्रा हो गया, मूल धारा को आप रिजेक्ट करना चाहते हो तो बोलो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं रिजेक्ट नहीं करना चाहते।

श्री रामनारायण चौधरी : हां, बोलो कहां दिक्कत है। आप बोलो।

श्री मानिक चन्द सुराना : उस पर भी तो हां-ना नहीं करायी। विदड्रा पर भी हां-ना कहां करायी ?

श्री रामनारायण चौधरी : बुलवाइये इनको, क्या दिक्कत है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय रामनारायण जी, यह वही आपत्ति है।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। आपने जब अमेण्डमेंट सर्कुलेट किया वह हाउस की सम्पत्ति हो गया और अमेण्डमेंट आपने जो वापस लिया, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं कि क्या आपने सदन की इजाजत उनको दिलायी ? आपने हमको हां-ना कहने का मौका दिया ?

श्री उपाध्यक्ष : आप मौका ही नहीं दे रहे हो।

श्री मानिक चन्द सुराना : अब दीजिए मौका।

श्री उपाध्यक्ष : हां, दे दो।

श्री मानिक चन्द सुराना : यह कि उनको विदड्रा करने की परमीशन है और वह कराइये पहले। वह विड्रावल जब विधिवत हो जाएगा तब हम मूल...(व्यवधान)

श्रीमती कमला : पूछ लो ना हाउस से।

श्री हरजीराम बुरड़क : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब अमेण्डमेंट मूव हो जाता है...(व्यवधान) मूव होने के बाद में अगर विदड्रा होता है तो उसमें परमीशन की जरूरत होती है। (व्यवधान) यहां पेश ही नहीं किया तो क्या दिक्कत है ? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ओरिजनल बिल पर आओ आप, ओरिजनल बिल की बात हो रही है। अमेण्डमेंट की कोई बात ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : यह अमेण्डमेंट की बात कर रहे हैं आप ओरिजनल बिल की बात कर रहे हो।

श्री मानिक चन्द सुराना : अमेण्डमेंट के बारे में मंशा...(व्यवधान) अमेण्डमेंट विदड्रा करने की राज्य सरकार ने घोषणा कर दी। जो मूल धारा, खण्ड-2 है, मूल खण्ड-24 संविधान के विपरीत है। आप मूल बिल को भी ला नहीं सकते, मूल धारा को नहीं ला सकते और इसलिए नहीं ला सकते कि आप...(व्यवधान)

श्रीमती कमला : अमेण्डमेंट को विदड्रा करने की तो इजाजत दिलाइए और मूल धारा में कोई अमेण्डमेंट किसी भी माननीय सदस्य का नहीं है, इसलिए आप किस चीज पर चर्चा करना चाहते हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं कह रहा हूं कि यह कांस्टीट्यूशन के प्रोविजंस के खिलाफ है खण्ड-24। मैं यह कह रहा हूं।

श्रीमती कमला : आपको पहले बोलना चाहिए था।

श्री मानिक चन्द सुराना : पहले का सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इसका कोई अमेण्डमेंट मूव करना चाहिए था।

श्री मानिक चन्द सुराना : व्यवस्था के प्रश्न के जरिये मैंने पहले भी उठाया है, मैं अब फिर व्यवस्था के प्रश्न के जरिये उठा रहा हूं।

श्रीमती कमला : धारा में आपका कोई अमेण्डमेंट नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें भी कोई कष्ट नहीं होगा कि आप यह रूलिंग दे दें कि आर्टिकल 199 में जो पाबंदी है उसकी यदि अवहेलना हो गई है तो उसके बाद में उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। आर्टिकल 199 प्रतिबंधात्मक है। उसमें साफ लिखा है–

"A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in cl. (a) to (f)..."

श्री उपाध्यक्ष : वह पढ़ दिया ना पहले।

श्री मानिक चन्द सुराना : इंट्रोड्यूज नहीं होगा। और इंट्रोड्यूज हो गया है तो आगे नहीं चलेगा, विचार नहीं होगा। विचार भी हो गया तो पारण नहीं होगा। आप आर्टिकल 199 की अवहेलना नहीं कर० सकते। और आर्टिकल 199 की यदि आप अवहेलना कर दें तो संविधान की जो व्याख्या, इंट्रोड्यूज नहीं होगा का मतलब यह नहीं है कि यदि बिना आपत्ति, यह कोई आपत्ति करे या न करे, उपाध्यक्ष महोदय, यह मनाही है संविधान की और मेरे द्वारा कहने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी देखने की जरूरत है, आसन को देखना है, संविधान की शपथ आपने भी खायी है, हमने भी खायी है।

श्री उपाध्यक्ष : कौन सा पोर्शन पढ़ रहे हो, कहां पढ़ रहे हो ?

श्री मानिक चन्द सुराना : इसलिए आप तो देखें 199 और 207 रीड टू गेदर आर्टिकल 207 रीड विथ आर्टिकल 199 ऑफ द कांस्टीट्यूशन particularly with reference to cl. (d). जिसमें वह डी पढ़ दीजिए आप।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्षजी, मैं पहले से खड़ा हूं। माननीय उपाध्यक्षजी, 2-3 बातों को एक साथ कंफ्यूज किया गया

(श्री शिवनाथ सिंह)

है। सवाल तो यह उठा कि विदड्रा की परमीशन नहीं ली, विदड्रा काहे का होगा जब मूव ही नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : मूव ही नहीं हुआ तो विदड्रा क्या है ?

श्री शिवनाथ सिंह : इसलिए विदड्रा वाला सवाल ही नहीं उठता है। माननीय सुराना साहब कह रहे हैं कि विदड्रा की इजाजत नहीं दी इसलिए वह स्टेज नहीं आयी। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मूल धारा के लिए आप फरमा रहे हैं कि यह कांस्टीट्यूशन के खिलाफ है। माननीय उपाध्यक्षजी, इसमें कोई भी एक पैसे का बर्डन सरकार के एक्सचेकर पर नहीं आया है...

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय मंत्रीजी कह दें कि कोई फाइनैंशियल बर्डन नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं बोल लेता हूं एक मिनट।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय मंत्रीजी कह दें कि कोई फाइनैंशियल बर्डन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : उनको बोलने दीजिये न।

श्री शिवनाथ सिंह : बोलने तो दो मुझे।

श्रीमती कमला : ट्रांसफर कहां है ?

श्री शिवनाथ सिंह : क्लाज 24 में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रोविजंस हैं वह बहुत साफ हैं कि रिसोर्सेज क्या होंगे और उसमें 5-6 रिसोर्सेज दिये हुए हैं, जरूरी नहीं है कि सब रिसोर्सेज के प्रोविजंस काम में लिये जायें। सरकार की मर्जी है कि दे या नहीं दे, उस आर्गेनाइजेशन की मर्जी है वह सरकार से रुपया ले या नहीं ले। आज वह स्टेज नहीं है कि सरकार को एक भी रुपया देना पड़ेगा क्योंकि उस आर्गेनाइजेशन की मर्जी है वह सरकार से पैसा ले या न ले। सरकार की मर्जी है जिस रोज यह आएगा यह कंसोलिडेटेड फंड से कितना रुपया दिया जाता है उस स्टेज में आएगा। आज के दिन कोई स्टेज नहीं है, कोई भी फाइनैंशियल बर्डन नहीं है, न मेमोरेंडम की आवश्यकता है और न किसी कांस्टीट्यूशनल प्रोविजन की इसमें कोई अवहेलना है। इसलिए माननीय उपाध्यक्षजी, यह जो आब्जेक्शंस हैं वह कहीं भी स्टेंड नहीं करते, इसलिए इस क्लाज को पास किया जाय।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिवनाथ सिंहजी का कहना है कि यह ग्रांट्स स्टेट से मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इस सैक्शन 24 का क्लाज वन है और क्लाज टू है, क्लाज वन तो शेयर है–

"... grants received from the Government as a share of the water tax

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

collected in the area of operation of the Farmers' Organisation..'

In addition to this, क्लाज टू में है। "... such other funds, as may be granted by the State and Central Government for the development of the area of operation;..." अब मैं उपाध्यक्षजी, बार-बार रिपीट नहीं करना चाहता। आपने मुझे अनुमति दी है। मैं आपके माध्यम से आर्टिकल 207 का क्लाज 3 पढ़ना चाहता हूं और आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक सुनें और फिर विचार करें कि इसका पारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते।

"A Bill which, if enacted and brought into operation, would involve expenditure from the Consolidated Fund of a State shall not be passed..." शैल नाट बी पास्ड है।

श्री उपाध्यक्ष : पढ़ लिया मैंने, आप बोलो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, आपके लिए नहीं, मैं सदस्यों के लिए निवेदन कर रहा हूं। आप तो सर्वज्ञाता हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पढ़ लिया मैंने।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं। "....shall not be passed by a House of the Legislature of the State unless the Governor has recommended to that House the consideration of the Bill." गवर्नर ने रिकमंड किया नहीं। मैं बार बार इसलिए आपको निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि आप रूल्स रिलेक्स कर सकते हैं, कांस्टीट्यूशंस के प्रोविजंस को डिस्पेंस विथ नहीं कर सकते। यह सदन कांस्टीट्यूशन के प्रोविजंस को डिस्पेंस विथ नहीं कर सकता। यह अपने को समझ लेना चाहिए। यह जो रूल्स आफ बिजनेस है इसके लिए सदन सर्वोपरि है, सब रूल्स रिलेक्स कर सकते हैं। लेकिन मंत्री महोदय, मैं आपको बहुत विनम्रता से प्रार्थना करता हूं इसमें कुछ नहीं है यह सब बीमारी दरअसल क्या है कि मेरे मित्र माननीय जोशीजी बैठे हैं यहां पर। यह इस बिल को डेफर नहीं होने देंगे, यह अभी पास करवाएंगे।

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य, यह फंड क्रिएट करने का मात्र प्रावधान है। एक्चुअल ट्रांसफर कुछ भी नहीं है, भारत सरकार का पैसा भी हो सकता है, राज्य सरकार का पैसा भी हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप इसमें सीधी-सी बात यह बता दीजिये कि इसमें आज की तारीख में कोई फाइनैंशियल इम्प्लीकेशन है क्या ?

श्रीमती कमला : आज की तारीख में तो कुछ भी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कह दीजिये नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज की तारीख में तो होगी भी नहीं। क्लाज 24 का सब क्लाज वन पढ़ लीजिये, इसमें क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : "Grants received from the Government as a share of the water tax collected...."

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कहां आएगा ? "Grants received from the Government." तो ग्रांट तो रिसीव होगी न ? It will come from the Consolidated Fund.

श्री सी.पी. जोशी : "The funds of the Farmers' Organisation shall comprise of the following". The word is 'comprise'. कम्प्राइज का यह थोड़े ही है कि हम ले रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट का। आपने सुओमोटो यह हाइपोथीटिकल सोच लिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कम्प्राइज का मतलब ग्रांट फ्राम द गवर्नमेंट।

श्री सी.पी. जोशी : न, न एग्रीड।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बाकी और आइटम्स हो सकते हैं, including that of grants from the Government.

श्री सी.पी. जोशी : Sec. 24 clearly envisages कि यह जो फंड होगा इसमें यहां यहां से फंड आ सकते हैं। यदि हम पैसा स्टेट गवर्नमेंट से लें तब आर्टिकल जो 207 का थी प्रोविजन बता रहे हैं उसको आपरेशन करें तब तो रेलेवेंट है। प्रोविजन रख रहे हैं एक्ट में तो हम कौन-कौन से प्रोविजन में व्यवस्था करेंगे इसको प्रविसेंज करने में कोई कानून का, संविधान का उल्लंघन नहीं है। Extending too much argument... (interruptions).

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जोशीजी, एक स्पष्टीकरण करवा दें आप मंत्रीजी से कि इसमें कंसोलिडेटेड फंड से एक पैसा नहीं जाएगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, यह कह दें, साहब। मंत्रीजी कह दें।

श्री सी. पी. जोशी : जिस दिन पैसा जाएगा तब आपकी बात मान लेंगे। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : This is only formation of a Fund. जिसमें गवर्नमेंट आफ इण्डिया, राजस्थान गवर्नमेंट का या अदर एजेंसी का पैसा जा सकता है। एक्चुअल ट्रांसफर कुछ भी नहीं है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह हो सकता है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, इतनी सी बात है जब यह करेंगे स्टेट गवर्नमेंट का शेयर तो क्या गेहूं के रूप में होगा, पैसे के रूप में ही तो होगा। (व्यवधान) असली बात तो कहें, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी स्वयं ने स्वीकार कर लिया तो फिर इसमें गवर्नमेंट का शेयर आएगा। (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : आज बिल पास कर रहे हैं आज तो एक पैसा जा ही नहीं रहा है। आज क्या स्थिति है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो चीजों को हम लिंक कर रहे हैं। मनी बिल में जो प्रोविजन हैं वह मनी बिल के प्रोविजन का आर्टिकल 199 और 207 के थ्री में प्रोविजन है। यह मनी बिल नहीं है, हम अपने फंड को बनाने के लिए क्या-क्या एविसेज कर रहे हैं उसका प्रोविजन रखा है हमने। जिस दिन हम यह व्यवस्था कर लें कि कंसोलिडेटेड फण्ड से हम पैसा लेंगे, तब आप जो यह प्रोविजन कह रहे हो वह रेलेवेंट प्रोविजन है। इस एक्ट के अन्तर्गत हम इस क्षण में जो बिल पास कर रहे हैं तब तक स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से एक भी पैसा नहीं ले रहे हैं। इसका कोई मनी बिल का सम्बन्ध ही नहीं है। आप उसको मनी बिल से लिंक कर रहे हैं। इसका कोई सम्बन्ध इसके साथ नही है। यदि हम उस पैसे को लेकर उपयोग करें तब तो जो आप आर्टिकल कह रहे हैं वह ठीक है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं यह रेलेवेंट आब्जेक्शन नहीं है, आप कृपया इसको रिजेक्ट करें और बिल को पास करें।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह मनी बिल है या नहीं है, यह प्रश्न उठाने का स्टेज चला गया। कंसीडरेशन की स्टेज चली गयी कि आपने कंसीडरेशन में ले लिया और आपने 23 क्लाजेज पास करवा लिये, अब 24 क्लाज पर यह कह रहे हैं कि यह कांस्टीट्यूशनल नहीं है बाकी तो सब हो गया है। तो अब मेरा आब्जेक्शन यह है कि इस स्टेज के ऊपर यह 24 क्लाज संवैधानिक है कि नहीं, यह प्रश्न अब नहीं उठाया जा सकता। इसलिए नहीं उठाया जा सकता कि आपने कंसीडरेशन में लेकर पास करना शुरू कर दिया, और 23 क्लाज आपने पास कर दिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, जब पहली बार आपत्ति की थी, लेकिन दो ही बातें हैं हम तो कह रहे हैं कि डिबेट कर लें, क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, सुन तो लो उनको।

मोहम्मद माहिर आजाद : जब पहले तो इन्होंने यह कहा था कि जब 24 आये तब आप कहना।

श्री उपाध्यक्ष : उनको बोलने दो न।

मोहम्मर माहिर आजाद : और अब यह कह रहे हैं कि 23 पास हो गये, 24 पर आपत्ति किस बात की है। पहले यही वर्शन दिया गया था कि 24 पर आपत्ति है, 24 आये तब आप रोकना, नहीं, इस वक्त तो आप चलने दो। 23 तक पास करवा लिये और अब 24 आये तब कह रहे हैं आपको पहले कहना चाहिए था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोहम्मद माहिर आजाद साहब, ऐसा मत समझो कि आप अकेले ही हो। Let him speak. आप बोल लेना बाद में।

मोहम्मद माहिर आजाद : हम दो हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं आप चार हो तो भी वे बोल लें फिर उसके बाद बोल लें।

श्री रामनारायण चौधरी : गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, सी.पी. जोशी साहब ने कहा और सरकार का जो वर्शन है वह सही है इसमें कोई मनी मैटर इन्वाल्व नहीं है। सब स्पष्ट है, गवर्नमेंट कह रही है, आप कह रहे हैं ? इसका फैसला क्या हम करेंगे ?

श्रीमती कमला : एंटिसिपेटेड है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एंटिसिपेटेड है कि यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, कल को गवर्नमेंट दे न दे। यह इसमें खामियां हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : या आप व्यवस्था दे दीजिये कि मनी मैटर इन्वाल्व्ड है, बहस का मुद्दा समाप्त हो जाता है।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, मेरा निवेदन यह था कि जब लूणकरसर से आने वाले और मालपुरा से आने वाले सदस्यों ने जब इस पर, 24 पर आपत्ति की थी तब वह वर्शन दिया कि 23 पर तो आपको कोई आपत्ति नहीं है। तो 23 तक हो जाने दीजिये और 24 आये जब बोलना। जब 24 आया तब आप यह स्टेंड लो कि 23 पास हो चुके, अब इस स्टेज पर रोक नहीं सकते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : 24 के संशोधन पर आपत्ति थी, संशोधन इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ तो फिर बात क्या है ? आपत्ति तो संशोधन पर थी। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मूल पर भी आपत्ति थी। संशोधन पर तो आपने कहा कि अभी नहीं। मूल पर भी आपत्ति थी। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे पढ़ने दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-24...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुन लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ना पक्ष जीता, नोज हैव इट। आप सुनिये। उपाध्यक्ष महोदय, अब यह नहीं होना चाहिए कि आप हो-हुल्लड़ में इस धारा को पास कर दो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप कराओ न वोटिंग।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने रूलिंग दे दी ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम चाहते हैं कि स्पीकर यह रूलिंग दे इस बात की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कि कंसोलिडेटेड फण्ड से इसमें एक पैसा नहीं जाएगा। It is not a Money Bill. (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : नहीं है मनी बिल।

श्री उपाध्यक्ष : गवर्नमेंट कह रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह नहीं, आप रूलिंग दीजिये। (व्यवधान) आसन की रूलिंग दीजिये।

श्रीमती कमला : हम खुद कह रहे हैं कि यह सिर्फ फार्मेशन आफ फण्ड है। This is anticipated. This is only anticipated, not actual transfer.

श्री उपाध्यक्ष : वह कह रही हैं न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनके कहने से क्या होगा। पाइंट आफ आर्डर चल रहा है, पाइंट आफ आर्डर है उसको आप डिस्पोज आफ करिये। पाइंट आफ आर्डर यह है कि मनी बिल है। (व्यवधान) अब आप कहिये कि मनी बिल नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : गवर्नमेंट एश्योर करे, मैं क्या करूंगा ? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गवर्नमेंट एश्योरेंस नहीं लेंगे। गवर्नमेंट का क्या भरोसा है ? (व्यवधान) अभी तक तो अमेण्डमेंट मूव किया था अब वापस ले लिया। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : पाइंट आफ आर्डर आप डिसाइड कर दीजिये कि है या नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : गवर्नमेंट कह रही है न। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कह दीजिये न। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं क्यों कहूं ? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गवर्नमेंट पर आपको खुद को भरोसा नहीं है। आप कह दीजिये कि मनी बिल नहीं है। (व्यवधान) आप कहिये कि मनी बिल नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मेरी रूलिंग की इस पर कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं है। अब आप... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आवश्यकता है। हमने पाइंट आफ आर्डर रेज किया है इसको आप डिस्पोज ऑफ करिये। पाइंट ऑफ आर्डर यह है कि यह मनी बिल है और कंसोलिडेटेड फण्ड से पैसा आयेगा। (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : मनी बिल नहीं है। कितनी बार डिस्कस करेंगे ? It is not a Money Bill.

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, यह फण्ड बनाने के लिए एक प्रावधान है। एंटिसिपेटेड है कि गवर्नमेंट दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। इसलिए मनी बिल कहां से हुआ ? अभी एक्चुअल ट्रांसफर आफ फण्ड्स कहां पर दिया हुआ है ? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : बिना पैसे के सहभागिता कैसे होगी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : "...grants received from the Governement as a share of the water tax collected..."

श्रीमती कमला : फण्ड का फार्मेशन है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : राजस्थान की सिंचाई व्यवस्था की...(व्यवधान)

श्रीमती कमला : फण्ड का फार्मेशन है, मनी एक्सपेंडिचर नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आप इस पर विभाजन कराना चाहते हो तो विभाजन करा दूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : मुझे कहने दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट। विभाजन नहीं। गवर्नमेंट ने कहा मनी बिल नहीं है। आपका कहना यही है ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं क्यों कहूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जो कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : गवर्नमेंट कह रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसको आप एक्सैप्ट कर रहे हैं ? एक मिनट ठहरो।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे एक्सैप्ट करने की जरूरत ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कैसे जरूरत नहीं है ? हमारा पाइंट आफ आर्डर है, आप उसको डिस्पोज आफ करिये। इस पाइंट आफ आर्डर को आप डिस्पोज आफ करिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह पाइंट आफ आर्डर नहीं है। यह पाइंट आफ आर्डर की परिभाषा में नहीं आता। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप पढ़ लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पढ़ी हुई है, मैंने तो बनायी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने ही बनायी है। (व्यवधान) आपने बनाई है, उसी को पढ़ रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ....रामनारायण जी, ठीक है, आपने तो जेली रख दी कि धरती का बीच यहीं है। (व्यवधान) लेकिन दूसरों को तो बात करने दो।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। एक मिनट। आप सुन तो लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शांति से मेरी सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : पहले आपको सुन लेते हैं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको तो सुने बिना हम जा ही नहीं सकते कहीं, लेकिन मेरी उपेक्षा करके आप जा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं जा सकते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा सीधा सिम्पल-सा क्वेश्चन है, आप मानें या नहीं मानें। यह जो अमेंडमेंट माननीय मंत्री महोदया ने अभी विद्ड्रा किया है...

श्री शिवनाथ सिंह : पेश ही नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पेश ही नहीं किया, एक ही बात है साहब। आपकी बात मान लें, पेश नहीं किया, विद्ड्रा किया। लेकिन गवर्नमेंट की इच्छा थी कि यह अमेण्डमेंट पास हो। उस इच्छा के पीछे भावना यह थी कि कंसोलिडेटेड फण्ड से रुपया निकलेगा। यह तो बात आ गयी। इसलिए हमने जो आपत्ति उठायी थी कि यह मनी बिल है। वह मनी बिल एक हिसाब से जो आपत्ति उठायी वह सही हो गयी। आपने यह कहा कि जब वह क्लाज में से ही हटा लिया उसके बाद में यह मनी बिल नहीं रहता। आपका यही कहना है ?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने यह नहीं कहा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो कौन कहेगा यह ?

श्री उपाध्यक्ष : गवर्नमेंट कहेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गर्वनमेंट कहे तो आप उसको एण्डोर्स करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : किसको ? गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है उसके बाद क्या...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप उसको एक्सेप्ट करते हैं क्या ? मैंने पाइंट आफ आर्डर आपके सामने रेज किया, गवर्नमेंट के सामने रेज नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था यह है कि किसी विधेयक के खण्ड के सम्बन्ध में संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न हो तो उसका निर्णय अध्यक्षीय आसन से नहीं किया जाता है। इस प्रकार का निर्णय सदन द्वारा किया जा चुका है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सदन द्वारा करवा लीजिये, सदन द्वारा करवा लीजिये, आप किसी बात पर रूलिंग नहीं दे सकते तो हाउस फैसला कर दे कि मनी बिल है या नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो कह ही रहे हैं। (व्यवधान) तभी तो मैंने कहा न कि आप

(श्री उपाध्यक्ष)

डिविजन चाहो तो करवा दूं। (व्यवधान) यह तो कह रहा हूं।

श्री सी.पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक क्षण के लिए अमेण्डमेंट को भी अगर मान लिया जाए तब भी यह प्रोविजन है, यह मनी बिल की परिभाषा में नहीं आता, नहीं आता। (व्यवधान) आप मेरी बात को सुनिये न। (व्यवधान) आप सुनिये मेरी बात को। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय जोशीजी, मैं आपके विचार के लिए ही निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : हम उधर जाएं तो आप हमें रोकना मत। (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : आप मेरी बात तो सुन लें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोलें-बोलें।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप एक मिनट मुझे सुनें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट पहले आप उनको सुन लें। आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने जो बात कही है उसका इसमें कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं एक क्षण के लिए यह भी मान लूं कि हमारी सरकार यदि अमेण्डमेंट मूव करने का जो रखा था उसमें प्रोविजन है कि यदि हम कंसोलिडेटेड फण्ड से लेंगे तो कैसे लेंगे। इसका मतलब नहीं है कि हमने पैसा ले लिया ? It is anticipated hypothetical. आप जो आर्टिकल 199 की बात कह रहे हो, 207 आर्टिकल की बात कर रहे हो, यह दोनों चीजें तब हैं जब हम कंसोलिडेटेड फण्ड से पैसा लेकर इसका काम करें तो यह मनी बिल भी नहीं है। कोई एक्ट में किसी चीज का प्रोविजन रखना यह मतलब नहीं कि जो मनी बिल का पार्ट बन जाए। These are the procedures, जिसमें हम कोई प्रोविजन रखना चाहते हैं। इसलिए इस आर्टिकल 24 में हमने रखा है कि यह जो फण्ड होंगे वह कहां-कहां से आ सकते हैं। फण्ड में एक प्रोविजन है कि कंसोलिडेटेड फण्ड से भी पैसा आ सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमने पैसा ले लिया। यदि हम पैसा लें तब तो बिलकुल गवर्नर की परमीशन की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष : यह कह दो न बात।

श्री सी.पी. जोशी : हम कह रहे हैं न। मंत्रीजी ने कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : तो सारी बात ही खतम हो गयी।

श्री सी.पी. जोशी : मंत्रीजी ने कहा है न इस बात को। सरकार की मंशा बिलकुल क्लियर है। इस क्षण तक कंसोलिडेटेड फण्ड से कोई पैसा नहीं लेना चाहते हम। तो कहां जरूरत पड़ी मनी बिल की। यदि हमें लेने की आवश्यकता होगी तो हम

(श्री सी. पी. जोशी)

आपके पास आएंगे, आपसे परमीशन लेंगे, गवर्नर से परमीशन लेंगे। इसके बीच में क्या हो सकता है। यदि हम यह नहीं कर रहे हों तब तो आपका आब्जैक्शन ठीक है। पर इस क्षण पर एक भी पैसा कंसोलिडेटेड फण्ड से इस फण्ड में नहीं आ रहा, इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, हाइपोथिटिकल क्वेश्चंस पर विधान सभा में पाइंट आफ आर्डर नहीं उठाये जा सकते। आज जब स्टेट के कंसोलिडेटेड फण्ड से एक भी पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो यह मनी बिल भी नहीं है। इसलिए इसमें गर्वनर की भी इसमें कंसेंट की आवश्यकता नहीं है।

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यदि मनी बिल होता तो इनका आब्जैक्शन होना चाहिए था इंट्रोडक्शन की स्टेज पर। इंट्रोडक्शन की स्टेज पर भी मनी बिल का आब्जैक्शन नहीं था इसलिए खुद विपक्ष ने यह माना है कि यह मनी बिल नहीं है। यदि यह होता तो इंट्रोडक्शन की स्टेज पर यह आब्जैक्शन कर देते...(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : जोशीजी, +++ क्यों लाये हो इसे ? (व्यवधान) यह बिल क्यों लाये हो ? (व्यवधान) फिर सहभागिता का क्या मतलब है ? (व्यवधान) कंट्रीब्यूशन क्या होगा ? (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : जब मनी बिल नहीं है। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : आप इनकी मंशा देखिये। इसमें बिलकुल स्पष्ट है कि जब तक आप इसमें कोई भी फ़ण्ड्स नहीं देंगे तो वह कोई भी कार्य नहीं कर पायेगी। (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : पांच प्रोविजन हैं। जरूरी है कि पहला प्रोविजन माने, नहीं मानेंगे। नहीं लेंगे। कहां जरूरी है। आपकी हाइपोथेटिकल बातें हैं। नहीं लेंगे हम। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : आप नहीं करें तो क्या है ? (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : जब लेंगे तब आपके पास आ जाएंगे। हाइपोथिटिकल बात पर नहीं हो सकता। यह पांच प्रोविजन हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पांच प्रोविजन हैं। पैसा लेंगे तब...(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : जिद्द की बात नहीं है। मूल बिल की भावना समझिये, जिद्द की बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : जिद्द की बात नहीं है। आप अपनी भावना थोपना चाहते हैं कि यह मनी बिल है। मनी बिल नहीं है। (व्यवधान) आब्जैक्शन किस बात का ? आप थोपना चाहते हैं अपनी बात को। (व्यवधान) यदि मनी बिल था तो जिस दिन इंट्रोड्यूस किया उस दिन आब्जैक्शन कर देते। उस दिन भी भैरोंसिंहजी बैठे हुए

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर, आर्डर।

श्रीमती कमला : ....अगर पैसे का प्रोविजन होगा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ....माननीय मंत्रीजी के कथन के बाद यह बिल तो मनी बिल हो गया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आप विराजिये प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उन्होंने खुद ने कहा है कि इसमें 50 करोड़ रुपये भी आ सकते हैं।

श्रीमती कमला : "सकता है" कह रही हूं मैं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ....और उपाध्यक्ष महोदय, अगर इसकी मूल धारा पढ़ें...

श्रीमती कमला : मैं यह भी कह रही हूं कि एक धेला भी नहीं आ सकता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं उपाध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप इसमें यह क्या कह रहे हैं कि यह मनी बिल है या नहीं ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...यह गैर संवैधानिक काम क्यों है ? इसको पढ़ें।

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्रीजी से कहलवाओ आप। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो वह रूलिंग करवा दीजिये, जो हमने पाइंट आफ आर्डर रेज किया है। उसमें आपने कहा है कि....

श्री उपाध्यक्ष : क्या ? काहे का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : या तो आप व्यवस्था करेंगे या हाउस व्यवस्था करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : काहे की व्यवस्था ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मनी बिल है।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया ना उन्होंने, नहीं है, बात खतम हो गई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनके कहने से नहीं, आप व्यवस्था दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : मुझसे किस बात की व्यवस्था चाहते हो ? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप व्यवस्था दीजिये, यह मनी बिल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं व्यवस्था नहीं दे सकता, यह हाउस ही देगा फिर। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हाउस ही दे। वही तो चाहते हैं ना। हाउस की मंशा ले लीजिये आप। (व्यवधान) हाउस की मंशा ले लीजिये। Put this point to vote.

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर। आपने यह कहा कि यह कह दें कि यह मनी बिल नहीं है, तो आप मान लोगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, यह नहीं कहा है इन्होंने।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया ना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इन्होंने यह नहीं कहा है कि कन्सोलिडेटेड फण्ड से पैसा नहीं आयेगा, यह नहीं कहा है कि...

मोहम्मद माहिर आजाद : सी.पी. ज़ोशी जी ने तो कहा है...

श्री मानिक चन्द सुराना : सिंचाई मंत्रीजी ने तो कहा है कि 50 करोड़ रुपये भी आ सकते हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इन्होंने नहीं कहा है। आपकी और इनकी बात में बहुत फर्क है। रात दिन का फर्क है। मेरे कान सही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

श्रीमती कमला : यह मनी बिल नहीं है, नहीं है, नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरे कान सही हैं। भाषा में बहुत फर्क है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह कहिये कि कन्सोलिडेटेड फण्ड से इसमें पैसा नहीं आयेगा। नहीं मनी बिल का सवाल नहीं है।

श्रीमती कमला : जिस दिन आयेगा उस दिन की बात है, आज़ कुछ नहीं आ रहा है, आज कोई नहीं आ रहा है। आज कुछ नहीं आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : हो गई ना बात।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज कुछ नहीं आ रहा है, यह कह रहे हैं। आप देखिये उपाध्यक्ष महोदय, आप थोड़ा हमको सुन तो लें।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, जिस दिन आयेगा, उस दिन क्या फाइनेंशल मेमोरेण्डम दुबारा आयेगा ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ....तलवारें चली नहीं उससे पहले अपराध कैसे माना जायेगा ? यह जब तलवारें चलेंगी, तब देखा जायेगा। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप जो चाहते हो, वह शब्द कैसे कहे जायेंगे ? (व्यवधान)

श्रीमती कमला : प्रावधान के अन्तर्गत कुछ नहीं आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। हो गई ना बात।

श्री मानिक चन्द सुराना : मुझे कहने दें।

श्री उपाध्यक्ष : क्या कहोगे ? आपने कहा कि कह दो कि मनी बिल नहीं है। इन्होंने कह दिया कि मनी बिल नहीं है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : इनके कहने से नहीं होगा। या तो आप रूलिंग दो...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, इनके कहने से नहीं मानेंगे। आप कह दो कि यह मनी बिल नहीं है। यह तो आप कहें कि कन्सोलिडेटेड फण्ड से पैसा नहीं आयेगा। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आप मेरे पाइंट आफ आर्डर को डिस्पोज आफ कीजिये।

श्रीमती कमला : इस प्रावधान से कन्सोलिडेटेड फण्ड से कोई पैसा नहीं आ रहा है। इस प्रावधान के रखने से कन्सोलिडेटेड फण्ड से कोई पैसा नहीं आ रहा है, जब पैसा आयेगा तब की बात दूसरी है। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : आ रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आ रहा है की बात नहीं है। इस बात का कोई प्रश्न नहीं है। (व्यवधान) यह बिल प्रजेंट फोर्म में नहीं होता है। आप फ्यूचर के लिए कहिये कि इसमें कन्सोलिडेटेड फण्ड से कोई पैसा नहीं आयेगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ये दोनों बात क्यों कहती हैं ? आयेगा तब बात दूसरी है, यह क्या मतलब हुआ ?

श्रीमती कमला : अब मैं आपकी भाषा थोड़े ही बोल दूंगी। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, आप यह कहिये कि जब पैसे का प्रावधान होगा तो हाउस से लेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-24 स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड-24 स्वीकार किया गया। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आन ए पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान) आप इस तरीके से तो...(व्यवधान) आपकी रूलिंग नहीं मिली है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, हम नहीं मानते हैं इसको। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड-25 से 45, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-25 से 45 स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड-25 से 45 स्वीकार किये गये।

श्री मानिक चन्द सुराना : ....असंवैधानिक तरीके से जो आप बिल पास करा रहे हो, हम उसके भागीदार नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष इसके भागीदार नहीं हैं और इसका हम प्रतिरोध करते हुए वाक-आउट करते हैं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस तरह की व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी, इतना ही कहकर हम वाक-आउट करते हैं। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी और बसपा के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : कमाल है। इन्होंने जो कहा है, कह दिया और क्या करेंगे।

श्रीमती कमला : जाने दो, जाने दो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। खण्ड-46। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : इनको जाने दो। ये जाने को राजी रहते हैं। आज शुक्रवार है, शनिवार को घर जाना है। (व्यवधान) जब-जब भी बिल पास होता है, विपक्ष इसी तरह जाता ही है। दायमाजी, इनको जाने की आदत पड़ी हुई है। दुबारा आओगे क्या ? सोमवार को 11 बजे आना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। दो मिनट में निपटा देता हूं। आर्डर, आर्डर। आर्डर, आर्डर। आप बैठो ना।

खण्ड-46 प्रभारी मंत्रीजी संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड-46 में विद्यमान उपखण्ड (3) के पश्चात् नवीन उपखण्ड (4) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'बड़ी' को विलोपित किया जाये, यह प्रस्ताव करती हूं। खण्ड 46 के नवीन उपखण्ड (4) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "वितरिकाओं के पश्चात्" शब्द "व माइनरों को" जोड़ा जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिक चन्दजी सुराना। नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड-46 में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-46 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड-46 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-47 और 48, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-47 और 48 स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड-47 और 48 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1, अधिनियम सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियम सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

(श्री उपाध्यक्ष)

विधयेक का पारण

प्रभारी मंत्रीजी प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता का विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता विधेयक, 2000 को संशोधित रूप में पारित किया जाये।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो बिल संशोधित रूप में पास करने का प्रस्ताव किया है। (व्यवधान) उसका विरोध करने का मेरा अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं मना थोड़े ही कर रहा हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : आपने जो प्रस्ताव किया है, मैं उसका विरोध मूलतः खण्ड-24 जिसको आप असंवैधानिक तरीके से पास कर रहे हैं, उस कारण से मैं इसका विरोध करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, बड़ी अजीब बात है कि जब इंट्रोडक्शन की स्टेज पर कहा गया तो आपने कहा कि खण्ड-24 आने दीजिये। खण्ड 24 आया तो आपने कह दिया कि इंट्रोडक्शन पर बात करनी थी।

श्री उपाध्यक्ष : यह नहीं कहा मैंने।

श्रीमती कमला : कही नहीं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : इंट्रोडक्शन पर तो आपने बात कही नहीं।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैंने नहीं कहा क्योंकि उसकी आवश्यकता मैंने नहीं महसूस की। वह महसूस नहीं की, यह सही है। मैंने उस संशोधन का ही विरोध किया था। माननीय सदस्य, जो मालपुरा से आते हैं सुरेन्द्रजी व्यास, उनको उतना ही अधिकार है, जितना मुझे है और उन्होंने साफ तौर पर मूल बिल जिस रूप में पेश हुआ, उन्होंने उस पर आपत्ति की थी और यह पूरे सदन के ध्यान में है, रिकार्ड पर है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) पास नहीं हुआ, पास होना है, आपका बहुमत है, आप पास करें। हुआ नहीं है, आप बीच में कहना चाहते हो कि हो गया तो मर्जी है बुरड़क साहब की।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी के प्रस्तावित संशोधन से बात सिर्फ साफ हो रही थी कि 50 प्रतिशत हम सिंचाई कर का देंगे लेकिन मूल बिल में भी लिखा हुआ है, "grants.... as a share of the water tax...." आप एक धेला भी देंगे तो भी वह वाटर टैक्स के शेयर के तौर पर देंगे। और माननीय जोशीजी कह रहे थे कि कोई इम्पलीकेशन नहीं है, खैर उस हद तक तो माननीय मंत्रीजी नहीं गये पर उन्होंने कहा कि धेला भी नहीं हो सकता और हो सकता है पचास करोड़ भी हो। आखिर इस फाइनेंशियल

(श्री मानिक चन्द सुराना)

मेमोरेंडम का मतलब संविधान में रखा है वह यही है कि सदन को बताया जाय। माननीय पशुपालन मंत्रीजी इसको एप्रिसिएट करेंगे। सदन इसके खिलाफ नहीं है कि पचास करोड़ दें या आप सौ करोड़ दें, मैं भी इसके पक्ष में हूं कि उनको 50 प्रतिशत दें, 75 दें, मैंने तो संशोधन मूव किया है 100 प्रतिशत। यह तो ठीक है कि वाक आउट के समय यह संशोधन मैं ला नहीं सका कि 50 प्रतिशत की जगह 100 प्रतिशत। यह मेरा संशोधन मौजूद है, उपांध्यक्ष महोदय ने देखा भी होगा कि मेरा संशोधन है शत-प्रतिशत। खण्ड 24 में भी संशोधन दिया गया है। हम रुपया देने के विरुद्ध नहीं हैं, हम तो चाहते हैं कि सिंचाई कर का सारा रुपया आप उनको ट्रांसफर कर दें।

प्रश्न यह है कि जो संविधान की प्रक्रियाएं रखी हुई हैं, आप इसको कितना सेंक्शन देते हैं। जब हमको रुपया देना है और हमको उन सारे किसान संगठनों को क्रियाशील बनाना है तो फाइनेंशियल मेमोरेंडम परसों लाने में क्या आसमान गिर रहा था। खैर उसकी मूल आपत्ति तो आपने संशोधन को वापस लेकर, खण्ड 24 की मूल आपत्ति को तो एक तरीके से स्वीकार किया। फिर भी मैं आपका ध्यान दिलाता हूं कि अभी भी यह असंवैधानिक है, आप फाइनेंशियल मेमोरेंडम इसमें तत्काल लायें और इसकी असंवैधानिकता को खतम करने का प्रयत्न करें।

मैं इसी निवेदन के साथ में इस बिल का इस आपत्ति के साथ ही विरोध करता हूं कि आप इसको असंवैधानिक प्रक्रिया से पास कर रहे हैं इसलिए मुझे संवैधानिक आधारों पर इसका विरोध करना पड़ रहा है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका पहले बहुत बार जवाब दे चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता विधेयक, 2000 को संशोधित रूप में पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता विधेयक, 2000 संशोधित रूप में पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000

श्री शांतिलाल धारीवाल।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सर, शांति कुमार धारीवाल। या सिर्फ शांति धारीवाल।

श्री उपाध्यक्ष : या कुमार और लाल दोनों ही नहीं है। सारी, शांति धारीवाल।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीसिंहजी भाटी। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल नंम्बर 22 है न।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो नहीं बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री देवीसिंह भाटी : इसमें भी वही होने वाला है जो पहले वाले बिल में हुआ है इसलिए +++

श्री नाथूराम अहारी : पास करो।

श्री उपाध्यक्ष : करेंगे, ऐसे कैसे करें। करेंगे, +++

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, दो बिल इनके हैं। मैं यह पूछना चाह रहा था, एक तो है इनका बिल नम्बर 22 और एक है बिल नम्बर 23।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : द्वितीय संशोधन कौन सा है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने संशोधन किस पर दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दोनों में दिया है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह तृतीय है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पहले 23 रखा है आपने।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पहले यह रखा है जिसमें सेक्शन-9 और चुनाव सम्बन्धी है, वह निकाल लो आप।

श्री उपाध्यक्ष : यह 23 है।

विधयेक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी जो यह संशोधन लेकर आये हैं, मैं समझता हूं कि यह संशोधन लोकतंत्र की मूल भावना के बिलकुल विपरीत है। इस संशोधन के अंदर नगरपालिका अधिनियम के अंदर धारा 9 के अंदर उपधारा-1 के उपखण्ड-क में जो क के सब क्लाज 2 के अंदर यह संशोधन लेकर आये हैं कि राज्य सरकार यह अधिकार ले रही है कि वह नगरपालिका में निर्वाचित पार्षदों की संख्या के 10 प्रतिशत या तीन जो भी कम हो, नोटिफिकेशन जारी करके ऐसे व्यक्तियों को जो नगरपालिका प्रशासन में विशेष जानकारी का अनुभव रखते हैं उनको नोमिनेट कर सकती है।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिका अधिनियम में पहले से प्रावधान है। आपको अच्छी तरह मालूम है कि नगरपालिका अधिनियम में पहले को-आप्शन का प्रावधान था। नगरपालिका के चुने हुए सदस्य बहुमत के आधार पर 10 प्रतिशत या 3 सदस्य, जो भी कम हो, उसके अनुसार को-आप्ट किया करते थे। परन्तु अब इस संशोधन के बाद जो चुने हुए लोग हैं उनके अधिकार समाप्त हो जायेंगे और सारे अधिकार राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे। इस पूरे संशोधन के पीछे माननीय मंत्रीजी की भावना है और भावना भी इसलिए है कि मंत्रीजी, आपकी प्रवृत्ति +++ आप डेमोक्रेटिक तो हो ही नहीं। आप यह चाहते हैं कि आप अपनी कलम से जिस भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को चाहो, जिसको चुनाव में जनता नकार दे चाहे, जहां बहुमत का बोर्ड चाहे आपका हो या नहीं हो, नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम हो या नहीं हो, बिना वहां के चुने हुए प्रतिनिधियों की राय लिये आप खुद यहां से तीन व्यक्तियों को या 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, उनको नोमिनेट करने का काम करेंगे। मैं समझता हूं कि आज इतनी लम्बी लोकतांत्रिक परम्पराओं के पश्चात् आप इस तरह का अमेण्डमेंट लेकर आयेंगे, इससे ज्यादा कोई गलत बात हो ही नहीं सकती। और तो और, उपाध्यक्ष महोदय, इसी सेक्शन 9 के अन्दर क के पार्ट सैकण्ड के अंदर यह अधिकार भी लेने जा रहे हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति को आपने नोमिनेट किया, अगर मंत्री महोदय उनसे नाराज हो जाय तो चाहे जब उसको वापस बुला लेंगे।

मतलब यह नगरपालिका, नगर निगम अब शांति धारीवालजी की व्यक्तिगत जागीर हो जायेंगे, जिसको चाहो उसको भेज दिया, जिसको चाहो उसको बुला लिया। और तो और, उपाध्यक्ष महोदय, इसी सेक्शन 9 क के सब सेक्शन 3 के अंदर इन्होंने यह प्रावधान और कर दिया कि पूर्व में नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी नगरपालिका ने अगर नियमों में किन्हीं सदस्यों को को-आप्ट कर लिया है तो उनका को-आप्शन भी समाप्त हो जायेगा। मैं समझता हूं कि आज तक रहा यह है कि जो लोग चुनाव की प्रक्रिया से नगरपालिका में आ नहीं सकते, जिनका समाज में विशिष्ट स्थान है और नगरपालिका के चुने हुए पार्षद यह महसूस करें कि नगरपालिका, नगर निगम के अंदर इन लोगों की उपस्थिति विकास के नये आयाम में उनका सहयोग देगी, उनकी प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा, ऐसे लोगों को को-आप्ट किया जाता था परन्तु मंत्री महोदय, अब आप क्या करेंगे, क्यों अधिकार ले रहे हैं, मेरी समझ के बाहर है।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान सेक्शन 26 में जो अमेण्डमेंट मंत्रीजी लेकर आये हैं, उनकी तरफ दिलाना चाहूंगा। सेक्शन 26 के अंदर कौन व्यक्ति चुनाव

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लड़ने के लिए अयोग्य होगा, इसका प्रावधान है। सेक्शन 26 के सब क्लाज 1 के अंदर है कि कोई व्यक्ति जिसे नगरपालिका अधिनियम की धारा 203 में सजा मिली हो, चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जायेगा। अब, उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिका अधिनियम की धारा 203 है, कोई व्यक्ति अगर किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करता है या अवरोध करता है तो वह जुर्माना या सजा का भागीदार होगा।

(18.00 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पदासीन)

अब यदि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को आप अयोग्य करार करें तो समझ में आता है परन्तु मंत्री महोदय, सेक्शन 203 के अन्दर अतिक्रमण भी है और अवरोध भी है। मैंने मेरा मकान बनाने के लिए ईट लकड़ी, बजरी मेरे मकान के पास की गली में लगा ली, मैंने अवरोध कर लिया, किसी ने शिकायत कर दी और मुझे सेक्शन 203 के अन्दर पेनेलाइज कर दिया और चुनाव लड़ने के लिए मुझे अयोग्य कर दिया।

मैं समझता हूं कि यह बिलकुल अव्यावहारिक है और सेक्शन 203 में सौ रुपये जुर्माने से लेकर कुछ सजा का प्रावधान भी किया है। अवरोध मैंने किया तो सौ रुपये जुर्माना होगा और 6 साल के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ सकूंगा। मेरी समझ में नहीं आता कि लेंड रेवेन्यू एक्ट के सेक्शन 91 में अतिक्रमण के बहुत से प्रकरण गांवों में चलते रहते हैं। अब लेंड रेवेन्यु एक्ट की धारा 91 के अन्दर जो अतिक्रमी है वो तो चुनाव लड़ सकता है पंचायत का, पीपल्स रिप्रजेंटेटिव एक्ट के अन्दर वो तो एम.एल.ए. का चुनाव भी लड़ सकता है परन्तु नगरपालिका में अगर किसी ने अवरोध पैदा कर दिया तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में निश्चित तौर पर आपको पुनर्विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, इसी सेक्शन 26 के अन्दर, 26 के 2 के बी में मंत्रीजी यह संशोधन लेकर आये हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो ऐसा कोई जुर्म कर ले कि पांच साल से ज्यादा सजा हो और उसको चार्जशीट हो जाए तो वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा। सभापति महोदय, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि आपका अनुभव भी हैं। अगर किसी व्यक्ति का किसी भी आई.पी.सी. की धारा के अन्तर्गत अगर कोई आरोपित हो जाता है और आरोपित होने के बाद न्यायालय यह सोचता है कि यह दोषमुक्त होने के लायक है या कन्विक्शन नहीं होता है तो उसको, उसी बीच में चुनाव हो गया और आरोप पत्र जारी हो गया तो वह तो चुनाव लड़ने के अयोग्य हो गया।

इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके अन्तर्गत सजा का प्रावधान करें। जिसको पांच साल की सजा हो जाए उसको तो आप अयोग्य करें परन्तु जिसको मात्र आरोप

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पत्र जारी हो जाए उससे सजा हो तो उस पर आप पाबंदी लगायें, इसको मैं उचित नहीं मानता, इसके बारे में भी मंत्री महोदय आपको विचार करना चाहिए। अब मंत्री महोदय, आप इस संशोधन के जरिये सेक्शन 26 के क्लॉज 4 के सब क्लॉज 8 ए के अंदर एक संशोधन लेकर आये हैं। इसमें आपने यह कह दिया कि विश्वविद्यालय हो या कोई भी निकाय हो जिसमें आर्थिक नियंत्रण सरकार का हो उसमें कोई फुल टाइम नौकरी करे या पार्ट टाइम नौकरी करे अर्द्ध सरकारी संस्था हो, सरकारी संस्था हो, वित्त नियंत्रण सरकार के पास हो तो वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता नगरपालिका का। अब सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर कोई व्यक्ति एक या दो लेक्चर देने लॉ कालेज में जाए, किसी दूसरी ऐसी संस्था के अन्दर कोई व्यक्ति आनरेरी या पार्ट टाइम जाए, उस पर पाबंदी लगा दी।

मेरी समझ में नहीं आया मंत्री महोदय, हमेशा राजस्थान विश्वविद्यालय हो, आर.एस.आर.टी.सी., आर.एस.एम.एम. हो, इन संस्थाओं में, सरकारी और अर्द्ध सरकारी संस्थाओं में अब तक नगरपालिका चुनाव लड़ने की अनुमति हुआ करती थी। यह क्यों लेकर आये हैं यह मेरी समझ में नहीं आता। यह तो इन संस्थाओं से जुड़े लोगों के हितों पर कुठारांघात करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप इसी सैक्शन 26 के सब क्लॉज 5 के 12 में जो संशोधन लेकर आये हैं वह सभापति महोदय, मंत्री जी क्या सोच कर लेकर आये हैं मेरी समझ में नहीं आया है। कोई व्यक्ति अगर नगरपालिका में कोई कार्य करता हो चाहे वो ठेकेदारी का कार्य हो चाहे उसकी सेवा का कार्य हो तो वो खुद और उसका पूरा परिवार चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जायेगा। मेरी समझ में नहीं आया नगरपालिका के अन्दर नौकरी मैं करूं और मेरा वयस्क पुत्र हो आप उसको मना कर दें कि वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएगा। मैं समझता हूं कि इस पर भी निश्चित तौर पर आपको विचार करना चाहिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप हर बात पर कह रहे हैं कि समझ में नहीं आया। मेरे चेम्बर में आज आप आये। मैं दो घंटे तक आपसे +++ करता रहा, आखिर में आप मुझसे यह कह कर गये कि मेरे सब समझ में आ गया और यहां कह रहे हैं कि समझ में नहीं आया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब सभापति महोदय, मैं क्या कहूं मेरे मित्र भी हैं। अब ये कुछ भी कह जाएं। ये कभी शांति लाल बनते है, कभी शांति कुमार बनते हैं और मुझसे तो जब भी मिलते हैं ये शांति धारीवाल होते हैं। मैं क्या कहूं कि मैं इनके चेम्बर में गया कि नहीं गया।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, यहां तक भी हालत है कि माननीय सदस्य कई बार कंफ्यूज होकर पुर्लिंग से स्त्रीलिंग कर डालते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप विराजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : लाल और कुमार तक तो ठीक है लेकिन शांति देवी, नहीं बन जाएं कहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि निश्चित तौर पर आप भी अब नौकरशाहों के कब्जे में आ गये हैं। क्योंकि अगर ये सारे संशोधन आप लेकर आते, आपने तो जाते-जाते किस वक्त साइन किये हैं यह भी खोज का विषय है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक तरफ तो आप मुझे तानाशाह बता रहे हैं, क्या कोई तानाशाह किसी ब्यूरोक्रेट से दबकर रहेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, तानाशाह अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : जनता के लिए तानाशाह हैं, वहां पर इनकी नहीं चलती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तानाशाह अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता। हिटलर अगर अपने खुद का दिमाग इस्तेमाल करता तो उसकी सल्तनत नहीं जाती। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए एक जो संशोधन ये सैक्शन 26 के अन्दर लेकर आये हैं उसमें यह है कि अगर कोई व्यक्ति वकील है और किसी भी नगरपालिका, नगर निगम के विरुद्ध कहीं कोई वाद लड़ रहा है तो अपनी नॉमीनेशन दाखिल करे उससे पहले उसको अलग होना पड़ेगा। यानी वकालात करने वाले व्यक्ति नगरपालिका, नगर निगम के खिलाफ कोई वाद में खड़ा हो तो वो भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएगा। मैं समझता हूं कि यह भी अव्यावहारिक बात है।

अन्त में, सैक्शन 32 में जो संशोधन लेकर आये हैं नगरपालिका निर्वाचन के अन्दर अधिसूचना के प्रकाशन के साथ वाहन, कट आउट, बैनर्स के प्रदर्शन पर पाबंदी लगायें तो ठीक है परन्तु इसका उल्लंघन करने वाला चुनाव के लिए अयोग्य है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये सारे संशोधन आप जल्दबाजी में लाये हैं और विशेष तौर से आप लोकतांत्रिक परम्पराओं का हनन करके ये जो नॉमीनेशन करने का अधिकार अपने में केन्द्रित करना चाहते हैं, यह बिलकुल गलत है। आपको इसको वापस लेना चाहिए। आप सारी शक्ति केन्द्रित करना चाहते हैं। एक तरफ तो आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं इसलिए सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री हेमन्त कुमार : ....(व्यवधान)....दोनों ने मिलकर सारे प्रस्ताव तैयार किये हैं। आपने सहमति दी है और यहां आकर विरोध कर रहे हो आप।

श्री सभापति : माननीय श्री हीरासिंह चौहान। माननीय श्री मदन दिलावर। माननीय श्री गणेशी राम मेघवाल। माननीय श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, यह बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर बहुत ध्यान से विचार करना चाहिए। नगरपालिका और पंचायत, प्रजातंत्र में सबसे मजबूत कड़ी है। प्रारंभ यहां से होता है। और अगर नगरपालिकाएं मजबूत होती हैं तो वहां के लोग, प्रजातंत्र में विश्वास करने वाले लोग चुनकर आते हैं और तो हम निश्चित रूप से प्रजातंत्र मजबूत करते हैं। आपको ध्यान होगा कुछ वर्षों पहले तक जब तक संविधान का परिवर्तन नहीं आया था, 20-20 साल तक नगरपालिका के चुनाव नहीं होते थे। एडमिनिस्ट्रेटर काम करते रहते थे। और यदि कहीं नगरपालिका चुनकर आ भी गयी और उस सरकार के अनुरूप नहीं है तो भंग करके एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दिया करते थे। जब ऐसी स्थिति बनी तो देश के लोकतंत्र ने विचार किया कि जिन संस्थाओं के आधार पर प्रजातंत्र मजबूत होगा यदि उनकी यह दुर्दशा रहेगी तो हमें प्रजातंत्र के वांछित परिणाम नहीं मिल सकेंगे तो इसलिए संविधान में एक संशोधन आया 74वां संशोधन और वह 74वां संशोधन आया तो उसमें नगरपालिकाओं को बहुत शक्ति प्रदान की और ऐसी पाबंदी लगा दी संविधान के अमेण्डमेंट के बाद कि कोई भी सरकार मनचाहे तरीके से इनको कुचल नहीं सकती, दबा नहीं सकती, इनको चलाना ही पड़ेगा और उन्होंने जो परिवर्तन किये धाराओं में वो संक्षेप में थोड़ा वर्णन करना चाहूंगा। यह संविधान का आर्टिकल है 243 बी।

इसमें नगरपालिका को इन्होंने परिभाषित किया है कि नगरपालिका का मतलब क्या है, municipality means an institution of self-government. इसको स्वायत्तशासी संस्था माना है। यह उन्होंने पहली परिभाषा की ताकि इसका अर्थ समझकर आगे कानून बन सके। 243 'क्यू' कांस्टीट्यूशन आफ म्युनिसीपैलिटी, यानि आपको नगरपालिकाओं का निर्माण करना ही पड़ेगा क्योंकि संविधान की आवश्यकता हो गई।

श्री सभापति : नगरपालिका को कहां अबोलिश कर रहे हैं ? अमेण्डमेंट ही तो...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं बैक ग्राउंड दे रहा हूं। यह कानून क्यों लाये, संविधान में परिवर्तन क्यों किया। अगर सरकारों को नीयत साफ होती और चुनाव होते रहते तो संविधान में यह परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं थी। जब पार्लिटयामेंट ने अनुभव किया कि यह पाबंदियां लगायी जानी चाहिये ताकि नगरपालिका चलती रहे।

श्री श्रवण कुमार : इससे जो अपराध हो रहे हैं वह कम हो जाएंगे।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

मिलाओगे, आप हमारी पार्टी की मदद करोगे, आदि-आदि। अब लग रहा है कि आप तो बेकार निकले। तो आप उसको हटा देंगे। जो मेम्बर एक बार चुना गया, चाहे वह चुना गया चाहे किसी प्रकार से वह नगरपालिका का मेम्बर बन गया, "he is a member for all purposes. वह आपका सेवक नहीं है He is a member for all purposes. और जो आल परपजेज मेम्बर है तो मेम्बर को रिमूव करने का सेक्शन अलग है, उसकी प्रक्रिया अलग है। यदि आप समझते हैं कि कोई आदमी ठीक काम नहीं कर रहा है तो सेक्शन 63 ऑफ दिस एक्ट यह प्रोवाइड करता है कि कोई व्यक्ति जो ठीक काम नहीं कर रहा है, दुराचरण कर रहा है तो उसको आप हटा सकते हैं। उसका प्रोसीजर दिया गया है आप किस हैसियत से उसको वहां रखेंगे। मेम्बर की डैफ़िनेशन में यह लिखा है कि जो लाफुली मेम्बर बनेगा वह मेम्बर है। आपका जो को-आप्शन है जो आप करेंगे, he will become a lawful member. अब लाफुली मेम्बर बन गया तो उसकी हैसियत चुने हुए मेम्बर के बराबर हो जायेगी जब उसके बराबर हो जायेगी तो आप उसको हटा कैसे सकते हो। हटाने का अलग से प्रावधान है, उसके रीजन्स हैं। वह बेइमान हो गया, भ्रष्ट हो गया आदि-आदि बातें हैं, तब आप उसको हटा सकते हैं। उसकी जांच होती है, ज्युडिशियल आफिसर उसकी जांच करता है, उसको सफाई का मौका मिलता है कि आपको क्यों नहीं हटा दिया जाये आपके खिलाफ यह चार्जेज हैं। तब आप उसको हटा सकते हैं। आप पढ़ों इसमें क्या लिखा है "The State Government shall have power to withdraw a member..." जब वह एक बार मेम्बर बन गया तो मेम्बर की हैसियत वही हो गई जो इलेक्टेड मेम्बर की है। इलेक्टेड मेम्बर को हटाने के जो प्रोविजन है वह उस पर लागू नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, पहले तो किसी को मनमाने लगाओगे, फिर आप उसको मनमाने ढंग से हटा दोगे। वह हमारा इलेक्टेड मेम्बर है उसको आपने बंधक मजदूर बना दिया। यदि आपकी कृपा है तब तो रखो नहीं तो कह दिया कि कल से मत आना।

श्री राजेन्द्र पारीक : डिजायर पर लगेंगे और डिजायर पर हटेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, यह होगा। यह आपके लिये बहुत बड़ा संकट वाला होगा। अब समझ गये आप। यदि यह हुआ कि डिजायर पर हटेगा, आपके यह जो डिजायर की बीमारी लग रही है और डिजायर पर काम नहीं होते...

श्री राजेन्द्र पारीक : अब तो कानून बन गया। मैं आपके शासनकाल का नमूना बताऊं। सीकर नगर परिषद में को-आप्टेड मेम्बर आपकी तरफ से, आपके प्रभाव से एक पाड़ा काटने वाले को बनाया जबकि कानून में यह प्रोविजन था कि को-आप्शन में नगर परिषद और नगरपालिका के कानूनों का ज्ञाता हो, इसकी सारी व्यवस्था को समझने वाला हो। यह स्पष्ट कानून है

(श्री राजेन्द्र पारीक)

लेकिन बजाय यह करने के मेरे वहां एक को-आप्टेड मेम्बर बनाया पाड़ा काटने वाले को...(व्यवधान) यह सब आपकी ही व्यवस्था थी, आपकी ही देन थी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अगर कोई आदमी पाड़ा काटने का व्यवसाय करता है और आपसे ज्यादा होशियार है... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : हमारी मजबूरी यह थी कि हम उसे हटा भी नहीं पाए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्यों हटाओगे ?

श्री राजेन्द्र पारीक : अब कानून में बन गया कि यदि गलती से आपके माध्यम से कोई पाड़ा काटने वाला अंदर घुस गया तो डिजायर से उसको हटवा देंगे। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : समाज में जो मेहनत करके अपना गुजारा करता है, जो चाहे गरीब होगा, आप उनको अपमानित क्यों करना चाहते हो ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : नगरपालिका, नगर परिषद के कानून का ज्ञाता हो, वहां बैठकर उसकी कोई उपयोगिता हो...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उसी को लगाइये।

श्री राजेन्द्र पारीक : यदि चुनाव जीतकर आता है वह तो इलेक्टेड मेम्बर हुआ लेकिन वह व्यवस्था का ज्ञाता हो। हमें उस ज्ञाता की जरूरत है वहां पर। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : देखिये, आपको तकलीफ इसलिए है क्योंकि वह एक विशेष समाज का था और आपको उससे तकलीफ थी।

श्री राजेन्द्र पारीक : खैर, मुझे आपसे यह उम्मीद थी कि साम्प्रदायिकता फैलाने में आप मास्टर हो। यह तो पहले ही मुझे उम्मीद थी कि आप मास्टर हो। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं नहीं कह रहा हूं यह बात...(व्यवधान) मान लीजिये उसका व्यवसाय यह है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप ऐसा शब्द यूज कर रहे हो कि पाड़ा काटने वाला... (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, मैं आपके भाषण में विघ्न नहीं डाल रहा हूं लेकिन आपका भाषण आपके कटौती प्रस्तावों के अनुकूल नहीं है। आप तो क्लाज बाई क्लाज चल रहे हैं आपके तो अमेण्डमेंट हैं क्लाज में भी। उस वक्त आप डिस्कशन करो, अभी तो जनरल प्रिंसीपल पर अपनी राय व्यक्त कीजिएगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : साहब, उस वक्त नहीं बोलूंगा फिर क्या है, हम तो

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कम से काम चला लेंगे। थोड़ा बहुत बोलकर चले जाएंगे।

श्री सभापति : तो वह आप पेश नहीं करोगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : करेंगे तो सही। कम बोल लेंगे। आप यहां पर पधार जाना, शिवनाथ सिंहजी बैठ जाएंगे। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आसन पर बैठकर हाथ जोड़ते हुए आप अच्छे नहीं लगते हो।

श्री सभापति : मैं तो आपके सामने भी जोड़ रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने हाथ जोड़े थे उन्होंने जवाब दिया था।

श्री सभापति : आपके सामने भी जोड़ रहा हूं, पूरे सदन के सामने, इस समय मैं विनम्र सेवक हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : महिलाओं का तो आदर करना चाहिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्या को सभापति महोदय डर के मारे हाथ जोड़ते रहते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह तो आपको विथड्रा करने का राइट दिया है, वह इसलिये भी संवैधानिक नहीं है कि एक बार किसी को आपने को-आप्ट भी कर दिया मान लो, तो वह जो सामान्य मेम्बर है और मान लो, मैं एग्री नहीं करता हूं लेकिन कर भी दें मान लो तो ही बिकम्स ए मेम्बर। म्युनिसिपैलिटी के जो और मेम्बर हैं उनकी और उसकी हैसियत में कोई फर्क नहीं है। तो आप अपनी इच्छा से उसको विथड्रा कर लो यह घोर अपमान होगा और प्रजातंत्र की इससे बड़ी मजाक हो नहीं सकती। पर आपने और आगे कर दिया, वह तो करोगे जो करोगे ही लेकिन आपके कानून आने के पहले यदि किसी नगरपालिका ने नगर निगम ने यह को-आप्शन कर भी लिया कानून के अंदर, तीन या दो लोग जो ले लिए, आपने कहा, जिस दिन यह कानून पास होगा उस दिन वह अपने आप खतम हो जाएंगे, वह मेम्बर नहीं रहेंगे। They have been duly eleceted under the constitution, and the provisions of the Act. उनको आप कह देंगे आप नहीं रहेंगे। नगरपालिका में जिनको चुनाव से भेजा गया, आप उनके अधिकारों को छीन रहे हैं उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। और जो चुने हुए आए हैं उनकी भी आप हालत खराब कर रहे हैं। इसमें वे ही लोग जाते हैं जो अनुभवी हैं, जिनकी समाज में प्रतिष्ठा है वह लोग तो को-आप्ट हो गए। अब आपने कहा कि यह कानून बनते ही, हमारा राज आते ही सबको फना कर देंगे, कोई बाकी नहीं बचेगा, यह क्या किया आपने ? इतनी तो तसल्ली रखो कि जिन लोगों का को-आप्ट हो गया वह तो कम से कम नहीं हटेंगे। आप उनको ही हटा रहे हो, फिर करोगे क्या वहां ? फिर आप वहां नोमिनेट

(श्री भंवरलाल शर्मा)

करोगे, कैसे लोगों को नोमिनेट करोगे, जिनको कान पकड़कर हटाया जा सके। तो इसका मखौल क्यों बना रहे हो आप। आप प्रजातंत्र की कैसी स्थिति करना चाहते हो ?

मैं आपको खुद कहता हूं कि चाहे सरकार किसी की भी हो, ऐसा हथियार किसी के भी हाथ में नहीं देना चाहिए। आप जाओ मत ...(व्यवधान) फिर आपने डिस्क्वालिफिकेशन रखी है। वैसे यह कानून में है कौन मेम्बर, कौन व्यक्ति चुना नहीं जा सके उसकी बहुत बड़ी परिभाषा है। इन्सोलवेंट है, पागल हो गया है या किसी बड़े मामले में सजा हो गई वह मेम्बर नहीं बन सकता, यह बात ठीक है।

अब आपने कुछ और धाराएं जोड़ी हैं जिसके आधार पर अब कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। वह क्या है, एनक्रोचमेंट। आपका सैक्शन है 203 नगरपालिका एक्ट का, जिसमें व्यवस्था है कि जो कोई व्यक्ति सरकारी जमीन पर कब्जा करता है, नाजायज कब्जा करता है और यदि उसको सजा हो जाती है तो वह चुनाव लड़ने योग्य नहीं होगा। मैं सहमत हूं इस बात से, ठीक है, नहीं होगा। सरकार की नीति है तो क्यों बनना चाहिए। लेकिन दूसरा उसके साथ और है इस सेक्शन में आब्स्ट्रक्शन। एक वर्ड एनक्रोचमेंट दूसरा है अवरोध यानी आब्स्ट्रक्शन। अभी माननीय राजेन्द्रजी कह रहे थे, हम रोज देखते हैं। आप शांतिलाल जी, शांति भाई आप मकान बना रहे हैं... (व्यवधान) शांति भाई कहा है बाई नहीं कहा।

श्री सभापति : ठीक कहा है, ठीक कहा है आपने।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मान लीजिये, वैसे तो आपके बहुत बड़े मकान बने हुए हैं कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कोई गरीब आदमी मकान बनाता है और मकान बनाने के लिए उसने पट्टियां मंगवा ली, ट्रक खाली हो रहा है। (व्यवधान) पट्टी डालेगा ही सड़क पर, वह अपने सर पर थोड़े ही डालेगा। यह अधिकार है उसको, यह मजबूरी है उसकी। उसको यदि उसी काम में...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आपने एक बिल प्रोड्यूस किया था वह तो तत्कालीन मुख्य मंत्री की बड़ी कृपा रही कि वह बिल नहीं आया। आपने उस बिल में यह व्यवस्था की थी कि जो व्यक्ति सड़क पर बजरी डालेगा अपना ट्रेक्टर लाकर, तो मालिक को तो पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे, उस ट्रेक्टर वाले को भी पकड़ेंगे कि आपने यह हिमाकत कैसे की कि यहां पर बजरी डाल दी। हमने तो ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं की हैं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं उसका विरोध कहां कर रहा हूं, कहां मैं उसका विरोध कर रहा हूं। (व्यवधान) आप पूरी बात सुनिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपने वह बिल कैसे प्रोड्यूस किया ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं। आब्स्ट्रक्शन के पक्ष में नहीं हूं मैं कि आप रास्ता रोक लो।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपको याद है ना, आपको याद है ना जो बिल आप पेश कर रहे थे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मुझे खूब याद है। आप क्या बोले थे वह भी याद है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : जो मकान वाले को पानी की सप्लाई करेगा उस पानी की सप्लाई करने वाले को भी अरेस्ट किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप यह तो रोको साहब। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह फौजदारी व्यवस्था आपने कर रखी थी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मुझे याद है, मैं मना कब कर रहा हूं। I own the responsibility.

श्री सभापति : बोलिये-बोलिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं मना कहां कर रहा हूं, आप पूरी बात तो सुनिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज, आप मेरे से बात करिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं कहता हूं उसको लाइसेंस मत दीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज, विघ्न पैदा ना करें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उस प्रकार के आब्स्ट्रक्शन करने वाले को रियायत मत दीजिए। मत दीजिए, मैं कब कहता हूं, दीजिए। उस पर जुर्माना कीजिए। वह तो कर दीजिए लेकिन छह साल चुनाव नहीं लड़ेगा ...(व्यवधान) आप सुनिये तो सही। आप उसको एक पेनल्टी दे दीजिए। उसके ऊपर 50 रुपये, 100 रुपये जुर्माना होगा जो हो जाएगा पर वह छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता, यह है। यानि एक ठेलेवाला खड़ा है आब्स्ट्रक्शन में, आजकल मोबाइल मजिस्ट्रेट घूम रहे हैं, जुर्माना कर दिया। 50 रुपये, 100 रुपये जुर्माना कर दिया, दे दिए। पर यह जो घड़े महिला बेचती हैं उस पर 2000 रुपये जुर्माना करते हो। करते हो, खैर आप अन्याय, करो आप, लेकिन उसके मान लो कोई व्यक्ति है छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। तो जो आप कह रहे हो उससे मैं एग्री करता हूं लेकिन यह अन्याय नहीं होगा कि आपने दंडित कर दिया, जुर्माना ले लिया और फिर छह साल तक वह चुनाव नहीं लड़े, do you agree with this? मैं उसका विरोध कर रहा हूं।

श्री हेमन्त कुमार : उसको रोकने के लिए भी तो कोई चाहिए। सम्पन्न आदमी चुनाव नहीं लड़ सकेगा। (व्यवधान) यह अच्छी चीज है जिससे सम्पन्न आदमी, प्रभावशाली अवरोध पैदा नहीं करेगा। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : गरीब आदमी मारा जाएगा। वह आदमी मारा जाएगा जो सड़क पर भैंस बांधता है। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया आपस में चर्चा नहीं करें, आपस में चर्चा नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि अतिक्रमण अलग चीज है और आब्स्ट्रक्शन अलग चीज है, दोनों में अंतर है। अतिक्रमण के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूं। अतिक्रमण करता है उसको दंड दीजिए, कुछ भी करिये। लेकिन जो आब्स्ट्रक्शन करता है, अगर मान लीजिये उसका गधा सड़क पर खड़ा हुआ है, वह गरीब आदमी कहां पर रखेगा। उस पर आपने जुर्माना कर दिया, दंडित हो गया। तो दंडित तो कर दो उसको पर वह...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय भंवरलालजी, आप चेहरा उधर करके अपने भाषण के बारे में सदस्यों को खुद इनवाइट कर रहे हैं। (व्यवधान) आप उधर से इंटरवेंशन को इनवाइट कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कोई डरता नहीं हूं, आई वेलकम। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप उनसे पूछ रहे हैं तो वह जरूर कुछ न कुछ प्रतिक्रिया करेंगे आपके बारे में।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं उधर देखता हूं तो इन्स्पायर्ड होता हूं साहब।

श्री सभापति : हाथों-हाथ प्रतिक्रिया होगी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं उधर देखता हूं तो इन्स्पायर्ड होता हूं।

श्री सभापति : आप आसन की तरफ देखिये, आसन आपके भाषण की प्रतिक्रिया नहीं करेगा। आप इधर देखिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति जी, चक्कर यह नहीं है। चक्कर यह है कि नेता, प्रतिपक्ष से तो अनबन चल रही है इसलिए उधर तो देख नहीं सकते, अब देखे तो फिर देखें किधर।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तो मैं यह निवेदन कर रहा हूं यह दोनों अन्तर बता रहा हूं आपको। एनक्रोचमैंट अलग है और आब्स्ट्रक्शन अलग है। एनक्रोचमेंट में कोई रियायत नहीं चाहिए पर छोटी-मोटी चीज, मान लीजिये कोई बेचारा घास की टोकरी रख रखी है, सिर पर रखकर लाया और घास का भार वहां रखा है। मजिस्ट्रेट साहब आ गये और चालान हो गया। He cannot contest election, for six years. मैं यह कहता हूं कि यह नहीं करना चाहिए। ठीक है यह तो ? अब आपने कर दिया... (व्यवधान)

श्री सभापति : अब आप उधर से पूछेंगे ठीक है तो यह तो यही कहेंगे कि बिलकुल ठीक नहीं है यह तो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अब आपने हां कह दिया, मुझे जरूरत ही नहीं है पूछने की।

श्री सभापति : आप इधर बोलिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अब आपने कह दिया, मुझे दिक्कत नहीं है। हां, यह भी है अगर कोई मेम्बर आलरेडी दूध का धन्धा करता है, भैंस बांध रखी है, चालान हो गया है, उसको आप मेम्बर से हटा दोगे तो आब्स्ट्रक्शन जो है उसका दण्ड तो हो जाए लेकिन चुनाव के लिए अयोग्य नहीं माना जाना चाहिए। फिर आपने यह अलग किया कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ अदालत में मुकदमा चल रहा है, चालान पेश हो गया और चालान पेश ऐसी धाराओं में हो गया कि यदि उसको दण्ड मिले तो पांच साल तक की सजा मिल सकती है। तो वह व्यक्ति सजा मिली नहीं है उसको केवल चालान पेश हुआ है, वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। और चालान का मतलब यह है कि पुलिस उसका जो अपराध है, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करती है और न्यायालय में पेश कर देते हैं। न्यायालय में जाने के बाद मजिस्ट्रेट साहब यह पूछते हैं कि आपने अपराध किया या नहीं किया। वह कहता है किया, जब तो दण्ड मिल जाता है उसको, लेकिन वह कहता है कि मैंने अपराध नहीं किया, जांच करके दिखाइये, मैं अपराधी नहीं हूं, मुझे मौका दीजिये, मैं अपराधी हूं या नहीं हूं, मैं इसको क्लियर करूंगा, अपना डिफेंस पेश करूंगा, यह है उसका मतलब चालान पेश, चार्ज लगाने का मतलब जो है। तब मजिस्ट्रेट चार्ज लगा देते हैं, अच्छा भई, करेंगे ट्रायल तुम्हारा, चार्ज लगा देते हैं। आपने यह प्रोविजन कर दिया कि यदि चार्ज लग गया, केवल चार्ज लग गया, फैसला नहीं हुआ यदि चार्ज भी लग गया तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते और बाद में भले ही वह बरी हो जाए, छूट जाए। तो आपने चुनाव से महरूम कर दिया।

श्री हेमन्त कुमार : पुलिस पेश करती है उससे नहीं है। अदालत फ्रेम करती है कि आपके ऊपर चार्ज लगाया जाता है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, वही करती है।

श्री हेमन्त कुमार : फिर तो वह सही है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या सही है ? आप समझ गये क्या बात को ?

श्री हेमन्त कुमार : अगर पुलिस ने चालान पेश कर दिया और चालान चीज अलग है और चार्ज फ्रेम करनां चीज अलग है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, आप एडवोकेट हो क्या ? अब फिर समझाता हूं आपको मैं।

श्री सभापति : कृपया, जारी रखें। आप जारी रखें। आप आपस में नहीं करें। मान्यवार, आपस में नहीं करें। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तो, सभापति महोदय, पुलिस में जो रिपोर्ट होती है, चाहे झूठी या सच्ची, पुलिस इन्वेस्टीगेट करती है। सबूत जुटाती है और फिर यह निर्णय करती है कि चालान होने काबिल है तो चालान पेश कर देती है। जब चालान कोर्ट के पास जाता है तो कोर्ट उस अभियुक्त को बुलाती है, कहती है कि पुलिस ने आपके खिलाफ यह चालान पेश किया है, यह सबूत पेश किया है, आपको क्या कहना है ? आपने अपराध किया है क्या ? वह कहता है अपराध से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, तो फिर प्रोसीक्यूशन से कहा जाता है कि अब आप सबूत पेश करो। तो वह जब यह जो सबूत मांगता है उसको कहते हैं चार्ज लगाना। चार्ज लगाना, मतलब ट्रायल शुरू ही वहां से होती है। फिर अपना पक्ष रखते हैं, दोनों पक्ष। उसको कहते हैं चार्ज लगाना। वह चार्ज भी अगर लग गया तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते यह पाबंदी आप लगा रहे हो। अब यह जो आई.पी.सी. है और धाराओं को छोड़ो और अपराधों को, पर जो आई.पी.सी. का कानून है उसमें पांच साल की यदि सजा है, पांच साल की सजा के जो प्रोविजन्स हैं, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। आप तो रामनाराणजी साहब, खुद वकील रहे हैं। (व्यवधान) इतनी आई क्यू है। इतनी आई क्यू है। धारा 325 है। अब धारा 325 यह है ग्रीवियस हर्ट। मारपीट में किसी के ग्रीवियस हर्ट लग जाए, 326 नहीं, 325 है। अब उसमें क्या है आपकी लड़ाई हो रही है और यह अंगुली जरा सी टूट गई आपकी, नहीं 325 Let me finish first. तो 325 हो गई। अब 325 में कोई लड़ाई, अब यहां जैसे अभी परसों के दिन सीन देखा था न आपने, यही हो रहा था हाउस में। जरा सा हो जाए, कोई थोड़ी-सी अंगुली टूट जाए तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर तय हो जाए आप अपराधी हैं, सजा हो जाए तब तो बात है लेकिन केवल इतनी सी बात में, सामान्य लड़ाई हो रही है, 323 में साल भर सजा है, 325 में सात साल की सजा है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : साल साल है ? (व्यवधान)

श्री सभापति : बोलने दीजिए। प्लीज, कृपा करके माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : फिर एक धारा और है। इसके आगे धारा 333 है। 333 क्या है कि जब किसी सरकारी अधिकारी के काम में बाधा डालते हैं, उसकी भी कोई अंगुली टूट जाए तो उसको उसमें भी दस साल की सजा है। अब आप तो यह देखिये कि आंदोलन होते हैं। आंदोलन में पुलिस सामने आती है। प्रजातंत्र में जो राजनीतिक लोग आंदोलन करते रहते हैं उसमें लाठीचार्ज भी होता है। अब उस लाठीचार्ज में हमारी टांग टूट जाए तो कुछ नहीं लेकिन अगर मान लीजिये उस भीड़भाड़ में अगर अफसर की कोई अंगुली पर जरा सी चोट आ गयी तो दस साल की सजा का प्रोविजन है और वह चालान पेश हो गया तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। सॉरी, चार्ज फ्रेम हो गया तो आप चुनाव

(श्री भंवरलाल शर्मा)

नहीं लड़ सकते। फिर चाहे आप बरी हो जाएं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : चार्ज फ्रेम हो ही सकता है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : चार्ज फ्रेम तो होता ही है। आज तक कभी हुआ ही नहीं कि चार्ज फ्रेम नहीं हुआ हो। (व्यवधान) चार्ज फ्रेम होता रहता है। (व्यवधान) वह एक प्रोसेस है।

श्री सभापति : देश की हवा ऐसी बन रही है, माननीय सदस्य, पार्लियामेंट और असेम्बली में चार्ज-शीटेड आदमियों को खड़ा नहीं होने देने के लिए तैयारी हो रही है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हो जाए। नहीं, फिर यह कहीं नहीं आएंगे फिर तो। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : चार्ज फ्रेम करने का है। चार्ज शीट के बाद...(व्यवधान) चालान पेश होता है वह होता है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : चार्जशीट तो पहला काम है साहब। वह तो शुरूआत ही, ट्रायल वहां से होती है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपने चुनाव आयुक्त का वक्तव्य नहीं पढ़ा ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : फिर दूसरा है 429। 429 में यह है कि यदि किसी जानवर को...(व्यवधान) यदि किसी जानवर की टांग तोड़ दी तो...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आपको सजा हो ही जानी चाहिए। आपने तोड़ी है टांग। अब आपका नम्बर आ रहा है इसलिए आपको चिन्ता हो रही है, बार-बार यह...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह धारा ठीक है। यह आज पता लगा कि इस काम के अपराधी, क्योंकि जानवर की टांग है इसमें। आज पता लगा है कि हमने अपराध यह किया है। (व्यवधान) अब तक यह सोचा कि आपकी टांग टूटी है। तो, माननीय सभापति महोदय, यह जो धारा है, इसमें मान लीजिए खेत में किसी के बकरी घुस गई और बड़ा दुःखी है, उसको घुसने नहीं देना कभी-कभी और उसने एक मार दी और टांग टूट गई उसकी तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। और जानवर की कीमत अगर वैल्यू पचास रुपया है, पचास से कम है जब तो बच जाएगा लेकिन जानवर की वैल्यू पचास रुपये ही है, पचास से ज्यादा है या पचास रुपये है तो वह इस धारा में आ जाएगा तो फिर वह उसका चुनाव नहीं लड़ सकता। यह कानून बना रहे हैं आप। (व्यवधान)

फिर दूसरा कानून है, 435 है। 435 है, अब 435 में क्या है कि किसी के खेती की चीज है, घास ही है कोई और आपने उसमें आग लगा दी तो सात साल की सजा है और उस घास की कीमत दस रुपये से

(श्री भंवरलाल शर्मा)

ज्यादा होनी चाहिए। अगर वह कीमत दस रुपया है तो अपराध हो गया। दो रुपये की हों तो जला दो भले ही। दस रुपये से ज़्यादा होगी या दस रुपया होगी तो आपको सात साल की सजा है और चुनाव से महरूम हो जाओगे आप। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : कीमत का मूल्यांकन कौन करेगा ? (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह तो कानून करेगा। वह अलग बात है। तो उसको उसमें भी सात साल की सजा है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते केवल चार्ज लग जाए तब। फिर अगला सैक्शन है 452 ...(व्यवधान)

श्री सभापति : साफ-सुथरे लोग आएं, मंत्रीजी की इच्छा यह है कि साफ-सुथरे लोग आएं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहावे-धोवे, गंगाजी जाकर आए न। साफ-सुथरों के लिए कौन मना करता है। साफ-सुथरे का मतलब क्या है ? फिर 452 है। अब 452 क्या है ? आप बाहर लड़ रहे हो तब तो 451 है और लड़ते-लड़ते थोड़ा सा अन्दर घुस गये, और लड़ते-लड़ते देहली के अन्दर और बाहर का ही झगड़ा है खाली ...(व्यवधान) हां, यह बात ठीक है तो हम जेल जाने को तैयार हैं पर चुनाव तो लड़ने दो। मगर नहीं घुसना चाहिए, पर रामसिंहजी साहब, आपके कई किस्से हैं इसमें ऐसे... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : एकाध सुना दो। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं-नहीं, गरिमा के खिलाफ है यह। मेरा यह निवेदन है कि 451-452 में इतना ही फर्क है...

श्री रामसिंह विश्नोई : सभापति महोदय, आप कभी तो टांग तुड़ा लेते हो, कभी बकरी तुड़ा देते हो, यह क्या करते हो इस तरह से। इन्होंने ठीक-ठाक मामला बनाया है, आप कांहे को पैरवी करते हो। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जैसा-जैसा आता है सब करते रहते हैं। तो 452 में इतना ही अन्तर है कि अगर आप बाहर लड़ रहे हैं तो 451 है और अंदर घुस गये, अंदर चले गये तो 452 हो गया। 452 यदि हो गया तो 452 कोई अपराधी नहीं करता है। रास्ते, मोहल्ले में झगड़ा हो जाता है वह कभी लड़ते-लड़ते अन्दर चला जाए तो उसमें सात साल की सजा है। आप चुनाव नहीं लड़ सकते।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपको नगर-पालिका, नगर परिषद का चुनाव लड़ना है क्या ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : मैं बहुत आदर से पूछ रहा हूं आपसे, आपकी उम्र 72 साल की हो गयी एक बार भी आपके खिलाफ 452 लगा क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं लगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्यों नहीं लगा ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं लगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्यों नहीं लगा ? इसलिए नहीं लगा कि अंदर घुसने की प्रवृत्ति नहीं और जिसकी प्रवृत्ति है उसके खिलाफ लगेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप तो बचो। आप तो बचो मैं आपके लिए बोल रहा हूं। अब दूसरा सैक्शन है 489-सी जिसमें आजकल यह बड़ा चल रहा है। यदि आपके पास फोर्ज्ड नोट है, जो नोट चल रहे हैं न आजकल अगर आपकी जेब में फर्जी नोट मिल गये तो सात साल की सजा है आपको। यह अब फर्जी नोट कोई जान-बूझकर थोड़ी रखता है। बाजार में जब चलते हैं...

डा. चन्द्रभान : फर्जी नहीं, नकली। नकली।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह नोट चलता है। आप पैसे तो रखते हैं खूब। फोर्ज्ड मत रखा करो। तो फोर्ज्ड नोट किसी की जेब में पाया गया तो सात साल की सजा है और चुनाव नहीं लड़ सकता चाहे वह इन्नोसेंट ही हो।

श्री सभापति : आप तो आशंकाओं से घिर गये। प्लीज कन्क्लूड।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : खैर, आगे मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता समझने के लिए इतना पर्याप्त है। तो यह जो धाराएं आपने लगा दीं और इसके कारण आप चुनाव नहीं लड़ सकते। मैं समझता हूं यह ठीक नहीं होगा और यह प्रजातंत्र का गला घोंटने वाला काम हो जाएगा। जो आदमी अपराधी वृत्ति के नहीं हैं लेकिन कभी-कभी आवेश में आकर कोई काम ऐसा कर देते हैं जैसे मैं अभी फिर रिपीट करूंगा अभी परसों हो रहा था, आप कर रहे थे न अभी परसों।

श्री रामस्वरूप : आप नहीं कर रहे थे ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : दोनों मिलकर ही कर रहे थे। मेरा निवेदन यह है सभापति महोदय, यह जो प्रोविजन है इसमें नहीं रखना चाहिए। (व्यवधान) सजा हो जाएगी, उसमें जब होगी तब। आप तो बचाओ उसको कम से कम। अब आपने दूसरा रखा है। Who has been convicted of an offence under prevention of Food Adulteration Act. पी.एफ. एक्ट का जो प्रोविजन है, पी.एफ एक्ट है Prevention of Food Adulteration Act. मेरा यह निवेदन है इसमें, यह जो एक्ट है इसमें छोटा अपराध भी है, बड़ा अपराध भी है। कई ऐसे समाज विरोधी तत्व हैं जो गाय की चर्बी और भैंस की चर्बी से घी बनाते हैं। उनको तो बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें प्रोविजन है कि जो छोटा दुकानकार है उसको लाइसेंस बनाना पड़ता है। तीन

(श्री भंवरलाल शर्मा)

प्रकार के लाइसेंस देते हैं इसमें। जो इनकम टैक्स देता है और खाद्य सामग्री देता है उसका लाइसेंस नम्बर वन है और जो इनकम टैक्स नहीं देता है और व्यापार करता है वह नम्बर टू पर है। और जो घर-घर जाकर दूध बेचता है वह नम्बर थ्री पर आता है। और इनकी सालाना फीस इनकम टैक्स देता है उसकी 12 रुपये है और जो इनकम टैक्स नहीं देता उसके लिए 6 रुपये है और जो डोर-टू-डोर है उसके लिए एक रुपया है साल भर का।

अब मान लो साल भर का उसने एक रुपया जमा नहीं कराया जैसे अक्सर अपने जीवन में भी होता है कभी मोटर का लाइसेंस रिन्यू नहीं कराते इन्श्योरेन्स रह जाता है बिल जमा नहीं कराते। यदि वह गरीब किसी वजह से एक रुपया जमा नहीं करा सका, पैसा नहीं बचाएगा वह; पैसे बचाने की उसे जरूरत नहीं होती कि उसने क्या बचाया साल भर में, लेकिन वह किसी भूल से रह गया, याद नहीं रहा उसको। कम पढ़ा-लिखा है तो उसको भी आप चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य साबित कर देंगे। तो जो अपराधी है, बड़े अपराधी हैं, समाज के विद्रोही हैं उनको तो आप छोड़ देते हो वह मर्जी आये सो करे। पर यह इतनी छोटी सी बात है यह जो दूध बेचने मकान-मकान जाता है यदि लाइसेंस नहीं लिया उसने तो वह चुनाव लड़ने के काबिल ही नहीं रहेगा। गरीब की जो चुनाव लड़ने की बात करते हो, उसे रोक रहे हो उल्टा आप।

फिर यह है कि, अगर कोई नगरपालिका में किसी व्यक्ति के परिवार का मेम्बर नगरपालिका में ठेका करवाये, कुछ काम कर रहा है तो आपने जोड़ दिया कि मेम्बर आफ द फैमिली। अगर उसकी फैमिली बहुत बड़ी है, उनके कोई एक आदमी नगरपालिका में कोई काम कर रहा है, ठेका ले रहा है, कुछ भी काम कर रहा है आपने उसको महरूम कर दिया, क्योंकि आपका पोता नगर निगम में काम करता है इसलिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। फैमिली में वह पाबन्दी लगा दी पर यह पाबन्दी लगाइये कि वह यदि आप पर निर्भर करता है। आप पालन-पोषण कर रहे हो उसका तो ठीक है, आप जरूर उसको रोक दीजिए। लेकिन जो एडल्ट है, खुद मेहनत कर रहा है, अपना काम कर रहा है तो उसको आपने सारी फैमिली में जोड़ दिय। अब मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं कि मान लीजिये कई बार कई बच्चियों की शादी नहीं होती। अगर किसी बच्ची की शादी नहीं हुई...

श्री सुरेन्द्र व्यास : फैमिली प्लानिंग.... (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उसमें नहीं है। खैर, वह करवा देंगे। मान लीजिये किसी...(व्यवधान) वह कर देंगे। आप इसे क्लियर कर दो न। अविवाहित बच्चियां हैं ना... Mr. Vyas, bear with me. कई बार ऐसा होता है कि बच्ची की शादी नहीं होती कई रीजन्स से। (व्यवधान) एक सैकण्ड ठहरो आप। मान लो, फिर भी नहीं होती

(श्री भंवरलाल शर्मा)

है, अब उसकी शादी अगर नहीं होती है और वह बड़ी होने के बाद कोई धंधा करना चाहती है तो She will be a member of the family. या तो वह धंधा छोड़ेगी या वह आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। तो दोनों को दण्डित क्यों करते हो ? अगर मान लो, उसकी शादी नहीं हुई, वह मेहनत करके अपना जीवन बिता रही है किसी ढंग से तो आप उसको चुनाव लड़ने से महरूम कर देंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अरूण सिंहजी प्रकाश डाल देंगे इस पर कि किसको माना जाए और किसको नहीं माना जाए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अभी तक प्रजातंत्र में हर आदमी को चुनाव लड़ने की स्वतन्त्रता रहती थी। जो सरकारी कर्मचारी हैं, मैं बहुत श्योर तो नहीं हूं लेकिन सरकारी कर्मचारी चुनाव लड़ने की परमिशन ले सकता है और यदि वह चुनाव में हार जाए या उसकी इच्छा हो जाए तो वापस आ सकता है। चुनाव लड़ने की अनुमति उसको पहले थी आर.एस.आर. में अब पता नहीं है कि नहीं है। पहले थी यह।

एक माननीय सदस्य : नहीं-नहीं है न।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपकी नहीं मानूंगा। वह कह रहे हैं, है ना ? नहीं होगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : विश्वविद्यालयों में है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, अब वह होगा, एक जैसा समझो। अब आपने क्या किया ? यह चुनाव लड़ने का अधिकार बहुत लोगों को था उसको संकुचित कर रहे हो आप। विश्वविद्यालय का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। किसी कों-ओपरेटिव सोसायटी में, हमारे खेतसिंहजी का काम करता है तो वह नहीं लड़ सकता। मेरा यह निवेदन है कि यदि आप रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो यह कर दीजिए कि जो सैलेरीड है, होल टाइमर है, उसको तो करो। अब अगर वह पार्ट टाइम भी जाता है, जैसे कोई एडवोकेट है वह कई बार जाकर के विश्वविद्यालय में ला क्लास ले लेते हैं, एक क्लास पढ़ाकर आ जाते हैं अब आप उनको पाबन्द कर रहे हो कि आप भी चुनाव नहीं लड़ सकते। चुनाव लड़ने पर पाबन्दी मत लगाइये। चुनाव लड़ने के रास्ते तो खोलिए। इस देश का प्रत्येक नागरिक चुनाव लड़ सके उसकी तो अनुमति दें आप। Why do you restrict it.? हमारे एडवोकेट भी जाते हैं ला कालेज में एक क्लास लेकर आ जाते हैं। आप उनको चुनाव लड़ने से रोक दोगे। मैं समझता हूं यह आप प्रजातंत्र का गला घोंट रहे हैं। यह ठीक नहीं होगा।

फिर आपने एक बहुत जोरदार कानून बना दिया कि कोई भी एडवोकेट चुनाव नहीं लड़ सकता अगर वह नगरपालिका के खिलाफ वकील है किसी केस में। वकील उनके खिलाफ लड़ते हैं। अगर वह किसी

(श्री भंवरलाल शर्मा)

मुकद्मे में नगरपालिका के खिलाफ है तो उस नगरपालिका का चुनाव नहीं लड़ सकता। (व्यवधान) एक सैकण्ड साहब। आपकी सलाह बिलकुल मान लूंगा, पर आपने चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगायी है। नोमिनेशन फाइल करने पर रोक लगा दी आपने। वह नोमिनेशन फाइल नहीं कर सकता।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह अपना वकालतनामा विद्ड्रा करके अपना नोमिनेशन फाइल कर दें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आ रहा हूं उसी बात पर। यदि आप समझते हैं तो मान लीजिये, नहीं तो मत मानिये। अब आप स्थिति देखिये। एक एडवोकेट चुनाव लड़ना चाहता है। मान लो खेत सिंहजी के मन में आ जाय, चुनाव लड़ूंगा और एडवोकेट हैं नगरपालिका के खिलाफ। तो नोमिनेशन फाइल जिस दिन करेगा उस दिन नगरपालिका के खिलाफ वकील नहीं होना चाहिए। जैसा आप कहते हो उसे अपने आपको विद्ड्रा करना चाहिए। चुनाव में मैंने फार्म भर दिया। मेरा फार्म रिजैक्ट हो गया, तो उधर से भी गया इधर से भी गया।

डा. चन्द्रभान : काहे का वकील है जब फार्म ही उसका कैंसिल हो गया तो ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सैकण्ड सुनिये। फार्म भर दिया, उसका फार्म रिजैक्ट हो गया तो अब चुनाव से भी गया। (व्यवधान) सुनो, यह एक पोजिशन है। चुनाव लड़ने के लिए वो गया, फार्म एक्सैप्ट हो गया और पार्टी ने कहा विद्ड्रा करो, भाई, आपको नहीं लड़ना है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : फिर तो वो वकील नहीं होगा मुंशी होगा फिर।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : फिर मान लो पार्टी ने कहा विद्ड्रा कर लो। वह तो मुंशी होगा पर वकील है और पार्टी ने कहा, भाई, आपको नहीं लड़ना है, विद्ड्रा कर लो। कई बार हुआ है यह तो। विद्ड्रा कर लिया उसने। अब विद्ड्रा कर लिया तो उधर से भी गया इधर से भी गया। इसके अलावा, अब चुनाव लड़ा और चुनाव हार गया, तो भी गया। तो यह ऐसा कानून क्यों बनाते हो ? है न गलत ? (व्यवधान) मेरा निवेदन है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक्सपर्ट ओपीनियन की आवश्यकता ही नहीं है, रामस्वरूपजी ने कहा है।

डा. किरोड़ी लाल : साहब, रामस्वरूपजी कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रामस्वरूपजी जैसा ज्ञानी व्यक्ति कह दे...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप लोग तो फिर चुनाव लड़ ही नहीं सकते। अगर यह शर्तें हो गयीं तो। एक नहीं लड़ सकता, 33 गये यह तो, यह तो हो गये साफ। इनमें तो एक भी नहीं है लड़ने वाला।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

चेयरमैन को ? तो यह जो शब्द आप हटा रहे हो, क्यों हटा रहे हो ? विधान सभा के लिए नहीं है, होता तो अभी बाहर चले जाते आप, क्या बात करते हो। यहां बैठते क्या ? तो यह जो फ्लेगरेंटली है, इसको रहने दीजिये, इसको शब्द रिपिटेडली कर दीजिये कि कोई लगातार अपराध करता है तो उसको मैम्बर मत रखिये लेकिन एक बार कोई छोटी-मोटी बात हो भी गयी, आवेश में भी हो गयी तो आप उसको निकाल दोगे। तो यह अन्याय होगा उसके साथ।

फिर आप एक और प्रोविजन ला रहे हैं। इसकी जो जांच होती है, किसी मैम्बर के खिलाफ किसी भी प्रकार की शिकायत होती है तो उसको हटाने की कार्यवाही शुरू होती है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : फ्लेगरेंटली का जो आपने कहा न, इसका हिन्दी अर्थ क्या है ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : घोर।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : घोर अपराध करने के बाद भी उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं इसलिए कह रहा हूं वह मत करो, रिपिटेडली कर दो उसको आप। बारबार करे तो कर दीजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसका मतलब पहला, दूसरा तो अलाउड है करना ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, अलाउड है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह क्या बात हुई ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : है अलाउड तो। यहां क्यों करते हो ? (व्यवधान) क्या बात हुई, ऐसे भी फ्लेगरेंटली का भी मतलब तो यही है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी तो बहुत लम्बा है, और बोलेंगे आप ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बस, लास्ट है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ही इन्तजार कर रहा था, आप पधार गये।

श्री उपाध्यक्ष : हां, हाजिर हो गया, अब आप विराज जाओ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अब आप जांच में क्या करोगे ? अभी तक जांच में क्या होता है कि जुडिशल आफिसर इसकी जांच करता है, डी.जे. ए.डी.जे. रैंक का आदमी जांच करता था। किस की, जिस मैम्बर को हटाना चाहते हो उसकी जांच उससे करवाते थे। ठीक था वह। अब आप पता नहीं क्यों लाये हैं, अब आपने लिख दिया कि जो जांच करने वाला अधिकारी होगा, जरूरी नहीं है कि वह डी.जे. हो, न्यायाधीश हो यह जरूरी नहीं है। हम जांच करायेंगे, किससे करायेंगे ?

(श्री भंवरलाल शर्मा)

"In proviso to clause (d), for the expression such officer the expression "Such existing or retired officer not below the rank of State Level Services." अब आप क्या करेंगे, जांच होगी एक अच्छे चेयरमैन की जो बड़ी हैसियत रखता है। अब जांच किससे करायेंगे, कोई रिटायर्ड आर.ए.एस. को लायेंगे आप। तो जांच करने वाले अफसरों की यहां कमी हो गयी क्या, अपने पास कमी है क्या जांच करने वाले अफसरों की ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवायेंगे, जुडिशन इंक्वायरी तो अपनी जगह कायम है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, पढ़िये उसको, प्रिलिमिनरी नहीं होती इंक्वायरी। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी, आप रिटायर्ड अफसर को क्यों लाना चाहते हो ? अब आप जब सरकार में हो...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आज एस.डी.ओ. से करवाते हैं जांच। आपने हजारों जांचे करवायी हैं एस.डी.ओ. से।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं वह इन्कार नहीं करता।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एस.डी.ओ. से करवायी है, ए.सी.एम. से ए.डी.एम. से करवायी है। प्रोब्लम क्या है ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एज इट इज रहने दीजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक सैकण्ड, मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूं यह क्यों किया गया है। यह इसलिए किया गया है कि आज जैसे मिसाल के तौर पर चूरू से शिकायत आयी और चूरू से शिकायत आयी और कलेक्टर, चूरू को लिख दिया कि जांच करवाइये। कलेक्टर चूरू ने ए.डी.एम. को या एस.डी.ओ. को लिख दिया। उनके पास वक्त नहीं है बिलकुल। एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स के पास बिलकुल वक्त नहीं है। इसलिए यह प्रावधान रखा है कि रिटायर्ड आदमी ही उसकी जांच करे क्यों कि यह प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी है, फाइनल इन्क्वायरी नहीं है। जुडिशियल इन्क्वायरी अपनी जगह मौजूद है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरा मतलब है कि रिटायर्ड आफिसर, आर.ए.एस. आफिसर को आप लाकर, एक सम्मानजनक पोस्ट है उसकी। हो सकता है कि जांच से बरी भी हो जाए। तो जो हायर रैंक का हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि है, उसकी आर.ए.एस. जांच करे और वह भी रिटायर्ड करे। बी.डी.ओ. से करवा दो जो रिटायर हो गया हो। तो यह अपमानजनक है, यह ठीक नहीं है। इसलिए जांच हो तो एक अच्छे अधिकारी से हो। उस अधिकारी की चोटी कहां पकड़ में आयेगी। आपके कन्ट्रोल में तो है नहीं। वह ठीक तरह से करे तो करे, आप तो उसका कुछ

(श्री संयम लोढ़ा)

है, वह पूरे राजस्थान के लोगों को भी ध्यान है और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को भी ध्यान है। इसके लिए सबसे पहले यह जरूरी था कि दल बदल कानून के दायरे में नगरपालिका के सारे सदस्यों को लाया जाना चाहिये जिससे यह जो हार्स ट्रेडिंग होती है और सारी नगरपालिकाओं की व्यवस्था इस करप्शन की वजह से तबाह हो चुकी है उसको रोकने की एक कोशिश शायद की जा सकती थी। इसके अलावा नगरपालिका के जो अध्यक्ष का चुनाव है, चाहे कांग्रेस पार्टी के जीते हुए लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए लोग हों, हर राजनीतिक दल को भेड़ बकरियों की तरह एक जगहं बाड़े में बन्द करना पड़ता है और दूसरी पार्टी पूरी कोशिश करती है कि कैसे खरीद फरोख्त करें या किस तरह से अपने वोट बनायें, और दोनों ही राजनीतिक दल इसमें कोई कमी नहीं रखते।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पड़ौसी राज्य से भी हमने कोई सबक नहीं लिया। मध्य प्रदेश में वहां के मुख्य मंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने यह व्यवस्था की है कि नगरपालिका के अध्यक्ष का चुनाव सीधी पद्धति से किया जाए। राजस्थान सरकार को इस तरीके की व्यवस्था करनी चाहिए थी कि आने वाले वक्त में नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगमों के चुनाव सीधी पद्धति से हों जिससे जो यह खरीद फरोख्त होती है उससे बचा जा सके और जनता को उसका वास्तविक नेतृत्व प्राप्त हो सके। इसके अलावा जो यह इस अधिनियम में संशोधन विधेयक में मनोनयन का प्रावधान किया है, जिसमें माननीय मंत्री महोदय ने यह प्रस्ताव किया है कि या तो बोर्ड की क्षमता का 10 फीसदी या 3 जो भी कम हो, वह किया जाए। यह प्रावधान अच्छा है। इस प्रावधान का मैं स्वागत करता हूं।

लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर 10 की बजाय अगर 15 प्रतिशत का प्रावधान मंत्री महोदय रखते तो ज्यादा सार्थक होता क्यों कि राजस्थान में कई नगरपालिकाएं ऐसी हैं जहां पर मात्र 13 सीटें हैं, कहीं पर 15 हैं और कहीं 17 हैं। तो 15 फीसदी या तीन, जो भी न्यूनतम हो वह प्रावधान अगर आप कर सकें तो यह व्यापक जनहित में होगा। और इसमें अगर आप यह प्रावधान भी करें, जैसा कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी की भावना है, उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने की लगातार चेष्टा की है। इनमें एक महिला का मनोनयन आपके द्वारा किया जाए तो वह ज्यादा जनहित में होगा, ज्यादा सार्थक होगा। और यह जो अधिकार आपने लिया है, यह इस रूप में भी बेहतर है कि पहले नगरपालिकाओं के द्वारा जो दो सदस्य मनोनीत किये जाते थे उसमें चेयरमैन के अपने स्थानीय दबाव होते थे। उन दबावों से निपटने के लिए वहां स्थानीय लोगों को अपने स्तर पर संतुष्ट करने के लिए वह उस प्रेशर में मनोनयन किया जाता था। लेकिन अब आपने यह व्यवस्था अपने हाथ में ली है और आपने इसमें आधार भी रखे हैं कि पूर्व

(श्री संयम लोढ़ा)

पार्षद हो या नगरपालिका का सेवानिवृत अधिकारी हो या नगरपालिका की कार्यशैली से या नगरपालिका के कामकाज से निकटता से जुड़ा हुआ हो। तो मैं समझता हूं कि इसमें उन सही पात्रों का मनोनयन आपके द्वारा हो सकेगा जिसका कि पहले नहीं हो पाता था।

एक आपने जो प्रावधान किया कि पांच वर्ष से अधिक सजा जिस मामले में हो और जिसका चालान फ्रेम हो गया हो, चार्ज फ्रेम हो गया अदालत में, वह चुनाव नहीं लड़ सकता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई दूसरा उदाहरण आपको नहीं देना चाहता। मैं मेरा खुद का उदाहरण देता हूं। 1985 में मैं कालेज स्टूडेन्ट था तो शिवगंज में जो मेरा होम टाउन है, एक लड़की की जलने से मौत हो गयी। हमने उसका आन्दोलन किया 15 दिन तक। लड़की के हसबैण्ड को गिरफ्तार करवाया। उस दौरान आन्दोलन भी हुआ। बहुत व्यापक आन्दोलन था और संयोग से मैं ही उसको लीड कर रहा था। उसमें कलेक्टर की गाड़ी पर पथराव हो गया और कलेक्टर की गाड़ी टूट गयी। कलेक्टर और अधिकारियों के बीच में तय होने पर आन्दोलन समाप्त होने पर यह तय किया गया कि कोई मुकदमा नहीं किया जाएगा। लेकिन उस वक्त जो एम.एल.ए. थे उन्होंने सोचा कि यह लड़का कल मेरे सामने आ जाएगा, तो उन्होंने असत्य मुकदमा बना दिया और मुझे ही उसमें फंसा दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने चार्ज को हाई कोर्ट में चेलेंज किया। छः साल हाई कोर्ट में मुकदमा पड़ा रहा और एक दिन जब मेरे वकील साहब गैर हाजिर थे, मेरी पिटीशन उड़ गयी और मुकदमा वापस कोर्ट में आ गया। हमारी पूरी ट्राइल 13 साल तक हुई और 1998 में उस मुकदमें से बरी हुआ। आज कोई भी विधायक यह नहीं सोचेगा इस बारे में क्यों कि इनको तो नगरपालिका का चुनाव किसी को लड़ना नहीं। ये इस स्तर पर आ गये हैं कि हम विधायक हैं, जाहिर है, नगरपालिका का चुनाव तो नहीं लड़ेगे। लेकिन निचले स्तर पर मेरे जैसे कार्यकर्ता जो किसी मुद्दे को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और राजनीतिक स्तर पर झूंठा फंसा दिया गया हो आपके इस प्रावधान से वे उस मौके से वंचित हो सकते हैं। अगर आप इसको पारित करते हैं तो यह बहुत अन्यायपूर्ण कदम होगा।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो काफी विस्तार से सुझाव मेरे पूर्व वक्ताओं ने दिये हैं लेकिन मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रावधान आपने प्रस्तावित किया है कि अगर कोई वकील नगरपालिका के खिलाफ कोई मुकदमा लड़ रहा है तो वह नगरपालिका के वार्ड मैम्बर का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। मैं दावे से कह सकता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, यह प्रस्ताव आपके दिमाग की उपज तो हरगिज नहीं है। क्यों कि ऐसा प्रस्ताव आपके द्वारा प्रस्तुत किया जाए यह मैं मान ही नहीं सकता। यह निश्चित रूप से आपके नौकरशाहों के दिमाग की उपज है जो इसकी व्यावहारिकता को नहीं समझ रहे हैं। कल आने वाले वक्त में इसकी

(श्री संयम लोढ़ा)

कितनी प्रतिक्रिया होगी, आपको इसका अन्दाज नहीं है। लॉ ग्रेजुएट मैं भी हूं और वकील मैं भी हूं। और वकीलों की जमात की तरफ से मैं आपको आज आगाह करना चाहता हूं कि इस प्रावधान का बहुत भारी विरोध होगा और शासन के हक में यह बिलकुल नहीं होगा कि आप इसको पारित करें।

मेरे यह कुछ सुझाव थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन पर विचार करके जो भी हो, संशोधन करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : आन ए पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। माननीय विद्युत मंत्रीजी से मैं अभी बात कर रहा था तो उन्होंने बड़ी खुशी की बात बताई है। पंजाब ने हमको बिजली देना स्वीकार कर लिया है और अब किसानों को आठ घंटा बिजली इससे मिल सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष जी, मेरा प्रस्ताव यह है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए। और इसके पीछे मेरी मंशा यह है कि हम जब कानून बनाएं तो सब तरह से सोच विचार कर आज तक जो हमारे सामने चीजें हैं उन सबकी व्याख्या करें, मंथन करें और एक अच्छे रूप में वह हमारे सामने आए। मेरे प्रस्ताव का समर्थन इन्डायरेक्ट रूप में माननीय मंत्रीजी भी करेंगे। आज ही नगरपालिकाओं से सम्बन्धित तीन विधेयक, अमेंडमेंट बिल्स हमारे सामने हैं। यदि एक को भी हम प्रवर समिति को सुपुर्द करते और सब प्रावधान जो हमारे सामने आ रहे हैं इनको कन्सोलिडेट करके अच्छे रूप में हम अमेंड़मेंट पेश करते, सुन्दर होता। आज भी समय है और इस बिल को आप प्रवर समिति के सुपुर्द कर दीजिए। करने के बाद जितनी भी समस्याएं हमारे सामने आज हैं उन सब पर मन्थन हो सकता है और एक अच्छा आफिसर साथ बैठकर, मंत्रीजी भी साथ बैठें। आज उपाध्यक्षजी, एक मानसिकता बन गयी है कि जो कुछ सरकारी अधिकारी ने लिख दिया कागज पर उसको या तो, मैं लांछन नहीं लगाता, मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, हमारे मंत्रीगण भी काफी व्यस्त हैं। पूरे बिल को सही रूप में पढ़कर, धारीवालजी के लिए मैं नहीं कहता लेकिन जो बात कहते हैं मंत्रीगण...

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो इनका ही प्रश्न है।

श्री शिवनाथ सिंह : हां, वह भी हो जाएगा, इन पर भी लागू। तो अधिकतर यह बात सामने आती है हमने तो इस बिल के उस प्रावधान को देखा ही नहीं था। लॉ

(श्री शिवनाथ सिंह)

मिनिस्टर भी ठीक हैं और अभी थोड़ी देर पहले हमारे सामने आया था मामला। माननीय सिंचाई मंत्री के द्वारा एक यहां अमेंडमेंट पेश कराया गया, वह आपके अधिकारियों ने और आपके लॉ मिनिस्टर ने पेश करवाया और उसका +++ हश्र क्या हुआ, अभी हमने यहां पर देखा है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की प्रवृत्ति जो है कि हमारे अधिकारी लोग कुछ लिखकर भी दे दें और वही सही हो यह नहीं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लॉ डिपार्टमेंट ने अच्छा नहीं किया।

श्री शिवनाथ सिंह : इसको एक मिनट पहले पेश किया। और दूसरी मिनट...

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : उपाध्यक्षजी, इत्तेफाक से मैं एक दूसरी मीटिंग में गया हुआ था। तीस कोर्ट्स खोलना चाहते हैं उसके बारे में डिस्कशन हो रहा था। वहां था। न मालूम कौनसा ऐसा प्रोवीजन था जिसके बारे में +++ बात हुई हो और लॉ डिपार्टमेन्ट ने भारी गलती की हो। मुझे मालूम नहीं है। मैं मालूम करके आपको बता सकता हूं। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : मैं ही बता देता हूं आप क्या बताओगे। यदि आप यहां होते तो उससे भी बुरी हालत होती। हुआ क्या माननीय मंत्रीजी, आप थे नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उसको अच्छा मानते हैं तो और अच्छा हुआ ना। आप खुद ही कहते हैं आप होते तो और गड़बड़ होती। तो मैं नहीं था अच्छा हुआ जो गड़बड़ नहीं हुई।

श्री शिवनाथ सिंह : आप होते तो गड़बड़ होती। माननीय मंत्रीजी, मैं निवेदन कर रहा हूं कि क्या था क्लाज में....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इस पर बोलो। पिछली बात छोड़ो।

श्री शिवनाथ सिंह : इस पर ही बोल रहा हूं और चाहो तो आप उसको डिलीट भी कर दीजिए। तो मेरा निवेदन यह था कि जिस प्रकार का बिल ड्राफ्ट होकर आता है उसमें बहुत सुधार की आवश्यकताएं होती हैं और यदि इस प्रकार के बिल, नगरपालिकाओं का सम्बन्ध हमारे प्रान्त की बहुत बड़ी जनसंख्या से है और इस प्रकार के बिल यदि सोच समझकर और माननीय सदस्य के साथ बैठकर, डिस्कशन होकर, चाहे उस पर आप प्रवर समिति को मत करो, लेकिन माननीय मंत्रीगण इस बात को ध्यान में रखें कि इस प्रकार के बिल, जो भी माननीय सदस्य इस बात में दिलचस्पी रखते हों उनके साथ घंटे-दो घंटे बैठकर बातचीत कर लें। और उसके हिसाब से उसको पारित करवाएं अच्छा होगा। तो मैं

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शिवनाथ सिंह)

माननीय उपाध्यक्षजी, यह निवेदन करना चाहता हूं यह जो आपका बिल है इसमें कुछ क्लाजेज ऐसे हैं जिनकी तरफ माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। और यदि वह इनको क्लेरीफाई कर देते हैं तो मैं अपना प्रस्ताव भी वापस ले लूंगा।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने मैम्बर्स को, राजस्थान विधान सभा के मैम्बर्स को नगरपालिका के बोर्ड में एक मैम्बर रखा है। लेकिन उनके अधिकार क्या हैं, वह बोर्ड की मीटिंग में मतदान कर सकते हैं ? अब उपाध्यक्षजी, यहां कंट्रोवर्सी आती है। चेयरमैन का चुनाव बोर्ड की मीटिंग में होता है, वाइस चेयरमैन का चुनाव बोर्ड की मीटिंग में होता है, स्टेण्डिंग कमेटीज के चुनाव बोर्ड की मीटिंग में होते हैं। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को हटाने का निर्णय बोर्ड की मीटिंग में होता है। उनमें चेयरमैन बनाने का, चेयरमैन को हटाने का, वाइस चेयरमैन को बनाने का और वाइस चेयरमैन को हटाने का, उसमें वोट देने का अधिकार माननीय विधायक को नहीं है... (व्यवधान) मैं तो कहता हूं कि न तो इलेक्ट करने में वोट है उसका और न उसके खिलाफ नो-कांफिडेंस में है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : फोर योअर इन्फोर्मेशन, नगरपालिका अधिनियम में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के चुनाव में एम.एल.ए. को वोट देने का अधिकार नहीं है...(व्यवधान) नहीं है बाकी तो उसमें तो दे सकते हैं मीटिंग में तो कर सकता है वह। यह जो तीन आदमी नोमिनेटेड होते हैं इनको वोट देने का अधिकार कहीं भी नहीं है। लेकिन अभी हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि अविश्वास के प्रस्ताव पर एम.एल.ए. को वोट देना चाहिए था। यह हाई कोर्ट का निर्णय है। कानून में परिवर्तन है।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं उसी पर आ रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह अभी कानून ही बना...

श्री शिवनाथ सिंह : अभी तक कानून में यह प्रावधान नहीं हैं...(व्यवधान) और न आपकी स्टेण्डिंग कमेटी के चुनाव में एम. एल.ए. को वोट देने का अधिकार है। उसमें आज तक कानून के अनुसार नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कहीं नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : इसलिए या तो यह स्थिति बहुत स्पष्ट हो। एम.एल.ए. उस नगरपालिका की मीटिंग में जाकर बैठ सकता है, अपनी बात कह सकता है, दूसरों की सुन सकता है लेकिन उसमें उसके फैसले में उसको कोई अधिकार नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, नहीं, उसको तो वोट देने का अधिकार है। देखिये मीटिंग में तो अधिकार है..(व्यवधान) हां, वो नहीं है दोनों कह रहा हूं ना मीटिंग में तो है। डे-टू-डे जो मीटिंग होती है उसमें

(श्री भंवरलाल शर्मा)

अधिकार है। वोट देने का अधिकार है, पार्टीसिपेशन का है लेकिन नगरपालिका के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के चुनाव में और अविश्वास में दोनों में नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय मंत्रीजी, माननीय सदस्य मैं फैक्ट्स के आधार पर कह रहा हूं। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में भी नगरपालिका है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह कोई बहस का विषय नहीं है। यह बहुत क्लियर है इसलिए जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह सही है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : मैं अर्ज कर दूं यह कान्स्टीट्यूशन में प्रोवीजन है कि चेयरमैन का इलेक्शन सिर्फ इलेक्टेड लोग कर सकेंगे, म्युनिसिपैलिटी के लिए इलेक्टेड कर सकेंगे। अब मेरी सुन लो आप, बाकी इनके अलावा किसी भी प्रकार का कोई चुनाव हो, चाहे चेयरमैन का वोट आफ नो-कान्फिडेंस हो, उसमें सबमें वोट दे सकता है। वह हर स्टेण्डिंग कमेटी के चुनाव में वोट दे सकता है। स्टेण्डिंग कमेटी के चुनाव के साथ-साथ स्टेण्डिंग कमेटी के फैसलों के बीच में वोट दे सकता है। यह प्रोवीजन इसमें नया किया है।

श्री शिवनाथ सिंह : यह प्रोवीजन इसमें कहां है ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दे सकता है।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय मंत्रीजी दे तो सकता है...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ...(व्यवधान) आप पढ़ो पूरा ठीक तरह से।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय मंत्रीजी, आप कहते हो...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय मंत्रीजी, सुनिये थोड़ा-सा। आप कहते हो हम मान लेते हैं। लेकिन प्रोवीजन कहां है यह।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कहा ना, है ना इसमें यह।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वोट आफ नो कोन्फिडेंस में वोट दे सकता है, इलेक्शन में भी दे सकता है। वह आपकी एनामोली रह जायेगी मंत्रीजी। इलेक्शन में वोट नहीं दे सकता।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपको अर्ज कर दूं एक सैकण्ड।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नो प्राब्लम।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह कांस्टीट्यूशन का जो 243 (आर) है, उसमें यह रूकावट है कि वह चेयरमैन, चेयरमैन का इलेक्शन सिर्फ इलेक्टेड लोग करेंगे। हटाने का कहीं नहीं है। नहीं, हटाने का

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

कहीं नहीं है। हमने इसीलिए कि एम.एल.ए. को ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिले, उसको वोट आफ नो कांफिडेंस में भी वोट देने का अधिकार दिया है, नये अमेंडमेंट में।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इलेक्शन और नो कांफिडेंस जुड़े हुए हैं। (व्यवधान) जुड़े हुए हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वोट ऑफ नो कांफिडेंस की बिलकुल अलग प्रक्रिया है, और इलेक्शन की बिलकुल अलग प्रक्रिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह ठीक है, परन्तु वह कौनसे सैक्शन में है बताओ तो सही ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सैक्शन 9, 9 देखिये आप।

श्री शिवनाथ सिंह : सैक्शन 9 कौनसा ? इस क्लॉज का।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कन्टीन्यू करिये, बोलिये।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा इतना ही निवेदन था कि यह बात स्पष्ट हो जाये, आज भी कन्ट्रोवर्सी है और यह सलैक्ट कमेटी का मेरा यही था कि यह बात यहां क्लीयर हो जाये। है कि नहीं है, देना है कि नहीं देना है, यह स्पष्ट हो जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : हो जायेगा। जवाब में स्पष्ट कर देंगे।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं इसीलिए कह रहा हूं कि स्पष्ट कर दें। मैं जिद्द नहीं कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्षजी, आपने प्रोवीजन रखा है, जैसा कि पहले माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि कोम्पिटेन्ट ट्रायल कोर्ट में चार्ज फ्रेम हो गया। इससे बड़ा...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप नया वाला एक्ट उठा लें। मैं बता देता हूं।

श्री शिवनाथ सिंह : आपकी बात मैं मानूंगा, मानूंगा, मानूंगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह है सैक्शन 9।

श्री शिवनाथ सिंह : क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो। माननीय मंत्रीजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसमें दे रखा है, ए मैम्बर आफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली। अब आप सैकण्ड पेज ले लें। सैकण्ड पेज पर दे रखा है यहां पर "Provided that a member referred to in sub-clause (i) of clause (a) shall have a right to vote in the meetings of a board, council or corporation and a member referred to in clause (b)

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

shall have a right to vote in the meetings of a council or corporation." तो एम.पीज. जो हैं वह सिर्फ कौंसिल और कारपोरेशन में वोट देंगे। लेकिन एम.एल.ए. बोर्ड में भी देंगे और कारपोरेशन में भी देंगे और कौंसिल में भी देंगे।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं कह रहा हूं यह कन्फ्यूजन है। आपने बोर्ड की मीटिंग में वोट का राइट उसको दिया है। लेकिन नो.कांफिडेंस में हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद में भी आपने उस प्रोवीजन को इसमें इनकारपोरेट नहीं किया है। इसलिए आप इसको स्पष्ट कर दें। स्पष्ट प्रोवीजन इसमें डाल दें कि एम. एल. ए. को नो कांफिडेंस में, स्टेण्डिंग कमेटी के चुनाव में वोट देने का राइट होगा तो कोई दिक्कत नहीं आती है। या ऐसा कह दो कि नहीं होगा, लेकिन यह कन्फ्यूजन है। बोर्ड की मीटिंग में वोट देने का, मैं खुद ही कह रहा हूं कि बोर्ड की मीटिंग में कोई काम के लिए कोई डिसीजन होता है उसमें एम. एल. ए. को वोट देने का राइट है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपको पुराना सैक्शन पढ़ कर बता दूं। पुराने सैक्शन में यह गलतियां थीं कि उसमें कतई खुलासा नहीं था। लेकिन जो नया अमेण्डमेंट किया है उसमें सारा खुलासा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अब इस कन्ट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता लेकिन पुराने में क्या था और नये में क्या है। नये में भी वो ही है जो पुराने में था। बोर्ड की मीटिंग में माननीय मंत्रीगण...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री शिवनाथ सिंह : पुराने में जो था वही नये में है, कहीं भी स्पष्ट नहीं किया। इसलिए आप इसको स्पष्ट कर दें कि बोर्ड की स्टैण्डिंग कमेटी के चुनाव में, चेयरमैन के हटाने के चुनाव में, वाइस चेयरमैन को हटाने में एम.एल.ए. को वोट देने का राइट होगा यह एक क्लॉज इसमें जोड़ दें तो क्या दिक्कत पड़ती है। लेकिन वह नहीं जोड़ा है। (व्यवधान) वह कह रहे हैं नहीं है, आप कह रहे हो, है। मैं दूसरी बात कह रहा था माननीय उपाध्यक्षजी, कि यह जो प्रोवीजन आपने रखा है कि कांग्निजेंस लेते ही वह व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए डीबार हो जायेगा, यह बहुत गलत कदम है और इसको डिलीट करना चाहिए। जब कन्विक्शन हो जाये, माननीय उपाध्यक्षजी, 100 में से 80 आदमी बरी होते हैं, और वह तलवार उन पर लटकी रहती है। इसलिए इस प्रोवीजन को भी आप देखें। और इसको हटाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्षजी, एक दो मिनट में खतम करता हूं। आपने इलेक्शन से संबंधित बहुत से प्रावधान इसमें रखे हैं। पोस्टर कौन लगायेगा, गाड़ी में क्या होगा, माइक कैसे लगेगा। यह सब प्रोवीजन, मेरा निवेदन

(श्री शिवनाथ सिंह)

यह है कि जो इलेक्शन कमिशन के डायरेक्शंस हैं, रिप्रजन्टेशन आफ पीपुल एक्ट में आप एक लाइन लिख देते कि वह प्रोवीजन्स इसमें लागू होंगे, इनुमरेट नहीं करते तो यह अच्छा होता क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो लॉ कर दिया है एक भी क्लॉज आपका होता कि वहां जो आफेंस होगा वह यहां भी आफेंस होगा, तो मेरे ख्याल से अच्छा होता। आपने इसको इनुमरेट किया है। और जैसा माननीय सदस्य कह रहे थे अभी हवामहल से आने वाले, कहीं भी कोई गलती थोड़ी बहुत रह सकती है। इसलिए इलेक्शन कमिशन के जो डायरेक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंगली हमको इसमें प्रोवीजन रखने चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन इन दो बातों को आप स्पष्ट कर दीजिए। इसमें जोड़ दीजिए कि एम.एल.ए. को किस-किस में वोट देने का अधिकार है, इसमें जोड़ दीजिए आप। और यह जो क्लॉज है, मेरा फिर निवेदन है कि एक ही दिन में तीन बिल पास कर रहे हैं, अमेंडमेंट्स, यदि इनको प्रवर समिति के सुपुर्द करते तो अच्छा होता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्दजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, हम जो कानून बनाने जा रहे हैं वह वर्षों तक काम में आने वाला है और उसका नफा-नुकसान, आपको और हमको राजनीति में काम करने वाले सब लोगों को भुगतना पड़ेगा। मैं यह समझ रहा हूं कि शायद जिस मंशा से इस कानून को बनाना और जिस ढंग से इस कानून में संशोधन कर रहे हैं वह इस समय तो आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे क्योंकि आप 153 हैं। अब जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या आप कर रहे हो, इन स्वायत्तशासी संस्थाओं को जिस प्रकार से सरकार का गुलाम बनाने की आपकी मनोवृत्ति आ गई है और उसके आधार पर आपके दिमाग में यह बना हुआ है कि जो भी राज में रहेगा वह चुनी हुई संस्था का धूला उड़ा देंगे, तो अभी तो आप उड़ाओगे, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन आगे आपके बाद में कोई दूसरा भी आने वाला होगा वह सब लोग भी इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को इसी प्रकार से अगर अपने चंगुल में फंसाकर के उनकी, और लोकतंत्र की एक तरह से दुर्गति करने की मंशा हो तो बखुशी करो क्योंकि आप तो 153 हो।

मैं सोचता हूं हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने एक-एक बिन्दु को बहुत स्पष्ट रूप से बताया है। अगर हमारे दिमाग में यह राजनैतिक चश्मा नहीं होगा तो हम में से आधे से ज्यादा लोग इस बारे में कन्विन्स्ड हैं कि इसकी कुछ धाराऐं हम ऐसी डाल रहे हैं जो किसी भी दृष्टि से उचित नही हैं। पर हमारे दिमाग में तो एक ही बात घुसी है कि जो संस्थाएं वहां चुनी हुई हैं, अब 15 तो कुल ही वहां की नगरपालिकाएं हैं जिसमें सदस्य हैं। उसमें से 8 और 7 का कई जगह, कहीं 6 और 8 का ऐसा होगा उसमें से आप दो लड़ाकू और भेज दो वह आपके लिए तो ठीक

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

होगा, वह धूतक करते रहेंगे, कुछ काम नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है। अगर इसी में आनन्द आता है तो जरूर करो। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। ऐसे दे कि ऐसे दो चार काम और करो जिसके कारण से जो कुछ भी इन संस्थाओं को हमने बनाने की कोशिश की उनका बंटाढ़ार हो जाये। और कोई मतलब नहीं रहे। अपने स्वार्थ के अलावा अपने चश्में में और कुछ दिखेगा ही नहीं कि हमको तो अपनी रोटियां कैसे सेकनी हैं, बस हम अमर हो जाएंगे, इस तरह के कानून बनाओ। बहुत अच्छी बात है। आने वाली पीढ़ियां आपको याद करेगी और निश्चित रूप से इन प्रावधानों से तो याद करेगी। मैं सोचता हूं कि आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हर आदमी यह चाहता है कि आने वाली पीढ़ियां उसको याद करे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसीलिए आपको याद करे। दोनों को करते हैं। एक तो आप जैसे को भी करते हैं और एक किसी भले आदमी को भी करते हैं। आप यह जो काला कानून बना रहे हो ना, यह काला कानून आपको स्वयं को पश्चाताप करायेगा और भगवान ने चाहा तो आप और हम दोनों जिन्दा रहे तो आप स्वयं इस बात को स्वीकार करेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हम तो गांधीवादी हैं। गोड़सेवादी नहीं हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप गांधीवादी हो इसलिए कानून की हत्या कर रहे हो। गांधी ने शायद यही सिखाया होगा। उसके नाम को लेकर के अपनी रोटियां सेंक कर के जिन्दगी भर की यात्रा की और उस आदमी की आत्मा की हत्या कर रहे हो इस कानून के द्वारा। क्या आवश्यकता पड़ी है जिसके कारण से आपको नोमिनेशन, जिनको जनता चुनकर के भेजती है, वह जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, वहां कोई सी भी पार्टी जीतती है, कोई सी भी पार्टी हारती है। सारी नगरपालिकाएं न आपकी बनती हैं, न सारी नगरपालिकाएं किसी अन्य पार्टी की बनती हैं, न निर्दलीयों की बनती हैं। जिसका भी उस नगरपालिका में बहुमत बनता है वह अपने बहुमत के आधार पर को-आप्शन करता है और को-आप्शन के आधार पर अपनी नगरपालिका को अच्छी प्रकार से चलाता है। लेकिन आपने उसकी जगह अपनी मनमर्जी के आदमी को थोपने का एक षड़यंत्र किया है। उस षड्यंत्र के आधार पर आप 2-3 साल बहुत अच्छे मना लेना इसकी खुशियां। लेकिन अन्ततोगत्वा एक दिन आपके गले में यह घंटी बंधकर आपको स्वयं ही बजायेगी कि आपने अच्छा किया, बुरा किया। बाद में कभी इसका पता लगेगा।

आखिर आप क्या सोचकर इस कानून को इस ढंग से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो हैं ना बरजिका काकड़ी, दूसरों को दे आकड़ी। हम तो यहां बैठे हैं वह तो यूनिवर्सिटी के होने के बाद भी यहां चुनाव लड़कर आवें और फिर वापस रीडर भी बन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जायें, प्रोफेसर भी बन जायें और प्रमोशन भी प्राप्त करते रहें। वह हमको तो अधिकार है। मतलब कानून बनाने वाले लोग अपने स्वयं के अंदर झांककर नहीं देखते हैं कि हम क्या हैं। और आपने इसके आधार पर इन संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को रसातल में पहुंचा दिया। कहां तो यह बात हो रही थी कि लोकतंत्र में कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी योग्यताएं रखता है चाहे वह राजकीय नौकर भी हो अगर उसमें क्षमता है तो वह राजनीतिक चुनाव लड़ सकता है। कहां तो इस प्रोविजन को डालने के लिए मांग उठती थी और कहां आपने सारी संस्थाओं का मटियामेट करके रख दिया। जो भी इस प्रकार का जिसमें कोई राजकीय सहयोग होगा, अनुदान होगा, चाहे वह को-आपरेटिव संस्था हो, कोई भी हो, तो आप और हम सब कहां रहकर के आये थे। आप और हम सबने जिन प्राइवेट स्कूलों में नौकरी की, वह इसलिए की थी कि हम राजनीति में भाग लेंगे। इसके कारण से यहां आकर के बैठे हैं। उस समय हमारे दिमाग में अगर होता कि सरकारी नौकरी के कारण राजनीति में भाग नहीं ले सकते, इस कारण वहां नौकरी करने नहीं गये। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में नौकरी इस कारण से की कि कम से कम हम अपना राजनीतिक कैरियर भी बना सकेंगे और दोनों काम कर सकेंगे। आपने अपने लिये तो लागू नहीं किया। अपने बारे में तो कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है और वह जो नगरपालिका का पार्षद बन जायेगा, उसको आप बिलकुल पवित्र आत्मा बनाने के लिए कानून के द्वारा, कम से कम आप स्वयं पवित्र बन जायें उसके बाद पवित्र बनाने की कोशिश करोगे तो शायद कानून की मंशा ठीक रहेगी।

मैं सोचता हूं कि हमारे माननीय सदस्य ने काफी डिटेल इसके बारे में बता दी। आपने अब लिखा, विश्वविद्यालय या किसी भी निगम, निकाय, उद्यम या ऐसी सहकारी सोसायटी राज्य सरकार द्वारा या जो नियंत्रित हैं या पूर्णतः, या अंशतः वित्त पोषित है के अधीन कोई पूर्णकालिक और अंशकालीन वैतनिक नियुक्ति धारण करता हो, अयोग्य। अगर इस तरह से आपकी मंशा है और उसके बाद भी आप प्रसन्न होकर के इस तरह से ठप्पा लगाना चाहते हो तो मैं सोचता हूं कि आपकी आत्मा मर चुकी है और आपने अपनी आत्मा को मारकर के इस प्रकार के कानून लाकर केवल राजनीतिक षड्यंत्र कैसे किया जाये उसके आधार पर आप करने की मंशा रखते हैं क्योंकि आपके पास 153 का बहुमत है। आप करिये, कोई हर्ज नहीं। अब इसमें आपने लिखा है कि, अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य या अपने भागीदार, नियोजक, कर्मचारी की मार्फत प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से भी कोई हिस्सा या हित रखता है, वह भी अयोग्य है।

इस प्रयोजन के आधार पर इस नगरपालिकाओं, इन जनतांत्रिक संस्थाओं को आप क्या बनाना चाहते हैं, मैं तो कम से कम नहीं समझ पा रहा हूं। शायद हो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सकता है आप लोगों के बहुत ज्यादा दिमाग में आया हो। इसमें जैसे सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, आप और हममें से अधिकांश लोग वकालत करते हैं और वकालात के पेशे के आधार पर ही यहां हम इस सदन तक पहुंचे हैं। हम लोग अगर वकालत करते हैं, हमारा भाई भी कोई वकालत करता है, क्या वह इतना अयोग्य हो गया कि अगर वह नगरपालिका का मुकदमा विरोध में भी लड़ता है तो उसे नगरपालिका के चुनाव लड़ने के लिए विड्रा करना पड़ेगा कि मैं आपका यह केस नहीं लडूंगा। वह विदड्रा कर लेगा इससे क्या चीज निकल जायेगी, इससे कौनसी चीज हो जायेगी।

मैं सोचता हूं कि हमारे दिमाग में यह बात बैठ गयी है कि हम किस तरह से अच्छे लोगों को इससे कैसे बाहर करें, कैसे वह चुनाव नहीं लड़े। और जो प्रोविजन आपने उनके चालान पेश होने की स्थिति में डाले हैं तो मैं सोचता हूं कि अगर उन प्रोविजनों का कभी भी कोई ठीक प्रकार से विश्लेषण करेगा तो अगर आपकी कार खड़ी है बाहर सड़क पर और वह चालान बना गया कि घर के बाहर ही कार खड़ी करते हैं। आज भी मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अधिकांश लोग चाहे कार हो, चाहे मोटर-साइकिल हो, चाहे स्कूटर हो, चाहे उसकी भैंस हो, चाहे उसकी गाय हो, आज भी घरों के बाहर ही बंधी रहती हैं। हम अभी स्वर्गलोक नहीं पहुंच गये हैं। हमें कुछ व्यावहारिक तथ्यों को भी देखने की जरूरत होनी चाहिये और उसके कारण से केवल अवरोधक के रूप में, अगर उसको फाइन हो गया ना, तो वह एक दो साल नहीं, छः साल तक के लिये चुनाव से बाहर। वाह, कमाल है। आप यह लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हो। इस आधार पर मैं सोचता हूं इसमें बहुत ज्यादा जिद्द करने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा अड़ियल स्वभाव से भी कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। कानून हमारे लिये नहीं, कानून आने वाले वर्षों तक के लिए बनता है। कोई आपके और हमारे ही काम नहीं आयेगा। हम तो आज हैं कल मर जायेंगे, लेकिन यह कानून तो लम्बे समय तक काम आयेगा। कानून की धज्जियां उड़ाने का अगर आपने मन बनाया है तो यह दुर्भाग्य है। यह काला कानून है और इस काले कानून को पास कराने की जिद्द पर आप अड़े हुए हो तो मुझे आपकी बुद्धि पर तरस आता है। इसमें जो अच्छे प्रोविजन हैं हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। हमारी तरफ से कभी कोई एतराज नहीं किया किसी भी अच्छे काम के लिये, लेकिन केवल राजनीतिक द्वेषता के आधार पर अगर आप यह प्रयास कर रहे हैं कि हम चाहे जिसको बना देंगे, यहां बैठे-बैठे फालतू हैं ही यहां। और तो कोई काम है नहीं, सिर्फ नगरपालिका के नोमिनेशन यहां करके अपने को यहां कुछ काम ही नहीं है जयपुर में। हम काम को नीचे बांटे या सारा काम अपनी जेब में इकट्ठा करके पटेलाइयां करने का काम करें, तो कर लीजिये, कोई बात नहीं। लेकिन यह जो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कुछ भी आप कर रहे हो यह ठीक नहीं कर रहे हो।

मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इस पर फिर से विचार करें और इसमें ऐसे जो प्रोविजन हैं जिनमें इस प्रकार की हार्ट बर्निंग है उनको आप निकालिये, दुबारा फिर से विचार करिये। इसलिए मैंने इसको सलेक्ट कमेटी को भेजने के लिये आग्रह किया है, वह उसी कारण से किया है। मैं सोचता हूं कि शायद आपको सारी बातें सुनने के बाद कुछ न कुछ भगवान ने सद्बुद्धि दी होगी और इसमें से जो कुछ भी आप ठीक समझते हो उसको बदलते हुए इस कानून को पास करायें तो ज्यादा ठीक रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि राजस्थान म्युनिसिपैलिटी अमेण्डमेंट बिल, 2000 जो लाये हैं उसे एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाये। प्रवर समिति को सुपुर्द करने के पीछे कारण यह है कि जैसा कि मुझसे पहले बोलने वाले सभी सदस्यों ने इस बिल में जो-जो लेकुना रहे उसके बारे में बताया है। इसलिए मैं चाहूंगी कि काम्प्रिहेंसिव तरीके से हम इस बिल को पास कर सकें इसलिए इसे प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये। मैं स्वायत्त शासन मंत्रीजी से एक निवेदन और करना चाहूंगी कि आपने अधिकार का उपयोग ही किया था को-आप्शन के प्रोविजन को हटाकर दो या वन टाइम मेम्बर्स को नगरपालिकाएं, नगर परिषद, कौंसिल जो को-आप्ट किया करती थी। जब को-आप्शन को हटा करके नोमिनेशन का ही आपने अधिकार लिया, तो उन्हें राइट आफ वोट भी दे देते, ताकि आपकी कहीं कोई माइनिरिटी थी वह मेजोरिटी में बदल जाती। जब अधिकार का उपयोग ही करना है तो ठीक से किया होता। केवल उन्हें वहां बैठा देने से क्या मतलब निकला ? कोई मतलब तो निकला नहीं। जब तक उन्हें मत का अधिकार नहीं दिया तो क्या मतलब निकला ? अलोकतांत्रिक काम भी किया और काम करने के बाद उसका कोई फायदा भी नहीं उठाया। तो मेरी समझ में कोई मतलब की बात तो निकली नहीं, सिवाय अपने आपको अन-डेमोक्रेटिक कहलाने के, मैं समझती हूं कोई मतलब नहीं निकला। या तो जिनको आप नोमिनेट कर रहे हो उनको भी राइट ऑफ वोट दो, जैसे एम.एल.ए. को आपने दे दिया।

श्री शिवनाथ सिंह : एम.एल.ए. को नहीं दिया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एम.एल.ए. को केवल चुनाव के लिये नहीं दिया है चेरमैन और वाइस चेयरमैन के, बाकी जगह दिया है। इसलिए जैसे आपने एम.एल.ए. को दिया है वैसे ही या तो उनको राइट ऑफ वोट दो। और मत का अधिकार नहीं देते हो तो फिर काहे को अन-डेमोक्रेटिक कहलाते हो। फिर आप उन्हें वैसे ही रहने देते।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि आदमी कितना अधिकार सम्पन्न होना चाहता है। आप डिसक्वालिफाई भी कर दो और डिस्क्वालिफिकेशन के लिये भी जब चाहो तब, इसका मतलब इतना डराकर के रखना चाहते हो जनता को कि जब चाहे तब डिस्क्वालिफाई कर दो और डिस्क्वालिफाई करने के बाद आप रिमूव भी कर दो, 6 साल को 3 साल भी कर दो। यह भी प्रोविजन है। यह भी प्रावधान है कि 6 साल के लिए उसको डिस्क्वालिफाई किया है फिर चाहे तो उस डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव भी कर दो, इतना अधिकार सम्पन्न होना चाहते हैं ? थोड़ा तो जनतांत्रिक बनो। इतने सारे अधिकार लेकर फिर डिस्क्वालिफाई कर दो, डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव भी कर दो, बात कुछ समझ में नहीं आती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहती हूं कि इसे प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो सारी बातें मुझसे पहले कह दी जा चुकी हैं। खास तौर से अवरोध के मामले में छोटी-सी बात पर, किसी ने रात भर अवरोध कर लिया और आपको सुहाया नहीं, क्योंकि आप तो जब चाहेंगे तब डिस्क्वालिफाई करेंगे, जब चाहेंगे तब डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव करेंगे, तो छोटी-सी बात है, उसके ऊपर 6 साल तो मत करिए। 5 साल कर लीजिए ताकि दूसरे टर्म में तो चुनाव लड़ सके।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : कांस्टीट्यूशन के ऑर्टिकल 243 में साफ प्रोविजन है कि नोमिनेटेड मैम्बर को वोट ऑफ राइट नहीं होगा। आप यह चाहती हैं कि मैं कांस्टीट्यूशन के खिलाफ कोई काम कर लूं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनू) : मैं तो कह रही हूं कि जब दुरुपयोग ही करना है अपने पद का, अपने अधिकार का, तो ठीक से करना चाहिए ताकि जहां कहीं अल्पमत है वह नगरपालिका बहुमत में आकर आपके कांग्रेस की बन जाए। मैं तो यह कह रही हूं आपको, आप करिए या नहीं करिए वह आपकी मर्जी की बात है, मैंने तो अपना सुझाव दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात भी मुझे समझ में नहीं आई कि जैसा आपके असेम्बली और पार्लियामेंट के चुनावों में इलेक्शन कमीशन करता है कि कोई अपने चुनाव का हिसाब-किताब नहीं देता है तो उसे पूरे छह साल के लिए, पहले तीन साल के लिए किया करते थे, लेकिन कम से कम इतना तो लिनिएंट बनिए आप कि छह साल के लिए छोटे से अपराध के लिए, जैसा कि हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, कितनी बातें बताईं। कई बार अनजाने में भी कोई ऐसा अपराध हो जाता है, कोई गाय आपके घर में घुस गई, आपने उसे लाठी की मार दी, खैर गाय का तो बहुत बड़ा अपराध होता है लेकिन जैसे बकरी की बात वह कह रहे थे। बकरी की टांग टूट गई और आपने

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

छह साल के लिए उसे कर दिया। छोटी सी बात के लिए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। दो, दो चुनाव तो मत करो, एक ही कर दो वही काफी होगा। मैं समझती हूं कि छोटे से अपराध के लिए ऐसा मत करिए।

एक बात और मुझे समझ में नहीं आई लेकिन उसके पीछे मंशा तो यही है कि किसी भी कानून को रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से लागू नहीं कर सकते। लेकिन यह क्या मतलब हुआ कि 60 साल का आदमी जिसके 10 बच्चे हैं वह तो चुनाव लड़ेगा और 1995 के बाद 2 बच्चों से ज्यादा तीसरा बच्चा हो गया तो तीस साल का व्यक्ति है या 30 साल की महिला है, वह चुनाव नहीं लड़ सकती। यह एनॉमली है, बड़ी विचित्र बात है।

मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि या तो सब के लिए होना चाहिए, आज यह कहें कि नहीं भाई, हमारे राजस्थान के अंदर तो नगरपालिका का चुनाव वही लड़ सकता है जिसके 2 बच्चे हों। चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे 1995 के पहले 20 पैदा कर लिए हों लेकिन या तो वह 2 बच्चों का बाप होना चाहिए फिर 1995 वाले का क्या अपराध है कि उस पर 3 बच्चे होते ही वह तो चुनाव नहीं लड़ सकेगा, 1995 से पहले चाहे 10 पैदा कर ले तो भी वह चुनाव लड़ेगा। यह न्यायपूर्ण बात नहीं ? (व्यवधान) मालूम है मुझे, पंचायत एक्ट में भी है, उसी की नकल तो है। चूंकि 73 में था उसी को 74 में किया है और उसी को करने जा रहे हैं, लेकिन इस कानून को आपने बहुत डेट्रिमेंटल बना दिया, जरूरत से ज्यादा बना दिया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रही थी...(व्यवधान) आप बिलकुल ऐसा ही कर लो कि जिसने शादी नहीं की वही चुनाव लड़ सकेगा। मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि आप कुछ भी करो लेकिन समान तो होना चाहिए। यह कोई न्याय की बात थोड़ी ही है ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : अरूण सिंहजी ही लड़ पाएंगे और कोई नहीं लड़ पाएगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इसलिए माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी, मैं जानती हूं, वह तो मैंने खुद ने ही कह दिया कि आप इसे रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से लागू नहीं कर सकते, लेकिन बात बड़ी हास्यास्पद है कि 60 साल वाला तो 10 बच्चों वाला भी लड़ेगा और 1995 के बाद यदि एक बच्चा भी हो गया तो वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा। यह बात बड़ी हास्यास्पद लगती है। हालांकि आप कहेंगे कि कानून रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से लागू नहीं हुआ करता है। आप अपनी दलील तो मुझे यही देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ कि आप इस कानून को इतना डेट्रिमेंटल मत बनाइए, इतना सख्त मत बनाइए, इसे थोड़ा डेमो-क्रेटिक रहने दीजिए, मैं फिर निवेदन करना चाहती हूं कि अच्छा हो कि आप इसे प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें ताकि सब बातों

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

पर विचार करके अच्छा कानून हम यहां पेश करें और उसे पास करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रि मण्डल के योग्यतम मंत्री ने बिल प्रस्तुत किया है इसलिए मेरे बोलने की वैसे इच्छा नहीं थी। मेरे मित्र माननीय सी.पी. जोशी को हाउस में नहीं देखा तो मैं लोभ संवरण नहीं कर सका कि मैं कुछ सुझाव दे दूं क्यों कि वे सुझाव नहीं मानने वाले हैं, वरना वहां से उठकर यहां आकर के बैठ जाएंगे कि नहीं-नहीं, कोई सुझाव नहीं मानना है आपका।

उपाध्यक्ष महोदय, विस्तार से सब कुछ आ चुका, इसलिए एट द कोस्ट ऑफ रिपीटिशन, मैं तीन-चार पाइन्ट्स पर मंत्रीजी को कहना चाहूंगा। (व्यवधान) आ जाएंगे तो मैं वापस बैठ जाऊंगा, क्या करना है, क्यों कि उनसे उलझना तो बेकार है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एट द कोस्ट ऑफ रिपीटिशन एक तो मॉडल लॉ है वह रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, अब उसके अंदर कंविक्शन को पूरा डिफाइन किया हुआ है, अलग-अलग दिया हुआ है। आपने एक तो मोरल टर्पिट्यूड को डिफाइन नहीं किया। या तो आप उसकी नकल करके सलैक्ट कमेटी को जो मेरा प्रस्ताव है, उसको बोरो करके आप सब उसमें दे दें कि फलां-फलां सैक्शन के तहत कंविक्शन हुआ हो तो भी ठीक है और कंविक्शन के अलावा चार्ज फ्रेम हो जाए, this is an absurd proposition of law. क्योंकि चार्ज शीट फ्रेम होना, जैसा कि सिरोही से आने वाले माननीय संयम लोढ़ाजी ने अपने निजी अनुभव बताये। उनको भी आप आधार समझें।

मैं नहीं समझता कि आप उचित कानून बनाने जा रहे हैं, इस पर आप विचार करें। फिर आपने इसके अंदर सुझाव दिया है, प्रतिबन्ध लगाया है यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वालों पर और दूसरों पर। उपाध्यक्ष महोदय, रिप्रजेंटेशन आफॅ पीपल एक्ट कहीं प्रोहिबिट नहीं करता गवर्नमेंट सर्वेण्ट को चुनाव लड़ने से, सर्विस करने से प्रोहिबिट करता है उसको। आपके यूनिवर्सिटी के हायर एजूकेशन मिनिस्टर हैं, कांग्रेस के भी दो बड़े नेता प्रतिबंधित हो जाएंगे वापस जाने से। हमारे प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष, आदरणीया गिरिजाजी और माननीय सी.पी. जोशी दोनों। लेकिन वे इसको प्रोहिबिट कर दें, यूनिवर्सिटी की सर्विस कंडीशन को बदल दें, वह बेहतर होगा। आप खाली यह तलवार इन पर क्यों चलाते हैं, इन छोटे-छोटों पर। बेसिक लॉ रिप्रजेंटेशन आफॅ पीपल एक्ट है, उसको आप बोरो करने नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि इलेक्टोरल रिप्रजेंटेटिव्स के राइट को हमें टेम्पर विद नहीं करना चाहिए। यह एट द कॉस्ट ऑफ डिस्प्लेजर ऑफ माई कलीग्स एण्ड फ्रेंड्स, यह एम.एल.ए. होने से हमें सब अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, हम

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

सब जगह ही दखल डालें, यह कोई अच्छी प्रवृति नहीं है। एम.एल.ए. को नगरपालिका, नगर परिषद की मीटिंग में शामिल होना इसलिए आवश्यक है कि एक कोआर्डिनेशन वहां बैठाया जाए क्यों कि विकास में एम. एल.ए. का महत्वपूर्ण योगदान होता है लेकिन वोट की क्या जरूरत है ? वहां पर अपना इन्फ्ल्युएंस कमांड करें कि हम वहां भी हो जाएं, वहां भी हो जाएं, यह वृत्ति ठीक नहीं हैं मंत्रीजी।

इसलिए आपको एम.एल.ए. को कोई इसमें राइट नहीं देना चाहिए। मंत्रीजी, एक बात और आप समझ लें कि चुनाव आपके हो चुके हैं नगरपालिका के। अब चुनाव होंगे 2005 में। 2003 के बाद पता नहीं कौनसी सरकार रहेगी, यह जो कानून बना रहे हैं शिकंजा कसने के लिए, यह पता नहीं किस के ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। (व्यवधान) यह भी करेंगे, मुझे नहीं पता कि कौन करेगा यह मैं नहीं कहता। यह तो प्रजातंत्र है, कौन कह सकता है कि कौन करेगा, नहीं करेगा। लेकिन कानून जो बनाते हैं, गवर्नमेंट और कानून यह कंटीन्यूइंग इंस्टीट्यूशन्स हैं, यह इलेक्टोरल रोल का First day of January of the year in which electoral roll is prepared or revised, यह फर्स्ट जनवरी का भी आप ध्यान कीजिए, Supposing that these elections are held in the month of December, और एक साल फर्स्ट जनवरी को इलेक्टोरल रोल तैयार नहीं हुआ तो जो लेटेस्ट नोमीनेशन के पहले, हर इलेक्शन के पहले, इलेक्टोरल रोल का समरी रिविजन आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप अवगत हैं इस प्रावधान से, चाहे लोक सभा हो, चाहे विधान सभा हो, नगरपालिका हो, जो लेटेस्ट रिविजन होगा उसकी डेड लाइन तय कीजिए आप। फर्स्ट जनवरी से कोई लाजिक नहीं है, फर्स्ट जनवरी तो एक गाइड लाइन्स है कि आप रिवाइज करें। लेकिन यह मेंडेटरी है कि कोई भी चुनाव होगा उस चुनाव के पहले जरूर इलेक्टोरल रोल का रिविजन होगा। और जैसा हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत तथ्यात्मक सुझाव दिये हैं उनको आप एग्जामिन करके कम्प्रीहेंसिव बिल लाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। हमारी वरिष्ठ सदस्या माननीया सुमित्रा सिंहजी खुद तो कुछ कहती नहीं हैं और मुझे कहती हैं कि आप बोलो तब अपने मित्र से कह देना कि वे डूज एण्ड डोंट्स जरूर पढ़ लें। अब मुझे न तो पता कि क्या डूज एंड डोंट्स मंत्रीजी को पढ़ने है। मैं इनकी भावना से आपको अवगत कराता हूं। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद। (अनुपस्थित) श्री जगत सिंह दायमा (अनुपस्थित)। प्रभारी मंत्रीजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिका अधिनियम, 1959 के प्रावधानों में जो कुछ संशोधन किये जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर राज्य चुनाव आयोग के द्वारा सुझाये गये हैं और बाकी जो संशोधन हैं वे तत्सम्बन्धी प्रावधानों में

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

सामायिक संशोधन प्रस्तावित हैं। कुल मिलाकर इस अधिनियम में 13 धाराओं में परिवर्तन किये गये हैं। और उप-धाराओं में, उप-खण्डों में लगभग 50 संशोधन हैं और चार नयी धाराएं जोड़ी गई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, ऑर्डिनेंस लाने की इसलिए जरूरत पड़ी कि अगस्त, 2000 में 128 नगरपालिकाओं के चुनाव सम्पन्न होने जा रहे थे। चुनाव आयोग का यह बराबर आग्रह था कि चुनाव सुधारों की बाबत सरकार को कुछ निर्णय लेने चाहिए और उसी के अन्तर्गत नगरपालिकाओं के चुनाव के पहले ही ये संशोधन अध्यादेश के जरिये लाये गये, जो 22.7.2000 से प्रभावी हुए हैं। अभी जैसा कि माननीय सदस्यों ने बताया और बहुमूल्य सुझाव भी दिये, ज्यादातर नाराजगी माननीय सदस्यों की इस बात की थी कि सेक्शन 9 में जो प्रोविजन्स डाले गये नोमिनेशन के सरकार के द्वारा उस पर आपने आपत्ति जतायी।

मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त 243 (आर) में पालिकाओं के बारे में विशेष जानकारी रखने वाला या पालिकाओं के प्रशासन को समझने वाला, ये दो तरह के आदमी, संवैधानिक प्रोविजन है कि इनको आपको नगरपालिका के बोर्ड में लेना चाहिए। वो किस तरीके से लेना चाहिए, कितने लेने चाहिए, दो का भी मैंने आपको गलत बोल दिया। न तो उन्होंने संविधान में संख्या दी और न कोई तरीका बताया कि आपको इनको किस तरीके से लेना चाहिए। अब क्या जरूरत पड़ी, आदरणीय कटारिया साहब, जिन्होंने दी तो कुल्हाड़ी की और फिर आखिर में यह कह दिया कि विनम्रता से इसको झेल लेना।

मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि 5 साल आप शासन में रहे, आपने 1994 में चुनाव कराये। चुनाव कराने के बाद में आपने नगरपालिकाओं को क्या देखा ? कुल मिलाकर 183 नगरपालिकाएं राजस्थान में विद्यमान हैं। बोर्ड का कंपोजिशन तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि नोमिनेटेड मेम्बर या को-आप्टेड मेम्बर उसके सदस्य नहीं बनें। सिर्फ इलेक्शन से बोर्ड कंपलीट नहीं होगा। अगर इलेक्शन से ही बोर्ड कंपलीट होता तो यह संविधान इसका प्रोविजन नहीं रखता। 183 नगरपालिकाओं में कुल मिलाकर 31 नगरपालिकाएं ऐसी रहीं जिन्होंने को-ऑप्शन किया। 150 से भी ज्यादा नगरपालिकाओं ने कॉ-आप्शन 5 साल तक नहीं किया और अपना टर्म पूरा कर लिया। क्या करती सरकार ? क्या झांकती रहती ? यह जो कंपोजिशन नहीं हो रहा था उसको देखती रहती या यह अधिकार सरकार नहीं लेती तो फिर क्या लेती ? यह जागरूक सरकार की पहचान है कि उसने इस बात को देखा। यह जागरूक सरकार की पहचान मैं आपको बता रहा हूं कि उसने यह देखा कि बोर्ड में अनुभवी आदमी पहुंचा या नहीं पहुंचा, प्रशासन को समझने वाला पहुंचा या नहीं पहुंचा। आप व्यवस्था देख लीजिए, रिजर्वेशन से आदमी चुना जाता है और किस तरीके के रिजर्वेशन से

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

आदमी वहां पर पहुंचते हैं यह भी आप जानते हैं। वो आदमी जो कि पांच साल तक सदस्य रह चुका हो, जिसको पांच साल बीतते-बीतते, अपना कार्यकाल खतम होते-होते अनुभव प्राप्त हो चुका हो, दुबारा चुनाव लड़ नहीं सकता, क्यों कि उसका वार्ड रिजर्व्ड हो गया, उसका वार्ड बदल गया, महिला का हो गया, शिड्यूल्ड कास्ट का हो गया, सामान्य का हो गया, ट्राइब्स का हो गया, यह हो गया, वो हो गया। ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती ? अगर आपने नहीं किया...

श्री खेतसिंह राठौड़ : ऐसा प्रोविजन अपने एम.एल.एज्. के लिए भी करवा दो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि 80 प्रतिशत नगरपालिकाओं ने राजस्थान में अपने बोर्ड का कंपोजिशन पूरा नहीं किया। वह क्यों नहीं किया यह आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आपस के इनर-फाइटिंग की वजह से वो यह तय नहीं कर पाये कि दो को-ऑटेड मेम्बर कौन होंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : स्टेंडिंग कमेटी नहीं बनाते हैं यहां पर। वो भी पावर ले लो आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं ले रहे। हमने लेने की बात की थी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ले लो, स्टेंडिंग कमेटी आप बना दो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं अर्ज करता हूं माननीय सदस्य, जब जयपुर की नगर निगम ने स्टेंडिंग कमेटी छह महीने के बाद तक नहीं बनायी तो मैंने उनसे कहा कि या तो आप स्टेंडिंग कमेटी बना दीजिए या मैं बना दूंगा। उन्होंने अगली बैठक में बना दी। आदरणीय भंवरलालजी ने मुझे फोन किया कि फाइल आपके पास आ गयी है। उसको हुबहू मंजूर कर देना और मैंने एक मिनट नहीं लगायी, आप यहां पर विराजमान हैं। किसी प्रकार का कोई इंटर-फेयरेंस नहीं है। (व्यवधान) अब आप इसको देख लें, मैं छोटा बोलूंगा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बोलूंगा, टाइम काफी हो गया। अब आप इसको देख लें आदरणीय व्यासजी, राजस्थान ही एक अकेली स्टेट नहीं है, मध्य प्रदेश है, वो भी नोमिनेट करता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मध्य प्रदेश को तो आपको फालो करना ही है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अच्छा, मध्य प्रदेश को फालो करना है तो क्या हमारे लिए हरियाणा को फालो करना और हिमाचल प्रदेश को फालो करना भी जरूरी है ? वे भी करते हैं। मैं आपको उनके नोटिफिकेशन पढ़कर सुना दूं। हिमाचल करता है, हरियाणा करता है। पता नहीं कितनी स्टेट्स करती हैं। आप स्वंय सोच लीजिए कटारिया साहब, मन पर हाथ रखकर पूछ लीजिए कि किस तरीके के लोग आज नगरपालिकाओं में पहुंच रहे हैं। अगर हम किसी अनुभवी आदमी को पहुंचाना चाहते हैं, हम किसी प्रशासनिक अनुभव

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

वाले आदमी को पहुंचाना चाहते हैं उसमें भी आपको एतराज है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यहां अपन बैठे हैं तो क्या राजस्थान में सिर्फ अपन ही बुद्धिमान हैं, बाकी सब बेकार हैं ? ऐसे ही वहां होता है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं तो यही समझकर चलता हूं कि आप बुद्धिमान हैं और मैं बुद्धिमान हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वैसे ही मन को खुश करने के लिए कुछ भी कह दो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा अर्ज करना यह है कि....

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप दो ही हो बुद्धिमान, बाकी हम हैं ही नहीं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माफ करना, मैं आपको भूल गया साहब। यह तो रहा मेरा सेक्शन 9 के बारे में निवेदन।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, पूरे बिल का रिप्लाई हो गया आपका।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप चाहो तो मुझे तो बहुत खुशी होगी। बाकी मैं आपको यह निवेदन कर देता, जैसा शिवनाथ सिंहजी ने फरमाया एम.एल.ए. के वोट का। यह बिलकुल पक्का है कि एम.एल.ए. सिर्फ चेयरमैन के इलेक्शन में वोट नहीं देगा बाकी सबमें देगा, और यह हुआ है। गुलाबपुरा के ये विधायक महोदय विराजमान हैं। गुलाबपुरा में जो डा. राम प्रतापजी जाट एम.एल.ए. हैं। (व्यवधान) उन्होंने हमसे क्लेरिफिकेशन मांगा कि दे सकते हैं या नहीं दे सकते। हमने कहा कि दे सकते हो।

श्री श्रवण कुमार : शिवनाथ सिंहजी से यही कहलवाना चाहते थे ना बाकी हम तो यही चाहते हैं कि नो कांफीडेंस में देना चाहिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : चाहे धारा 17 का अमेण्डमेंट हो जिसमें कि पात्रता बतायी गयी है, वह भी चुनाव आयोग के सुझाव से किया गया है। चाहे धारा 20 का हो जिसमें कि निर्वाचन....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, सब लोग इसको पास कराने को ज्यादा उत्सुक हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं तो चाहता यही हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इतनी जल्दी नहीं करें उपाध्यक्ष महोदय, हमारे अमेण्डमेंट भी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आएंगे ना। एक काम तो पूरा होने दो, मैं पास थोड़े ही कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने कहा ना पास कराना है।

श्री उपाध्यक्ष : पास थोड़े ही कर रहा हूं। यह एक पार्ट के लिए है।

(20.00 बजे)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरा यह निवेदन है कि एक तो शार्ट कट करने के लिए चर्चा खूब हो गयी। माननीय मंत्री महोदय, यह बताइये कि हमने जो अमेंडमेंट दिये हैं उनमें किसी को मानने के लिए आप तैयार हैं क्या ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने हमारे कितने अमेंडमेंट माने थे ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सारे ही अमेंडमेंट माने थे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक नहीं माना आपने।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वही करने वाले हो क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 को प्रवर समिति को निर्देशित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्देशित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड-2, श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)। श्री राजेन्द्र राठौड़।

माननीय सदस्य, आपने तो यह कहा था कि अब मैं बोलूंगा ही नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह तो बोलूं कि नहीं बोलूंगा। मैं तो बोल चुका, अभी नहीं बोलना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो आज विधान सभा के सम्मुख यह काला कानून, जो सरकार बहुमत के बल पर बनाने जा रही है इसके बहुत दूरगामी परिणाम निकलेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, हम सब लोग लोकतंत्र के हामी हैं। हम चाहते हैं कि प्रजातंत्र ज़िन्दा रहे, और माननीय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मंत्री महोदय सारी शक्तियों को केन्द्रित करना चाहते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय, इतिहास इस बात को बताएगा कि आज जो आप कानून बना रहे हैं वह कानून लोकतांत्रिक परम्पराओं को बिलकुल तोड़ने का काम करेगा। अभी चर्चा करते वक्त हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही थी कि जो अमेण्डमेंट आप क्लॉज 15 में ला रहे हैं जिसके तहत एक जांच अधिकारी की बात थी। और जिस अधिकारी में, आपने रिटायर्ड आर.ए.एस. अधिकारी को अधिकृत करने का संशोधन आप लेकर आये हैं और आपने यह कहा था कि यह प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने प्रिंसिपल एक्ट पढ़ा है उसमें रिमूवल आफ द मेम्बर में आप जो जांच कराएंगे वह रिटायर्ड आर.ए.एस. आफिसर से इसलिए कराएंगे कि आप उस पिछले दरवाजे से भी उस लोकतांत्रिक पद्धति से चुने हुए मेम्बर को हटाने का काम करेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह कानून किसी भी तरह से अगर, यह पारित होता है बहुमत के आधार पर पारित तो हो जाएगा, परन्तु यह कानून काला कानून होगा। अतः मंत्री महोदय से मेरा पुनः निवेदन है कि कम से कम आप इस तरह का कानून नहीं बनायें, इसके दूरगामी परिणाम निकलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल मीणा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं अपनी बात तो पूरी कर दूं। यह जो अमेण्डमेंट हमने दिये हैं, मैं विस्तार से उन पर विचार कर चुका हूं, अभी नहीं बोलने का मतलब यह नहीं है कि उनका पक्ष यहां नहीं रख रहा हूं मैं, बल्कि जो मैंने अमेण्डमेंट दिये हैं, बड़ी मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ मैंने रखे हैं और आपको मानने चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं इसका यह मतलब नहीं है कि, मैं अभी नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल चुका हूं खूब, इसलिए नहीं बोल रहा हूं। अब आपसे एक और निवेदन है कि जब चर्चा चल रही थी तो दो तीन बार मैंने मंत्री महोदय के बजाय इनके नाम से संबोधित कर दिया था वह आप डिलीट करवा दें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, आपका वह अधिकार है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, वह विधान सभा की कार्यवाही में नहीं आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल मीणा।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो यह कानून सदन में लाया जा रहा है यह एक काले कानून की संज्ञा में आता है। मंत्री महोदय को इतना भी नहीं होना चाहिए कि इतने लोगों ने इनको...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : कन्हैया लालजी, आपके नगरपालिका है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : नगरपालिका टोडाभीम में है, आपके नहीं है नगरपालिका। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : आपके बूते के बाहर की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी, इन्हें खतम करने दो। माननीय सदस्य इनको बोलने दो।

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब भंवरलालजी बैठ गये तो कन्हैया लालजी के तो बूते के बाहर की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : खतम होने दो न, इनको थोड़ा बोलने दो। थोड़ा खतम कर रहे हैं कि आप लम्बा कर रहे हो। विराजें।

श्री कन्हैया लाल : इन सारी बातों को मानते हुए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको प्रवर समिति को सौंप दें। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : यही बात है क्या। श्री अमरारामजी (अनुपस्थित), श्री हीरासिंहजी (अनुपस्थित), प्रभारी मंत्रीजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष के नेता ने सारा क़ानून, यह जो नये प्रस्ताव आये हैं यह पूरे पढ़कर सिर्फ एक बात पर आब्जेक्ट किया था और उनको आब्जेक्शन यह था कि जिन नोमीनेटेड मेम्बर्स को, यह अधिकार ले रहे हो कि चाहे ज़ब वापस बुला लें, वह मत लीजिये। और मैं उससे एग्री करता हूं और मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी वही प्रक्रिया होगी जो 60 और 63 में दे रखी है। जिस तरीके से इलेक्टेड मेम्बर हटाया जाता है किसी आरोपों पर आज ठीक उसी तरह से अगर हटाया जाएगा तो उसी तरीके से हटाया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-2 में जो संशोधन श्री भंवरलाल शर्मा, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री कन्हैया लाल मीणा, सदस्य विधान सभा ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-3 से 6, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 से 6 स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 से 6 स्वीकार किये गये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह सरकार इसी ढंग से अगर आप...(व्यवधान) इस हाउस का अनादर करते हुए...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : काला कानून पास नहीं होगा। (व्यवधान).

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सारे सदन की भावनाओं का निरादर करते हुए ...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : सदन से भागना है तो भागो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने उसको नकार दिया, सारे हाउस का यह मत है जो भी बोले। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : मंत्री महोदय ने तो जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उनकी भावना आपके सामने रखी, चाहे वह आपके पक्ष के थे चाहे हमारे पक्ष के थे, सब की भावना यह थी कि यही अमेण्डमेंट होने चाहिए। लेकिन आप हठधार्मिता पर अड़े हुए हैं और इसी कारण से हम इसका विरोध करते हैं और वाक आउट करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया)

श्री कन्हैया लाल : आपने अनुसूचित जाति और जनजाति के रिजर्वेशन को भी ऐसा किया है कि उसमें जो व्यक्ति आते हैं वह योग्य व्यक्ति नहीं होते। माननीय मंत्री महोदय, आप यह एस.सी. तथा एस.टी. के साथ बहुत बुरा करने जा रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड-3 से 6 कोई संशोधन नहीं।

श्री रामस्वरूप : कन्हैयालालजी, चिन्ता मत करो, हम आपके साथ हैं, पास करवाओ आप तो।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-3 से 6 स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 से 6 स्वीकार किये गये।

खण्ड-7, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-7 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड-7 स्वीकार किया गया।

खण्ड-8 से 14, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-8 से 14 स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड-8 से 14 स्वीकार किये गये।

खण्ड-15, श्री भंवरलाल शर्मा (अनुपस्थित), श्री हीरासिंह चौहान (अनुपस्थित), श्री अमराराम (अनुपस्थित), श्री राजेन्द्र राठौड़ (अनुपस्थित), प्रभारी मंत्री, कुछ कहना है आपको ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-15 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड-15 स्वीकार किया गया।

खण्ड-16 से 18, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-16 से 18 स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड-16 से 18 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

विधेयक का पारण

प्रभारी मंत्रीजी प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 को पारित किया जाय।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 को पारित किया गया।

राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2000 श्री शांति कुमार धारीवाल।

विधेयक पर विचार

राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2000

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2000 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीसिंहजी भाटी (अनुपस्थित), श्री राजेन्द्र राठौड़ (अनुपस्थित), श्री हीरासिंह चौहान (अनुपस्थित), श्री मदन दिलावर (अनुपस्थित), श्री गणेशीराम मेघवाल (अनुपस्थित), श्री शिवनाथ सिंह।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मुझे विशेष कुछ नहीं कहना है। इसमें जो पोलिथीन और प्लास्टिक बैग्स वाला मामला है यह सदन में पहले भी आया था और यहां सदन में यह राय व्यक्त की गयी थी कि पोलिथीन को बन्द किया जाए। आपने अब यह जो रखा है कि राजस्थान स्टेट में पॉलिथीन और प्लास्टिक का री-साइकिल होकर

(श्री शिवनाथ सिंह)

प्रोडक्शन, सेल, यूज सब बन्द किया जाएगा। आज के दिन जिस प्रकार का यूज पॉलिथीन का हो रहा है और प्लास्टिक री-साइकिल होकर आज चप्पलें बन रही हैं, बैग बन रहे हैं, यह हो रहा है, वह हो रहा है, इस सब को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इसको उचित मानती है कि इतना बड़ा धंधा जो आज लगा हुआ है, इतने लोग-बाग इसमें लगे हुए हैं, लोगों में इतना यूज आ रहा है, गांवों के अन्दर महिलाएं, बच्चे सब प्लास्टिक की चप्पलें पहनती हैं तो इस सब को बंद करने के बाद में रिजल्ट क्या लाना चाहते हो ? यह हमारी समझ में नहीं आया। इसलिए मेरे ख्याल से इसको सोच समझकर करना चाहिए और इतना ड्रास्टिक स्टेप आप ले रहे हो, यह उचित नहीं है। चप्पल वगैरहा सब कुछ इसमें है। मेरे ख्याल से इसमें आज आवश्यकता नहीं है, पूरे देश में वातावरण बन रहा है तो अपने हिसाब से होगा। लेकिन आज के दिन यह मौजू अमेण्डमेंट नहीं है, यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा (अनुपस्थित), श्री संयम लोढ़ा (अनुपस्थित), श्री गुलाब चन्द कंटारिया (अनुपस्थित), मोहम्मद माहिर आजाद (अनुपस्थित), श्री जगत सिंह दायमा (अनुपस्थित), श्रीमती सुमित्रा सिंह।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो केवल इतना ही क्लेरिफिकेशन लेना है कि प्लास्टिक और पॉलिथिन में अन्तर क्या है ? आप किस पर बैन लगा रहे हैं और किसको चालू रख रहे हैं, मेरे तो यही बात समझ में नहीं आ रही है। इसलिए आप थोड़ा इस बात को क्लियर कर दो कि पॉलिथिन और प्लास्टिक में अन्तर क्या है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। माननीय मंत्रीजी, आप जवाब दो तब बोल देना। श्री सुरेन्द्रजी व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्री महोदय, मैं आपसे सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि री-साइकिल्ड पॉलिथिन और प्लास्टिक बैन कर रहे हैं आप। Why not altogether? Why not altogether? री-साइकिल्ड ही तो आप बैन कर रहे हैं ? क्या री-साइकिल्ड में आता है ? फ्रेश तो नहीं आयेगा न इसमें ? नया पॉलिथिन बनायेंगे वह क्यो नहीं बैन कर रहे हैं ? री-साइकिल्ड को कैसे आप पहचानेंगे ? कौन क्या करेगा, बड़ा डिफिकल्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : पूछ लिया न, जवाब दे देंगे। प्रभारी मंत्रीजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पहली बात तो यह है कि जो आपने फरमाया न, री-साइकिल्ड पॉलिथिन हो चाहे प्लास्टिक हो, अगर वह री-साइकिल्ड है और पैकिंग मैटेरियल के लिए काम में लिया जा सकता हो तो उसको बैन करेंगे ताकि सब को बैन नहीं किया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पूरा क्यों नहीं किया गया ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अब सवाल यह है कि क्यों बैन किया गया, पूरा बैन क्यों नहीं किया गया। तो पूरा बैन इसलिए नहीं किया गया कि जो री-साइकिल्ड थैलियां होती हैं वे ही कचरे के रूप में बाजारों में फेंकी जाती हैं। नाली रुक जाती है, सड़कों पर फेंक दी जाती हैं। गायें खा जाती हैं, गायें मर जाती हैं और 200 से लेकर 500 साल तक गलती नहीं हैं, वैसी की वैसी रहती है, इनकी लाइफ इतनी है।

अब सवाल यह है, जो आपने बताया कि री-साइकिल्ड थैलियां कैसे पहचानेंगें। एक तो उनमें एक अलग तरीके के रसायन रंगों से उनको रंगा जाता है। दूसरा यह होता है कि 4 से 7 माइक्रोन मोटाई से बनती है। इतनी पतली बनती है, 4 से 7 माइक्रोन बहुत पतला होता है। मैं आपको बताऊं कि एक माइक्रोन से तात्पर्य यह है कि एक मीटर मोटाई का दस लाखवां हिस्सा अथवा एक मिलीमीटर मोटाई का एक हजारवां हिस्सा। इससे पतली कोई चीज नहीं होती है, इतनी थिन कोई नहीं है। यह आराम से पहचानी जा सकती है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पूरी बैन क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पूरा बैन करने की इसलिए आवश्यकता नहीं कि ज्यादातर खाद्य पदार्थ उन्हीं में बेचे जाते हैं और हैल्थ हैजार्ड है। This is the main reason. वरना तो सारी इण्डस्ट्री बंद हो जाएगी, अगर सारा बैन कर देंगे तो।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2000 को जनमत जानने हेतु पारिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2000 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2000 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड-दो। प्रभारी मंत्रीजी खण्ड-दो में संशोधन प्रस्तुत करेंगे। प्रभारी मंत्रीजी।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी तो हां भरने की आदत पड़ी हुई है। आप कभी तो हां कराओ और कभी ना कराओ, यह हमारी समझ में नहीं आता। हमें तो ट्रेनिंग यही दी गयी कि हां कहना है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्लॉज दो में संशोधन है–

"3. In clause 2 of the Rajasthan Municipalities (Third Amendment) Bill, 2000 by which a new section 228-A is sought to be inserted in the Rajasthan Municipalities Act, 1959 (Act No. 38 of 1959), -

(i) in sub-section (1) thereof, the words 'including packing material' appearing after the words 'or plastic bags' and before the punctuation mark '.', be deleted and

(ii) in sub-section (2) thereof, the words 'or packing material' appearing after the words 'or plastic bags' and before the expression ', shall', be deleted."

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड दो में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-दो में संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड-दो संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-एक, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-एक, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकारी किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड-एक, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

प्रभारी मंत्रीजी प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2000 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2000 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2000 को संशोधित रूप में पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2000 संशोधित रूप में पारित किया गया।

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2000, श्री शांतिकुमार धारीवाल।

विधेयक पर विचार

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2000

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2000 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़ (अनुपस्थित), श्री देवीसिंह भाटी (अनुपस्थित), श्री हीरासिंह चौहान (अनुपस्थित), श्री मदन दिलावर (अनुपस्थित), श्री गणेशीराम मेघवाल (अनुपस्थित), श्री मानिक चन्द सुराना (अनुपस्थित), श्री भंवरलालजी शर्मा (अनुपस्थित), श्री संयम लोढ़ा (अनुपस्थित), श्री गुलाब चन्द कटारिया (अनुपस्थित), श्री शिवनाथ सिंहजी।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जानें का संशोधन प्रस्ताव

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा तो बहुत छोटा सा सबमिशन है। इसमें दो क्लाजेज हैं और एम्स एण्ड आब्जैक्ट जो आपने रखे हैं उनमें, जो क्लॉज "वन" आप लेना चाहते हैं जिसके माध्यम से आप आक्ट्रॉय फिर से लगाना चाहते हैं, यह एम्स एण्ड आब्जैक्ट में नहीं है। आपने बहुत सी डी.बी. के डिसीजंस को रेफर किया है, सुप्रीम कोर्ट को किया है, सब कुछ किया है। उसमें सिर्फ आपकी दो म्युनिसिपैलिटीज में अलवर और शायद जयपुर में जिन लोगों से टैक्स वसूल कर लिया गया था वह वापस नहीं लिया जाए। इसका मैं स्वागत करता हूं और वह वापस नहीं लें तो यह जो इसके सम्बन्ध में क्लाज है वह आप देखिये।

लेकिन या तो आप स्पष्ट रूप से आइये कि हम आक्ट्राज दुबारा लगाना चाहते हैं और यदि इस प्रकार से नहीं है तो यह बैक-डोर एंट्री आक्ट्राय लगाने की है, यह मेरे ख्याल से उचित नहीं है, क्योंकि एक बार आक्ट्राय खतम हुई थी। खतम होने के बाद में नगरपालिकाओं को आक्ट्राय की आमदनी थी, उसको सब्स्टीट्यूट करने के लिए हमने बहुत से प्रावधान और कर लिये, जैसे एन्ट्री टू द म्युनिसिपल टाउन का है या सर्विस चार्जेज का है। बहुत से प्रावधान हमने उस समय यह कहकर किये थे नगरपालिकाओं की आक्ट्राय हमने खतम कर दी है और उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए हम यह कर रहे हैं। आज वह टैक्सेज आपके लागू हो गये जो हमने स्वीकार किये थे आक्ट्राय के अंगैस्ट में, और आज यह नया आक्ट्राय लगाने वाला मामला है।

(श्री शिवनाथ सिंह)

और इसमें भी प्रोविजन्स आपने यह रखे हैं कि एक मामले में तो जबानी कह दो तो ही माना जायेगा बाकी मामलों में, दो मामलों में ट्रक खड़े रहेंगे, आपको लिखित में फोर्म भरना पड़ेगा और जो एक बार मुसीबत बतलाई गई थी कि ट्रकों की लाइन लग जायेगी आक्ट्राय पर, वही फिर पोजिशन आने वाली है।

दूसरी बात, एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम भाजपा की सरकार के खिलाफ थे, इस आक्ट्राय का बराबर हम विरोध करते आ रहे थे। यह हमारी पालिसी, कांग्रेस की पालिसी थी और आज उस पालिसी से हटकर हम किन कारणों से यह वापस कर रहे हैं, यह माननीय उपाध्यक्षजी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं, यह जो प्रोविजन आपने रखे हैं आक्ट्राय लगाने वाले, इसको तो आप डिलीट कर दीजिये और जो दूसरा प्रोविजन वेलिडेशन का है, उसको आप रखिये, यही निवेदन है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगपालिका संशोधन...

श्री शिवनाथ सिंह : इसका जवाब तो देने दो। ये क्या कहना चाह रहे हैं ? ये जवाब तो देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बोलो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, अभी यह जो सवाल है, वह यह है कि जयपुर नगर निगम और अलवर नगर परिषद, इसके पीछे इस वेलिडेशन के बिल को लाने के पीछे कहानी यह है कि कुछ फर्मों ने आक्ट्राय पोस्ट के बाहर अपने स्टोर्स बना लिये, वेयरहाउसेज बना लिये, गोदाम बना लिये। माल वह लाते थे बाहर से और लाकर यह कहकर कि हम जयपुर में नहीं बेच रहे हैं इस माल को और अपने उन गोदामों में रख देते थे। फर्म का जो दफ्तर था यहां पर जयपुर में, बिल यहां कटता था और ग्राहकों को कह दिया जाता था कि वहां जाकर माल उठाकर चल दो, तो उस तरीके से वह लोग किया करते थे। उस पर आक्ट्राय वसूल की नगर निगम जयपुर ने और अलवर की नगर परिषद ने। मामला गया...

श्री उपाध्यक्ष : उसमें तो उनको आब्जेक्शन नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : उस पर तो कोई आब्जेक्शन नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं दो लाइन में ही आपको समझा रहा हूं।

श्री शिवनाथ सिंह : समझा दीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बैक-डोर एंट्री नहीं है, आप तो यह कह दो। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, आक्ट्राय कहां लगा रहे हैं ? आक्ट्राय लगाने का प्रश्न कहां हो रहा है, आक्ट्राय कहां लगा रहे हैं ?

श्री शिवनाथ सिंह : यदि आप यह कहो उपाध्यक्षजी, यदि आप यह कहो कि अलवर और जयपुर से, जो वसूल हो गई, उसके लिए यह कानून है, बाकी और आक्ट्राय इस कानून के द्वारा नहीं लगायेंगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। अब यह स्पष्ट कह दीजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं यह कह रहा हूं ना, जो आप कहलवाना चाहते हो, वही मैं कह रहा हूं।

श्री शिवनाथ सिंह : कह दीजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंगल बैंच ने खिलाफ में फैसला दे दिया दोनों लोकल बोडीज के, दोनों यूनिट्स के, अपील में गई डी.बी. में, वहां पर ये दोनों निगम और परिषद हार गई और सुप्रीम कोर्ट में भी ये हार गई। अब सवाल यह आता है, अगर इस बिल को पास नहीं करते हैं तो छह करोड़ रुपये की देनदारी इन पर पड़ती है 12 प्रतिशत ब्याज को मिलाकर। यह छह करोड़ रुपये इन्होंने, यह जितना भी पैसा उन्होंने वसूल किया, वह सब जन हित में खर्च किया, डवलपमेंट पर पैसा लगा। आज इनकी आर्थिक स्थिति इस प्रकार की नहीं है कि ये उस पैसों को चुका सकें, उसके वेलिडेशन के लिए यह बिल लाये हैं। आप कह रहे हैं कि आक्ट्राय का सवाल है, यह आक्ट्राय का सवाल नहीं है, यह वेलिडेशन का सवाल है।

श्री शिवनाथ सिंह : यह सैक्शन ही आपका आक्ट्राय लगाने का है। आप देख लीजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं साहब, आप देख लें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं पढ़कर बता रहा हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपको निवेदन करूं कि यह तो उसके प्रभाव को....

श्री शिवनाथ सिंह : आपकी आज्ञा से मैं पढ़ रहा हूं –

"Insertion of new section 130-A, Rajasthan Act No.....

"130-A. Production of the goods and making a declaration. (1) Every person bringing within the Muncipal limits goods liable to payment of octroi shall produce such goods at the octroi out-post and shall declare whether goods are intended-..." एवरी परसन जो सामान लायेगा, सब्जेक्ट टू आक्ट्राय है, वह यह करेगा, फोर द कन्जम्पशन ओर यूज, विद्दिन लिमिट होगा, उसको डिक्लेयर करेगा और इमिजियट ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसको डिक्लेयर करेगा और टेम्परेरी डिटेंशन करके उसको ट्रांसफर करेगा, ये तीन कंडीशंस हैं। इसलिए आक्ट्राय का जो प्रोवीजन है, इसमें स्पष्ट है कि आक्ट्राय

(श्री शिवनाथ सिंह)

लागू है वरना तो यह करने की आवश्यकता नहीं है, यह बड़ा स्पष्ट है। 130 (ए) में है। इसको आप पढ़ लीजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उसके प्रभाव को पूर्णगामी प्रभाव से लगाने के लिए लिखना पड़ता है, ताकि अदालत के जो आदेश हैं, उससे रिफण्ड की व्यवस्था को रोका जा सके। अगर यह नहीं लिखेंगे तो यह नहीं रूकेगा, इसलिए लिखते हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : तो यह आप इस क्लाज के अन्दर, उस क्लाज के माध्यम से कोई म्युनिसिपैलिटी अक्ट्रॉय लेना चाहे तो वह ले नहीं सकती है क्या, यह बता दो ना आप उसको।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं ले सकती है। इसको जोड़े बगैर यह वेलिडेशन नहीं हो सकता है। यह वेलिडेशन का है।

श्री शिवनाथ सिंह : किसको जोड़े बगैर नहीं, यह वेलिडेशन वाला नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ये वेलिडेशन मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2000 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर स. करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2000 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड-2 और 3, कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 और 3 स्वीकार किये जायं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक शंका है मुझे, इसी पर है।

श्री उपाध्यक्ष : काहे पर ? आप लास्ट में पूछ लेना ना तो।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 और 3 स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 और 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

प्रभारी मंत्रीजी प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2000 को पारित किया जाये। प्रभारी मंत्रीजी।

विधेयक का पारण

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2000 को पारित किया जाये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी आप कृपा करके इतना बता दें कि यह जुडिशयल प्रोनाउंसमेंट को सरकमवेंट करने के लिए आप बिल लाये हैं और आपने यह एग्जामिन करा लिया होगा, आपके लॉ डिपार्टमेंट की ओपिनियन तो मुझे कोई बहुत प्रभावशाली लगती नहीं है कि यह कहीं आगे जाकर के क्वैश हो जाये, यह भी एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। सिर्फ शंका का निराकरण कर रहा हूं। मैं इसको गलत नहीं मानता हूं। आप वेलिडेशन बिल ला रहे हैं, अच्छा है। लेकिन मुझे यह एप्रिहैंशन है कि चूंकि यह बिल ओस्टेंसिबली जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट को सरकमवेंट करने के लिए लिया जा रहा है, इसमें एडमिटेड फैक्ट्स हैं तो उसके आधार पर यह क्वैश हो गया। एडवोकेट जनरल से आपने राय ली होती तो शायद ज्यादा बढ़िया होता। आपने इसको एग्जामिन करवा लिया है क्या ? नहीं, आते रहे हैं। यह अलग चीज है, वह अलग चीज है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ठीक इसी तरह से मैं एक सैकण्ड में जवाब दे देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : दे दिया ना जवाब, क्या दे रहे हैं आप, कह दिया ना।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ठीक इसी तरीके से आक्ट्राय के बाबत वेलिडेशन के मामले में प्रिवियस गवर्नमेंट के द्वारा बालोतरा, खेतड़ी में और कोटा नगर निगम में ठीक इसी तरीके से पास किया है जो आज तक चैलेंज नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2000 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2000 को पारित किया गया।

सदन की बैठक सोमवार दिनांक 6 नवम्बर, 2000 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.30 बजे सोमवार, दिनांक 6 नवम्बर, 2000 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-95 का विवरण)

परिशिष्ट-"अ"

मुख्य नहर, वितरिका एवं माइनरों की सूची जिनका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

क्रम संख्या	नाम नहर, वितरिका एवं माइनर
1.	गुड़गांवा मुख्य नहर
2.	पहाड़ी वितरिका
3.	पाई वितरिका
4.	डीग वितरिका
5.	टेल वितरिका
6.	सतपुरा माइनर
7.	अहलवाडी माइनर
8.	बामनवाडी माइनर
9.	सहसन माइनर
10.	नेतवारी माइनर
11.	गोसिंघा माइनर
12.	कंचननेर माइनर
13.	कठोम माइनर
14.	रावलका माइनर
15.	भौरी माइनर
16.	धीमरी माइनर

क्रम संख्या	नाम नहर, वितरिका एवं माइनर
17.	हथीन माइनर
18.	पोसर माइनर
19.	बामनी माइनर
20.	रसूलपुर माइनर
21.	बडकली माइनर
22.	नौगांव माइनर
23.	रामडी माइनर
24.	नौनेरा माइनर
25.	नौनेरा-I माइनर
26.	नौनेरा-II माइनर
27.	किरावटा माइनर
28.	बम्बारी माइनर
29.	भौगरा माइनर
30.	नगला सियालती माइनर
31.	सहेडा माइनर
32.	वासी डेहरा माइनर
33.	नगला जालिम सिंह माइनर
34.	पाटली माइनर
35.	कनवारी माइनर
36.	घिलावटी सब माइनर
37.	इन्द्रोली माइनर

क्रम संख्या	नाम नहर, वितरिका एवं माइनर
38.	पोस्ता माइनर
39.	धमारी माइनर
40.	इकलेरा माइनर
41.	श्रीपुर माइनर
42.	परमदरा माइनर
43.	बहज माइनर
44.	दीदावली माइनर
45.	निगोही माइनर
46.	बेरई माइनर
47.	निगोही सब माइनर
48.	कुचावटी माइनर
49.	खोहरी माइनर
50.	खोह माइनर
51.	जगमाल माइनर
52.	अकाता माइनर
53.	उदाका माइनर
54.	कुलवाना माइनर
55.	घिलावटी माइनर

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-100 का विवरण)

परिशिष्ट-'क'

राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में संस्थावार लिए जाने वाले ऋण का विवरण

क्र.सं.	ऋण का प्रकार	चालू वर्ष 2000-2001 के लिए आय-व्ययक अनुमान
1.	बाजार कर्जे	902.32
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम	15.39
3.	भारतीय सामान्य बीमा निगम	14.69
4.	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	120.92
5.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	—
6.	हाउसिंग डवलपमेंट फाइनेन्स कारपोरेशन लि.	15.00
7.	अन्य संस्थाओं से कर्ज	—
8.	भारतीय रिजर्व बैंक से मार्गोपाय अग्रिम	1200.00
	योग	**2268.32**
9.	केन्द्रीय सरकार से ऋण	3269.17
	कुल योग	**5537.49**

बजट अनुमानों के पश्चात् अकाल राहत कार्यों हेतु 144.26 करोड़ रुपये व बीसलपुर बांध परियोजना हेतु 106.03 करोड़ रुपये प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से अनुबंध किये गये हैं। इस प्रकार इस वर्ष कुल 5787 करोड़ 78 लाख रुपये ऋण लेने का अनुमान है।

परिशिष्ट-'ख'

भारत के विभिन्न राज्यों पर प्रति व्यक्ति ऋण भार

क्र.सं.	राज्य	प्रति व्यक्ति ऋण भार (रुपयों में)
1	2	3
1.	गोवा	16555.56
2.	सिक्किम	16019.66
3.	मिजोरम	12811.59
4.	अरूणाचल प्रदेश	12766.20
5.	नागालैंड	12735.54
6.	हिमाचल प्रदेश	11784.95
7.	पंजाब	11306.58
8.	जम्मू एवं कश्मीर	9483.09
9.	हरियाणा	7272.23
10.	मणिपुर	6750.14
11.	केरल	6100.21
12.	त्रिपुरा	6053.68
13.	**राजस्थान**	**5840.57**
14.	पश्चिमी बंगाल	5737.54
15.	उड़ीसा	5656.35
16.	गुजरात	5401.84
17.	मेघालय	5329.58

(श्री रमेश खींची)

(2) जिला अलवर में कितने पंजीकृत बीज उत्पादक हैं तथा कितने उत्पादक हाइब्रिड बीजों का उत्पादन भी करते हैं ? क्या खेड़ली कस्बे में उत्पादक मारुति सीड्स कार्पोरेशन एवं कृष्णा सीड्स कार्पोरेशन हाइब्रिड एवं रिसर्च किस्मों का उत्पादन भी करते हैं ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(3) बीज निरीक्षकों द्वारा कितने क्षेत्र का निरीक्षण किन मानदण्डों के आधार पर किया जाता है ?

(4) जिला अलवर में गत वर्ष कितने क्षेत्र में कितने प्रमाणित बीजों का उत्पादन कर कृषकों को वितरित किया गया ?

(5) क्या बीज उत्पादक संस्थाएं अपने गोदामों में प्रमाणित बीजों के अतिरिक्त उपज का भी संग्रहण कर सकती हैं ? यदि हां, तो क्या संग्रहण किया गया ?

(6) बीज उत्पादक संस्थाओं को प्रमाणित बीजों की थैलियों पर लगाये जाने वाले टेग, सील किस आधार पर उपलब्ध कराये जाते हैं और क्या पैकिंग के समय अधिकृत बीज निरीक्षक मौजूद रहते हैं ? क्या इसके साथ पैकिंग के समय क्षेत्रीय प्रगतिशील कृषक या अन्य संस्थाओं के व्यक्ति/जन प्रतिनिधि की मौजूदगी कृषि विशेषज्ञों की राय में आवश्यक है ?

(7) क्या उत्पादक संस्था द्वारा उत्पादित प्रमाणित बीजों की खरीद का रिकार्ड संधारित किया जाता है ? क्या समय-समय पर रिकार्ड में दर्ज स्टाक के मुताबिक मौजूदा स्टाक का मिलान किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या सरकार भविष्य में कृषकों/जनप्रतिनिधियों की एक समिति बनाकर थैलियों पर टेग लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रमाणित बीजों के उत्पादन हेतु कृषकों का चयन बीज उत्पादक संस्था स्वयं करती है। बीज अधिनियम 1966 में इसका कोई आधार नहीं है अतः राज्य में चयनित कृषकों की सूची नहीं रहती है।

(2) अलवर ज़िले में वर्तमान में 12 बीज उत्पादक संस्थायें पंजीकृत हैं। इन में से मात्र 6 संस्थाओं ने ही बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया है। इस वर्ष किसी भी संस्था ने अधिसूचित हाइब्रिड बीज का उत्पादन नहीं किया है। मारूती सीड्स कार्पोरेशन तथा कृष्णा सीड्स कार्पोरेशन द्वारा गैर अधिसूचित हाइब्रिड एवं रिसर्च किस्मों के उत्पादन की सूचना सरकार के पास नहीं रहती हैं।

(3) बीज निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण हेतु क्षेत्र का मापदण्ड निर्धारित नहीं है पर औसतन एक निरीक्षक द्वारा 2000 से 2500 एकड़ क्षेत्र का निरीक्षण किया जाता है जो निर्धारित न्यूनतम प्रमाणीकरण मानकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

(कृषि मंत्री)

(4) जिला अलवर में गत वर्ष 6661 एकड़ में 49041 क्विंटल बीज प्रमाणित किया गया। जिसका वितरण उत्पादक संस्था द्वारा अपने स्वयं के स्तर पर करना होता है।

(5) गोदामों में प्रमाणित बीजों के अतिरिक्त उपज रखने का बीज नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

(6) बीज उत्पादक संस्थाओं को बीज प्रमाणित होने पर टैग व सील उपलब्ध कराई जाती है। पैकिंग के समय अधिकृत बीज निरीक्षक मौजूद रहते हैं। जिस कृषक का बीज होता है वह उपस्थित रह सकता है। बाकी की आवश्यकता नहीं है।

(7) जी, हां। प्रमाणित बीज की खरीद एवं बेचान का रिकार्ड स्वयं बीज उत्पादक द्वारा अपने स्तर पर रखा जाता है। बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा "रा" (कच्चा) बीज प्राप्त करते समय भौतिक सत्यापन किया जाता है और उसी के अनुसार प्रमाणीकरण किया जाता है।

(8) वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

नहरों के खालों व मोघों से पानी की चोरी पर रोक

103. **श्रीमती सुचित्रा आर्य** (नोहर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सिद्धमुख नहर परियोजना के निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है ? हरियाणा राज्य में उक्त नहर का कितना निर्माण हो चुका है तथा कितना शेष है और शेष कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार भाखड़ा नहर सहित अन्य नहरों की सिल्ट निकालने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) अमर सिंह ब्रांच के मोघों को तोड़ने पर सरकार ने अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार नहरों के पानी की चोरी पर रोक लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) नहरों के मोघों को बार-बार बदलने का क्या आधार है और अमरसिंह ब्रांच की अन्य ब्रांचों को कब तक पक्का कर दिया जायेगा ?

(6) क्या सरकार भाखड़ा क्षेत्र के खालों को पक्का करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सिद्धमुख नोहर परियोजना के अन्तर्गत सितम्बर, 2000 तक की प्रगति

(सिंचाई मंत्री)

पंजाब राज्य में भाखड़ा मुख्य नहर 142 कि.मी. के विरुद्ध 112 कि.मी., हरियाणा राज्य में कुल 157 कि.मी. के विरुद्ध 105 कि.मी., राजस्थान राज्य में 491 के विरुद्ध 482.0 कि.मी. नहरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। हरियाणा राज्य में सितम्बर, 2000 को 52 कि.मी. नहरों का निर्माण कार्य शेष है। पुलों एवं हैड रेगुलेटर को लाइनिंग से जोड़ने का कार्य जो नहर बंदी से संबंधित होने से शेष कार्य जून, 2001 तक पूर्ण किया जाना संभव होगा। भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण परिशिष्ट-'अ' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) नहर की सिल्ट सफाई का कार्य सामान्य रख-रखाव की श्रेणी में आता है और वित्तीय साधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाना संभव होता है। वर्तमान में सिल्ट निकालने का कार्य प्रगति पर है जो 30.11.2000 तक पूर्ण किया जाना संभव होगा। इसके अतिरिक्त इस कार्य हेतु कृषकगणों का सहयोग भी लिया जाना प्रस्तावित है।

(3) अमरसिंह सब-ब्रांच के मोघों को तोड़ने पर विभाग द्वारा दोषियों के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट करवाई गई तथा की गई अनाधिकृत सिंचाई पर तावान की कार्यवाही भी प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट-'ब' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) जी हां। ऐसे मामलों में दोषियों को सिंचाई पानी से वंचित किया जाता है तथा की गई अनाधिकृत सिंचाई पर तावान कायम करने की कार्यवाही की गई है। विवरण परिशिष्ट-'स' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(5) एक चक से दूसरे चक में रकबा स्थानान्तरण होने पर या कोई मोघा अधिकृत क्षमता से कम या ज्यादा पानी लेता है तो उस चक के किसानों को हक के अनुसार पानी उपलब्ध करवाने के लिए मोघों में बदलाव/संशोधन किया जाता है। अमर सिंह सब ब्रांच प्रणाली की नहरों को पक्का करने का प्रस्ताव राजस्थान जल क्षेत्र पुर्नसंरचना परियोजना (आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी.) में विचाराधीन है जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है।

(6) भाखड़ा क्षेत्र के खालों (वाटर कोर्स) को पक्का करने का कार्य सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के अनुसार किया जाना संभव हो सकेगा।

(विवरण की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

उपनिदेशक शिक्षा, अजमेर के विरुद्ध की गई जांच पर कार्यवाही

104. **श्री गोविन्द सिंह** (नसीराबाद) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(श्री गोविन्द सिंह)

क्या यह सही है कि अजमेर जिले में समानीकरण/समायोजन कार्यक्रम के तहत उपनिदेशक (प्रा.) शिक्षा द्वारा की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में विधायक की शिकायत दिनांक 30.5.2000 पर विशेष शिक्षा सचिव को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो कब तथा उनके द्वारा की जांच और उस पर अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, हां। विशिष्ट शासन सचिव को दिनांक 16.6.2000 को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।

जांच रिपोर्ट का उपसंहार संलग्न है एवं उस पर कार्यवाही विचाराधीन है।

(प्राथमिक प्रतिवेदन समानीकरण योजना उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, अजमेर)

उपसंहार

उपर्युक्त समीक्षात्मक विवेचन से इस जांच कार्यवाही का सारांश इस प्रकार है :–

1. कि राज्य सरकार की शिक्षक समानीकरण नीति के निर्देशों के क्रियान्वयन में उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा के अधीन कार्यरत जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक–प्रथम सुश्री कुसुम टण्डन से भारी अनियमितताएं हुई हैं।

2. कि उक्त नीति के अन्तर्गत समानीकरण के अन्तर्गत होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया सुनिश्चित किये जाने की कार्यवाही में केवल जिला शिक्षा अधिकारी की ही भूमिका नहीं रहती, अपितु उसके लिये मण्डल अधिकारी के रूप में श्रीमती ऐलिस इलियास, उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर के प्रतिनिधि अधिकारी के रूप में श्री प्रकाश स्वामी भी वरिष्ठ अधिकारी के रूप में सीधा नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण निरीक्षण के उत्तरदायित्व में असफल रहने के लिए परोक्ष रूप से दोषी हैं।

3. कि निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर के प्रासंगिक आदेशों (एक्जी-5 पृ. 156/सी) के अनुसरण में गठित पुनर्वीक्षण समिति के आदेश क्रियान्वयन में उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, अजमेर श्रीमती ऐलिस इलियास ने अपने कार्य निष्पादन में आवश्यकता से अधिक समय लिया और समानीकरण आदेशों में जहां-जहां त्रुटियां, अनियमितताएं पाई गई का आंकलन तो किया किन्तु एक ही श्रेणी के मामलों में जो सुधारात्मक/उपचारात्मक आदेश उन्होंने स्वयं अपने स्तर पर तुरन्त जारी करना चाहिए था, को पूर्णरूपेण जारी नहीं किया। ऐसा किये जाने में वे किसी भ्रष्टाचार आचरण में लिप्त नहीं पाई गई है किन्तु यह उनके स्तर के उच्च अधिकारी की प्रशासनिक दक्षता, निष्पक्षता एवं स्वाभाविक क्रिया (फेयर प्ले) की अपेक्षा में उनका खरा नहीं उतरना अवश्य साबित करता है।

4. कि कतिपय मामलों में क्रियान्वयन आदेश जारी नहीं करने हेतु उप निदेशक श्रीमती ऐलिस इलियास ने मौखिक आदेश जारी किये जो कि उनके कथनानुसार जिला कलेक्टर श्रीमती उषा शर्मा एवं विकास आयुक्त श्री एम.डी. कोरानी साहब के निर्देशानुसार दिये गये। इस बिन्दु पर इन दोनों वरिष्ठ अधिकारियों की राय जानकर ही कोई निश्चित अवधारणा तय की जानी चाहिए।

5. कि इस विषय पर अनेक स्तरों पर पूर्व में जांच हो चुकी है– जिला कलेक्टर, अजमेर के आदेशानुसार अतिरिक्त कलेक्टर, भू-रूपान्तरण, अजमेर श्री बी. डी. मिश्रा द्वारा एवं स्वयं उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, अजमेर ने निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर के आदेशों के अनुसरण में। यह दोनों जांच प्रतिवेदन निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर के कार्यालय में प्राप्त हो चुके हैं, जिन पर उचित स्तर पर समुचित विचार किया जाकर इस महत्त्वपूर्ण विषय के विभिन्न पहलुओं पर प्रशासनिक निर्णय अपेक्षित है।

6. कि स्वयं उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, अजमेर के पुनरावलोकन (एक्जी-6-प. 185 से 250/सी) एवं उक्त प्रक्रिया के बाद वे समस्त मामले जो कि समानीकरण योजना के स्थाई नीति-निर्देशों (एक्जी-6 के पृ. 192-193/सी एवं पृ. 215 से 217/सी) के उल्लंघन के पाये गये और जिनको सामान्य स्थानान्तरण प्रतिबंध की वजह से अभी तक रोका हुआ है, तात्कालिक उपचारात्मक कार्यवाही अपेक्षित है ताकि इस सम्बन्ध में असंतोष समाप्त हो सके।

7. कि अधोहस्ताक्षरकर्ता का यह प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा-द्वितीय, अजमेर श्री के.एम. गोयल द्वारा किये गये समानीकरण आदेशों के बारे में कोई जांच कार्यवाही किए बिना ही प्रस्तुत किया जाता है, अतः उक्त जिला शिक्षा अधिकारी, के द्वारा उक्त अवधि में किये गये आदेशों पर पृथक से निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर के वरिष्ठ अधिकारी से जांच करवा लिया जाना समीचीन होगा।

8. कि सर्वश्री जितेन्द्र सिंह रावत एवं श्री लक्ष्मीकांत बंसल निलम्बित कर्मचारियों में से श्री जितेन्द्र सिंह रावत, कार्यालय सहायक ने यहां प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये हैं (पृ. 145-146/सी एवं पृ. 253-266/सी) यह प्रार्थना-पत्र प्रशासनिक प्रकृति के हैं, जिन पर जांच अधिकारी के स्तर पर कोई टिप्पणी समीचीन नहीं है, सिवाय इसके कि इस पर संबंधित सक्षम अधिकारी स्वयं अपने स्वविवेक से शीघ्र निर्णय लें।

दिनांक : 11.7.2000
जयपुर (राज.)

ह०/–
(नरहरि शर्मा)
जांच अधिकारी एवं विशिष्ट
शासन सचिव, शिक्षा विभाग

राज्य में बछड़ों की बिक्री पर रोक

105. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार राज्य में बछड़ों की बिक्री पर लगी रोक को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त रोक लगने के बाद राज्य के प्रमुख पशु मेलों में बछड़ों की बिक्रीं नहीं होने से पशुपालक एवं सरकार को कितना नुकसान हुआ है ?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार 3 वर्ष से कम उम्र के बछड़ों को राज्य के बाहर ले जाने पर लगायी गई रोक के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में स्पेशियल लीव पीटिशन एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र दायर किया है जो कि वर्तमान में लम्बित है।

(2) बछड़ों को राज्य के बाहर ले जाने पर लगी रोक के कारण राज्य स्तरीय पशु मेलों से पशु पालकों को अनुमानितः 535.03 लाख रुपये तथा राज्य सरकार को 119210/– रुपये की हानि होना संभावित प्रतीत होता है।

विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त सहायता

106. **श्री लक्ष्मण सिंह रावत** (भीम) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में विभिन्न विदेशी संस्थाओं/विश्व बैंक आदि के सहयोग से कई योजनाएं चल रही हैं ? यदि हां, तो कौन-कौनसी योजनाऐं कितनी-कितनी राशि की हैं ?

(2) विदेशी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सहायता में से कितना ऋण है और कितना अनुदान है ?

(3) उक्त राशि पर ब्याज की दर क्या है ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में विभिन्न विदेशी संस्थाओं/विश्व बैंक आदि के सहयोग से वर्तमान में संचालित योजनाओं की सूची एवं उन पर व्यय की जाने वाली राशि (परियोजना लागत) परिशिष्ट-'अ' पर दी गई है।

(2) भारत सरकार द्वारा विदेशी संस्थाओं से सीधे सहायता प्राप्त कर, राज्य सरकार को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में राशि उपलब्ध कराई जाती है जिसमें से 70 प्रतिशत ऋण के रूप में तथा 30 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है।

(3) उक्त सहायता राशि भारत सरकार द्वारा 12.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराई जा रही है।

परिशिष्ट-'अ'

वर्तमान में व्यय पुनर्भरण आधारित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	योजना/परियोजना का नाम	वित्तीय संस्था का नाम	परियोजना लागत	बाह्य सहायता	राज्य हिस्सा
1	2	3	4	5	6
1.	राज्य उच्च मार्ग परियोजना (एन.एच.) (पी.सी.सी. अध्ययन कार्य)	विश्व बैंक	#21.00	16.00	5.00
2.	जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम परियोजना	विश्व बैंक	643.63	514.90	*128.73
3.	ग्रामीण पेयजल योजना (आपणी योजना) फेज-I	के.एफ.डब्लू. जर्मनी	399.27	289.46	99.82
4.	अलाभान्वित समूह हेतु आवासीय विद्यालय परियोजना	के.एफ.डब्लू. जर्मनी	49.45	34.62	14.53
5.	इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में वना-रोपण एवं चरागाह विकास परियोजना	जे.बी.आई.सी. जापान	133.00	113.05	19.95

1	2	3	4	5	6
6.	राजस्थान वानिकी विकास परियोजना	जे.बी.आई.सी.जापान	146.00	124.10	21.90
7.	सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना	यूरोपियन आर्थिक समुदाय	309.06	228.70	80.36
8.	पुष्कर सरोवर क्षेत्र में समन्वित जलग्रहण प्रबन्धन परियोजना	आई.ई.सी.एफ. कनाडा	4.09	2.86	**1.23
9.	छः प्रमुख शहरों की ढांचागत संरचना विकास परियोजना	एशियन विकास बैंक	1529.00	1055.00	474.00
	कुल		**3234.50**	**2378.69**	**845.52**

*** 5% लाभार्थी हिस्सा** **** 10% लाभार्थी हिस्सा** **# तकनीकी सहायता ऋण**

सदर चिकित्सालय, धौलपुर में आई. वार्ड का निर्माण

107. **श्री शिवराम सिंह कुशवाह** (धौलपुर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सदर चिकित्सालय, धौलपुर में आई. वार्ड निर्माण हेतु स्वीकृति कब प्रदान की गई और कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

(2) उक्त आई. वार्ड के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) अब तक उक्त वार्ड का निर्माण न करने के क्या कारण हैं ? क्या उक्त वार्ड निर्माण हेतु जगह उपलब्ध है ? उक्त निर्माण न करने पर किस स्तर पर विलम्ब हुआ है ?

(4) क्या सरकार उक्त वार्ड निर्माण में विलम्ब के लिए दोषी पाये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) स्वीकृति दिनांक 12.8.98 को प्रदान की गई तथा आई. वार्ड तथा आपरेशन थियेटर हेतु रु. 20 लाख राशि स्वीकृत की गई।

(2) धौलपुर में आपरेशन थियेटर/आई वार्ड का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। कारण प्रश्न के भाग 3 में नीचे दिये जा रहे हैं।

(3) भारत सरकार द्वारा आपरेशन थियेटर/आई वार्ड के निर्माण के सम्बन्ध में ऐसे दिशा-निर्देश दिये गये हैं कि आपरेशन थियेटर/आई वार्ड का निर्माण वर्तमान चिकित्सालय भवन के साथ ही किया जावे। लेकिन चिकित्सालय के पास पर्याप्त जमीन न होने के कारण यह निर्णय लिया गया। आपरेशन थियेटर/वार्ड के निर्माण हेतु चिन्हित भूमि में कुछ पुराना निर्माण आ रहा है, अतः इस हिस्से को डिमोलिश कर निर्माण कार्य आरम्भ करवाया जाये। यह स्वीकृति 26.8.2000 को जारी की गई थी। लेकिन अभी तक भी पुराने निर्माण के डिमोलिश न होने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है।

(4) निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने के लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है, अतः किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

पुष्कर सरोवर हेतु संचालित गेप योजना

108. **श्री रमजान खान** (पुष्कर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पुष्कर सरोवर में वर्षा के पानी से हजारों टन मिट्टी बहकर प्रति वर्ष आती रहती है ?

(2) क्या उक्त मिट्टी को रोकने के लिये कनाडा सरकार की मदद से भू-संरक्षण

(श्री रमजान खान)

विभाग द्वारा पुष्कर गेप परियोजना पर कार्य करवाया गया है ? यदि हां, तो उक्त परियोजना को कौन से वर्ष में शुरू किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पुष्कर गेप योजना पर कौन-कौन से वर्ष कितनी-कितनी राशि व्यय की गई और उक्त वर्षों के दौरान क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी राशि के करवाये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त परियोजना पर करोड़ों रुपये व्यय करने के बाद भी मिट्‌टी का बहाव नहीं रुका है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इण्डो कनाडा इन्वायर्नमेण्ट फेसिलिटी (आई.सी.ई.एफ.) के सहयोग से पुष्कर गेप परियोजना 1 अप्रेल, 1997 से क्रियान्वित की जा रही है। जिसका उद्देश्य परिस्थितिकीय पुनरूद्धार कृषि एवं अकृषि योग्य भूमि का सुधार वानस्पतिक आवरण में वृद्धि, मृदा क्षरण रोकना तथा मृदा कणों को पुष्कर सरोवर के कैचमेंट क्षेत्र में जाने से रोकना, भू-जल स्तर में वृद्धि, चरागाह विकास, महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन, कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा अधिकाधिक जन सहयोग के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं को विकसित करना आदि है।

(3) पुष्कर गेप योजना अन्तर्गत करवाये गये कार्यों एवं व्यय का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	कार्य का नाम	वर्षवार व्यय की गई राशि			
		1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5	6
1.	सर्वे एण्ड प्रोजेक्टाइजेशन	4.54	1.18	0.90	1.92
2.	प्रशिक्षण	0.49	4.07	5.86	3.52
3.	रिसर्च एण्ड इनोवेशन	0.29	0.30	1.43	0.10
4.	नर्सरी	2.73	2.59	2.24	1.41
5.	सामुदायिक केन्द्र	1.48	1.25	1.54	0.23
6.	अरेबल सिंचित क्षेत्र	11.27	9.83	10.26	2.40
7.	अरेबल असिंचित क्षेत्र	7.68	29.45	17.90	7.50

(कृषि मंत्री)

1	2	3	4	5	6
8.	चरागाह विकास	15.13	21.69	7.70	6.00
9.	अकृषि योग्य उपचार	7.65	13.64	6.60	4.69
10.	नाला उपचार	27.42	35.24	31.25	19.60
11.	लाइव स्टाक	2.43	3.98	–	0.44
12.	अन्य	–	0.03	3.21	2.06
	योगफल	**81.11**	**123.25**	**88.89**	**49.87**

(4) परियोजना का उद्देश्य केवल मिट्टी का बहाव रोकना नहीं है, जैसा कि क्रमांक-2 के उत्तर के अवलोकन से स्पष्ट है। परियोजना के क्रियान्वयन के सार्थक व सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

हनुतपुरा (जयपुर) में अनुसूचित जाति की भूमि पर अतिक्रमण

109. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील शाहपुरा (जयपुर) में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की काश्त भूमि पर सवर्ण जाति द्वारा किये गये अतिक्रमण के कितने मामले विचाराधीन हैं और उक्त प्रकरण कितने समय से लंबित हैं ?

(2) क्या ग्राम हनुतपुरा (खोरा लाडखानी), तहसील शाहपुरा (जयपुर) के रूपा, छोटू, मंगल पुत्र स्व. श्री कजोड बलाई व गोरधन पुत्र देवू बलाई वगैराह की भूमि पर सवर्ण जाति के व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखा है ? उक्त व्यक्तियों पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या थाना मनोहरपुर, जिला जयपुर में मुकदमा नं. 63/97 दर्ज हुआ ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में पुलिस प्रशासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या ग्राम खोरा लाडखानी, तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर) के सीमा विवाद का निर्धारण दिनांक 14.8.81 को हो चुका है ? यदि हां, तो फिर अनावश्यक रूप से सीमा विवाद का सहारा लिया जाकर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को क्यों परेशान किया जा रहा है ?

(5) क्या जिला कलेक्टर के आदेश क्रमांक 12211 दिनांक 27.11.97 को सीमा

(श्री भंवरलाल शर्मा)

विवाद के निर्धारण हेतु राजस्व ऐजेन्सी का गठन किया गया ? क्या सीमा विवाद की रिपोर्ट राजस्व अधिकारी तहसीलदार ने अपने सम्मुख रिपोर्ट तैयार कराई गई, तो तहसीलदार शाहपुरा को लगभग दो माह बाद सेटलमेंट के माध्यम से भेजने का क्या औचित्य है।

उत्तर

(1) तहसील शाहपुरा (जयपुर) में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की काश्त भूमि पर सवर्ण जाति द्वारा किये गये अतिक्रमणों का कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

(2) ग्राम हनुतपुरा (खोरा लाडखानी) तहसील शाहपुरा में रूपा, छोटू, मंगल पुत्र स्व. कजोड बलाई व गिरधारी पुत्र देवी सहाय बलाई वगैराह की भूमि की सीमा जोड़ कर सवर्ण जाति के पड़ौसी कृषक विजय पाल सिंह, करतार सिंह पुत्र लीलाराम जाट के बीच सीमा का विवाद है। इस सम्बन्ध में एक दावा सीमा निर्धारण एवं स्थाई निषेधाज्ञा व बेदखली का विजयपाल सिंह, करतार सिंह पुत्र स्व. श्री लीलाराम जाट द्वारा सुन्दर लाल, सूवालाल, छोटूराम, रूपाराम के विरुद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर, शाहपुरा में वर्ष 1997 में प्रस्तुत किया था। जो वर्तमान में विचाराधीन है। इस वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना-पत्र पर न्यायालय सहायक कलक्टर, शाहपुरा के अपने निर्णय दिनांक 7.12.97 में अप्रार्थीगण सुन्दर लाल, सूवालाल वगैराह को व प्रार्थीगण विजयपाल सिंह वगैराह को एक दूसरे की भूमि से जबरन बेदखल कर खुद कब्जा काश्त न करने, सींव डोली को किसी प्रकार से खुर्द-बुर्द न करने हेतु ताफैसला दावा पाबन्द कर रखा है।

(3) जी हां, श्री ओम प्रकाश पुत्र मंगलाराम बलाई, नि. हनुतपुरा (खोरा लाडखानी) द्वारा दिनांक 23.5.97 को धारा 147, 447, 323 भा.दं.सं. व त-3 (4-5-10) अनुसूचित जाति/जनजाति एक्ट का मुकदमा नं. 63/97 दर्ज करवाया गया था। उक्त मुकदमें में एफ. आर. अदमवकु गलतफहमी वाका का पाये जाने पर एफ. आर. नं. 45/98 दिनांक 7.7.98 को न्यायालय ए.सी.जे.एम. शाहपुरा में पेश किया गया। जो दिनांक 18.10.2000 को न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया।

(4) ग्राम खोरा लाडखानी, तहसील शाहपुरा व ग्राम बामनवास, बोबाडी तहसील जमवारामगढ के सीमा विवाद का निवारण दिनांक 14.8.81 को भू-प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान हो गया था तथा सुन्दर लाल पुत्र कजोड़मल द्वारा सीमाज्ञान कराने हेतु एक प्रा. पत्र वर्ष 1996 में प्रस्तुत किया था। जिस पर पुनः सीमाज्ञान करवा दिया गया। परन्तु वर्ष 1997 में विजयपाल सिंह, करतार सिंह द्वारा सीमा निर्धारण हेतु न्यायालय में वाद दायर कर दिया गया है।

(5) जिला कलेक्टर, जयपुर के आदेश क्रमांक 12211 दिनांक 27.12.97 से सीमा विवाद के निर्धारण हेतु राजस्व ऐजेन्सी का गठन किया गया था। जिसमें दिनांक

(राजस्व मंत्री)

21.1.98 को सीमाज्ञान कराने के निर्देश दिये गये थे परन्तु इस अवधि में लोकसभा चुनावों में व्यस्तता के कारण सीमाज्ञान की तिथि पुनः भू-प्रबन्ध विभाग की सहमति से दिनांक 18.3.98 नियत की गई थी। जिसके आधार पर सीमाज्ञान की रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा तैयार की गई। जिसके अनुसार विवादित भूमि लगभग 400 मीटर चौड़ी पट्टी 2000 मीटर की लम्बाई तक पुनः कब्जे के अनुसार सर्वे करवाकर मैप करेक्शन होने पर ही विवाद का हल सम्भव है।

राज्य में भवन विहीन शिक्षा केन्द्र

110. **श्री अमीन खान** (शिव) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं कितनी चल रही हैं ?

(2) राज्य में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र एवं शिक्षा कर्मी केन्द्र कितने हैं ? जिला व पंचायत समितिवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में ऐसी कितनी राजीव गांधी एवं शिक्षा कर्मी स्कूलें हैं जो बिना भवन के चल रही हैं ? बिना भवन स्कूलों में कब तक भवन बनाने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) राज्य में 11847 राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाऐं चल रहीं हैं। जिलेवार संख्या सूची संलग्न है।

(2) राज्य में संचालित अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र एवं शिक्षाकर्मी केन्द्रों का जिलेवार व पंचायत समितिवार संख्या सूची संलग्न है।

(3) राज्य में 4283 राजीव गांधी पाठशालाऐं एवं 538 शिक्षाकर्मी विद्यालय भवन रहित हैं। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं ग्राम सभा द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार भवन निर्माण का कार्य करवाया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में आवंटित राशि का उपयोग

111. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्रामीण विकास मंत्रालय की केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 के मध्य किन-किन योजनाओं में कितना-कितना धन आवंटित किया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवंटित राशि का उपयोग कब-कब कितना-कितना किया गया ? क्या सम्पूर्ण राशि का व्यय कर लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(3) क्या यह सही है कि केन्द्र द्वारा प्राप्त राशि का उपयोग नहीं करने के कारण आवंटित राशि में कमी हुई है ? यदि हां, तो विकास अवरूद्ध करने में सरकार दोषी किसे मानती है ?

उत्तर

(1) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पोषित योजनाओं के तहत वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 के दौरान योजनावार आवंटित राशि का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर अवलोकनीय है।

(2) आवंटित/निर्मुक्त की गई राशि के उपयोग का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-"अ" में सम्बन्धित योजना के सम्मुख अंकित है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 में माह मार्च-2000 के अन्तिम सप्ताह में राशि निर्मुक्त किये जाने के कारण निम्न योजनाओं में व्यय राशि में कमी रही है :–

1. इन्दिरा आवास योजना (क्रमोन्नत आवास)
2. ऋण एवं अनुदान योजना
3. मरू विकास कार्यक्रम
4. सुनिश्चित रोजगार योजना (जलग्रहण)
5. सुनिश्चित रोजगार योजना (सामान्य)

(3) जी नहीं।

परिशिष्ट-"अ"

वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में योजनावार राशि का आवंटन, निर्मुक्त एवं व्यय राशि का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्ष 1999-2000			वर्ष 2000-2001			अभियुक्ति
		आवंटित राशि	निर्मुक्त राशि	व्यय राशि	आवंटित राशि	निर्मुक्त राशि	व्यय राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार	4765.10	4765.10	6270.68	2641.59	1229.75	1190.18	
2.	**इन्दिरा आवास योजना**							
	(अ) नवीन आवास निर्माण	3575.56	2753.70	4759.45	3748.53	1933.36	1918.22	
	(ब) क्रमोन्नत आवास	862.13	855.93	617.17	862.13	423.09	345.85	
3.	ऋण एवं अनुदान योजना	275.30	136.83	—	410.49	—	20.28	भारत सरकार से राशि दिसम्बर, 1999 में प्राप्त हुई है तथा बैंकों द्वारा उक्त कार्य में अपेक्षित सहयोग नहीं किया जा रहा है, जिससे उक्त योजना में व्यय नहीं किया जा सका।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	–	–	–	1446.00	723.00	–	
5.	सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम	753.50	753.50	785.57	788.80	788.80	391.16	यह 4 वर्षीय परियोजनाकाल हेतु स्वीकृत योजनाएं हैं।
6.	मरु विकास कार्यक्रम	4729.10	4729.10	3084.35	2328.55	2328.55	2901.15	
7.	सुनिश्चित रोजगार योजना (जलग्रहण)	4197.91	4197.91	3504.91	2412.78	2412.78	2276.38	
8.	जवाहर ग्राम समृद्धि योजना	7125.14	7125.14	8149.69	6672.55	6194.32	6422.20	
9.	सुनिश्चित रोजगार योजना	7866.13	9176.67	7300.22	4653.34	3927.90	3860.41	

जिला चिकित्सालय श्रीगंगानगर में व्याप्त अव्यवस्थाएं

112. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (गंगानगर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला चिकित्सालय श्रीगंगानगर में अव्यवस्था हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अव्यवस्थाओं को दूर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जिला चिकित्सालय में अगस्त व सितम्बर, 2000 में आक्सीजन गैस का नितान्त अभाव रहा है ? वर्तमान में आक्सीजन गैस कितनी मात्रा में उपलब्ध है ? गत 1 वर्ष में आक्सीजन गैस किस-किस प्रकार वितरित की गई तथा कितनी मात्रा में उपलब्ध हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सितम्बर, 2000 में आक्सीजन के अभाव में एक महिला की मृत्यु हो गई थी ? यदि हां, तो किसकी और किस कारण से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि चिकित्सालय में बिजली पानी व सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं है तथा गैलरियों में बल्ब, ट्यूबलाइटें नहीं हैं तथा रात्रि के वक्त अंधेरा छाया रहता है ? क्या सरकार उक्त अव्यवस्थाओं को दूर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं, शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

(2) जी नहीं, राजकीय चिकित्सालय श्रीगंगानगर में अगस्त व सितम्बर, 2000 में गैस का अभाव नहीं रहा है। वर्तमान में चिकित्सालय में आक्सीजन गैस के पांच बड़े सिलेण्डर व एक मीडियम सिलेण्डर उपलब्ध है। चिकित्सालय में गत एक वर्ष में उपलब्ध व वितरित सिलेण्डरों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं, सितम्बर, 2000 में आक्सीजन के अभाव में किसी महिला की मृत्यु नहीं हुई।

(4) जी नहीं, राजकीय चिकित्सालय गंगानगर में ठेके प्रणाली से सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जा रही है, प्रतिदिन दिन में तीन बार फिनाइल से व आवश्यकता पड़ने पर अधिक बार भी सफाई करवाई जाती है। बिजली, पानी की भी समुचित व्यवस्था है। गैलरियों में प्रकाश के लिए ट्यूबलाइटें व बल्ब लगे हुए हैं प्रत्येक वार्ड में चार-चार ट्यूबलाइटें व बल्ब लगे हुए हैं पावर कट हो जाने पर विद्युत आपूर्ति के लिये जेनरेटर चिकित्सालय में चालू हालत में उपलब्ध है जिनके माध्यम से बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से आवश्यकतानुसार संचालित की जा रही है। पानी की भी चिकित्सालय में सुचारू व्यवस्था है। मरीजों व उनके अभिभावकों के लिए चिकित्सालय में तीन वाटर कूलर तथा दो हैण्डपम्प उपलब्ध है।

अंतः शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

	बड़े सिलें.	मीडियम सिलें.	छोटे सिलें.
1.4.99 का प्रारम्भिक बैलेन्स	61	27	28
1.4.99 से 15.10.2000 तक प्राप्त सिलेन्डर	304	381	92
	365	408	120
1.4.99 से 15.10.2000 तक वितरित सिलेन्डर	360	407	120
15.10.2000 को वर्तमान शेष	5	1	0

तहसील पीपल्दा में इल्ली प्रकोप से राहत हेतु कार्य

113. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा की तहसील पीपल्दा में इल्ली प्रकोप से सोयाबीन की खड़ी फसल नष्ट हुई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इल्ली प्रकोप से नष्ट हुई सोयाबीन की फसल को बचाने के लिए विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इल्ली प्रकोप से नष्ट हुई सोयाबीन की फसल का सर्वे करवाने व किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा देने का विचार रखती है ? क्या उक्त क्षेत्र में सरकार अकाल राहत कार्य करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) तहसील पीपल्दा में इल्ली के प्रकोप से सोयाबीन की फसल में आंशिक क्षति हुई है। तहसील पीपल्दा में लगभग कुल 32,000 हैक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की फसल बोई गई थी जिसमें से लगभग 7,700 हैक्टेयर क्षेत्र में इल्ली का प्रभाव हुआ है इसमें लगभग 10 प्रतिशत नुक्सान का अनुमान लगाया गया है।

(2) जी नहीं, विभाग द्वारा सोयाबीन की फसल को इल्ली के प्रकोप से बचाने हेतु प्रयास किये गये हैं। विभाग द्वारा इल्ली

(कृषि मंत्री)

की रोकथाम हेतु 1760 हैक्टेयर में अनुदान पर पौध-संरक्षण रसायनों का वितरण कराया गया। किसानों को इल्ली नियन्त्रण हेतु व्यक्तिगत सम्पर्क करके भी तकनीकी जानकारी दी गई। डस्टर भी बिना किराये के कृषकों को कीटनाशक दवाओं के भुरकाव हेतु उपलंब्ध कराये गये। प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर कृषक गोष्ठियों का आयोजन कराया तथा तकनीकी पम्पलेट का वितरण एवं समाचार-पत्रों, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के माध्यम से कीट नियंत्रण बाबत् व्यापक रूप से कृषकों को जानकारी उपलब्ध कराई गई।

(3) इल्ली के प्रकोप से नष्ट हुई सोयाबीन की फसल की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही होगी। स्थिति एवं नियामों के आधार पर आगे की कार्यवाही होगी।

तहसील रावतभाटा का सैटलमेंट प्रकरण

114. **श्री घनश्याम जैन** (बेगूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं की तहसील रावतभाटा में सैटलमेंट कब हुआ है ? यदि नहीं, तो कब तक कराने का विचार है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त तहसील में सैटलमेंट नहीं होने के कारण राजस्व व वन विभाग को अपनी-अपनी सीमाओं की जानकारी नहीं होने से दोनों विभागों की जमीनों पर अवैध कब्जे किये जा रहे हैं एवं उन्हें हटाने की कोई भी विभाग जिम्मेदारी नहीं ले रहा है ?

(3) क्या उक्त सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं की तहसील रावतभाटा तहसील बेगूं से बनी है। तहसील बेगूं का बन्दोबस्त संवत् 2028 में किया गया था। नवनिर्मित (क्रमोन्नत) तहसील रावतभाटा में पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य हेतु दिनांक 17.7.98 को अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

(2) जी नहीं। तहसील रावतभाटा के वन विभाग एवं राजस्व विभाग को भूमियों की सीमाओं की पूर्ण जानकारी है। अतिक्रमियों के विरुद्ध विभागों द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा, 91 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(3) राजस्व विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

विधान सभा क्षेत्र दानपुर में विद्यालयों का क्रमोन्नयन

115. **श्री माणजी** (दानपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री भाणजी)

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर में कितने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में कितने पद शिक्षकों और व्याख्याताओं के रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इस वर्ष उक्त विधान सभा क्षेत्र के कितने विद्यालय क्रमोन्नत किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब सरकार कब तक नए विद्यालय खोलेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर में 9 उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा 17 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। संचालित विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट-"क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) उक्त क्षेत्र में 14 व्याख्याताओं, 07 वरिष्ठ अध्यापकों एवं 11 अध्यापकों के पद रिक्त हैं। विद्यालयवार रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-"क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) विधान सभा क्षेत्र दानपुर में एक भी माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2000-2001 में 200 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में तथा 200 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक में क्रमोन्नत करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से अब तक 160 माध्यमिक तथा 153 उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जा चुके हैं। शेष रहे लक्ष्य की पूर्ति उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुरूप विद्यालय क्रमोन्नति के प्रस्तावों पर निर्धारित मानदण्डों के तहत विचार किया जायेगा। विद्यालय क्रमोन्नत करते समय यदि उक्त विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों के प्रस्ताव होंगे तो अन्य प्रस्तावों के साथ उन पर भी गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जावेगा।

परिशिष्ट-"क"

प्रश्न के बिन्दु संख्या-एक एवं दो की सूचना

क्र.सं.	नाम विद्यालय	रिक्त पद		
		व्याख्याता	व. अ.	तृतीय वे. श्रृंखला
1	2	3	4	5
1.	उ. मा. वि., तलवाड़ा	03	–	–
2.	उ. मा. वि., सुरवानिया	03	–	–
3.	उ. मा. वि., नवागांव	02	–	–
4.	उ. मा. वि., माहीडेम	–	–	–
5.	उ. मा. वि., खान्दुकालोनी	–	–	–
6.	उ. मा. वि., बर्डोदिया	02	–	–
7.	उ. मा. वि., छींच	03	–	–
8.	उ. मा. वि., कलिंजरा	–	–	–
9.	उ. मा. वि., दानपुर	01	–	02
10.	रा. मा. वि., गामड़ी	–	–	–
11.	रा. मा. वि., छोटी बदरेल	–	01	01
12.	रा. मा. वि., सूरपुर	–	–	–
13.	रा. मा. वि., सालिया	–	–	01
14.	रा. मा. वि., बोरतलाब	–	–	–
15.	रा. मा. वि., सियापुर	–	–	–
16.	रा. मा. वि., घोड़ी तेजपुर	–	03	03
17.	रा. मा. वि., छोटी सरवन	–	01	–

1	2	3	4	5
18.	रा. मा. वि., धण्टाली	–	02	–
19.	रा. मा. वि., सेमलिया	–	–	02
20.	रा. मा. वि., बोड़ीगामा	–	–	01
21.	रा. मा. वि., करजी	–	–	–
22.	रा. मा. वि., चोखला	–	–	–
23.	रा. मा. वि., नागाबाड़ा	–	–	01
24.	बा. मा. वि., ठिकरिया	–	–	–
25.	बा. मा. वि., तलवाड़ा	–	–	–
26.	बा. मा. वि., खान्दुकोलोनी	–	–	–
	योग	14	07	11

राज्य की बाल मृत्यु दर

116. **श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं)** : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यूनीसेफ के सर्वे के मुताबिक राज्य में एक से दो वर्ष की आयु के आधे से अधिक बच्चे अति कुपोषण के शिकार हैं ?

(2) क्या पांच वर्ष से कम आयु के 40 प्रतिशत बच्चों का वजन सामान्य से कम पाया गया है ? क्या कुपोषण के चलते बाल मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक आंकी गई है ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

उत्तर

(1) यूनीसेफ ने कुपोषण के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं कराई है और न ही ऐसी कोई रिपोर्ट यूनीसेफ द्वारा विभाग को प्रस्तुत की है।

(2) महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान, जयपुर द्वारा एकत्रित सूचनाओं के आधार पर समेकित बाल विकास सेवाओं के अन्तर्गत चयनित क्षेत्र में विगत पांच वर्षों में 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 40 प्रतिशत बच्चों का वजन सामान्य से कम पाया गया है। जी नहीं, कुपोषण के अतिरिक्त अन्य बीमारियों के कारण राज्य की बाल मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

कुपोषण की रोकथाम हेतु अति कुपोषण बच्चों को समेकित बाल विकास सेवायें कार्यक्रम के अन्तर्गत दुगने पोषाहार वितरण की व्यवस्था है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र पर पंजीकृत समस्त 0-5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा वजन लेकर ग्रोथ चार्ट तैयार किया जाता है एवं पाये गये अति कुपोषित एवं गम्भीर रूप से बीमार बच्चों का चिकित्साकर्मी के आंगनबाड़ी केन्द्र भ्रमण के दौरान परीक्षण करवाया जाकर बच्चों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवायी जाती है। इसके अतिरिक्त अधिक अस्वस्थता की स्थिति में बच्चे के अभिभावक को रैफरल स्लिप देकर चिकित्सालय/प्रा. स्वा. केन्द्र में उपचार कराने का परामर्श दिया जाता है। रैफरल कैसेज की सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य जांच कर उपचार किया जाता है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर माह में एक निश्चित दिन को "स्वास्थ्य दिवस" का आयोजन किया जाता है। स्वास्थ्य दिवस पर चिकित्सा अधिकारी/एल. एच. वी./महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र द्वारा सर्वेक्षित 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच व विटामिन-"ए" की खुराक दी जाती है।

गांधी सागर (बांध/कोटा) क्षेत्र में बुआई

117. **श्री हेमन्त कुमार** (दीगोद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री हेमन्त कुमार)

क्या यह सही है कि गांधी सागर बांध कोटा में सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी नहीं है ? यदि हां, तो किसानों को गेहूं उत्पादन करने हेतु बारानी किस्म के बीज की बुआई हेतु सरकार ने क्या व्यवस्था की जिससे गेहूं एवं भूसा प्राप्त हो सके ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

यह प्रश्न सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है।

कम पानी के लिये गेहूं की लोक-1, राज. 3765, राज. 3077, एच. आई. 8381 तथा पी. डी. डब्ल्यू. 215 आदि किस्में बीज निगम व अन्य संस्थाओं के पास उचित मात्रा में उपलब्ध है जिनसे गेहूं व भूसा दोनों ही प्राप्त हो सकते हैं।

अन्तर्राज्यीय नहरों का रख-रखाव

118. **श्री रामप्रताप** (हनुमानगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

पंजाब सरकार ने राजस्थान सरकार के गंग कैनाल, भाखड़ा व इन्दिरा गांधी नहर के रख-रखाव हेतु गत पांच वर्षों में कब-कब, कितनी-कितनी राशि मांगी और उसकी एवज में राज्य सरकार ने कब-कब और कितनी-कितनी राशि दी है ? तारीख व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पंजाब सरकार ने राजस्थान सरकार से गंग कैनाल, भाखड़ा व इन्दिरा गांधी नहर के रख-रखाव हेतु गत पांच वर्षों के वर्षवार एवं तारीख/माहवार राशि की मांग के विरुद्ध किया गया भुगतान का विवरण क्रमशः परिशिष्ट-"अ", परिशिष्ट-"ब" एवं परिशिष्ट-"स" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

परिशिष्ट-"अ"

पंजाब सरकार ने राजस्थान सरकार से गंगनहर के रख-रखाव हेतु गत पांच वर्षों के तिथिवार मांग के विरुद्ध भुगतान राशि का विवरण

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	वर्ष	पंजाब सरकार द्वारा की गई मांग की		राजस्थान सरकार द्वारा किये गये भुगतान की	
		तिथि/माह	राशि	तिथि/माह	राशि
1	2	3	4	5	6
1.	1995-96	4/95 से 3/96	60.00	12.11.95 8/95 11/95 3/96	46.80
		4/94 से 3/96	54.00	2.8.95 14.11.95 13.2.96	54.00
		योग	114.00	योग	100.80
2.	1996-97	21.12.95	57.00	26.3.97	57.00
		4/96 से 3/97	55.00	26.3.97 3/97	45.00
		योग	112.00	योग	102.00
3.	1997-98	21.12.95	57.00	21.8.97 30.3.98	57.00
		4/97 से 3/98	55.00	6/97	37.86
		योग	112.00	योग	94.86

1	2	3	4	5	6
4.	1998-99	4/98 से 3/99	65.00	31.8.98 12/98 2/99	61.42
5.	1999-2000	4/99 से 3/2000	65.00	3/2000 9/99 2/2000	41.45
		कुल योग	468.00	कुल योग	400.53

परिशिष्ट-"ब"

पंजाब सरकार ने राजस्थान सरकार से भाखड़ा नहर के रख-रखाव हेतु गत पांच वर्षों के तिथिवार मांग के विरुद्ध भुगतान राशि का विवरण

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	वर्ष	पंजाब सरकार द्वारा की गई मांग की		राजस्थान सरकार द्वारा किये गये भुगतान की	
		तिथि/माह	राशि	तिथि/माह	राशि
1	2	3	4	5	6
1.	1995-96	28.4.95, 30.6.95 व 17.7.95	119.07	3/96	130.11
2.	1996-97	14.2.97, 25.2.97 व 27.2.97	143.79	3/97	115.34
3.	1997-98	11.4.97, 14.4.97, 21.4.97, 17.12.97, 3.2.98, 7.3.98 व 23.3.98	160.59	3/97	69.98
4.	1998-99	26.5.98, 30.6.98, 15.9.98, 13.10.98, 7.12.98 व 12.3.99	522.53	?/99	52.96
5.	1999-2000	24.5.99, 27.9.99, 26.10.99 व 3.3.2000	190.06	3/2000	26.39
		कुल योग	1135.94	कुल योग	394.78

परिशिष्ट-"स"

पंजाब सरकार ने राजस्थान सरकार से इन्दिरा गांधी नहर के रख-रखाव हेतु गत पांच वर्षों के तिथिवार मांग के विरुद्ध भुगतान राशि का विवरण

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	वर्ष	पंजाब सरकार द्वारा की गई मांग की		राजस्थान सरकार द्वारा किये गये भुगतान की	
		तिथि/माह	राशि	तिथि/माह	राशि
1	2	3	4	5	6
1.	1995-96	14.1.94	145.00	22.5.95	145.00
				9.1.96	
				29.1.96	
				15.3.96	
		30.12.95	65.00	3.1.96	40.00
		9.5.95	80.00	3/96	39.53
		योग	290.00	योग	224.53
2.	1996-97	14.1.94	134.00	8.5.96	134.00
				4.10.96	
				27.11.96	
				25.2.97	
		22.12.95	73.00	27.3.97	73.00
		17.4.96	135.00	3/97	134.63
		26.3.97		3/97	
		योग	342.00	योग	341.63
3.	1997-98	14.1.94	132.00	26.12.97	132.00
				22.1.98	
				28.3.98	

1	2	3	4	5	6
		25.3.96	100.00	28.3.98	80.00
		22.12.95	73.00	12.9.97	73.00
				28.3.98	
		23.4.97	137.00	3/98	135.40
		4.6.98			
		योग	442.00	योग	420.40
4.	1998-99	2.9.97	750.00	31.10.98	750.00
				24.11.98	
				8.1.99	
				31.3.99	
		27.5.98	140.00	3/99	138.81
		31.3.99			
		12.6.98	20.00	—	—
		12.6.98	115.00	—	—
		योग	1025.00	योग	888.81
5.	1999-2000	12.2.99	92.09	30.11.99	92.09
				8.2.2000	
		21.4.99	92.69	31.7.99	90.50
		21.4.99	80.00	—	—
		4.5.99 एवं	145.00	3/2000	139.66
		3.7.99			
		योग	409.78	योग	322.25
		कुल योग	**2508.78**	**कुल योग**	**2197.62**

पोलोटेक्निक कालेज, चूरू का निर्माणाधीन भवन

119. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) चूरू में पोलोटेक्निक कालेज कब प्रारम्भ हुआ तथा वर्तमान में कितने विद्यार्थी किस-किस विषय में अध्ययनरत हैं ? उक्त पोलोटेक्निक कालेज के भवन, प्रयोगशाला निर्माण में कितनी राशि वर्ष 1999-2000 में सरकार ने स्वीकृत की और कितनी राशि व्यय हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार ने भारतीय तकनीकी परिषद में चूरू के पोलोटेक्निक कालेज को मान्यता दिये जाने हेतु कब आवेदन-पत्र दिया ? क्या मान्यता मिली या नहीं मिली है ?

(3) क्या सरकार चूरू के पोलोटेक्निक कालेज के भवन निर्माण हेतु आवश्यक स्वीकृत धनराशि को निश्चित समयावधि में खर्च करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक तथा भवन का निर्माण कब पूरा हो जावेगा ?

उत्तर

(1) चूरू पोलीटेक्निक कालेज सत्र 1999-2000 में प्रारम्भ किया गया। वर्तमान में यह कालेज बीकानेर पोलिटेक्निक भवन में चल रहा है, जिसमें 2 पाठ्यक्रम क्रमशः कम्प्यूटर साइन्स एण्ड इंजीनियरिंग तथा इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों की स्थिति निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश क्षमता	अध्ययनरत छात्रों की संख्या	
			प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष
1.	कम्प्यूटर साइन्स एण्ड इंजीनियरिंग	20	19	18
2.	इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग	20	19	14
		40	38	32

पोलिटेक्निक कालेज के भवन निर्माण हेतु वर्ष 1999-2000 तक राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर को रुपये 60.00 लाख राशि स्वीकृत की गई जिसके विरुद्ध माह अगस्त, 2000 तक कुल रुपये 22.23 लाख राशि निगम द्वारा व्यय की गई।

वर्षवार व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

वर्ष	स्वीकृत राशि	व्यय (लाखों में)
1997-98	20.00	–
1998-99	–	9.24
1999-2000	40.00	4.57
2000-2001	–	8.42
	60.00	22.23

(2) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से चूरू पोलिटेक्निक को मान्यता देने हेतु वर्ष 1998-99 में सत्र 1999-2000 के लिये आवेदन किया गया। अखिल भारतीय तकनीकी परिषद ने वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 के लिये उक्त संस्थान में प्रवेश हेतु मान्यता प्रदान की गई।

(3) चूरू पोलिटेक्निक कालेज भवन निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि व्यय करने का राज्य सरकार विचार रखती है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर भवन निर्माण कार्य निश्चित समयावधि में पूरा करा दिया जायेगा।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय में मेडि-केयर रिलीफ सोसायटी हेतु मरीजों से प्राप्त राशि का अंकेक्षण

120. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय में प्रति रोगी 2 रुपये का शुल्क लगाकर मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी की गतिविधियों को संचालित करने हेतु धन एकत्रित किया जाता है ? यदि हां, तो उक्त मद में अब तक कितनी राशि एकत्रित हुई है ?

(2) उक्त एकत्रित राशि में मेडिकेयर सोसायटी द्वारा किस-किस मद में व्यय किया गया है व अब कितनी राशि अब शेष है ?

(3) क्या कभी उक्त सोसायटी के लेखों का अंकेक्षण करवाया गया ? यदि हां, तो अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इस मद में माह सितम्बर, 2000 तक रु. 16,21,014/– की राशि एकत्रित हुई है।

(2) समिति के फण्ड में अन्य मदों के साथ यह धनराशि एकत्रित हो जाती है, इसलिए अलग से मदवार व्यय का हिसाब इस राशि हेतु नहीं रखा जाता।

(3) समिति का अंकेक्षण कार्य प्रगति पर है।

जिला कोटा में कीटनाशकों के प्रयोग से बीमार व्यक्ति

121. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री मदन दिलावर)

(1) क्या यह सही है कि कोटा सम्भाग सहित बारां जिले में इल्लीयों के प्रकोप से सोयाबीन की फसल खराब हो गई है ? उक्त प्रकोप कब आया तथा इस महामारी की सूचना सरकार को विभागीय अधिकारियों द्वारा कब दी गई ? क्या उक्त सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों या जागरूक किसानों ने मुख्य मंत्री/कृषि मंत्री व विभागीय अधिकारियों को भी सूचित किया ? यदि हां, तो ऐसे पत्र, फैक्स मेसेज व तार की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या फसल नष्ट होने की सम्भावना देखकर किसानों के हाइडोज या अधिक शक्तिशाली दवाओं का प्रयोग करने से कुछ लोगों के बेहोश या बीमार होने की सूचना है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो उपरोक्त कारणों से कितने व्यक्ति बीमार या बेहोश हुए ?

उत्तर

(1) यह सही है कि कोटा सम्भाग सहित बारां जिले में इल्लियों के प्रकोप से सोयाबीन की फसल कुछ क्षेत्रों में आंशिक रूप से खराब हो गई है। सर्वप्रथम इल्ली बारां जिले में दिनांक 14.08.2000 को देखी गई परन्तु इसका प्रकोप सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह में ही आया। कृषि निदेशालय में इसकी सूचना 06 सितम्बर, 2000 को प्राप्त हुई। इस कीट की प्रारम्भिक अवस्था में जन प्रतिनिधियों/जागरूक किसानों द्वारा मुख्य मंत्री/कृषि मंत्री व विभागीय अधिकारियों को दिये गये पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) फसल नष्ट होने की सम्भावना देखकर किसानों द्वारा कोई भी हाइडोज या अधिक शक्तिशाली दवाएं प्रयोग नहीं की गई एवं न ही उनसे कोई व्यक्ति बेहोश या बीमार होने की सूचना विभाग को है।

(पत्रों की प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गईं)

जिला झालावाड़ के ग्रामों में भू-आवंटन

122. **सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत** (खानपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम चांदपुरा, चपलड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ में सीलिंग भूमि को आवंटित की गई है ? यदि हां, तो किस-किस को ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आवंटित भूमि का कब्जा आवंटियों को सम्भला दिया है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या कब्जा नहीं देने में कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ? यदि हां, तो कौन और उनके विरुद्ध सरकार क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत)

(4) अब कब तक उक्त आवंटियों को कब्जा सम्भला दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। आवंटियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी नहीं। प्रकरण में राजस्व अपील अधिकारी, न्यायालय, कोटा द्वारा एवं राजस्व मण्डल, राज. अजमेर द्वारा स्थगनादेश होने से कब्जा नहीं दिया जा सका।

(3) जी नहीं।

(4) माननीय अपीलीय न्यायालयों से निर्णय होने पर अदालत के निर्णयानुसार उचित कार्यवाही की जायेगी।

जिला झालावाड़

सूची सीलिंग भूमि आवंटन ग्राम चांदपुरा चपलाडा दिनांक 25.3.97

क्र.सं.	नाम आवंटी	जाति	निवासी	आवंटित भूमि		ग्राम जहां की भूमि है	कीमत भूमि
				ख. नं.	रकबा		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री द्वारका लाल/हजारी लाल	मीणा	चांदपुरा चपलाड़ा	337	4 बी.	चांदपुरा चपलाड़ा	निल
2.	श्री सियाराम/हजारी लाल	मीणा	" "	337	4 बी.	" "	निल
3.	श्री भंवरलाल/मांगीलाल	नाई	" "	503	7 बी.	" "	1400/–
4.	श्री भैरूलाल, सत्यनारायण खिवराज पुत्र जयकिशन	गुसाई	" "	337	6 बी.	" "	1200/–
5.	श्रीमती शांतिबाई बेवा द्वारका लाल	नाई	" "	502	7 बी.	" "	1400/–
6.	श्री नन्दा/भंवरलाल	नाई	" "	502 503	5.09 बी. 1.11 बी.	" "	1400/–

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	श्री भैरूलाल / चतुर्भुज	महाजन	चांदपुरा चपलाड़ा	504	7 बी.	चांदपुरा चपलाड़ा	1400 / –
8.	श्री रमेश चन्द / मोहन लाल	मेहर	" "	507	3 बी.	" "	" "
9.	श्री घासीलाल / गेंदीलाल	मेहर	" "	507	3 बी.	" "	" "
10.	श्री जानकी लाल / केसरी लाल	मेहर	" "	507	2.10 बी.	" "	" "
11.	श्री राधेश्याम / भैरूलाल	मेहर	" "	507	2.10 बी.	" "	" "
12.	श्री गोविन्द लाल / हीरालाल	मेहर	" "	507	3 बी.	" "	" "
13.	श्री हीरालाल / केसरी लाल	मेहर	" "	507	2.10 बी.	" "	" "
14.	श्री नारायण / भैरूलाल	बैरवा	" "	507	3 बी.	" "	" "
15.	श्री गोपाल / केसरी लाल	मेहर	" "	507	2.10 बी.	" "	" "
16.	श्री रामचरण / प्रभूलाल	बैरवा	" "	507	1 बी.	" "	" "
17.	श्री बाबूलाल / द्वारका लाल	मीणा	" "	188	3.18 बी.	" "	" "
18.	श्री घनश्याम / प्रभूलाल	मीणा	" "	503	4.07 बी.	" "	" "

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	श्री रामचन्द्र/प्रभूलाल	मीणा	चांदपुरा चपलाड़ा	503	4.07 बी.	चांदपुरा चपलाड़ा	1400/–
20.	श्री धन्नालाल/दल्ला	मीणा	" "	504	3.08 बी.	" "	" "
21.	श्री कालूलाल/देवीलाल	भील	" "	338	1.05 बी.	" "	" "
22.	श्री किशन लाल/रामकिशन	भील	" "	486	1.06 बी.	" "	" "
23.	श्री कन्हैया लाल/देवीलाल	भील	" "	338	1.05 बी.	" "	" "
24.	श्री रामचरण/रामकल्याण	भील	" "	500	1.05 बी.	" "	" "
25.	श्री प्रभूलाल/धूला	भील	" "	337	3.11 बी.	" "	" "
26.	श्री बनवारीलाल/रामकल्याण	भील	" "	193	0.07 बी.	" "	" "
27.	श्री बालकिशन/भंवरलाल	भील	" "	484	1.10 बी.	" "	" "
28.	श्री भंवरलाल/बजरंगलाल	मीणा	" "	484	1.00 बी.	" "	" "
29.	श्री धनराज/बजरंगलाल	मीणा	" "	484	1.00 बी.	" "	" "
30.	श्री रामप्रसाद/बजरंगलाल	मीणा	" "	484	1.00 बी.	" "	" "

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	श्रीमती कमलाबाई बेवा रामेश्वर	गोस्वामी	चांदपुरा चपलाड़ा	506	3.00 बी.	चांदपुरा चपलाड़ा	600/–
32.	श्रीमती सुगिना बेवा सोहन लाल	गुसाई	" "	506	3.00 बी.	" "	600/–
33.	श्री कन्हैया लाल/धन्नालाल	धाकड़	" "	506	2.09 बी.	" "	490/–
34.	श्री रमेश चन्द/मोहन लाल	गोस्वामी	" "	506	3.00 बी.	" "	600/–
35.	श्री रामभरोसे/कालूलाल	लुहार	" "	513	2.13 बी.	" "	439/–
36.	श्री राजाराम/बिरधी लाल	गूजर	" "	513	2.00 बी.	" "	400/–
37.	श्री उदय लाल/भंवरलाल	गूजर	" "	503 507	0.10 बी. 0.09 बी.	" "	190/–
38.	श्री सीताराम/कन्हैया लाल	गूजर	" "	513	3.00 बी.	" "	600/–
39.	श्री दयाराम/नैनालाल	गूजर	" "	514	3.00 बी.	" "	600/–
40.	श्री शिवजी/मोहन लाल	गोस्वामी	" "	514	3.00 बी.	" "	600/–
41.	श्री मांगीलाल/बिरधी लाल	गूजर	" "	513	2.00 बी.	" "	400/–

1	2	3	4	5	6	7	8
42.	श्रीमती घीसीबाई बेवा भैरूलाल	नाई	चांदपुरा चपलाड़ा	514	4.02 बी.	चांदपुरा चपलाड़ा	830/–
43.	श्री रामकिशन/प्रभूलाल	गूजर	" "	513	2.00 बी.	" "	400/–
44.	श्री रामगोपाल/नारायण	गूजर	" "	520	3.00 बी.	" "	600/–
45.	श्री प्रभूलाल/जगन्नाथ	गुसाई	" "	520	2.10 बी.	" "	500/–
46.	श्री मांगीलाल/कोसीलाल	गूजर	" "	520	2.10 बी.	" "	500/–
47.	श्री रामावतार/प्रभूलाल	बैरवा	" "	520	2.02 बी.	" "	420/–

जिला बारां के विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के रिक्त पद

123. **श्री शिवनारायण** (बारां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बारां के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कितने पद प्रधानाध्यापक के रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले के माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद कब तक भरे जावेंगे ?

उत्तर

(1) जिला बारां के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1 प्रधानाचार्य एवं माध्यमिक विद्यालयों में 09 प्रधानाध्यापकों के पद रिक्त हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :–

1. रा. उ. मा. वि., मोरपुर
2. रा. मा. वि., बड़गांव
3. रा. मा. वि., गरड़ा
4. रा. मा. वि., मिर्जापुर
5. रा. मा. वि., पटना
6. रा. मा. वि., आलदड़ा
7. रा. मा. वि., अन्ताना
8. रा. मा. वि., सारथल
9. रा. मा. वि., भटवाड़ा
10. रा. बा. मा. वि., बारां (शहरी)

(2) उक्त जिले में अध्यापकों के रिक्त पदों पर नई भर्ती पर लगाया हुआ प्रतिबन्ध हटाये जाने पर ही भरे जा सकेंगे।

राजकीय चिकित्सालय, भादरा में चिकित्सकों के सृजित पद

124. **श्री संजीव कुमार** (भादरा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजकीय चिकित्सालय, भादरा में चिकित्सकों के वर्तमान में कितने पद सृजित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय में सर्जन तथा नेत्र चिकित्सक का कोई पद सृजित नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार भादरा क्षेत्र की जनता की सुविधा हेतु उक्त चिकित्सालय में सर्जन तथा नेत्र चिकित्सक का पद सृजित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजकीय चिकित्सालय, भादरा में चिकित्सकों के स्वीकृत पदों का विवरण निम्न प्रकार है :–

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

संस्थान का नाम	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1. राजकीय चिकित्सालय, भादरा	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (औषधि)	1
2. प्रसवोत्तर केन्द्र, भादरा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी)	1
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग)	1
3. मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, भादरा	चिकित्सा अधिकारी	1

(2) जी हां, कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) का पद समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं हो सका। 30 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों में स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र) का पद स्वीकृत किये जाने का प्रावधान नहीं है।

(3) जी नहीं, कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) का पद स्वीकृत किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2000-2001 में वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा। 30 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों में स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र) का पद सृजित किये जाने का प्रावधान नहीं होने के कारण उक्त पद का सृजन सम्भव नहीं हो सकेगा।

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-197 के आदेश की प्रतिलिपि)

राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प. 9 (1) वित्त-1(1) आ. व्य./2000 जयपुर, दिनांक 31 अगस्त, 2000

परिपत्र

विषय :– राजकीय व्यय में मितव्ययता।

शासन ने राजकीय व्यय में मितव्ययता बनाये रखने तथा राजकीय कार्य में सादगी अपनाने के उद्देश्य से इस विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के स्थान पर निम्नलिखित निर्णय लिये हैं जो तुरन्त प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे :–

1. रिक्त पदों पर नियुक्ति

(i) किसी भी नई नियुक्ति से पूर्व वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग की सहमति की आवश्यकता होगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यदि किसी विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई उपलब्ध अधिशेष कर्मचारियों में से की जाती है तो उन नियुक्तियों पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

(ii) मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों, विकलांग व्यक्तियों के लिये आरक्षित पदों के लिये नियुक्तियां की जा सकेंगी।

(iii) राजस्थान लोक सेवा आयोग को जिन रिक्त पदों को भरने के लिए अर्थना भेजी जा चुकी है, के सन्दर्भ में आयोग द्वारा चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध कराने पर नियुक्तियां की जा सकेंगी।

(iv) विभागों में नये पदों के सृजन/क्रमोन्नयन पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।

2. क्रय पर प्रतिबन्ध

वाहन, फोटो कापियर्स, कम्प्यूटर्स, फैक्स मशीन, एयर कन्डीशनर एवं टेलीफोन

उपकरण, मोबाइल/सैल्यूलर फोन, फर्नीचर एवं साज सामान की खरीद पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। दसवें/ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत प्राप्त सहायता राशि के उपयोग हेतु क्रय पर प्रतिबन्ध नहीं होगा।

3. **राजकीय भोज**

राजकीय भोज आयोजित करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। शिलान्यास/उद्घाटन समारोह का आयोजन अपरिहार्य परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिये और इसमें आवश्यक होने पर सीमित अल्पाहार की ही व्यवस्था की जावे।

4. **विदेश यात्रा**

विदेश यात्रा पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा किन्तु विदेशी संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण/सेमीनार आदि में भाग लेने हेतु की जाने वाली यात्राओं पर जिनका सम्पूर्ण व्यय उन संस्थाओं द्वारा वहन किया जायेगा, प्रतिबन्ध नहीं होगा।

5. **कार/वाहनों से यात्रा**

कार्यक्षेत्र के बाहर राजकीय वाहनों का प्रयोग यात्रा के लिए नहीं किया जायेगा लेकिन अपरिहार्य कारणों से राजकीय हित में यात्रा की जानी आवश्यक हो तो मुख्य सचिव/सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्वानुमति अपेक्षित होगी। ऐसे अधिकारी जो वायुयान यात्रा के लिये अधिकृत हैं राज्य कार्य हेतु दिल्ली आने जाने के लिये राजकीय वाहन का उपयोग कर सकेंगे। दौरे पर जाने हेतु यथासम्भव एक से अधिक अधिकारी एक ही वाहन का उपयोग करेंगे।

6. **यात्रा भत्ते के रूप में व्यय को सीमित करना**

इस मद के अन्तर्गत व्यय को सीमित करने के लिए विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष अधिकारियों/कर्मचारियों को यात्राओं पर भेजने का निर्णय लेते समय विभाग/कार्यालय में उपलब्ध बजट का ध्यांन रखेंगे और यात्राओं को इस प्रकार से नियंत्रित करेंगे कि व्यय किसी भी हालत में उपलब्ध प्रावधान से अधिक नहीं हो। इन मदों में संशोधित अनुमानों में कोई वृद्धि नहीं की जावेगी।

दिल्ली के अलावा राज्य के बाहर की जाने वाली यात्राओं पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। राजकीय हित में यदि ऐसी यात्रा परमावश्यक हो तो प्रशासनिक सचिव की पूर्वानुमति से ही यात्रा की जा सकेगी, किन्तु यात्रा व्यय उपलब्ध बजट प्रावधान के अन्तर्गत ही होगा।

7. राज्य के बाहर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा जावे। यह प्रतिबन्ध सेवा नियमों के अन्तर्गत दिये जाने वाले प्रशिक्षण व अन्य अनिवार्य प्रशिक्षण पर लागू नहीं होगा।

8. सभी सेमीनार/सभाएं/कार्यशालायें आदि जिन्हें स्थगित किया जा सकता हो, को स्थगित किया जावे चाहे इनके लिए बजट में प्रावधान उपलब्ध हो।

9. हवाई जहाज से की जाने वाली सरकारी यात्राओं एवं एल. टी. सी. पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। अपरिहार्य कारणों से राजकीय हित में यदि हवाई यात्रा की जानी आवश्यक है तो हवाई यात्रा हेतु प्राधिकृत अधिकारी ही मुख्य सचिव की पूर्वानुमति से ऐसी यात्रा कर सकेंगे। मुख्य मंत्री महोदय के साथ उनके स्टाफ द्वारा की जाने वाली यात्राओं पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

यह परिपत्र राजकीय उपक्रमों, कम्पनियों, बोर्ड्स, समस्त विश्वविद्यालयों, अनुदानित संस्थाओं, निकायों एवं राज्य सरकार पर आर्थिक रूप से निर्भर सभी संस्थाओं पर भी लागू होगा किन्तु राज्यपाल सचिवालय राजस्थान, जयपुर पर प्रभावी नहीं होगा।

अनावश्यक व्यय को रोकने के लिये शासकीय कार्य में सादगी एवं मितव्ययता की परम्परा विकसित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सभी वरिष्ठ अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं राजकीय व्यय में मितव्ययता अपनाकर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और उनके कार्यक्षेत्र में व्यय को कम करने के उपाय करते रहेंगे।

ह०/–
(टी. श्रीनिवासन)
शासन सचिव, वित्त

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-198 की सूची)

परिशिष्ट-"क"

पेंशन विभाग द्वारा महालेखाकार, राजस्थान के कार्यालय से वित्तीय वर्ष 1979-80 में कार्य स्थानान्तरित होने के पश्चात राज्य के बाहर अन्य राज्यों में पेंशनर्स को राज्यवार अधिकृतियां जारी करने सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	संख्या
1	2	3
1.	उत्तर प्रदेश	2690
2.	हरियाणा	2045
3.	मध्य प्रदेश	407
4.	दिल्ली	501
5.	पंजाब	310
6.	हिमाचल प्रदेश	66
7.	महाराष्ट्र	145
8.	गुजरात	157
9.	बिहार	75
10.	आन्ध्र प्रदेश	43
11.	गोवा	1
12.	कर्नाटक	42
13.	बंगाल	92

1	2	3
14.	उड़ीसा	5
15.	जम्मू एवं कश्मीर	6
16.	नेपाल	38
17.	केरल	492
18.	तमिलनाडु	19
19.	त्रिपुरा	16
20.	चण्डीगढ़	17
21.	सिक्किम	2
22.	आसाम	2
		7171

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-200 की नियमों की प्रति)

7. **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण–**

(1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सरकार के ऐसे आरक्षण सम्बन्धी आदेशों के अनुसार होगा जो भर्ती के समय प्रवृत्त हों चाहे भर्ती सीधी हो या पदोन्नति द्वारा।

(2) पदोन्नति के लिये इस प्रकार आरक्षित की गई रिक्तियां वरिष्ठता एवं योग्यता तथा योग्यता के आधार पर भरी जायेंगी।

(3) इस प्रकार आरक्षित की गई रिक्तियों को भरने के लिये उन पात्र अभ्यार्थियों के सम्बन्ध में, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हैं, दूसरे अभ्यार्थियों की तुलना में उनका रैंक कौनसा है इस पर ध्यान न देते हुए उसी क्रमानुसार नियुक्ति के लिये विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम, सीधी भर्ती के लिये आयोग के क्षेत्र में आने वाले पदों के लिए आयोग द्वारा और अन्य मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा और पदोन्नत किये जाने वाले व्यक्तियों के मामले में यथास्थिति, विभागीय पदोन्नति समिति या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार की गयी सूची में दिये गये हैं।

(4) नियुक्तियां सर्वथा सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिये विहित अलग-अलग रोस्टरों के अनुसार की जायेंगी। यदि किसी वर्ष विशेष में, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, तो उनके लिये इस प्रकार आरक्षित की गई रिक्तियों को सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भर लिया जायेगा तथा पश्चातवर्ती वर्ष में उतनी ही संख्या में अतिरिक्त रिक्तियां आरक्षित की जायेंगी। ऐसी बिना भरी गई रिक्तियों को भर्ती के पश्चातवर्ती कुल तीन भर्ती वर्षों तक अग्रनीत किया जायेगा और इसके पश्चात् ऐसा आरक्षण समाप्त हो जायेगा।

परन्तु सेवा के किसी संवर्ग के पदों या पदों के वर्ग/प्रवर्ग/ग्रुप की रिक्तियों को जिन पर इन नियमों के अधीन केवल योग्यता के आधार पर पदोन्नतियां की जाती हैं, अग्रनीत नहीं किया जायेगा।

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-206 की सूची)

नागौर जिले में औद्योगिक प्रयोजनार्थ जिला स्तर पर विचाराधीन प्रकरणों की सूची

क्र.सं.	प्रकरण संख्या	आवेदक का नाम	भूमि जहां स्थित है	खसरा नम्बर	रूपान्तरण हेतु प्रस्तावित रकबा	रूपान्तरण का प्रयोजन	कब से लम्बित है
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	प. 12(34) राज/96	श्री रामेश्वर लाल जाट,	नांवा	1188	3.24 हैक्टेयर	नमक उत्पादन	6.2.96 राजस्व मण्डल में
2.	प. 12(118) राज/96	श्री राजेश गोयल, नांवा	नांवा	546	3.11 हैक्टेयर	नमक उत्पादन	14.12.96
3.	प. 12(109) राज/96	श्री खम्भूराम, नांवा	नांवा	1224, 1229	2.45 हैक्टेयर	नमक उत्पादन	14.10.96
4.	प. 12(119) राज/96	श्री हरिगोपाल वगै., नांवा	नांवा	1231/1, 546	2.42 हैक्टेयर	नमक उत्पादन	27.1.97
5.	प. 12(117) राज/96	श्री रामेश्वर लाल माली, कुचामनसिटी	कुचामन-सिटी	2374	0.78 हैक्टेयर	आयोडाइज्ड प्लांट	11.12.96
6.	प. 12(11) राज/96	श्री केशर सिंह राजपूत बरजन	नांवा	597	0.41 हैक्टेयर	नमक उत्पादन	20.1.96

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	प. 12(65) राज/96	श्रीमती हीरादेवी कुचामन	कुचामनसिटी	2375	2.00 बीघा	आयोडाइज्ड प्लांट	18.5.96
8.	प. 12(16) राज/97	श्री जगत सिंह श्यामनगर	नांवा	664 1935, 665	1.21 हैक्टेयर	नमक उत्पादन	17.2.97
9.	प. 12(7) राज/97	श्री रामनिवास	नांवा	771/1	0.32 हैक्टेयर	आयोडाइज्ड प्लांट	31.1.97
10.	प. 12(6) राज/97	श्री भंवरलाल इन्द्रपुरा	नांवा	771/1	0.32 हैक्टेयर	आयोडाइज्ड प्लांट	31.1.97
11.	प. 12(5) राज/97	श्री सुरेन्द्र कुमार जिलीया	नांवा	785	0.50 हैक्टेयर	आयोडाइज्ड प्लांट	10.1.97
12.	प. 12(40) राज/97	श्री जगत सिंह मामडोली	नांवा	643	0.75 हैक्टेयर	नमक उत्पादन	13.10.97
13.	प. 12(13) राज/98	श्री देवाराम नरमा	नांवा	1989/689/2	0.49 हैक्टेयर	नमक उत्पादन	17.5.98
14.	प. 12(14) राज/98	श्री चीमाराम एवं मोहन लाल नांवा	नांवा	1717, 1718 1731, 1747	2.30 हैक्टेयर	नमक उत्पादन	17.5.98
15.	प. 12(91) राज/99	श्री छोगाराम बिदीयाद	नांवा	1659	0.68 हैक्टेयर	नमक उत्पादन	3.11.99
16.	प. 12(2) राज/99	श्रीमती चेतनकंवर भगवानपुरा	नांवा	230	0.32 हैक्टेयर	आयोडाइज्ड प्लांट	18.1.99
17.	प. 12(98) राज/99	श्री गोपीकिशन सालासर	नांबा	1169	0.96 हैक्टेयर	नमक उत्पादन	13.10.99

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	प. 12(99) राज/99	श्री जगदीश प्रसाद, सालासर	नांवा	1169	20.00 बीघा	नमक उत्पादन	13.10.99
19.	प. 12(5) राज/2000	श्री लादूराम, नांवा	नांवा	1640, 1657	1.42 हैक्टेयर	नमक उत्पादन	16.3.2000
20.	प. 12(6) राज/2000	श्रीमती आनन्दी देवी, नांवा	नांवा	1655, 1658	0.68 हैक्टेयर	नमक उत्पादन	16.3.2000
21.	प. 12(7) राज/2000	श्री जगदीश प्रसाद, डूंगरवास	गोविन्दी	111, 112	1.11 हैक्टेयर	नमक उत्पादन	14.3.2000
22.	प. 12(8) राज/2000	श्री मांगीलाल जाट, सालासर	गोविन्दी	111, 112	1.11 हैक्टेयर	नमक उत्पादन	14.3.2000

ह०/–
जिला कलक्टर,
नागौर

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-208 का परिपत्र)

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-3) विभाग

प्रेषिति :

समस्त शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टरों सहित)
समस्त संभागीय आयुक्त

क्रमांक : प. 9 (2)(35) कार्मिक/क-3/93 जयपुर, दिनांक 22.1.94

परिपत्र

विषय :– विभागीय जांचों को त्वरित गति से निपटाने एवं निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यवाही सम्पादित किये जाने के क्रम में।

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यह निर्देश जारी किये जाते रहे हैं कि राज्य कर्मचारियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों को शीघ्रतापूर्वक निपटाया जावे तथा यह भी अपेक्षा की गई थी कि विभागीय जांच के निपटारे में विभिन्न स्तर पर निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर-भीतर कार्यवाही सम्पन्न की जावे। यह भी निर्देश दिये गये थे कि निर्धारित समय सीमा में यदि कार्यवाही सम्पन्न किया जाना सम्भव नहीं हो तो इसमें हो रही कठिनाई से अवगत कराते हुए उच्च प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जावे।

विभागीय जांचों को शीघ्र निपटाने के सम्बन्ध में पूर्व में भी समय-समय पर परिपत्र जारी कर निर्देश दिये जाते रहे हैं लेकिन इसके उपरान्त भी शासन के ध्यान में आया है कि राज्य सरकार के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन नहीं हो रहा है और विभागीय जांच के मामलों को निपटाने में अनावश्यक रूप से विलम्ब हो रहा है।

अतः इस सम्बन्ध में पूर्व में इस निमित्त जारी किये गये परिपत्रों के अतिक्रमण में इस परिपत्र द्वारा समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों/अनुशासनिक प्राधिकारियों को यह स्पष्ट

किया जाता है कि वे विभागीय जांच की कार्यवाही के मामलों में पूरी तत्परता बरतें और निम्न समय सारणी के अनुसार विभागीय जांच की कार्यवाही सम्पन्न करें। यदि निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो तो इसमें हो रही कठिनाई से अवगत कराते हुए उच्च प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जावे। अतः निम्न समय सारणी के अनुसार ही विभागीय जांच की कार्यवाही सम्पन्न की जावे :–

क्र.सं.	**विभागीय जांच की स्थिति**	**समय सीमा**
1.	प्रारम्भिक जांच पूर्ण कर प्रारम्भिक जांच प्रतिवेदन सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करना।	तीन माह
2.	प्रारम्भिक जांच प्रतिवेदन का परीक्षण सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाकर प्रस्तावित आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र मय परिशिष्ट-"अ" व "ब" तैयार कर अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करना।	एक माह
3.	अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा मामले का परीक्षण	15 दिवस
4.	अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा परीक्षण के पश्चात् सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष से अतिरिक्त सूचना एवं अभिलेख प्राप्त करना	एक माह
5.	अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आरोप पत्रादि जारी करना	15 दिवस
6.	आरोपित राजसेवक को आरोप पत्रादि तामील करवाने की कार्यवाही	35 दिवस
7.	आरोपित राजसेवक को अभिलेख का निरीक्षण करवाना	15 दिवस
8.	सम्बन्धित विभाग से अतिरिक्त अभिलेख प्राप्त करना यदि आवश्यक हो	एक माह
9.	आरोपित राजसेवक को अतिरिक्त अभिलेखों का निरीक्षण करवाना	एक माह

10.	आरोपित राजसेवक द्वारा लिखित अभिकथन प्रस्तुत करना	15 दिवस आरोप-पत्र जारी होने की तिथि से/ अभिलेखों के निरीक्षण के पश्चात, तो भी पूर्ववर्ती ठीक
11.	लिखित अभिकथन का परीक्षण एवं जांच अधिकारी की नियुक्ति यदि आवश्यक हो	45 दिवस
12.	जांच अधिकारी द्वारा जांच पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करना	6 माह
13.	आरोपित राजसेवक से जांच प्रतिवेदन पर अभ्यावेदन प्राप्त करना यदि आवश्यक हो	1 माह
14.	जांच प्रतिवेदन का एवं जांच प्रतिवेदन पर आरोपित राजसेवकों के अभ्यावेदनों का अभिलेखों के साथ परीक्षण करना	1 माह
15.	आरोपित राजसेवक के विरुद्ध प्रस्तावित दण्ड पर कारण बताओ नोटिस जारी कर अभ्यावेदन प्राप्त करना (केवल सेवानिवृत्त राजसेवक के मामले में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 170 के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में)	1 माह
16.	कारण बताओ नोटिस के क्रम में प्राप्त अभ्यावेदन (क्र. सं. 15 के अन्तर्गत संदर्भित मामलों में) का परीक्षण	1 माह
17.	आयोग की राय प्राप्त करना	2 माह
18.	अन्तिम निर्णय लेना एवं अन्तिम आदेश जारी करना	1 माह

अतः सभी सम्बन्धितों से निवेदन है कि उपरोक्त परिपत्र में निर्धारित की गई समय सारणी की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे। विभागीय जांच के प्रकरणों में किसी भी स्तर पर विलम्ब नहीं होना चाहिए।

ह०/–

शासन सचिव, कार्मिक

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-216 की सूची)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छ[illegible]ड़ा की स्टाफ पोजीशन

क्र.सं.	पद	स्वीकृत	रिक्त
1.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	–
2.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य)	1	1
3.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र)	1	–
4.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री)	1	–
5.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (बालरोग)	1	–
6.	दन्त चिकित्सक	1	1
7.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2	2
8.	चिकित्सा अधिकारी	7	2
छीपाबड़ौद की स्टाफ पोजिशन			
1.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	1
2.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	–
3.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	–
4.	चिकित्सा अधिकारी	3	–

परिशिष्ट-10

परिशिष्ट-'क'

(अतारांकित प्रश्न संख्या-227 की सूची)

(प्रश्न के बिन्दु सं.-1 की सूचना)

राजकीय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय :–

1. राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर
2. राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, अजमेर

गैर राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय :–

1. विद्या भवन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, उदयपुर
2. गांधी विद्या मंदिर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सरदारशहर (चूरू)
3. लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, डबोक (उदयपुर)
4. गोपीकृष्ण पीरामल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बग्गड़ (झुन्झुनूं)
5. शाह गोवर्द्धन लाल काबरा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (जोधपुर)
6. जियालाल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (अजमेर)
7. राजस्थान शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, शाहपुरा बाग, जयपुर
8. गीता बजाज महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जयपुर
9. ग्रामोत्थान विद्यापीठ शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, संगरिया (हनुमानगढ़)
10. जवाहर लाल नेहरू शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सकतपुरा (कोटा)
11. नेहरू शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिण्डौन सिटी (सवाईमाधोपुर)
12. गांधी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)
13. अग्रसेन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जामडोली (जयपुर)

14. निम्बार्क शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (उदयपुर)
15. रघुनन्दन दास शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, डूंगरपुर
16. भारतीय विद्या मंदिर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (बांसवाड़ा)
17. सांईनाथ विद्या मंदिर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बडायली (नागौर)
18. जवाहर विद्यापीठ शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कानोड (उदयपुर)
19. संजय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जयपुर
20. राजस्थान शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, ब्रह्मपुरी, जयपुर
21. टैगोर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, केकड़ी (अजमेर)
22. एस.एस.जी. पारीक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जयपुर
23. महाराजा सूरजमल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (भरतपुर)
24. बजरंग शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, डीग (भरतपुर)
25. श्री जैन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (अलवर)
26. हरिभाउ उपाध्याय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हटूण्डी (अजमेर)
27. आर्य विद्या मंदिर महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, भुसावर (भरतपुर)
28. नारायणी देवी महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (भीलवाड़ा)
29. राजस्थान महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (उदयपुर)
30. हितकारी महिला को-आपरेटिव शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (कोटा)
31. इंदिरा गांधी महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, अरडावता (झुन्झुनूं)
32. दधिमति महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (गंगानगर)
33. आर्य महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (अलवर)
34. महादेवी महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, नारायणपुर (अलवर)

35. राजस्थान महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (बीकानेर)

36. लाल बहादुर शास्त्री महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जयपुर

37. महिला विद्या मंदिर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़)

38. महावीर दिगम्बर जैन शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय, महावीरजी (सवाईमाधोपुर)

39. सबल महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बोरून्दा (जोधपुर)

40. अग्रवाल महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, गंगापुरसिटी (सवाईमाधोपुर)

41. जयनारायण व्यास महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (बाड़मेर)

परिशिष्ट-'क'

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-228 का विवरण)

जिलेवार बांधों एवं नहरों पर रख-रखाव मद में मरम्मत हेतु आवंटित राशि के विपरीत गत तीन वर्षों में चालू वर्ष सहित व्यय एवं बांधों/नहरों पर किये गये कार्यों की संख्या विवरण

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	जिले का नाम	1998-99			1999-2000			2000-2001		
		आवंटित राशि	व्यय की गई राशि	बांधों/नहरों की संख्या	आवंटित राशि	व्यय की गई राशि	बांधों/नहरों की संख्या	आवंटित राशि	व्यय की गई राशि	बांधों/नहरों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	उदयपुर	36.00	33.50	58	23.90	24.48	63	28.90	8.66	35
2.	राजसमन्द	6.51	5.40	24	7.10	5.25	20	3.60	2.67	10
3.	डूंगरपुर	16.00	16.00	41	6.45	6.45	23	4.95	2.17	28
4.	बांसवाड़ा	9.00	9.00	90	4.80	4.80	82	3.05	1.83	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	चित्तौड़गढ़	73.50	72.60	9	65.65	65.06	9	50.60	34.86	9
6.	भीलवाड़ा	38.00	36.87	6	22.55	16.93	6	11.75	8.19	6
7.	जयपुर	14.50	14.47	58	22.04	22.03	51	6.04	6.45	18
8.	दौसा	11.50	10.39	28	12.10	11.94	17	4.60	4.49	12
9.	सवाई माधोपुर/ करौली	22.00	22.00	34	16.65	16.64	28	6.60	7.27	14
10.	सीकर		4.23	28		1.43	24	—	0.10	13
	झुन्झुनूं	5.00	0.95		1.07	0.28		—	0.11	
	चूरू		—			—		—	—	
11.	अजमेर	7.00	6.59	85	3.80	4.07	85	2.75	2.60	66
12.	टोंक	10.00	10.15	33	15.00	14.99	24	3.95	3.727	22
13.	धौलपुर	11.00	10.87		14.10	14.36		—	—	
14.	अलवर	5.00	5.013	28	5.10	5.243	20	3.75	5.128	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	भरतपुर	0.17	0.17	2	2.77	2.77	11	11.44	11.44	9
16.	जोधपुर	2.50	2.47	12	1.20	1.13	12	0.70	0.79	13
	जैसलमेर		0.02	1		0.10	1		0.37	1
17.	जालौर	6.00	5.88	76	3.75	4.05	44	2.75	1.49	28
	बाड़मेर		0.22	11		0.08	6		0.12	2
18.	नागौर	2.50	2.21	3	0.70	0.72	5	0.70	0.39	1
	बीकानेर		—	0		—	—		—	—
19.	पाली	50.00	37.65	86	32.20	27.89	91	17.70	11.49	30
20.	सिरोही	16.00	21.23	43	15.20	11.00	44	2.70	3.67	21
21.	कोटा	54.06	52.48	6	40.88	40.88	10	37.75	20.13	4
22.	बून्दी	30.00	27.59	25	24.00	23.98	20	16.46	11.29	33
23.	बारां	12.00	20.73	7	22.05	27.18	18	17.05	20.71	6
24.	झालावाड़	32.00	31.74	12	21.45	20.76	18	5.60	4.38	18

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-230 की सूची)

परिशिष्ट-'अ'

वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में जिला भरतपुर के बांध निर्माण/मरम्मत कार्यों के लिए स्वीकृत राशि का विवरण

(राशि लाख रु. में)

क्र.सं.	खण्ड का नाम	वर्ष 1999-2000 में स्वीकृत राशि			वर्ष 2000-2001 में स्वीकृत राशि		
		आपदा राहत कोष मद	रख-रखाव मद	योग	आपदा राहत कोष मद	रख-रखाव मद	योग
1.	भरतपुर	20.00	8.02	28.02	.0.00	8.60	8.60
2.	बयाना	20.00	5.50	25.50	0.00	3.00	3.00
3.	डीग	20.00	4.50	24.50	0.00	16.50	16.50
	योग :–	60.00	18.02	78.02	0.00	28.10	28.10

परिशिष्ट-'ब'

विधान सभा क्षेत्र रूपदास में वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 में स्वीकृत राशि से पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों की सूची

(राशि लाख रु. में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि		कुल व्यय	
		वर्ष 1999-2000	वर्ष 2000-2001	वर्ष 1999-2000	वर्ष 2000-2001
1	2	3	4	5	6
(अ)	**पूर्ण हुए कार्यों की सूची :–**				
1.	रूधखरिया बंध	0.02	–	0.02	–
2.	खेडा रूदावल बंध	0.16	–	0.16	–
3.	रेस्ट हाऊस रूपवास	0.43	–	0.43	–
4.	रेस्ट चौकी सेवला	0.25	–	0.25	–
(ब)	**अपूर्ण परन्तु सुरक्षित स्तर पर कार्यों की सूची :–**				
1.	दौरदा बंध	0.08	–	0.08	–
2.	पिचूना कैनाल	0.33	–	0.33	–
3.	खुडासा बधाली	1.23	–	1.23	–
4.	पनोह प्रोटेक्शन बंध	0.92	–	0.92	–
5.	सामरी अपर बंध	0.94	–	0.94	–
6.	कंजर बरोली बंध	0.45	–	0.45	–
7.	कच्ची बांसी बंध	0.88	–	0.88	–
8.	नाथपुरा बंध	1.18	–	1.18	–
9.	गहलऊ बंध	0.77	–	0.77	–

1	2	3	4	5	6
10.	बहरा बंध	0.02	—	0.02	—
11.	उच्चैन कैनाल	1.00	—	1.00	—
12.	पिचूना नाला	0.60	—	0.60	—
13.	कुरका फीडर	1.08	—	1.08	—
14.	फतहपुर क्रास पिचूना नहर	0.37	—	0.37	—
15.	रेस्ट हाऊस बारेठा	0.06	—	0.06	—
16.	खरेरा क्रास उच्चैन नहर	0.82	—	0.82	—
	कुल योग	**11.59**	**—**	**11.59**	**—**

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-242 की सूची)

परिशिष्ट-'अ'

पंचायत समितियों के माध्यम से ग्रामीण विकास हेतु संचालित की जाने वाली योजनाओं की सूची

क्र.सं.	योजना का नाम
1.	जवाहर ग्राम समृद्धि स्वरोजगार योजना
2.	इन्दिरा आवास योजना नवीन
3.	इन्दिरा आवास योजना अपग्रेडशन
4.	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास
5.	सुनिश्चित रोजगार योजना
6.	मरू विकास कार्यक्रम प्रथम/द्वितीय बैच
7.	मरू विकास कार्यक्रम न्यू
8.	वाटर शैड स्पेशल
9.	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना एवं दुकानों की सूचना
10.	विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
11.	बन्धक श्रमिक योजना
12.	अपना गांव अपना काम योजना
13.	निर्बन्ध राशि योजना
14.	बत्तीस जिले बत्तीस काम योजना
15.	ग्रामीण विकास केन्द्र
16.	बायोगैस
17.	डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
18.	मेवात क्षेत्रीय कार्यक्रम
19.	ऋण एवं अनुदान योजना
20.	प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना

परिशिष्ट-'ब'

वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में पंचायत समिति–राणी (जिला पाली) के अन्तर्गत लक्ष्य तथा उपलब्धियों का विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्ष 1998-99		वर्ष 1999-2000		लक्ष्य पूर्ण नहीं होने के कारण
		लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	
1	2	3	4	5	6	7
1.	इन्दिरा आवास	156	156	9	9	
2.	जीवनधारा	4	1	—	—	लाभार्थियों द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया एवं वर्ष 1999–2000 में योजना बंद कर दी गई।
3.	जवाहर रोजगार योजना	40	40	14	14	
4.	सुनिश्चित रोजगार योजना	26	23	4	4	
5.	अपना गांव अपना काम	1	1	—	—	
6.	सांसद कोष	9	8	12	8	कार्य जनवरी एवं फरवरी, 2000 में स्वीकृत हुए। ग्राम पंचायत द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किये गये।

1	2	3	4	5	6	7
7.	विधायक कोष	—	—	15	11	कार्य जनवरी एवं फरवरी, 2000 में स्वीकृत हुए। ग्राम पंचायत द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किये गये।
8.	32 जिले 32 काम	1	1	—	—	
9.	बायोगैस	—	—	—	—	
10.	इन्दिरा आवास (अप ग्रेडशन)	—	—	5	5	
11.	स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार	—	—	58.75	10.17	बैंकों द्वारा सहयोग नहीं करना।
12.	ग्रामीण विकास केन्द्र	6	6	—	—	
13.	निर्बन्ध राशि	1	1	—	—	

वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में पंचायत समिति–देसूरी (जिला पाली) के अन्तर्गत लक्ष्य तथा उपलब्धियों का विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्ष 1998-99		वर्ष 1999-2000		लक्ष्य पूर्ण नहीं होने के कारण
		लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	
1	2	3	4	5	6	7
1.	इन्दिरा आवास	45	45	10	10	
2.	जीवनधारा	2	—	—	—	लाभार्थियों द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किये गये
3.	जवाहर रोजगार योजना	33	29	—	—	ग्राम पंचायत द्वारा कार्य पूर्ण नहीं करना
4.	सुनिश्चित रोजगार योजना	23	22	—	—	ग्राम पंचायत द्वारा कार्य पूर्ण नहीं करना
5.	अपना गांव अपना काम	2	2	—	—	
6.	सांसद योजना	6	6	4	4	
7.	विधायक कोष	—	—	4	2	ग्राम पंचायत द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं करवाना
8.	32 जिले 32 काम	—	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7
9.	बायोगैस	10	9	20	18	लक्ष्यानुसार आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं होना
10.	इन्दिरा आवास (अप ग्रेडशन)	—	—	5	5	
11.	स्वर्ण जयंन्ती स्वरोजगार	—	—	54.20	17.20	ऋण आवेदन प्राप्त नहीं हुए
12.	ग्रामीण विकास केन्द्र	5	4	—	—	ग्राम पंचायत द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं करवाना
13.	निर्बन्ध राशि	—	—	—	—	

वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में पंचायत समिति–खारची (जिला पाली) के अन्तर्गत लक्ष्य तथा उपलब्धियों का विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्ष 1998-99		वर्ष 1999-2000		लक्ष्य पूर्ण नहीं होने के कारण
		लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	
1	2	3	4	5	6	7
1.	इन्दिरा आवास	65	77	29	35	
2.	जीवनधारा	–	–	–	–	
3.	जवाहर रोजगार योजना	43	63	13	20	
4.	सुनिश्चित रोजगार योजना	18	26	–	9	
5.	अपना गांव अपना काम	2	2	2	2	
6.	सांसद योजना	4	4	2	1	ग्राम पंचायत द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं करवाना
7.	विधायक कोष	–	–	16	10	
8.	32 जिले 32 काम	2	2	–	–	

1	2	3	4	5	6	7
9.	बायोगैस	15	15	—	—	
10.	इन्दिरा आवास (अप ग्रेडशन)	—	—	15	10	लाभार्थियों द्वारा कार्य नहीं करवाना
11.	स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार	—	—	64.60	14.24	बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध नहीं करवाना
12.	ग्रामीण विकास केन्द्र	2	2	—	—	
13.	निर्बन्ध राशि	2	2	—	—	

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या-243 की सूची)

प्रतिनियुक्ति पर लगे अधिकारियों की सूची

अन्य विभाग

क्र.सं.	जिला	महाविद्यालय	प्रतिनियुक्त अधिकारी का नाम	विषय	प्रति-नियुक्ति पर जाने का दिनांक	विभाग	पद	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	दौसा	बांदीकुई	श्रीमती प्रमिला संजय	अंग्रेजी	5.7.97	महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर	परियोजना अधिकारी	
2.	गंगानगर	कन्या गंगानगर	श्रीमती चन्द्रिका सूद	अंग्रेजी	11.2.99	महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर	परियोजना अधिकारी	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	बारां	बारां	श्री एम. डी. काबरा	वनस्पति शास्त्र	1.12.97	विशिष्ठ योजना एवं एकीकृत ग्रामीणं विकास विभाग, जयपुर	परियोजना निदेशक	
4.	अजमेर	अजमेर	श्री राकेश दुग्गल	रसायन शास्त्र	20.7.2000	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	उप कार्यक्रम सलाहकार	
5.	उदयपुर	कन्या उदयपुर	श्रीमती रेणु बापना	रसायन शास्त्र	7.7.98	साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी, जयपुर	परियोजना निदेशक	
6.	नागौर	नागौर	श्रीमती वीणा प्रधान	रसायन शास्त्र	27.3.95	महिला बाल विकास अभिकरण, सीकर	परियोजना अधिकारी	
7.	टोंक	टोंक	श्रीमती लीना मोहन पराडकर	रसायन शास्त्र	18.11.99	शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश	व्याख्याता	

2.	वित्त	परियोजना निदेशक, डी.आर.डी.ए.	जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी
3.	मोनिटरिंग	–"–	–"–
4.	प्रशिक्षण हेतु	जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी	श्री रामस्वरूप परेश साहित्यकार बगड

इस कार्यालय में अपर कलेक्टर, सहायक कलेक्टर, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बाल विकास परियोजना अधिकारी, निदेशक, महिला विकास अभिकरण, कोषाधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक), उप निदेशक पर्यटन, अधिशासी अधिकारी, विकास अधिकारी, परियोजना अधिकारी (अनौ.शिक्षा), ब्लाक शिक्षा अधिकारी एवं शिक्षा प्रसार अधिकारी भी जुड़े हैं।

प्रश्न के भाग संख्या (4) से संबंधित विवरण

नाम पुस्तक (साहित्य)	दर (प्रति पुस्तक)	टाइटिल पुस्तकें	दर (प्रति)
आपणी किताब भाग-1	3.92	संदर्शिका	2.60
आपणी किताब भाग-2	5.10	घरेलू उपचार	2.60
आंक उजालो प्रवेशिका	3.84	बात पते की	2.60
आपणी किताब भाग-3	3.84	पनघटिया	2.60
साक्षरता गीत पुस्तिका	1.00	हमारी धरोहर	2.6.0
सम्पूर्ण साक्षरता हेतु फोल्डर–	460.00 रु. प्रति हजार	हंसी की फुहार	2.60
उत्तर साक्षरता हेतु फोल्डर–	450.00 रु. प्रति हजार	सारा देश हमारा है	2.60
		हमारे लोक गीत	2.60
		कुछ समझे कुछ जाने	2.60
		रमजान नहीं लौटा	2.60